1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 6] पंचम् विधान सभा के छठे सत्र का तृतीय दिवस [संख्या 3

बुधवार:

दिनांक 14 अगस्त, 1974

विधान सभा की बैठक मध्यान्ह पूर्व 11 बज कर 3 मिनिट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(शिक्षा, सिंचाई, समाजकल्याण, गृह, स्वास्थ्य, विद्युत, पर्यटन, आयुर्वेद, विधि, यातायात विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रश्न संख्या 41।

राष्ट्रीयकृत पाठ्य-पुस्तकों का अभाव

41. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (सूरतगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान की शिक्षा संस्थाएं खुल जाने के बावजूद अधिकत्तर शिक्षा संस्थाओं को राष्ट्रीयकृत पाठ्य-पुस्तकें प्राप्त नहीं हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि जब से पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है स्थिति किसी न किसी रूप में समय पर पुस्तकें प्राप्त नहीं होने की चली आ रही है जिससे पढ़ाई की भारी हानि होती है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस स्थिति को सुधारने की दिशा में क्या कदम उठायें हैं ?

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि पाठ्य-पुस्तकों के बारे में आज सदन में मैंने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा है। इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य अगर इस बारे में कोई सप्लीमेन्ट्री करना चाहें तो अभी इस वक्त सप्लीमेन्ट्री न करके उस वक्त अपने विचार व्यक्त करलें । ताकि सदन का समय दूस प्रश्नों के काम आ सके ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं अधिक सम नहीं लूंगा, अध्यक्ष महोदय ।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखड़ा) : अध्यक्ष महोदय, फिर हमें सप्लीमेन्ट्री करने का मौका नहीं मिलेगा ।

श्री अध्यक्ष : आप ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के समय बोल लें ।

मन्त्री जी !

शिक्षा मंत्री (श्री खेतसिंह) : (1) जी नहीं। यह सही नहीं है। कक्षा 1 से 8 तक 52 पाठ्य पुस्तकें हैं। इस वर्ष की कुल आवश्यकता 72 लाख 84 हजार पुस्तकों की है। मण्डल ने उपलब्ध कागज के अनुसार 77 लाख पुस्तकें छपाने की व्यवस्था की। इनमें से नए व पुराने स्टॉक को मिलाकर अब तक 74 लाख 47 हजार पुस्तकें वितरण केन्द्रों पर उपलब्ध हो चुकी हैं। 52 पुस्तकों में से 50 छप चुकी हैं और उपलब्ध हैं। अब तक मण्डल स्कूलों और पुस्तक विक्रेताओं के द्वारा 77 लाख 93 हजार रुपयों की पुस्तकें बेच चुका है।

(2) यह सही है कि इतनी बड़ी संख्या में छपने वाली पुस्तकों में से कुछ पुस्तकें किसी न किसी कारण समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। किन्तु अधिकांश पुस्तकें समय पर ही उपलब्ध हो जाती हैं। इस वर्ष तो कागज के भयंकर अभाव और महंगाई ने देश के सभी भागों में पाठ्य-पुस्तकों की समय पर छपाई में बड़ी कठिनाई पैदा की है। उत्तर भारत में केवल राजस्थान ही ऐसा प्रान्त है जिसमें मण्डल की तत्परता एवं सतर्कता के कारण राष्ट्रीयकृत पाठ्य-पुस्तकों की उपलब्धि की स्थिति दूसरे राज्यों की तुलनात्मक दृष्टि से बहुत ही सन्तोषजनक रही है।

विलम्ब की स्थिति को सुधारने के लिये राज्य ने जो कदम उठाये हैं उसके लिये आगे भी प्रयास जारी हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि क्या राष्ट्रीयकृत पाठ्य-पुस्तक मण्डल के सचिव द्वारा कोई पत्र स्टूडेन्ट्स फेडरेशन ऑफ इन्डिया के प्रेसीडेन्ट को लिखा उसमें उन्होंने यह लिखा कि पाठ्य-पुस्तकें 15 अगस्त को या 15 अगस्त के बाद उपलब्ध हो सकेंगी।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पूछे गये प्रश्न से भिन्न है क्योंकि उस प्रश्न स्टूडेन्ट्स फेडरेशन ऑफ इन्डिया के प्रेसीडेन्ट का जिक्र उसमें नहीं है। इसलिये मण्डल के सचिव ने कोई पत्र लिखा या नहीं लिखा इसकी मैं जानकारी किये बगैर कुछ नहीं कह सकता। वैसे मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि 52 पाठ्य-पुस्तकों में से 50 पाठ्य-पुस्तकें बाजार में मिल रही हैं। और दो पाठ्य-पुस्तकें जो कि उर्दू में हैं उन्हें भी हम छपवा कर बाजार में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जो कि इस माह के अन्त तक बाजार में आ जायेंगी और लोगों को उपलब्ध हो जायेंगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के समय तो मैं बोलूंगा ही उस वक्त मैं कुछ और तथ्य पेश करूंगा लेकिन मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जो सूचना मन्त्री महोदय सदन में दे रहे हैं वह सही नहीं है। मेरे पास मण्डल के सचिव ने जो पत्र लिखा था उसकी ऑथेंटिकेटेड कापी मौजूद है जो उन्होंने स्टुडेन्ट फेडरेशन ऑफ इन्डिया के प्रेसीडेन्ट को लिखा था, उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि पुस्तकें 15 अगस्त को या उसके बाद में एवेलेबल हो सकेंगी।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मालूम होता है माननीय सदस्य के पास कोई पुराना

(श्री खेतसिंह)
पत्र होगा मेरी जानकारी इनसे ज्यादा ओथेन्टिकेटेड है। इसमें मण्डल के सचिव और विभाग की जानकारी भी है। इनकी जानकारी पुरानी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास पत्र मौजूद है। चाहें तो दिखा सकता हूं। इसके साथ साथ जो सूची मुझे दी गयी है वह ऐसी है कि उसकी भाषा मेरे पढ़ने में भी नहीं आती है।

श्री खेतसिंह : मैं आपको दूसरी नयी कापी दे दूंगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ प्रश्न मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं। क्या यह सही नहीं है कि भारत सरकार ने जितना कोटा पुस्तकों के छपाई के लिये चाहिये था वह पूरा कोटा राज्य सरकार को दे दिया लेकिन चूंकि राज्य सरकार के पास खुद का प्रेस नहीं होने की वजह से यह पुस्तकें समय पर नहीं छप सकीं। दूसरी बात यह भी है कि पुस्तक विक्रेता लोग जबरदस्ती स्टुडेन्ट्स को पुस्तकों के साथ की (key) लेने को मजबूर करते हैं अन्यथा उन्हें पुस्तकें नहीं मिलतीं।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, पाठ्य-पुस्तकों के लिये 2,250 टन कागजों के कोटे की आवश्यकता राज्य सरकार को थी जिसमें से भारत सरकार से और बाजार से राज्य सरकार को पहले 1,650 टन कागज प्राप्त हुआ, उसके बाद में हमने भारत सरकार को और लिखा तो हमें अप्रेल में 600 टन कागज और मिला। जिसको हमने बाद में पुस्तकें छपने के लिये भेजा। इसके अलावा यह भी सही है कि मण्डल का खुद का प्रेस नहीं है। मण्डल के खुद के प्रेस के लिये राज्य सरकार ने जमीन लेली है और जल्दी वहां पर प्रेस लगाया जायेगा।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (मावली) : क्या जमीन में से प्रेस निकलेगा ?

श्री खेतसिंह : जमीन में से प्रेस नहीं निकलेगा। जमीन ली है वहां पर उसके लिये बिल्डिंग बनेगी और उसमें प्रेस लगेगा। इसके अलावा जबरदस्ती की (key) देने के बारे में राज्य सरकार ने जिलाधीशों को और समस्त शिक्षा अधिकारियों को हिदायत करदी है कि वह पुस्तक विक्रेताओं के केश मीमों को चैक करें कि कहीं पर वह जबरदस्ती पाठ्य पुस्तकों के साथ की वगैरा तो नहीं बेच रहे हैं। इसके अलावा पुस्तक विक्रेताओं के स्टॉक वेरीफाई करने की हिदायत भी उन लोगों को दे रखी है। यही कारण है कि पुस्तक विक्रेताओं को राज्य सरकार से नाराजगी हो रही है। कहीं कहीं पर पुस्तक विक्रेताओं ने की (key) भी बेची है। लेकिन अब जिलाधीशों को और शिक्षा अधिकारियों को आदेश इस बारे में दे दिया है कि वह पुस्तक विक्रेताओं के केश मिमोज चैक करें व उन्हें इस प्रकार की जबरदस्ती की (key) न देने की हिदायत करें।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनराज।

श्री मोहनराज : प्रश्न संख्या 42।

जवाई नदी से क्षति

42. **श्री मोहनराज** (बाली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाली क्षेत्र के ग्राम वाणा व भाटून्द के पास जवाई नदी

(श्री मोहनराज)
में आबादी व काश्त की बेशकीमती भूमि में कटाव डाल कर प्रतिवर्ष हजारों, लाखों रुपयों का नुकसान काश्तकारों को पहुंचा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि गत वर्ष भयंकर बाढ़ के फलस्वरूप करीब 25 काश्त के कुए व सैकड़ों एकड़ फसल समेत उपजाऊ भूमि इस नदी के कटाव से वह कर चले गये जिससे करीब 500 गरीब परिवार बिना जीविका के साधन के हो गये ?

(3) क्या यह सही है कि इन ग्रामों के निकट नदी के कटाव को रोकने हेतु आवश्यक कार्य की सर्वे सिंचाई विभाग और भू-संरक्षण विभाग द्वारा दो-तीन वर्ष पूर्व कराई गई थी ?

(4) क्या राज्य सरकार प्रतिवर्ष होने वाले इस हजारों, लाखों रुपयों की फसल के नुकसान को रोकने हेतु इस कार्य को शीघ्र कराने की व्यवस्था करेगी ?

सिंचाई मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा): (1) जी नहीं। गत 18 वर्षों में केवल सन् 1973 में बाढ़ आने से इन ग्रामों की कुछ भूमि का कटाव हुआ है।

(2) गत वर्ष भयंकर बाढ़ आने से कुछ कुए तथा कुछ भूमि कटाव से बह गई थी। कितने कुए व कितनी काश्त की भूमि बही व उससे कितने परिवारों को हानि हुई उसका ब्यौरा सिंचाई विभाग के पास नहीं है।

(3) जी नहीं।

(4) इस प्रकार की हानि प्रतिवर्ष नहीं होती है। गत वर्ष अनहोनी बाढ़ के कारण यह हानि हुई है। तत्काल ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसकी विशेष योजना बनाई जावे।

श्री मोहनराज : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह फरमाया कि पहिले इस तरह से भूमि का कोई कटाव नहीं हुआ है और न ही कोई सर्वे करवाई गई है और न उसकी कोई आवश्यकता ही महसूस करते हैं। वस्तुस्थिति यह है कि पहिले इस भूमि का कटाव हो चुका है और सिंचाई विभाग द्वारा सर्वे भी करवाई गई है। यह मेरी निजी जानकारी में है क्योंकि मैं उन ऑफिसर्स के साथ था। दो विभागों ने, वन विभाग और सिंचाई विभाग ने सर्वे किया है। मैं सिंचाई मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि यह जो सूचना उनके विभाग ने उनको दी है, वह गलत है।

दूसरा मैं यह कहना चाहूंगा कि जो नुकसान हुआ है वह कई बरसों से हुआ है और जो सूचना आपको दी गई है वह अधूरी है। उपयोगी और कीमती काश्त की भूमि आ रही है, गांव की आबादी का हिस्सा भी बह कर जा सकता है। वहां की सर्वे भी हो चुकी है, और अगर आप नहीं मानते हैं, तो उसकी नई सर्वे करवा लें।

श्री हीरालाल देवपुरा : बाढ़ के कारण जो नुकसान हुआ उसके बारे में मैंने उत्तर दिया। जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं वह मैन जवाई नदी पर नहीं है, परन्तु उसकी ट्राब्युटरीज पर है। उन ट्राब्युटरीज पर इतना पानी कभी नहीं आया कि जितनी जमीन का आप कटाव कहते हैं उतना कटाव आया हो। आमतौर पर बाढ़ से नुकसान होता है, और हर नदी को डेम करना सम्भव नहीं है। जहां ऐसी स्थिति हो कि बाढ़ एक रेग्युलर फीचर बन गयी हो और कटाव होत

(श्री मोहनराज)

हो, तब तो दूसरी बात है। यहां ऐसी स्थिति नहीं है। इसलिये सर्वे की अभी तक कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। माननीय सदस्य ने बताया कि दो सर्वे हो चुकी हैं, मुझे बताया गया कि सर्वे नहीं की गई और न उसकी आवश्यकता थी। अब आप तो व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर बताते हैं कि सर्वे हुई है, तो हो सकता है कि नीचे की लेविल पर कोई सर्वे हुई हो। उसका पता लगायेंगे और उस सर्वे के आधार पर यदि आवश्यकता होगी तो अवश्य कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री मोहनराज : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि दोनों गांव जवाई नदी पर नहीं हैं। वास्तव में दोनों गांव जवाई की मुख्य नदी पर स्थित हैं। प्रश्न में गांव का नाम गलत छप गया है, नावां के बजाय वाणा छप गया है, इसलिये आपकी सूचना गलत हो सकती है। नावां जो गांव है...

श्री हीरालाल देवपुरा : आपने वाणा के लिये पूछा है।

श्री मोहनराज : वाणा नहीं है। वाणा कोई और गांव होगा। मैंने तो नावां के लिये पूछा है।

श्री हीरालाल देवपुरा : वाणा के लिये मझे बताया गया है।

श्री मोहनराज : यह मिसप्रिन्ट है।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीराम गोटेवाला व श्री बनवारीलाल (धौलपुर)।

पुलिस माल गोदामों से बेचे गये हथियार

43. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

पुलिस माल गोदामों से बेचे गये हथियारों के मामलों में जो रिपोर्ट सतर्कता आयोग ने प्रस्तुत की थी, उसके अनुसार किस किस राजपत्रित अधिकारी को नोटिस दिया गया है और इनके खिलाफ अन्य क्या कार्यवाही की गई ? जिन जिन राजपत्रित अधिकारियों को नोटिस दिये गये हैं उनकी सूची सदन के मेज पर रखने की कृपा करें।

गृह राज्य मंत्री (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : सतर्कता आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जिन जिन राजपत्रित अधिकारियों को नोटिस दिये गये थे उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। अब निर्णय के लिये यह मामला मंत्री मंडल के विचाराधीन है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री श्रीराम गोटेवाला : किन किन का जवाब आया और क्या क्या जवाब आया ? और दूसरी बात यह जानना चाहता हूं कि यह नोटिस कब दिये गये और जवाब कब आये, और कार्यवाही कब तक होगी ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जो सूची आपको दी गई है उसमें मेन्शन्ड है कि किन किन अधिकारियों ने जवाब दिया है। जो मामले राज्य सरकार ने ठीक पाये उनको ड्राप किया गया है और कुछ मामले ऐसे थे जिनमें जिलाधीश ही ऐक्शन ले सकता था तो उसमें जिलाधीशों को राज्य सरकार ने

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)
आदेश दे दिये हैं कि वह अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करें। लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनका स्थानान्तर हो गया है, कुछ रिटायर हो चुके हैं और कुछ में कोई और बात हो गई है जिसकी वजह से नोटिस सर्व नहीं हो पाया है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : अगर वह रिटायर हो गये हैं, तो वह पेन्शन तो पा रहे होंगे ? फिर क्या परेशानी है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जिलाधीशों के पास ऐड्रेस नहीं होने से भी समय पर कार्यवाही नहीं हो सकी है।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : जो उत्तर आया है, उससे क्या सरकार सन्तुष्ट है ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि इनको नोटिस कब दिया गया और जवाब कब आया ? इसी सदन के अन्दर जब माननीय मोहनलाल छंगाणी मेरे साथ यहां बैठा करते थे, उस समय कहा गया था कि दो महीने में यह कार्यवाही की जायेगी और मैं यह कहना चाहता हूं कि बड़े बड़े आइ०ए० एस० आफिसर्स इसमें हैं और अनावश्यक रूप से इसमें देर कर रहे हैं। माननीय मंत्रीजी कहते हैं कि कुछ रिटायर हो गये। यदि इस प्रकार देरी हुई तो कुछ और भी रिटायर हो जायेंगे।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : छंगाणीजी को वहां बिठा दें ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : वह अब प्रश्न हीं उठाते।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आपकी जोड़ी टूटने का अफसोस है।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : जोड़ी टूटने का अफसोस तो होता ही है।

श्री शंकर लाल (पाली) : वह अफसोस भी आप ही ठीक कर सकते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं आपके सन्तोष के लिये भरसक कोशिश करूंगा।

श्री अध्यक्ष : क्या आप जोड़ी का पुनर्मिलन करा सकते हैं ?

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, आप इनके लिये नई जोड़ी की व्यवस्था करें।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह छंगाणीजी भी कोई जोड़ी हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह केस बहुत ही पुराना है और इसमें निश्चित रूप से देरी हुई है और जो वांछित ऐक्शन होना चाहिये था वह, ऐसा लगता है, नहीं हुआ है। इसलिये इसको हम केबीनेट के सामने रख रहे हैं कि इसको किस तरह से हैंडिल किया जाये। तो मैं यह कोशिश करूंगा कि केबीनेट की पहली मीटिंग में ही इस पर फैसला किया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री ओंकारलाल।

वृद्धावस्था पेन्शन सम्बन्धी नियमों का सरलीकरण

44. **श्री ओंकारलाल** (डग) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार

(श्री ओंकारलाल)
ने विधान सभा में वृद्धावस्था पेन्शन सम्बन्धी नियमों में सरलीकरण करने का आश्वासन दिया था? यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई है?

(2) कितने लोगों को 1973-74 में वृद्धावस्था पेन्शन दी गई है? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

समाज कल्याण मंत्री (श्री मोहनलाल-छंगाणी): (1) जी हां, राजस्थान वृद्धावस्था पेन्शन नियमों में सरलीकरण किया जा कर नये नियम 1 जन, 1974 से प्रभावशील हो गये हैं।

(2) वर्ष 1973-74 में 20 जिलों के 7,094 लागों को वृद्धावस्था पेन्शन दी गई है। शेष 7 जिलों से सूचना प्राप्त की जा रही है।

एक माननीय सदस्य : क्या यह सही है कि जिस माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा है उन्होंने स्वयं ने, जब वह मंत्री थे, आश्वासन दिया था कि नियमों का सरलींकरण किया जायेगा?

श्री मोहनलाल छंगाणी : सरलीकरण हो चुका है और जो आश्वासन दिया गया गया था उसका पालन भी हो चुका है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्या यह सरलीकरण जिलाधीशों के पास पहुंच गया है? क्या आपने सरलीकरण में तसवीर लाने का प्रावधान खत्म किया है? किस प्रकार का सरलीकरण किया है, कोई उदाहरण आप बता सकते हैं?

श्री मोहनलाल छंगाणी : सारे के सारे कलेक्टर्स को हिदायत भेज दी गई है और उसके आधार पर एस०डी०ओ० ऐप्लीकेशन ले लेता है। पहले डिले होती थी क्योंकि ऐप्लीकेशन कलेक्टर के पास ही पेश होती थी, अब एस०डी०ओ० और तहसीलदार भी ऐप्लीकेशन ले लेगा। फोटो का प्रावधान अभी तक है क्योंकि विना फोटो के आइडेन्टीफिकेशन करना मुश्किल होगा। लेकिन अब इसमें यह कर दिया गया है कि एस०डी०ओ० अपने कान्ट्रेन्जेन्सी फन्ड में से हर पेन्शनर को एक रुपया फोटो के प्रति दे देगा। यह प्रावधान इसमें रखा है।

श्री दीपंकर : पेन्शनर के लिये वोटर्स लिस्ट को ही आधार माना है या वह स्वयं एस०डी०ओ० के पास चला जायेगा और एस०डी०ओ० तसदीक कर देगा।

श्री मोहन लाल छंगाणी : वोटर्स लिस्ट को बहुत बड़ा एवीडेन्स मानते हैं, लेकिन इसके लिये वोटर्स लिस्ट में नाम नहीं हो, तो भी वह एप्लीकेशन दे सकता है और एस० डी० ओ० तसदीक कर सकता है, और पेन्शनर पेन्शन लेने का हकदार हो सकता है।

एक माननीय सदस्य : कितने जिलों का सर्वे किया गया है?

श्री दलपत सिंह (मांडल) : पेन्शन के भुगतान का क्या तरीका है?

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य ने यदि इसके रूल्स नहीं देखे हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि हर माननीय सदस्य को और हर सामाजिक कार्यकर्त्ता को इन रूल्स की स्टडी करनी चाहिये। फन्डामेन्टल चेन्जेज जो इसमें की गई हैं, वह एक तो यह है कि आदमी को जिला हैडक्वार्टर्स पर नहीं जाना पड़ेगा, वह अपनी तहसील और सब-डिवी-

(श्री हरिदेव जोशी)
जन में भी एप्लीकेशन ले सकता है। फोटो के अभाव में भी पेन्शन शुरू हो जायेगी लेकिन उसको महीने के भीतर भीतर फोटो लगाना पड़ेगा। पहले जिस समय इसका जिक्र आया था तो मैंने कहा था कि कुछ ऐसे तहसील हैडक्वार्टर्स हैं जहां कि 50 मील के अन्दर भी कोई फोटोग्राफर अवेलेबिल नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उन लोगों का क्या होगा। यह सोचकर हमने यह निर्णय लिया कि कार्यवाही तो शुरू हो जावे और इस बीच फोटो खिचवा एस०डी०ओ० से वेरीफिकेशन करा लें। ऐसा अगर नहीं करें और फोटो का प्रश्न बिलकुल ही हटा दें तो नियमों के अनुसार ए०जी० उनके पेमेन्ट को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिये यह फोटो की बात रखनी पड़ी है।

श्री निरंजननाथ आचार्य आज रुपया 25 पैसे का हो गया है। इस अनुपात से इनकी धनराशि बढ़ाने की भी आप सोच रहे हैं?

श्री हरिदेव जोशी : यह पहले नहीं था, अब ऐसा किया गया है।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, पेन्शन की यह रकम लेने के लिये एक बूढ़ा, लूला, लंगड़ा आदमी बस से, गाड़ी से, रेल से या और किसी साधन से आठ आठ दस दस मील से चल कर आता है। शहर में ठहरता है। रास्ते में और शहर में खाना भी खाता है इसी में उस गरीब आदमी के दस-पन्द्रह रुपये तो यों ही खर्च हो जावेंगे। आपकी इस पेन्शन की रकम में से बचेगा क्या उसके पास ? इसलिये क्या आप ऐसी कुछ व्यवस्था करने की सोच रहे हैं क्या कि यह पेन्शन की रकम उसको अपने गांव में ही मिल जावे पटवारी के मार्फतया और किसी साधन से ? शहरों में कोतवाली या नगरपालिका के मार्फत भी दिया जा सकता है। ऐसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिये ताकि इसका पूरा लाभ उसे मिल सके।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : मेरा निवेदन है कि वैसे यह एक ठीक दिशा में कदम है। पर असल समस्या यह है कि जो लावारिस हैं, अंग भंग हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं आम तौर पर इन लोगों का कोई सहारा नहीं है। ऐसे लोगों को यह रकम सहारे के लिये मिल जावे और ग्राम सेवकों और पटवारियों को इसके लिये पाबन्द कर दिया जावे कि नियमों के तहत ऐसे लोगों को पेन्शन दिलवाना उनके जुम्मे है। इस प्रकार की जिम्मेदारी जबतक इन लोगों पर नहीं डालेंगे तबतक व्यापक रूप से सामाजिक लाभ इन बेसहारा लोगों को नहीं मिलेगा।

श्री हरिदेव जोशी : यह कम्पलसरी बेनिफिट नहीं है। वालन्टरी है। जो एप्लाई करता है उसको मिलता है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्षजी, एक भी वृद्ध को इसके द्वारा पेन्शन आज तक तो नहीं मिली है।

श्री हरिदेव जोशी : बजट एलोकेशन के अभाव में नहीं मिली होगी। सरकार का विचार है कि यह मिलनी चाहिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैडिकल जूरिस्ट के सर्टीफिकेट के बाद भी सिटी मजिस्ट्रेट के सामने वेरीफाई कराना जरूरी रखा है यह आवश्यक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आपने कह दिया कम्पलसरी नहीं है।

श्री रामकिशन : आज जो स्टेट की पौलिसी है और वे जिस दिशा में बढ़ना चाह रहे हैं ऐसी स्थिति में क्या यह आवश्यक नहीं कि वे इसे कम्पलसरी कर दें। क्या सरकार इस पर विचार करना चाहती है?

श्री हरिदेव जोशी : राज्य सरकार इस पर विचार करेगी।

राजस्थान नहर के निर्माण पर व्यय की जाने वाली राशि

45. **श्री केदारनाथ** (श्री गंगानगर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान नहर का पहला चरण कब सम्पूर्ण होगा व इस पर कितना व्यय होगा? इस चरण को सम्पूर्ण करने के लिये केन्द्र से कितनी धनराशि मांगी गई है व कितनी धनराशि प्राप्त हुई है?

(2) राजस्थान नहर के दूसरे चरण के निर्माण के लिए कुल कितना खर्च होगा और राज्य सरकार उसमें कितनी धनराशि जुटा सकेगी और इसके लिये केन्द्र से कितनी रकम की मांग की है?

सिंचाई मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) राजस्थान नहर के प्रथम चरण का कार्य सिवाय वितरकों के पक्का करने के मार्च, 1976 तक पूरा होने का अनुमान है। वितरकों को पक्का करने का शेष कार्य 5।6 वर्ष में पूरा करने की योजना है। इस चरण की 145 करोड़ की अनुमानित लागत में से मार्च, 1974 तक लगभग 100 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं। इस प्रकार इस चरण को पूरा करने के लिये 45 करोड़ रुपया की आवश्यकता है जिसका प्रावधान राज्य की पांचवीं पंचवर्षीय योजना में किया गया है। अब तक 1971-72 से 1973-74 तक इस योजना के लिये राज्य के योजना व्यय के अतिरिक्त 8.47 करोड़ रुपये की अलिखित केन्द्रीय सहायता प्राप्त हो चुकी है। इस वर्ष 1974-75 में अब तक कोई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता नहीं मिली है।

(2) राजस्थान नहर के दूसरे चरण के निर्माण के लिये कुल 135 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है जिसमें से लगभग 4 करोड़ रुपये मार्च, 1974 तक व्यय हो चुके हैं। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में राजस्थान नहर परियोजना के लिये 70 करोड़ रुपये का प्रावधान है जिसमें से प्रथम चरण के लिये 45 करोड़ रुपया निकाल कर द्वितीय चरण के लिये कुल 25 करोड़ रुपये बचते हैं। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में द्वितीय चरण को पूरा करने के लिये 106 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता है।

श्री केदारनाथ : अभी अभी मुख्यमंत्री ने प्राइम मिनिस्टर से बात की है। धर और चव्हाण साहब से भी बात की है तो उनका क्या कमिटमेन्ट स्टेण्ड करता है। फाइनल कमिटमेन्ट उनका क्या है?

श्री हीरालाल देवपुरा : राजस्थान कैनाल के बारे में एक बार नहीं कई बार सदन में प्रश्न आये हैं। मुख्यमंत्रीजी ने भी कई बार बातें की हैं। भारत सरकार भी चाहती है कि इसका काम जल्दी से जल्दी पूरा हो। पर जो वित्तीय स्थिति है उसमें इतनी गुंजाइश नहीं कि पूरा प्रावधान किया जा सके इसके लिये एक साथ। अभी मुख्यमंत्रीजी

Page No 10

10

(श्री हीरालाल देवपुरा)

की केन्द्रीय वित्तमंत्री और योजनामंत्री से बैठक में इस पर चर्चा हुई। इसमें छ: करोड़ रुपया और निकाल कर देने की बात हुई है। तो इस वर्ष यह अतिरिक्त छ: करोड़ रुपया मिलने की सम्भावना है।

पांचवीं योजना में 106 करोड़ देकर इसे पूरा करने की बात भारत सरकार सोच रही है कि इसे किस प्रकार से लिया जा सकता है। पर अभी इसके लिये कोई फर्म कमिटमेंट उनका नहीं है। कोशिश यही कर रहे हैं कि अधिक से अधिक धन इसके लिये जुटाया जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या यह सही है कि इसके प्रथम चरण का काम 76 तक पूरा हो पावेगा और यह आपके शिड्यूल प्रोग्राम से बहुत लेट हो गया है।

श्री हीरालाल देवपुरा : राजस्थान कैनाल 58 में प्रारम्भ हुई थी। वित्तीय स्थिति को देख देख कर इसके लिये प्रावधान किया जाता रहा है इसमें विलम्ब हुआ है और अनावश्यक विलम्ब हुआ है इससे इन्कार नहीं किया जा सकता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : भारत सरकार ने संसद में कहा है कि वित्तीय स्थिति का संकट इसके लिये नहीं रहा, बल्कि जो फण्ड इसके लिये अलोकेट किया गया उसका उपयोग उचित रीति से नहीं हुआ, क्या यह सही है?

श्री हीरालाल देवपुरा : जी नहीं।

श्री केदारनाथ : राजस्थान कैनाल की क्या अब ऐसी कैपेसिटी हो गई है कि पौंग डेम का पूरा पानी यूटीलाइज हो जावेगा और अब पाकिस्तान को कुछ भी पानी नहीं जावेगा?

श्री हीरालाल देवपुरा : राजस्थान कैनाल अगले साल पूरी होगी। इस वर्ष पौंग डेम का पूरा पानी यूटीलाइज कर लेंगे। अगले वर्ष भी यूटीलाइज किया जावेगा। पूरा का पूरा पानी यूटीलाइज कर लेंगे। देश का पानी बाहर नहीं जावेगा।

तत्कालीन जिलाधीश, सवाई माधोपुर के विरुद्ध दर्ज मामला

49. **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर के तत्कालीन जिलाधीश, श्री जैन के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया था?

(2) क्या यह सही है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग तथा सतर्कता आयोग ने आरोपित तथ्यों को सही पाया एवं उक्त अधिकारी के विरुद्ध अदालती कार्यवाही करने की अनुमति मांगी?

(3) क्या यह सही है कि यह अनुमति नहीं दी गई और श्री जैन को निलम्बन से बहाल किया जाकर उनकी पुर्ननियुक्ति की गई?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त घटना का प्रशासन द्वारा भ्रष्टाचार मिटाने हेतु उठाये गये कदमों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है?

गृह मंत्री (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) :

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। लेकिन यह अनुमति

Page No 11

11

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)
राज्य सरकार द्वारा न दी जाकर नियमों के अधीन भारत सरकार द्वारा दी जानी थी। भारत सरकार ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग से राय लेने के बाद मामले को इस योग्य नहीं पाया कि इसे अदालत में ले जाया जाय। ऐसी सूचना मिलने के बाद मामले पर राज्य सरकार द्वारा पुनर्विचार किया गया और श्री जैन को निलम्बन से बहाल किया गया।

(4) जी नहीं। श्री जैन के विरुद्ध मामले को समाप्त नहीं किया गया है। बल्कि इनके विरुद्ध उन्हीं आरोपित तथ्यों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है जो अपने आप में एक पूर्ण कार्यवाही है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्या यह सही है कि इनके खिलाफ 120 (बी) read with 161, आई० पी० सी० दूसरे 5 (1) (डी) 21 प्रिवेन्शन ऑफ करप्शन के चार्जेज इन आई० ए० एस० महोदय के खिलाफ थे ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : हां, यह सही है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्या यह सही है कि विजिलेन्स कमिशन ने पूरी इस संबंध में जांच करके सिफारिश की गवर्नमेन्ट को कि इनका प्रासीक्यूशन किया जाये ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : लेकिन वह काम्पीटेन्ट अथारिटि नहीं थी क्योंकि यह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं इसलिए इसके लिए काम्पीटेन्ट अथारिटि भारत सरकार और यूनियन विजिलेन्स कमिशन ही है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्या यह सही है कि काम्पीटेन्ट अथारिटि थी या नहीं थी यह दूसरा प्रश्न है लेकिन इस राज्य सरकार ने प्रासीक्यूशन के आदेश दे दिये थे ?

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : यह आदेश एक प्रकार से सही नहीं थे क्योंकि जो आदेश दिये गये वह भारत सरकार के द्वारा और यूनियन विजिलेन्स कमीशन ने इन आदेशों को उचित नहीं माना इसलिए तथ्य यह है कि राजस्थान सरकार के आदेश उचित नहीं थे और राजस्थान सरकार इस प्रकार के आदेश देने में काम्पीटेन्ट नहीं थी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : तो यह मैं मानूं कि राज्य सरकार ने आदेश तो दे दिये और जिसको भारत सरकार ने नहीं माना और क्या यह सही है कि लॉ डिपार्टमेन्ट ने इस केस को एग्जामिन किया और लॉ डिपार्टमेन्ट ने भी इन आफेन्सेस को एस्टेब्लिश्ड माना ?

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं। उन्होंने बहुत स्पष्ट यह कहा कि यह चालान करने काबिल केस नहीं है। यह चालान हो नहीं सकता है इसलिए स्टेट गवर्नमेन्ट ने जो यह एक्शन लिया कि प्रासीक्यूट किया जाये वह स्टेण्ड नहीं कर सकता।

श्री निरंजननाथ आचार्य : लॉ डिपार्टमेन्ट राजस्थान सरकार का

श्री हरिदेव जोशी : हां, यही मैं कह रहा हूं लॉ डिपार्टमेन्ट राजस्थान सरकार का।

श्री निरंजननाथ आचार्य : पहले लॉ डिपार्टमेन्ट की दो स्टेजेज हुई। मैं फिर

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
स्पष्ट कहता हूं कि पहले जब एग्जामिन किया गया जिस पर राज्य सरकार ने डिसीजन लिया, लॉ डिपार्टमेन्ट ने कहा कि आफेन्स मेड आउट है । यह पहली ओपीनियन है और उसी पर राज्य सरकार ने डिसीजन लिया है और राज्य सरकार अब चूंकि इस मेटर को सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट में परस्यू नहीं कर सकी मैं यह नहीं कहना चाहता कि क्या प्रेसर्स और काउन्टर प्रेसर्स थे लेकिन लॉ डिपार्टमेन्ट का डिसीजन हुआ, ओपीनियन सीक की गयी और ओपीनियन पर राज्य सरकार ने डिसीजन लिया और उस आधार पर फिर यह थर्ड स्टेज आई है ।

श्री हरिदेव जोशी : गलती ही यही हुई है कि प्रासीक्यूट करने के डिसीजन को लेने से पहले लॉ डिपार्टमेन्ट की ओपीनियन ली जानी चाहिए थी जो कि नहीं ली गई । लॉ डिपार्टमेन्ट की ओपीनियन जब ली गई तो लॉ डिपार्टमेन्ट ने यह कहा कि यह केस प्रासीक्यूशन के काबिल नहीं है इसलिए यह स्टेण्ड नहीं कर सकेगा । तब हमने गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया को दिया इस केस को और यूनियन विजिलेन्स कमिशन ने भी यह होल्ड किया कि यह केस प्रासीक्यूट करने काबिल नहीं है और अगर स्टेट गवर्नमेन्ट उचित समझती है तो डिपार्टमेन्ट इन्क्वयरी कर सकता है । वह भी आप्शन पर छोड़ दिया बल्कि नहीं यह प्रेस किया बड़ी स्पेसीफिकली । यह प्रश्न माननीय सदस्य ने पहले भी उठाया था, माननीय सदस्य को याद हो तो । मुझे तो याद है....

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरे खयाल में आपकी याद में भ्रम है ।

श्री हरिदेव जोशी : आपको भ्रम नहीं होना चाहिये ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह प्रश्न उठा था पहले सदन में और यह प्रश्न मेरा और छंगाणी जी का था ।

श्री हरिदेव जोशी : आपने (श्री आचार्य) सप्लीमेन्टरी की थी और मैंने कहा था और तब आप सेटिस्फाइड होकर विराज गये थे ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अब तो आप एक्शन लेकर बिराजें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इनके ऊपर भी बिराजने की कोशिश है क्या ?

श्री हरिदेव जोशी : वह तो आप बिराजे हुए हैं । मैं निवेदन कर दूं कि स्टेट गवर्नमेन्ट ने तो एक्शन ले लिया । हम प्रासीक्यूट करना चाहते थे और ऑर्डर प्रासीक्यूशन के लिए दे दिया आफिसर को क्योंकि प्रासीक्यूशन के लिए ऑर्डर दे दिया इसलिए सस्पेण्ड करना जरूरी था । चूंकि यह ऑल इन्डिया सर्विस के मेम्बर थे केस को गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया को भेजा गया । गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया ने इस केस को एग्जामिन किया और उन्होंने कहा कि आपके लॉ डिपार्टमेन्ट की ओपीनियन इस बाबत में क्या है । यह स्पेसीफिकली कहा तब लाजिमी था कि लॉ डिपार्टमेन्ट की ओपीनियन लेते और उसकी ओपीनियन ली । उसको भी हमने गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया को भेजा । हमने तीन चीजें भेजी थीं जहां तक मुझे याद पड़ता है और उसमें उन्होंने कटेगरीकली कहा चूंकि इसमें प्रासीक्यूशन नहीं हो सकता इसलिए प्रासीक्यूशन की इजाजत नहीं दी जा सकती तब प्रासीक्यूशन के ऑर्डर को विथड्रा किया गया क्योंकि और कोई उपाय नहीं था ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं यह पूछना चाहता हूं कि विजिलेन्स कमीशन के समक्ष जितने केसेज आई० ए० एस० के हैं वह तो एक ही निकल पाया और आर० ए० एस० के केसेज हैं लोकायुक्त का कानून पास होने के बाद वह पके पकाये केसेज जिनमें इनवेस्टीगेशन समाप्त हो गया और प्रासीक्यूशन ही बाकी थे वह केसेज भी आपने अलमारी में बन्द कर रखे हैं या उनको भी इनके साथ ही निपटा देंगे, क्योंकि यह छूट गये हैं तो आर० ए० एस० वाले भी छूट जायेंगे ।

श्री हरिदेव जोशी : यह अलग से प्रश्न है ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : क्या मुख्य मंत्री महोदय सदन के सामने गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया का वह पत्र पढ़कर सुनायेंगे जिसमें उन्होंने यह ओपीनियन दी है कि यह सेन्ट्रल आई० ए० एस० ऑफिसर होने के कारण से प्रासीक्यूट नहीं हो सकते और क्या माननीय मुख्य मंत्रीजी लॉ डिपार्टमेन्ट की ओपीनियन को पढ़कर सुनायेंगे और सदन के पटल पर रखेंगे ।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने जो कुछ कहा है उसका माननीय सदस्य ने स्टॉल करने की कोशिश की है । मैंने यह कभी नहीं कहा कि आई० ए० एस० हैं इसलिए सस्पैण्ड नहीं किया जा सकता या प्रासीक्यूट नहीं किया जा सकता है । लेकिन जो एलीगेशन्स इनके खिलाफ थे, जो केस मेड-आउट हुआ था वह इस तरह का नहीं था कि प्राइमाफेसी इन्हें प्रासीक्यूट किया जा सके । इसलिए प्रासीक्यूशन के अन्दर सक्सेसफुल नहीं होंगे यह उनकी डेफीनेट ओपीनियन थी । सेन्ट्रल विजिलेन्स कमीशन की भी यही ओपीनियन थी और स्टेट गवर्नमेन्ट की भी यही थी और मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ मैं कह रहा हूं उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए । इसकी आवश्यकता नहीं है कि कोई चीज सदन की पटल पर ही रखी जाये ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपको आपत्ति है क्या ? क्या मुख्य मंत्रीजी उसको हाउस की टेबल पर रखने में अपमान समझते हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रश्न सदन की मेज पर रखने का नहीं है। प्रश्न यह है कि तीनों ओपीनियन जिसका मुख्य मंत्रीजी जिक्र कर रहे हैं क्या माननीय सदस्य उस ओपीनियन को देख सकेंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह देखलें मुझे एतराज नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसके साथ ही डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी होनी चाहिए । आप ने सस्पेन्शन विथड्रा कर लिया, अब डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी कौन कर रहा है उस आई० ए० एस० की और इस डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी के दौरान अगर दूसरा कोई छोटामोटा व्यक्ति होता तो आप उसको सस्पैण्ड करते तो क्यों नहीं इस एग्रीवेटेड ऑफेन्स के आधार पर सस्पैन्ड करते ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का दृढ़ मत था जिस समय मैंने इस केस को देखा हमने बराबर यह कोशिश की कि इस प्रासीक्यूशन के ऑर्डर को विथड्रा नहीं किया जाये लेकिन कोई चारा नहीं था । गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया ने कम्पलीट एग्जामिनेशन के बाद अपनी

(श्री हरिदेव जोशी)
डेफीनेट ओपीनियन दी और हमारे लॉ डिपार्टमेन्ट ने भी यही ओपीनियन दी इसलिए इस केस को विथड्रा किया गया। किसी भी स्टेज के ऊपर इस केस को लीगल एक्सपर्ट ने नहीं देखा। यह केवल विजिलेन्स कमीशन था जिसने इसको देखा। गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया की अथॉरिटी ने यह कहा कि यह चीज इस प्रकार की नहीं है, दूसरी तरह की है, इसलिए चार्जशीट तैयार हो गई है और वह दी जा रही है और एक्शन उसके अन्दर है।

श्री निरंजननाथ आचार्य: अब तो आप उनको सस्पेंड कर दीजिये।

श्री हरिदेव जोशी: मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जब दूसरी बार फिर विथड्रा करना पड़े।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वश्चन। श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

लड़कियों के लिये नये उच्च माध्यमिक विद्यालय

47. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में ऐसे जिले भी हैं जहां लड़कियों के अध्यापन के लिये उच्च माध्यमिक विद्यालय (हायर सैकेन्डरी स्कूल) नहीं हैं? यदि हां, तो उन जिलों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या उक्त जिलों में इसी वर्ष माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जावेगा?

शिक्षा मन्त्री (श्री खेतसिंह): (1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

(2) जी नहीं?

श्री वृद्धि चन्द्र जैन: अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के सभी जिलों में कॉलेजेज की स्थापना हो चुकी है पर लड़कियों की जो हायर सैकेण्डरी स्कूलें हैं उनके लिये जो जिले बतलाये गये हैं सीकर, सवाई माधोपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही, नागौर और झालावाड़, उनमें जो हैं हायर सैकंडण्री स्कूल भी नहीं है। तो मैं यह चाहता हूं और गवर्नमेन्ट से निवेदन है, शिक्षा विभाग से निवेदन है, शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि वे कब जो है इन जिला हैडक्वार्टर्स पर हायर सैकेण्ड्री स्कूल लड़कियों का खोलेंगे। अगर हायर सैकेण्ड्री स्कूल लड़कियों का नहीं खोला जाता है तो अपन राजस्थान में लड़कियों की एजूकेशन को प्रोत्साहन नहीं दे पायेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप इन जिलों को प्राथमिकता देंगे? और सबसे पहले इन लड़कियों के सैकेण्ड्री स्कूलों को हायर सैकेण्ड्री स्कूलों में कन्वर्ट करेंगे।

श्री खेतसिंह: अध्यक्ष महोदय......

श्रीमती जमुना सोलंकी (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहती हूं एक तरफ तो महिलाओं की शिक्षा काफी जोरों से आगे बढ रही है यहां तक कि पुरूषों से भी महिलाएं आगे निकल गई हैं और एक तरफ गांवों के अन्दर यह देखते हैं कि गांवों के अन्दर यह स्थिति हो गई है कि जब भी उनके संबंध का विचार चलता है तो पहले लड़के वाले यह देखते हैं कि लड़की की एजुकेशन कितनी है

(श्रीमती जमुना सोलंकी)
चाहे वह घर के काम में कितनी ही होशियार हो, फिर भी शिक्षा की तरफ ध्यान दिया जाता है। तो मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि यह सारे हायर सैकेंडरी स्कूल खोल कर क्या सरकार इसकी तरफ ध्यान देकर उन माता-पिताओं की इस कठिनाई से बचायेगी ?

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि हमारे यहां और खास तौर से राजस्थान से महिला शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। मुझे इस बात का बहुत ही अफसोस है और मन में बड़ी पीड़ा है कि जितनी महिला शिक्षा को बढाना चाहते थे वह नहीं बढ़ी है।.......

श्री भानुकुमार शास्त्री : इसी पीड़ा में आप दुबले भी हो गये हैं।

श्री खेतसिंह : इसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा के मद में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर हमने प्रावधान रखे हैं और उसके अन्दर हमने यह तय किया है कि हम पचास स्कूलों को सैकेण्ड्री से हायर सैकेण्ड्री में क्रमोन्नत करेंगे। मेरी ऐसी मान्यता है कि जिस वक्त में ये स्कूलें क्रमोन्नत होंगी निश्चित तौर पर सबसे पहले जिनका क्रमोन्नति का आधर मजबूत होगा, इन जिलों के अन्दर, जहां 2 यह आवश्यकता आपने बतलाई है, उनको प्राथमिकता देंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री बनवारीलाल।

(प्रश्न संख्या 48)

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री जयकिशनलाल।

जयपुर जिले के अस्पतालों में दवाई की व्यवस्था

49. **श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा** (फागी) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जयपुर जिले में किन 2 सरकारी अस्पतालों को कितनी कितनी दवा सरकार की ओर से दिये जाने का प्रावधान है ? जनवरी, 1973 से दिसम्बर, 73 तक किन-किन अस्पतालों को कितने-कितने रुपये की दवा दी गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इन दवाओं का सदुपयोग नहीं होता ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस बारे में क्या विचार रखती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री मोहनलाल छंगाणी) : (1) अप्रेल, 73 से मार्च, 74 तक दी गई दवा की राशि की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ? जनवरी, 73 से दिसम्बर, 73 की सूचना प्राप्त की जा रही है।

(2) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : मेरा प्रश्न पहला तो यह है कि कई गांव इसके अन्दर ऐसे हैं जैसे बड़नगर, यहां पर पहले राशि ज्यादा थी लेकिन इस 74–75 के अन्दर इसमें कमी कर दी गई। इसी प्रकार रघुनाथ पुरा, जमुवारामगढ़ आदि पांच-सात गांव ऐसे हैं जहां पहले राशि अधिक थी अब कम कर दी गई है। यह किस आधार पर कमी की गई है इसका माननीय मंत्रीजी उत्तर देने की कृपा करें।

श्री मोहनलाल छंगाणी : जहां

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
दवाईयां देते हैं उसका आधार इनडोर पेशेंट, आउटडोर पेशेंट कितने आते हैं कितने नहीं आते हैं, कितना रिक्वीजिशन, मेडिकल आफिसर जिले का करता है, उस सब आधार को देख कर ही एलोकेशन किया जाता है। और मैं, माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर जिले में कम से कम 38 पर्सेंट दवाइयां लेने में हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज ऐसी हैं जिन्होंने एलोकेशन से अधिक दवाइयां ड्रा की हैं। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती हैं देने की कोशिश करते हैं।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट। (व्यवधान – अश्रव्य)

श्री जयकिशनलाल तोसावड़: प्रश्न यह है कि इन स्थानों पर दवाइयां कम कर कर दी गई हैं तो मरीजों की कमी होने की आवश्यकता ही नहीं। आज तो जिस प्रकार से बीमारियां ज्यादा बढ़ती जा रही हैं उस के अन्दर अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में विभिन्न प्रकार की दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है, प्रत्येक पी० एच० सी० में आवश्यकता होती है। फिर मेरी समझ में नहीं आता, माननीय मंत्रीजी जो उत्तर दे रहे हैं वह एक भ्रामक है भ्राम में डालने वाली स्थिति है। इसलिए मेरा निवेदन है और मैं स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि वास्तव में कौनसी परिस्थितियां सरकार के सामने आईं या डिपार्टमेंट के सामने या माननीय मंत्री महोदय के समक्ष आकर के उपस्थित हो गईं कि एक तरफ तो जनता दवाइयों के लिए तड़प रही है और दूसरी तरफ····

श्री अध्यक्ष: यू पुट दी सप्लीमेंट्री क्वश्चन डायरेक्ट।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़: आप दवाइयां कम कर रहे हैं, आप कृपया इसकी व्यवस्था की स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश करें।

श्री रामगोपाल (किशनगंज): प्रश्नकर्त्ता ने जो नाम बताये हैं वहां रिक्वायरमेंट थी या नहीं?

श्री मीठालाल (लालसोट): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जो आपने इनडोर पेशेंट और आउटडोर पेशेंट की बात कही है वहां पर वास्तव में दवाइयां कम भेजी जाती हैं। इसके अतिरिक्त अप-ग्रेड करने का भी क्या सरकार विचार रखती है। इन अस्पतालों में इनडोर पेशेंट और आउटडोर मरीजों की तादाद को देखते हुए अधिक दवाइयां भेजने के बारे में सरकार विचार करे तथा इनको अपग्रेड करने के बारे में भी आप विचार करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री मोहनलाल छंगाणी: अध्यक्ष महोदय,·····

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): ऐसा है कि जो आपने जवाब फरमाया उसमें कहा कि पेशेंट की संख्या कम होने से दवाइयां कम की हैं। मेरी यह मान्यता है और यह लाजिक है अगर अपके अस्पतालों में फैसेलिटि नहीं होगी, दवाइयां नहीं मिलेंगी, वहां की हालत खराब होगी, डॉक्टर खराब भेजे जायेंगे तो निश्चित रूप से मरीजों की संख्या कम होगी। मरीज वहां पर नहीं जायेंगे और अगर आप

Page No 17

17

(श्री मूलचन्द सामरिया)
इसी आधार पर मूल्यांकन करें कि कितने रोगी पहुंचते हैं तो यह उचित नहीं होगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जहां दवाइयां कम मात्रा में उपलब्ध होंगी तो पेशेंट भी कम होंगे। इसलिए आप इसकी संख्या बढ़ायें और दवाइयां ज्यादा से ज्यादा मोहैय्या करायेंगे·····

श्री अध्यक्ष : नो स्पीच। यू स्पीक डाइरेक्ट क्वश्चन।

श्री मूलचन्द सामरिया : और जो वहां अव्यवस्था है उसको ठीक कराने की व्यवस्था करेंगे।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपुतली) : क्या यह सही है माननीय मंत्री महोदय जैसा कि आपने अभी कहा कि रघुनाथपुरा और बड़नगर में कमी की है लेकिन कोटपुतली में संख्या बढ़ी है फिर भी वहां पर कमी की है उसके लिए आपकी कृपा किस आधार पर हुई है। उसी तहसील में कमी की है। जो दूसरी तहसीलों में मरीजों की संख्या बढ़ी है उसमें भी आपने कमी कर दी है। बड़नगर और रघुनाथपुरा में तो कम कर दी लेकिन कोटपुतली में ज्यादा होने पर भी क्यों कमी कर दी ?

श्री अध्यक्ष : अब माननीय मंत्रीजी उत्तर देंगे।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य भावावेश में इस प्रकार की बातें कर गए हैं। तथ्यों के आधार पर बात कहते तो इस तरह की बात नहीं होती। लालसोट के बारे में बात कही गई। लालसोट में जहां 73 में 5,995) रु० की दवाइयां दी गईं वहां इस बार सात हजार का प्रावधान किया गया है।

श्री मीठालाल : मरीजों की संख्या भी तो देखिए।

श्री अध्यक्ष : उनकी बात तो सुन लीजिए।

श्री मोहनलाल छंगाणी : दूसरा कोटपुतली का सवाल उठाया। कोटपुतली का वैसे अलग से प्रश्न है फिर भी मैं आपकी सूचना के लिए जानकारी दे दूं। कोटपुतली में पिछले साल 5,924) रु० की दवायां दीं जब कि इस बार आठ हजार का प्रोवीजन रखा गया है। इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि दवाइयां कम की हैं। जहां 2 पेशेंट की जैसी संख्या है, हमारे बेड्स खाली रहते हैं, ओकूपेंसी कम रहती है तो आवश्यकता के आधार पर ही हम दवाइयां बढ़ाते रहते हैं। इसका तो कोई अन्त ही नहीं है कि हम यों ही लगातार दवाइयां बढ़ाते रहें। जब पेशेंट कम हों, बेड्स खाली रहते हों, ओकूपेंसी कम हो तो दवाइयां बढ़ाने का प्रश्न नहीं है। लेकिन मैं आप को विश्वास दिला सकता हूं कि जहां 2 जैसी आवश्यकता होगी उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे—अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव।

Page No 18

18

आबकारी अधिकारी, जयपुर के विरुद्ध जांच

50. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवा-महल) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले में वर्तमान आबकारी अधिकारी कौन हैं ?

(2) क्या जयपुर जिले के आबकारी अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने कोई जांच की थी ? यदि हां, तो कब और जांच का क्या परिणाम रहा ? कृपया रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) क्या इसी अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में कोई मामला विचाराधीन है ? यदि हां, तो कितने समय से ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) श्री मन्नालाल आर्य ।

(2) जी हां । यह जांच भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने राजस्थान सतर्कता आयोग के निर्देशन पर की थी तथा जांच रिपोर्ट दिनांक 5-6-73 को आयोग को प्रेषित की गई थी । राजस्थान सतर्कता आयोग द्वारा उप प्रतिवेदन पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका और आयोग का अस्तित्व दिनांक 1-11-73 को समाप्त हो गया । अब यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है । जनहित की दृष्टि से जब कि इस मामले पर कुछ भी निर्णय नहीं हुआ है, रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखना उपयुक्त नहीं होगा ।

श्री मीठालाल : यह गलत बोल गए, जनहित के हिसाब से नहीं होगा ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : नहीं होगा । आप अपनी तरफ से कुछ भी कह लें ।

(3) सन् 1967 से । यह जांच एक अलग शिकायत से संबंधित है जो राज्य सरकार के निर्देशन पर की जा रही है तथा जिसकी रिपोर्ट भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से आना शेष है ।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने एक भ्रष्ट अधिकारी को बचाने का प्रयास किया है । श्री मन्नालाल आर्य जिसके बारे में जांच अधिकारी ने जो रिपोर्ट आपको पेश की है उसमें स्पष्ट आरोप उस पर लगाए गए हैं । मन्नालाल आर्य ने उन शराब के ठेकेदारों के साथ मिलजुल कर के राज्य सरकार को लाखों रुपयों का घाटा पहुंचाया है । इमीजियेटली उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था । क्या आप यह जनहित में समझते हैं कि इस भ्रष्टाचार के मामले के अन्दर मन्नालाल आर्य, क्योंकि वह राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री से संबंध रखता है.... इसलिए कार्यवाही करेंगे । मैं यह जानना चाहूंगा कि यह बात सही है कि रिपोर्ट के अन्दर यह कहा गया है कि यह मिली भगत है और शराब के ठेकेदार से मिलीभगत के कारण राज्य सरकार को लाखों रुपयों का घाटा पहुंचाया है । इसलिए शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए ।

श्री केदारनाथ : विजिलेन्स कमीशन के रिपोर्ट कितने अर्से से पेन्डिग रही ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : राज्य सरकार का किसी भी अधिकारी को बचाने का कोई इरादा नहीं है । जिस किसी अधिकारी ने भ्रष्ट कार्यवाही की है राज्य सरकार

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)
उसको सख्त से सख्त सजा देगी और किसी तरह की रियायत नहीं की जायेगी । एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट ने रिपार्ट सब्मिट की है । जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा ठेकेदार से मिल कर राज्य सरकार को आर्थिक हानि पहुंचायी है । मैं इतना ही कह सकता हूं कि यह रिपोर्ट राज्य सरकार के विचाराधीन है और उसमें जब तक जिस पहलू से यह रिपोर्ट दी गई है, जिस शिकायत पर यह रिपोर्ट दी गई है, उस पर अन्तिम निर्णय न हो, वह कहना संभव नहीं होगा ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : कितने दिन पहले रिपोर्ट आ है ?

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : इश्यू यह है कि रहमत खां एक ठेकेदार के बावत में एक केस था । वह केस यह था कि उनकी गारंटी के अनुसार कुछ लाख रुपयों का माल उन्होंने नहीं उठाया ....

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : स्पेसिफिक कोई शिकायत नहीं थी । एक कालूराम वैद्य हैं जिन्होंने 'बापूजी के उद्देश्य' के अनुसार एक पेम्पलेट निकाला । उसके आधार पर सतर्कता आयोग को कार्यवाही करने के लिए कहा गया । कालूराम ने कोई स्पेसिफिक ऐलीगेशन नहीं लगाया था । उस पेम्पलेट में जो बात लिखी गई थी उसके आधार पर सतर्कता आयोग से अनुरोध किया गया कि इसकी जांच की जानी चाहिए । मुख्य मुद्दा यह था कि मुन्नालाल आर्य के जमाने में जो ठेका फ्रेन्ड्स एंड कम्पनी को दिया गया था और जिसके मालिक रहमत खां थे उसकी गारन्टी 39 लाख 36 हजार रुपयों की थी यह पैसा उसको राज्य सरकार को देना था उस गारन्टी की रकम में से उन्होंने केवल जो शराब उठायी वह थी 33 लाख 58 हजार 32 रुपये और 42 पसे । गारन्टी के हिसाब से शार्ट फाल 5 लाख 57 हजार 928 रुपये और 88 पैसे का रहा । नियमों के अनुसार 10 पर्सेन्ट जो सिक्यूरिटी जमा थी, वह सिक्यूरिटी 3 लाख और कुछ थी वह इस कम्पनी की जब्त कर ली । जब यह सिक्यूरिटी जप्त कर ली थी तो पार्टी रेवेन्यु बोर्ड में अपील में चली गई । अपील पर रेवेन्यू बोर्ड ने यह हैल्ड किया कि यह राशि, जो इस ठेकेदार की जप्त की गयी है यह, गैर कानूनी है । जो कारण बताये वे स्पष्ट हैं कि स्प्रिट के अभाव में और ब्लैक आउट के कारण सरकार शराब नहीं दे पायी और इस कारण शार्टफॉल रहा । यह शाट फाल ठेकेदार की वजह से नहीं रहा है । इसलिए जो तीन लाख रुपया सिक्यूरिटी का जप्त कर लिया गया था वह रेवेन्यू बोर्ड के फैसले के कारण रिफ़न्ड करना पड़ा । इस निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार हाई कोर्ट में गई है और अब यह मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि श्री मुन्नालाल आर्य ने, ठेकेदार जिससे कि यह पैसा लेना था, उसको कोई नोटिस देकर वसूली करने का प्रयास किया था ? अगर प्रयास करते तो यह नौबत नहीं आती और आपका यह पैसा डूबत खाते में नहीं जात ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इसकी जो सिक्यूरिटी थी वह जप्त करली गई और बाकी के लिए रिकवरी करने के लिए नोटिस दिया गया । सिक्यूरिटी की राशि सरकारी खजाने में जमा करा दी ग ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह गलत है ।

श्री गलाबसिंह शक्तावत : आप मेरे स्टेटमेंट को चेलेन्ज कर सकते हैं, अगर यह गलत है ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : उन्होंने केवल नोटिस दिया है वसूली की कार्यवाही नहीं की है । ये सुखाड़ियाजी के साले हैं और ठेकेदार से मिले हुए हैं ....

(शोरगुल)

एक माननीय सदस्य : इन्होंने करोड़ों रुपयों का सरकार को फायदा पहुंचाया है ..

(शोरगुल)

श्री हरिदेव जोशी : यह तो फैक्ट्स हैं । मेरा निवेदन यह करना है कि यह फैक्ट्स का सवाल है और गवर्नमेंट सदन के समक्ष फैक्ट्स रख रही है । इसमें उत्तेजित होने का कोई प्रश्न नहीं है । माननीय राज्य मंत्री ने जो यहां पर बतलाया है वह सही है । यह सही है कि गारन्टी के अनुसार अमुक लाख रुपये की शराब उस ठेकेदार को उठानी चाहिए थी परन्तु उसने शराब कम उठायी । इसलिए सरकार ने यह फैसला किया कि जो पैसा बाकी था वह उसको पे करे । उसने पे नहीं किया तब जो सिक्यूरिटी जमा थी उसको गवर्नमेन्ट ने जप्त कर लिया और बाकी पैसा उससे वसूल करने के लिए नोटिस दिया । तब वह रेवेन्यु बोर्ड में गया और वहां पर यह फैसला हुआ कि गवर्नमेन्ट सप्लाई नहीं कर सकी है और क्योंकि ब्लैक आउट था सेल करने की कन्डीशन नहीं थी इसलिए वाजिब तौर पर वसूली नहीं की जा सकती है । रेवेन्यु बोर्ड ने इसको गलत बताया बल्कि यह निर्णय दे दिया कि सिक्यूरिटी के तीन लाख सरकार ने जो जप्त कर लिए हैं वह लौटाने के आर्डर दिए हैं । यह फैक्ट है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रश्न यह है ...

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट के अन्दर यह स्पष्ट लिखा है कि फ्रेन्ड्स एण्ड कम्पनी, जिसके कि मालिक रहमतखां थे, के खिलाफ श्री मुन्नालाल आर्य ने कोई कार्यवाही नहीं की । प्रत्येक महीने में उन्होंने गारंटी से कम माल उठाया और कमी की रकम वसूल नहीं की । मुन्नालाल आर्य और इनकी मिलीभगत होने के कारण श्री आर्य ने कर्तव्यपालन में कर्तव्यहीनता दिखाई जिसका नतीजा यह हुआ कि बाद में कम्पनी की रकम को जप्त करना पड़ा और बाकी 1 लाख और कुछ हजार कम्पनी से वसूल नहीं हुए । यह रिपोर्ट में दिया था है । दूसरा तर्क आपने रेवेन्यु बोर्ड का दिया है । प्रश्न यह है कि मुन्नालाल आर्य ने डिफाल्टर के विरुद्ध समय पर कार्यवाही क्यों नहीं की । वे दस साल से यहां पर बैठे हुए हैं । एक ही स्थान पर रख कर नाजायज फायदा उठाने का मौका क्यों दिया जा रहा है ?

श्री हरिदेव जोशी : सतर्कता आयोग ने जो कहा है वह सही है । नहीं एन्टी-करप्शन की यह रिपोर्ट है । यह सही है । परन्तु उनके पाइन्ट ऑफ व्यू को रेवेन्यु बोर्ड ने हैल्ड नहीं किया । उन्होंने कहा है कि गारन्टी पूरे वर्ष की है । गारन्टी के अनुसार किसी महीने में कम और किसी महीने में ज्यादा उठा सकते हैं परन्तु ठेकेदार को इतना माल उठाना चाहिए । प्रत्येक महीने का पाइन्ट ऑफ व्यू नहीं माना है जबकि एन्टी-करप्शन का प्रत्येक माह का पाइन्ट ऑफ व्यू है । बोर्ड ऑफ रेवेन्यु ने इस पाइन्ट ऑफ व्यू हैल्ड को किया है

श्री भानुकुमार शास्त्री : एग्रीमेन्ट में शर्तें हैं और जिस शर्त के अन्दर उनका

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
महीने के अन्दर इनकी गारन्टी का लेना देना था । क्या आप एग्रीमेन्ट सदन की टेबल पर रखेंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : कोई एग्रीमेन्ट का कारण हो, फैसला जो हुआ है वह आपके सामने रख रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : नो मोर क्वेश्चन्स। प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मुझे एक प्रश्न पूछना रह गया ....

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : मैं समय नहीं दूंगा । आपको 15 मिनिट दिए ह । और आपने पूछा नहीं और दूसरों से पुछवाते रहे, क्या मतलब है ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मतलब यह है कि ....

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्त वों पर व्यवस्था ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं माननीय अध्यक्ष, एक क्वेश्चन के बारे में कहना चाहता हूं दो मिनिट के लिए आज्ञा लेता हूं । मेरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें एक महत्वपूर्ण मसला है और जिसमें हमारे मुख्य मंत्रीजी की गिरफ्तारी हो रही है । या तो उसको पोस्टपोन कर दें या मुख्य मंत्रीजी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारन्ट है....

श्री अध्यक्ष : पोस्टपोन कर देता हूं ।

श्री केदारनाथ (श्रीगंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री की गिरफ्तारी का वारण्ट है यह एक ऐसी चीज है जिससे सेन्सेशन पैदा होता है ।

श्री गुलाबसिंह : यह भीनमाल के संबंध में है । अध्यक्ष महोदय को गुमराह करने की कोशिश मत करिये ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : वह गिरफ्तार हो रहे हैं और उनके खिलाफ वारन्ट है..

श्री अध्यक्ष : पहले कर चुका हूं । वह पोस्टपोन्ड है । बाद में पेश कर दें ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : भ्रष्टाचार मिटाओ कानून की धारा 8, गरीबी हटाओ कानून की धारा 4, प्रजातन्त्र बचाओ कानून की धारा 303 । श्री हरिदेव जोशी, मुख्य मंत्री, राजस्थान, सिविल लाइन्स, जयपुर..

श्री फूलचन्द जैन : यह आप क्या पढ़ रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : नोट टू बी रेकार्डेड । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

टूरिस्ट विभाग एवं राज्य होटल निगम

48. **श्री बनवारीलाल (धौलपुर) : क्या** मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि टूरिस्ट विभाग और राज्य होटल निगम के कार्य का निकटतम संबंध रहता है ? यदि हां, तो क्या राज्य

Page No 22

22

(श्री बनवारीलाल)

सरकार राज्य होटल निगम और टूरिस्ट विभाग का एक निगम बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

यह सही है कि टूरिस्ट विभाग व राज्य होटल निगम के कार्यों में निकट संबंध है लेकिन पर्याप्त वित्तीय साधनों के अभाव में फिलहाल दोनों को मिलाकर एक निगम बनाना संभव नहीं है ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

लालसोट कस्बे के जच्चाखाने में महिला डॉक्टर का रिक्त स्थान

1. **श्री मीठालाल** (लालसोट) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि लालसोट कस्बे (जयपुर) के 'जच्चाखाने' में लगभग गत तीन माह से कोई महिला डॉक्टर उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(ख) उक्त अवधि में डॉक्टर के अभाव के कारण जिन महिलाओं एवं जनता को जो जन-धन की हानि हुई है तथा डॉक्टर की व्यवस्था न करने व व्यवस्था न होने तक भतपूर्व डाक्टर को छुट्टी देने आदि की पूर्ण गलतियों के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

(ग) उक्त जिम्मेदार अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(क) जी नहीं । दिनांक 20-7-74 से डॉक्टर प्रेमलता गुप्ता लालसोट जच्चाखाने में कार्यरत है ।

(ख) लालसोट में नियुक्त महिला डॉक्टर का स्थानान्तरण प्रशासनिक दृष्टि से किया गया था। महिला डॉक्टरों के आम अभाव के कारण ही तुरन्त नियुक्ति नहीं की जा सकी ।

(ग) भाग दो में वर्णित तथ्यों के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

उप-निदेशक, नियोजन सेवा निदेशालय की नियुक्ति का मामला

2. **श्री मोहम्मद गफ्फार अली** (जोहरी बाजार, जयपुर) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

गत बजट अधिवेशन में विधान सभा के एक माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में तत्कालीन श्रम एवं नियोजन मंत्री श्री ओंकार लाल ने सदन में यह स्वीकार किया था कि श्री आर० एन० भण्डारी, उप-निदेशक, नियोजन सेवा निदेशालय ने जिला नियोजन अधिकारी के पद पर अपनी नियुक्ति कराने हेतु प्रार्थना-पत्र में अपना वेतमान गलत बताया अर्थात् 150-200 के स्थान पर 200-300 का वेतनमान दिखाया जिसके कारण उनकी नियुक्ति जिला नियोजन अधिकारी के पद पर हो गई ? यदि हां, तो इस प्रकार श्री भण्डारी द्वारा प्रार्थना-पत्र में गलत वेतनमान बताने के कारण उनके विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

Page No 23

23.

(श्रम एवं नियोजन मंत्री)

उत्तर

श्री आर० एन० भण्डारी उप-निदेशक, नियोजन सेवन निदेशालय ने नियोजन अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु अपने प्रार्थना-पत्र में यह उल्लेख किया कि वे 200-10-300 के वेतनमान में 240 रु० पा रहे हैं। उपरोक्त तथ्यों की पुष्टी स्वायत्त शासन विभाग ने भी श्री भण्डारी के प्रार्थना-पत्र भेजते समय की है। इनकी सेवा पुस्तिका में इनका वेतनमान 150-15/2-210 इबी० 10-300 बताया गया है। श्री भण्डारी की नियुक्ति जिला नियोजन अधिकारी के पद पर इन्टीग्रेशन डिपार्टमेन्ट द्वारा उस समय उपलब्ध सरकारी अभिलेख के आधार पर की गई न कि केवल श्री भण्डारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र पर। श्री भण्डारी को नियोजन अधिकारी के पद पर समावेश करते समय तथा उनकी योग्यता की जांच करते समय राज्य सरकार के पास समस्त अभिलेख उपलब्ध थे। अतः यह कहना गलत है कि श्री भण्डारी की नियुक्ति उनके प्रार्थना-पत्र के आधार पर ही हुई है। श्री भण्डारी द्वारा गलत वेतनमान बताने के संबंध में जांच के आदेश हो चुके हैं।

अनुसूचित जातियों एवं जन-जातियों के राजकीय छात्रावास

8. **श्री चेतराम** (टोडाभीम),

श्री रामगोपाल (किशनगंज). क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों के छात्रों हेतु चलाये जाने वाले राजकीय छात्रावासों में प्रति विद्यार्थी कितना खर्च किया जाता है?

(2) क्या राज्य सरकार द्वारा किये गये इस प्रति विद्यार्थी खर्च से सरकार संतुष्ट है? तथा बढ़ती हुई कीमतों तथा खर्च के कारण क्या सरकार प्रति विद्यार्थी खर्चा बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना और किस प्रकार?

(3) सरकार प्रति विद्यार्थी खर्च का एस्टीमेट (अनुमान) लगाते समय किस-किस मद पर कितना-कितना व्यय का अनुमान लगाती है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या राजकीय छात्रावासों तथा सहायता प्राप्त छात्रावासों के प्रबंधकों के विरुद्ध पूर्ण सुविधा न देने, गबन आदि की शिकायतें हुई हैं? यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या क्या कार्यवाही की है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों के छात्रों के लिए चलाये जाने वाले राजकीय छात्रावासों में प्रति छात्र प्रति माह करीब 85 रु० व्यय किया जाता है।

(2) उपलब्ध साधनों के अनुसर खर्च किया जा सकता है। बढ़ती हुई कीमतों को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित सुविधाएं उपलब्ध कराते रहने के लिये राज्य सरकार प्रयत्नशील है।

(3) राजकीय छात्रावासों में छात्रों को आवास, भोजन, पाठ्य-पुस्तकें, पाठ्य-सामग्री व स्कूल फीस के अलावा वस्त्र, बिस्तर, बर्तन, तेल, साबुन आदि की

(समाज कल्याण मंत्री)
सुविधाएँ दी जाती हैं, जिन पर व्यय किया जाता है ।

(4) राजकीय छात्रावासों तथा सहायता प्राप्त छात्रावासों के प्रबन्धकों के विरूद्ध जब कभी भी शिकायतें प्राप्त होती हैं उन पर जांच निरीक्षण, आदि कराकर आवश्यक कार्यवाही की जाती है ।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जातियों की हाउसिंग सोसाइटीज

4. **श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1970 से सन् 1974 जुलाई तक उदयपुर में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति की कितनी हाउसिंग सोसाइटीज किस-किस तारीख को रजिस्टर्ड हुई हैं ?

(2) उक्त रजिस्टर्ड सोसाइटीज से किस किस सोसाइटी को कितना–कितना भवन निर्माण का ऋण किस–किस दिनांक को दिया गया ?

(स्थगित किया गया)

नाहरगढ़ पुलिस स्टेशन में दर्ज चोरी का मामला

5. **श्री रामगोपाल** (किशनगन्ज) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लक्ष्मीनारायण धाकड़ निवासी नाहरगढ़ के चोरी हुई और उसकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन, नाहरगढ़, जिला कोटा में दर्ज कराई गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त चोरी की तफ्तीश में रकम बरामद की गई है किन्तु अभी तक मुल्जिमों का चालान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां । अभियुक्त अब तक फरार है इसलिये चालान पेश नहीं किया गया है ।

ड्राईविंग लाइसेन्स के मामले

6. **श्री गुरदयालसिंह सन्धु** (करणपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि अधीक्षक, पुलिस, श्रीगंगानगर लोगों के ड्राईविंग लाइसेन्स बनाने में पक्षपात करते हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि श्री प्रवेन्द्र जीतसिंह संधु, जिसके पास पहले से ड्राईविंग लाइसेन्स नं० 19 तारीख 29-3-71 है और जो इसमें Tractor with Trailor का लाइसेन्स लेना चाहता था और जिसने तारीख 14-2-74 को 5 रुपये के स्टाम्प पर दरख्वास्त पेश की थी, की दरख्वास्त तारीख 5-7-74 को नामंजूर कर दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(ग) क्या यह सही है कि स० हरिसिंह चक 38 आर०बी० जिसके पास पहले से ट्रेक्टर का ड्राईविंग लाइसेन्स है को मोटर साईकिल का ड्राईविंग लाइसेन्स देने से इन्कार कर दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

(घ) क्या सरकार उपरोक्त मामलों की जांच करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(गृह मन्त्री)

उत्तर

(क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। श्री प्रवेन्द्र. जीतसिंह संधु ने Tracter with Trailor के लिये कोई दरख्वास्त पेश नहीं की। अतः उसे नामन्जूर करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

लालसोट कस्बे में लघु उद्योग हेतु प्रार्थना-पत्र

7. श्री मीठालाल (लालसोट) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि जयपुर जिले के लालसोट कस्बे में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा लघु उद्योग स्थापित करने हेतु प्रार्थना-पत्र दिये हैं ? यदि हां, तो कितने प्रार्थना-पत्र कार्यालय में विचाराधीन पड़े हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि सरकार लालसोट कस्बे में एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? तथा औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने में सरकार के समक्ष क्या समस्या है ?

उत्तर

(क) जी हां। कोई भी प्रार्थना-पत्र विचाराधीन नहीं है।

(ख) फिलहाल औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का कोई विचार नहीं है। भारत सरकार के लघु उद्योग सेवा संस्थान, जयपुर द्वारा जयपुर जिले की सर्वेक्षण रिपोर्ट हाल ही में प्रकाशित की गई है। इस क्षेत्र की टैक्नोइकानामिक सर्वे रिपोर्ट उत्साहवर्धक होने पर और राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं विकास निगम द्वारा निगम के पास समुचित राशि उपलब्ध होने की दशा में ही औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम द्वारा भविष्य की योजनाओं में विचार किया जा सकेगा।

उदयपुर में शस्त्रों के लाइसेन्स नवीनीकरण के प्रार्थना-पत्र

8. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सन् 72-73 व 73-74 में आर्म्स एण्ड एम्यूनिशन एक्ट के अन्तर्गत जिलाधीश, उदयपुर के पास कितने क्षेत्रों के लाइसेंस नवीनीकरण के प्रार्थना-पत्र किस किस व्यक्ति द्वारा व कब-कब प्रस्तुत किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपर्युक्त प्रार्थियों में से किन-किन व्यक्तियों को लाइसेंस नवीन करके दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सन् 72-73 व 73-74 में आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत कार्यालय जिला दण्डनायक, उदयपुर में शस्त्रों के लाइसेंस नवीनीकरण के प्रार्थना-पत्र जिन-जिन व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किये गये उसकी सूची संलग्न है।

(2) उपरोक्त सूची में से सब के लाइसेंस नवीनीकरण कर दिये गये हैं सिवाय 7 व्यक्तियों के जिनकी अलग से सूची संलग्न है। (सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बालकृष्ण विद्याभवन, कांकरोली

9. **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बालकृष्ण विद्याभवन, कांकरोली को राज्य सरकार ने अपने अधिकार में किस सन् में लिया और किन शर्तों पर ?

(2) क्या यह सही है कि बालकृष्ण विद्याभवन के तत्कालीन अध्यक्ष और सरकार के बीच एक इकरारनामा हुआ जिसमें बालकृष्ण विद्याभवन द्वारा प्रस्तुत की गई मांगों को राज्य सरकार ने स्वीकार किया ? यदि हां, तो किन-किन मांगों को ? इकरारनामे की सत्यापित प्रति सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(1) एनेक्सर 'ए' में वर्णित प्रावधानों के साथ दिनांक 1-4-51 को बालकृष्ण विद्याभवन को राज्याधीन लिया गया ।

(2) बालकृष्ण विद्याभवन के तत्कालीन अध्यक्ष और सरकार के मध्य कोई इकरारनामा नहीं हुआ ।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

मिडिल, सैकेण्डरी एवं हायर सैकेण्डरी स्कूलों की क्रमोन्नति

10. **श्री रामगोपाल** (किशनगंज) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में सन् 1971 से अब तक किस किस मिडिल स्कूल को हाई स्कूल व हायर सैकेन्ड्री स्कूल में क्रमोन्नत करने के लिये वहां की जनता ने राज्य सरकार को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किए है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) राज्य सरकार ने सन् 71 से अब तक कितने मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल व हायर सैकेन्ड्री स्कूलों में क्रमोन्नत किया है ? यदि किया है, तो कितनों को और किन-किन शर्तों पर ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(स्थगित किया गया)

राजकीय माध्यमिक विद्यालय, दौसा के प्रधानाचार्य द्वारा आयकर न देने सम्बन्धी विधायकों के प्रमाण-पत्रों को मान्यता नहीं देना

11. **श्री मीठालाल** (लालसोट) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय, दौसा के प्रधानाचार्य ने छात्रों के अभिभावकों द्वारा आय-कर न देने सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों को मान्यता नहीं दी, जो कि स्थानीय एक विधायक द्वारा बनाये गये थे ? यदि हां, तो यह कहां तक उचित है ?

(ख) प्रधानाध्यापक की कार्यवाही यदि अनुचित है, तो सरकार ने प्रधानाध्यापक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं की, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

प्रधान अध्यापिका कन्या सैकेण्डरी स्कूल, बाड़ी का तबादला

12. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) प्रधान अध्यापिका, श्रीमती कपूर, कन्या सैकण्डरी स्कूल, वाड़ी, जिला भरतपुर से झालरापाटन में कब तबादले पर आई ?

(2) श्रीमती कपूर ने कितना-कितना यात्रा भत्ता किन-किन का और सामान ट्रक किराया कितना-कितना प्राप्त किया ? ट्रक किराया किसको कितना दिया गया ? कृपया सभी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(1) श्रीमती प्रेम कपूर, प्रधानाध्यापिका, राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, बाड़ी, जिला भरतपुर से झालरापाटन में प्रधानाध्यापिका के पद पर दिनांक 10-6-72 को मध्यान्ह पश्चात् कार्यभार ग्रहण किया था ।

(2) श्रीमती कपूर ने स्थानान्तरण यात्रा भत्ता निम्न प्रकार प्राप्त किया है:-

(अ) रूपवास से झालावाड़ रोड़ तक (स्वयं का तथा अपने पति का प्रथम श्रेणी का किराया) 141.00 रु०

(ब) सामान ट्रान्सपोर्ट द्वारा (सामान आदि के ट्रान्सपोर्ट का किराया श्रीमती कपूर द्वारा म० महावीर गुड्स ट्रांसपोर्ट क०, झालरापाटन को उनकी रसीद संख्या 42, दि० 22-6-72 द्वारा 276.75 चुकाया जाना व्यक्त किया है किन्तु नियमानुसार 157.85 रु० ही पास, किये गये हैं जो उन्होंने यात्रा बिल से प्राप्त किये हैं । 157.85 रु०

(स) स्थानान्तरण पर स्थाई भत्ता । 448.85 रु०

छीपाबड़ौद तहसील के गांवों का विद्युतीकरण

13. **श्री रामगोपाल** (किशनगन्ज) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि ग्राम भगवानपुरा, मंजरा, रूपपुरा, तहसील छीपाबड़ौदा, जिला कोटा के विद्युतीकरण हेतु जिला कृषि उत्पादन समिति ने सिफारिश की है और विद्युत् विभाग को सर्वे के लिये भेजा जा चुका है ? यदि हां, तो क्या उक्त गांव का सर्वे किया गया ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ठेकेदारों को भुगतान

14. **श्री अमृतलाल गहलोत** (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग में ठेकेदारों के ठेके के काम समाप्त होने के दिन के पश्चात् के एक वर्ष से अधिक पुराने फाइनल बिल्स कितने अब तक भुगतान करने बकाया हैं ? उनकी पूर्ण सूची मय ठेकेदार व कार्य के नाम, काम समाप्त होने का दिनांक और बकाया धनराशि दर्शाते हुये सदन की मेज पर रखें ।

(श्री अमृतलाल गहलोत)

(2) उपरोक्त कामों की कितनी सिक्यूरिटी डिपोजिट की धनराशि जमा पड़ी है जो काम समाप्त होने के छः माह पश्चात् भुगतान की जा सकती है परन्तु फाइनल बिल पेमेंट न होने के कारण, अब तक भुगतान नहीं की गई उस की भी पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या कारण है कि ठेकेदारों को अभी तक उपरोक्त बिलों का भुगतान नहीं किया गया और उसके लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(स्थगित किया गया)

श्रीगंगानगर जिले में सहकारी संस्थानों को नहरी पानी

15. **श्री गुरदयालसिंह संधु** (करणपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) श्रीगंगानगर जिले में सरकारी कोठियों, अस्पतालों, विश्राम गृहों आदि सरकारी संस्थानों में कितना-कितना नहरी पानी किस किस को व किस-किस फसल में पिछले पांच वर्षों में दिया गया और उनमें क्या क्या फसल बोई गई? विशेषकर पदमपुर राजकीय चिकित्सालय में फसलवार क्या आबपाशी हुई और कितनी सिंचाई दर वसूल की गई ?

(2) श्रीगंगानगर जिले में पक्की ईंट पकाने के लिये किस-किस भट्टे को किस फसल में कितना-कितना पानी दिया गया और उससे सिंचाई विभाग को क्या आय हुई ? भट्टों, सरकारी कोठियों, विश्राम गृहों, चिकित्सालयों आदि की सिंचाई की दरें किस-किस की कब-कब से कितनी कितनी बकाया है और इस बकाया रहने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या यह सही है कि जेलूका भट्टे (तहसील पदमपुर) को हर पारी में चार घन्टे पानी दिया जाता है जबकि प्रत्येक मुरब्बे को करीब 2½ घन्टे ? और इससे उतनी सिंचाई दर वसूल नहीं हो रही है जितनी कि उसके बराबर की नहरी भूमि के पानी से ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार भविष्य में ऐसे भट्टों का पानी जो किसानों की मर्जी के बगैर दिया जा रहा है को बन्द करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

लालसोट तहसील की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

16. **श्री मोठालाल** (लालसोट) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि लालसोट तहसील (जयपुर) की एक ग्रामीण विद्युतिकरण योजना तैयार होकर राज्य सरकार के पास पड़ी हुई है ? यदि हां, तो क्यों ? तथा यह योजना कब तक केन्द्र सरकार के पास भेज कर स्वीकृति प्राप्त करली जावेगी ?

उत्तर

लालसोट क्षेत्र की एक ग्रामीण विद्युतिकरण निगम स्कीम दिल्ली को 13-3-1974 को भेज दी गई थी। ग्रामीण विद्युतिकरण निगम द्वारा नार्मस् बदले जाने के कारण यह स्कीम 25-5-74 को निगम द्वार रिवाईज करने हेतु वापिस भेज दी गई थी। विद्युत मण्डल द्वारा टैरिफ बदले जाने के कारण भी

(विद्युत मंत्री)
पूरी स्कीम को रिवाईज करना आवश्यक हो गया। अब यह स्कीम 6 अगस्त, 1974 को ग्रामीण विद्युतिकरण निगम के पास पुनः भेज दी गई है। ग्रामीण विद्युतिकरण निगम द्वारा इस क्षेत्र की जांच-पड़ताल होने के बाद ही निगम द्वारा स्वीकृति हो सकेगी।

सिंचाई बांधों पर टेलीफोन की व्यवस्था

17. श्री मीठालाल (लालसोट): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सरकार ने कुछ साल पहले राज्य के बड़े व मध्यम सिंचाई बांधों को टेलीफोन द्वारा जोड़ने का निर्णय लिया था, जिससे कि अतिवृष्टि के समय तत्काल खतरे की सूचना प्राप्त हो सके? यदि हां, तो उसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। दिनांक 6-6-72 को हुई राज्य के बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड की टेक्नीकल एडवाईजरी कमेटी की बैठक में एक प्रस्ताव रखा गया था जिस पर निर्णय इसकी अगली बैठक दिनांक 6-7-74 में लिया गया। प्रस्ताव विभिन्न स्थानों पर बाढ़ एवं वर्षा की सूचना शीघ्र प्राप्त करने हेतु वायरलैस सैट लगाने का था। जिन बांधों पर वायरलैस सैट्स मंजूर किये गये हैं उनकी सूची संलग्न है।

(2) उपरोक्त प्रस्ताव की कार्यान्विति की कार्यवाही जारी है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

1. श्री केसरीमल सदस्य, विधान सभा की ओर से ब्यावर क्षेत्र में लगातार तीन वर्षों से अकाल की स्थिति बने रहने के विषय में,

2. सर्व श्री मालाराम और गोपालसिंह, सदस्य, विधान सभा, की ओर से नीमकाथाना क्षेत्र में चूने के पत्थर की लीज राज्य सरकार के द्वारा मोदी बन्धुओं को देने के कारण प्रस्तावित सीमेंट के कारखाने के न खुलने की सम्भावना के विषय में,

3. सर्व श्री रतीराम यादव और योगेन्द्रनाथ हांडा, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर पुलिस द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और पिटाई के विषय में,

4. सर्व श्री जीथिंग और विट्ठलभाई, सदस्य विधान सभा, की ओर से गत 6 जुलाई को जिला बांसवाड़ा में मेड़बन्दी के कार्य पर लगाये हुए मजदूरों के साथ म्यूरीबिया पंचायत समिति के विकास अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार करने के विषय में,

5. श्री मनोहरलाल, सदस्य, विधान सभा, की ओर से कामां तहसील के कुछ काश्तकारों से लेवी लिये जाने के बावजूद भी अतिरिक्त गेहूं उनके घरों से तहसीलदार व एस० डी० एम० द्वारा उठा लिये जाने के विषय में, इन सब स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और

(श्री अध्यक्ष)

जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा,

6. श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा, की ओर से जयपुर स्थित कॉलेजों में बायोलोजी का एक सेक्शन कम कर दिये जाने के कारण छात्रों को प्रवेश नहीं मिलने के विषय में। यह विषय राजस्थान विश्वविद्यालय के आन्तरिक कार्यकलापों से सम्बन्धित प्रतीत होता है और अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है,

7. श्री गुरदयालसिंह सन्धु, सदस्य, विधान सभा, की ओर से राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमिहीनों को बसाने में राज्य सरकार की असफलता के विषय में। इस प्रस्ताव में किसी भी घटना विशेष का उल्लेख नहीं किया गया है और यह अस्पष्ट है तथा इसमें एक साथ कई विषयों की चर्चा की गई है। साथ ही हाल की किसी घटना से सम्बन्धित भी नहीं है,

8. श्री रामकिशन, सदस्य, विधान सभा, की ओर से जिला परिषद् एवं पंचायत समिति सेवा चयन आयोग द्वारा चयन किये गये करीब 100 ग्राम सेवकों, ग्रुप सचिवों को ट्रेनिंग के पूरा करने के बाद भी काम पर नहीं लिये जाने के विषय में। इस प्रस्ताव से यह पता नहीं चलता कि वह किस समय की घटना से सम्बंधित है और यह प्रस्ताव अविलम्बनीय लोकमहत्व का भी नहीं है,

9. श्री गुमानमल लोढ़ा, सदस्य, विधान सभा, की ओर से जोधपुर में आवश्यक उपभोग की वस्तुएं न मिलने के विषय में। इस विषय में एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव स्वीकार किया गया है,

10. श्री मूलचन्द सामरिया, सदस्य, विधान सभा, की ओर से राजकीय कॉलेज, दौसा में पी०जी० कक्षा चालू न करने और दौसा व लालसोट की सैकेण्डरी स्कूल को हायर सैकेण्डरी स्कूलों में परिवर्तित न करने तथा कॉमर्स का विषय नहीं खोलने के विषय में। इस प्रस्ताव में एक साथ अनेक विषयों की चर्चा की गई है और यह किसी घटना विशेष से सम्बंधित नहीं है।

अतः मैं इन सब स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय अध्यक्ष, एक स्थगन प्रस्ताव मैंने पहले दिया था मामला भील के बारे में जिसकी हत्या···

श्री अध्यक्ष : यह फैसला दे चुका हूं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं चाहता था कि राज्य सरकार को स्टेटमेंट देने को कहें।

श्री अध्यक्ष : फेक्ट्स आ जायें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं यह चाहता हूं कि राज्य सरकार वक्तव्य दे कोई। एक बनवासी······

श्री अध्यक्ष : आप पहले कह चुके हैं फिर आज कहने की क्या आवश्यकता है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं यह कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार से इसके बारे में कहलायें। यह एक बनवासी की हत्या का प्रश्न है·········

श्री मालाराम (नीमकाथाना) : माननीय अध्यक्षजी, यह एक महत्वपूर्ण विषय है।

(श्री मालाराम)

यह एक पिछड़ा हुआ इलाका है। यह जो इलाका है इसमें इस फेक्ट्री से बहुत से लोगों को मजदूरी मिल सकती है। यह जो शासन के लोग हैं यह ऐसे लोगों को मजदूरी मिलने में रोड़ा अटकाते हैं। यह सीमेंट फेक्ट्री उस एरिया में सम्मिलित नहीं है। सीमेंट फेक्ट्री का पत्थर है वह उन लोगों की लीज पर नहीं हुआ है। यह पत्थर भी दूसरा है। और, अध्यक्ष महोदय, आपकी कृपा से इस इलाके में सीमेंट फेक्ट्री हो जाय तो कई हजार लोगों को मजदूरी मिल सकती है।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि दौसा कॉलेज में छात्र-संख्या जयपुर जिले के सब डिविजनों में सबसे अधिक है, और एक तरफ जयपुर में विभिन्न कॉलेजों के अधिक सम्मिलित होने की वजह से, जयपुर में हर प्रकार की फेसिलिटी होने की वजह से वहां के लड़कों को एडमिशन मिल जाता है और दौसा सब-डिविजन के लड़कों को एडमिशन लेने में दिक्कत होती है और उनको प्रवेश नहीं मिलता है। दूसरी तरफ दौसा कॉलेज में छात्र-संख्या अधिक होते हुए भी, वांछित तादाद में होते हुए भी और शिक्षा मंत्री द्वारा दिया गया आश्वासन की सहानुभूति-पूर्वक विचार करेंगे वह पर वायोलाजी की क्लासेज नहीं खोली जाती हैं। इस कारण से गरीब किसान और मजदूरों के बच्चों को दौसा से जयपुर आकर पढ़ना पड़ता है और अधिक खर्चा वहन करना पड़ता है। इस कारण से प्रतिभाशाली छात्र इस पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और अपनी प्रगति को वहीं पर रोककर उसको खत्म कर देते हैं। इसलिए मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर आप इक्विलिटी को अपार्चुनिटी देना चाहते हैं तो अवसरों में समानता दें, सहूलियतों में समानता दें (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) समान तरीके की फेसिलिटी दें तो मैं समझता हूं कि समान अवसर की फेसिलिटी वाली बात साबित हो सकती है। अन्यथा एक जगह पर रहने वाले बच्चों के पास ज्यादा साधन हों और पास में रहने वाले बच्चों को पढ़ाई के साधन न हों। दूसरी तरफ गरीबी की उन पर मार हो तो मैं उनके साथ दुर्व्यवहार का कुछ नहीं समझ सका हूं। इससे जनता में आक्रोश है। विद्यार्थी वर्ग आन्दोलित होता है।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। बहुत से लोग हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : क्या जरूरी है कि उन विद्यार्थियों को जयपुर में ही रहने के लिए पाबन्द करें? जिनको छात्रवृत्ति मिलती है। जयपुर में वैसे ही ओवरलोड है। मेरा निवेदन है कि इस समस्या को हल किया जाये। उनको रुपये दिये जायें और दौसा में पोस्ट ग्रेज्युएट क्लासेज चलाई जायें। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और मुख्य मंत्री तक यह कहते हैं कि शिक्षा को प्रमुखता दी जाये। अफसोस यह है कि राजस्थान में उनको पी०यू०सी० पास करना पड़ता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

शिक्षा में एक रूपता लानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : अब इतना बहुत हो गया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं।

मैं निवेदन कर दूं कि लालसोट के अन्दर सैकेण्डरी स्कूल में कॉमर्स की क्लासेज नहीं हैं। दौसा से वह 24 मील दूर हैं। बैंकों का नेशनलाइजेशन हो गया है। देहातों में भी लोग कॉमर्स से परिचित हो गये हैं। मेरा निवेदन है कि वहां पर कॉमर्स की क्लासेज चालू की जायें।

श्री अध्यक्ष : मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं, स्थगन प्रस्तावों पर काफी संख्या में लोग बोलने वाले हैं। इसके लिए थोड़ा नियंत्रण करना पड़ता है। मैं फिर निवेदन करता हूं कि जो माननीय सदस्य बोलें वह 5 मिनट के अन्दर अन्दर अपनी बात को समाप्त कर दें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने जा रहा हूं। आज जयपुर के कॉलेजों में छात्र छात्राओं का प्रवेश नहीं हो रहा है। इसका कारण यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय का परीक्षा परिणाम नहीं निकला है। 23 ता० को प्रोसपेक्ट्स छपा। महाराजा कॉलेज और महारानी कॉलेज में एडमीशन देना बन्द कर दिया है। एडमीशन से छात्र वंचित रह जायेंगे। मैं विशेष तौर से राज्य सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करता हूं। ताकि छात्र एडमीशन से वंचित नहीं रहें। महाराजा कॉलेज के बजट में कोई कमी नहीं हुई है जबकि बायोलोजी की सेक्शन को तोड़ दिया गया है। छात्र टी०डी०सी० प्रथमवर्ष में प्रवेश पाने से वंचित रह गये हैं। एक ओर तो आप शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं और दूसरी ओर इस प्रकार से क्लासेज तोड़ रहे हैं। न बजट में कमी हुई न स्टॉफ में कमी हुई। केवल उन्होंने फर्स्ट डिवीजनर्स को प्रवेश दिया है। जयपुर के छात्र विज्ञान पढ़ने के लिए कहां जायेंगे? जयपुर आयुर्वेद कॉलेज का बजट उतना ही है। वहां पर 60 के बजाय 40 को ही प्रवेश दिया गया है। ऐसी व्यवस्था रख दी है। सरकार की यह दलील है कि बहुत सारे वैद्य पैदा हो गये हैं। डॉक्टर पैदा हो गये हैं। रोजगार कहां से देंगे? तो क्या वह डॉक्टर नहीं बनें? वैद्य नहीं बनें?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बेरोजगार हैं तो वह गांवों में जायेंगे। वहां पर वह चिकित्सा के द्वारा सेवा करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है, टी०डी०सी० प्रथम वर्ष बायालोजी की जो क्लास तोड़ दी गई है, उसको चालू किया जाये। आयुर्वेद कालेज में 60 सीटें ही रखी जायें। एक अन्य निवेदन जो कि प्रस्ताव में नहीं है, वह है डिस्टिल्ड वाटर का। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें मरे चूहे पड़े हुये हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ऐसे जो जो व्यक्ति हैं,............

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके तो सदा ही कीड़े पड़े रहते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपालसिंह।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सीमेन्ट फेक्टरी के बारे में स्थगन प्रस्ताव रखा है। सीकर जिले में सीमेन्ट उद्योग स्थापित होने की भूमिका बन रही थी। लेकिन मालूम हुआ है कि वह सारी व्यवस्था खटाई में पड़ी जा रही है। इस

(श्री गोपालसिंह)
उद्योग से वहां पर 7-8 हजार लोगों को काम मिलने की सम्भावना थी। वह प्रस्ताव खटाई में पड़ गया है। मेरे ख्याल से वहां सरकार ने मजदूरों को काम देने के बजाय कुछ ऐसे लोग जो सरकार को प्रभावित करते रहते हैं, सरकार ने उनका ध्यान दिया है। खानपुरा और मानपुरा में जो गांवों से आगे जमीन पड़ी हुई है, हाल ही में कुछ लोगों ने दबाव डालकर उसको अपने नाम करा लिया है। जो व्यवसाय सरकार पर प्रभाव डाल सकते हैं, उनको वह लीज में दे दिया गया है। उसी स्थान के बारे में दूसरे लोगों ने डेढ़ लाख रुपये का आफर दिया था। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि यह उनको दी गई है। सीमेन्ट फेक्टरी का मामला खटाई में पड़ गया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जनहित का मामला है। हो सकता है कि वहां के मोदी बन्धुओं के प्रभाव से और वहां की राजनीति के कारण और लोगों पर मुकदमें भी लगाये जा सकते हैं। जहां 10-10 जार मजदूरों को काम मिलने की सम्भावना थी। अब वहां की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गई है। मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करें।

श्री गोपालसिंह : मैं समझता हूं कि यह स्थिति ठीक नहीं है। मैं निवेदन करता हूं कि मोदी बन्धुओं को जो जमीन दी गई है वह उनसे वापिस ली जाये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रतिराम यादव (तिजारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है और खास तौर से मैं कहना चाहता हूं कि यह जो घटना है, यह केवल कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हुई हो, इतना ही नहीं बल्कि यह जनतंत्र की और सार्वजनिक और राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं के जनतान्त्रिक अधिकारों की बात है, जो पार्टी लेवल से उठ कर सबके लिए एक विचारणीय गम्भीर प्रश्न है। इसलिए मैं सदन के सामने अपनी बात रख रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह जो घटना हुई है, हमारी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य कामरेड हारूमल तोलानी जो हमारी पार्टी के . . .

श्री अध्यक्ष : तथ्य इस प्रकार रखें कि समय के अन्दर आपका काम हो जाय।

श्री रतिराम यादव : मैं तथ्य रखने की इजाजत चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : जरूर। इजाजत देने के लिए ना नहीं कहता। लेकिन समय में काम हो जाय, कोई बात बाकी नहीं रह जाय, इस प्रकार तथ्य रखें।

श्री रतिराम यादव : कामरेड हारूमल तोलानी अलवर जिला कम्युनिस्ट पार्टी के सैक्रेटरी ही नहीं हैं बल्कि राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी की मजदूर कांग्रेस के सैक्रेटरी हैं और चालीस साल के जीवन के अन्दर सार्वजनिक कार्य करते रहे हैं। वह केवल कम्युनिस्ट पार्टी में ही नहीं रहे हैं बल्कि आजादी मिलने से पहले कांग्रेस के अन्दर एक बड़े अच्छे कार्यकर्त्ता भी रहे हैं, अनेक बार जेल में गये हैं और राजनैतिक पीड़ित की श्रेणी में माने गये हैं। इस प्रकार के हमारे वरिष्ठ सदस्य के साथ अलवर जिला पुलिस के प्रशासन द्वारा इस प्रकार बदतमीजी का व्यवहार

(श्री रतिराम यादव)
और उनको बुरी तरह से पीटा जाना बहुत गम्भीर घटना है । अध्यक्ष महोदय, उनको 8 जुलाई को पुलिस की हिरासत के अन्दर जब कि उनके साथ और भी हमारी पार्टी के दो साथी थे, कामरेड कौशिक और कामरेड ओंकारनाथ शर्मा, उनके साथ जब पुलिस लाइन, सदर थाने ले जा रहे थे, पुलिस की पिक अप के अन्दर, उस समय उनको 11 पुलिस के सिपाही, एक रमेशचन्द्र शर्मा नाम के थानेदार, कैलाशचन्द्र गोयल नाम के सब-इन्सपेक्टर, ट्रेफिक की निगरानी के अन्दर बुरी तरह पीटा गया, और पीटने के अन्दर उनके दो दांत भी टूट गये । इस हालत में, लहुलुहान होकर सदर थाने ले जाया गया, जहां पर रामानन्दजी जब पहुंच सके, हारूमल ने मांग की, मुझे अस्पताल के अन्दर भेजा जाय, मुझे मेडिकल ऐड दी जाय । वहां जिलाधीश महोदय और एस०पी० साहब ने इस बात से इन्कार कर दिया । जब रामानन्दजी ने लिख कर दिया, उस समय वहां पर मेडिकल जूरिस्ट था, उनको बुलाया गया । उनकी रिपोर्ट साफ थी, इनको मेडिकल ऐड के लिए हॉस्पिटल में दाखिल कराया जाय, इनके गम्भीर चोट आई है । और उनकी रिपोर्ट के अन्दर भी उनके गम्भीर चोट दिखलाई हैं । इसके बाद में उनको अस्पताल में भेज दिया, लेकिन उसके बाद भी किसी प्रकार से वहां के जिला प्रशासन और पुलिस ने मिलीभगत करके वहां के इन कार्यकर्त्ताओं के साथ बदले को भावना से काम किया । अध्यक्ष महोदय, इस बात को समझने के लिए मैं कुछ और भी ऐसे फेक्ट्स रखूंगा कि क्यों इस प्रकार से पुलिस और प्रशासन इस तरह बदतमीजी कर रहा था····

श्री अध्यक्ष : थोड़े समय में कहिये । खास खास बात कह दीजिये ।

श्री रतिराम यादव : यह बहुत गम्भीर मामला है ।

श्री अध्यक्ष : गम्भीर मामला ओफली कह सकते हैं । गम्भीर बात मुफस्सिल में क्यों कहें ?

श्री रतिराम यादव : अध्यक्ष महोदय, 2 जुलाई को कामरेड हारूमल तोलानी जिला प्रशासन और पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ, जो लाइट में थी, या जो आम जनता के साथ उनका दुर्व्यवहार था, खड़े हुए । जिससे वहां के जिलाधीश महोदय और पुलिस चिढ़ी हुई थी । जिससे उनके साथ बदले की भावना से यह घटना घटित हुई । दूसरी तरफ 6 जुलाई को स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से कुछ विद्यार्थियों ने वहां के एक पुस्तक विक्रेता की दुकान पर घेरा डाल दिया क्योंकि वह पुस्तक ब्लैक मार्केट कर रहा था । कामरेड हारूमल वहां पहुंचे, मैं भी मौजूद था । उस समय पुलिस ब्लैक मार्केटिअर्स की मदद के लिए पहुंची । वहां डी० एस०पी०, मदन मोहन आत्रेय ने पुस्तक विक्रेता को बचाना चाहा । इस पर कहा सुनी हुई । उस बात का बदला लेने के लिए पुलिस के दिमाग में यह बात मौजूद थी । इसी प्रकार से 7 जुलाई को घटना हुई सब्जी मण्डी के अन्दर । वहां के कुछ इज्जतदार सब्जी मण्डी के लोगों को पुलिस पकड़ कर ले गई । उनको बहुत बुरी तरह पीटा गया । हारूमल और दोनों साथी ने जाकर पुलिस वालों से कहा कि इस प्रकार के इज्जतदार लोगों को बुला कर थाने में क्यों पीटते हो ? पुलिस वाले चिढ़ गये । उन्होंने मौके की तालाश शुरू कर दी कि इनसे किस प्रकार कैसे बदला लिया

(श्री रतिराम यादव)
जाय । अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की घटना हुई । उसके बाद यहां तक हुआ कि पुलिस ने बदले की भावना से, जिस समय हारूमल अस्पताल में थे, उस समय रात को नौ बजे ....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री रतिराम यादव : जब कि जुडिशियल रिमाण्ड मिला हुआ था और जुडिशियल हिरासत में अस्पताल में थे, उस समय रात को 9 बजे जिलाधीश ने पी० एम० ओ० पर दवाव डाला, वहां से मुक्ति उनको दिलाये, जब कि वह जुडिशियल हिरासत में थे, कस्टडी में थे, या तो उनको सेन्ट्रल जेल भेजा जाना चाहिए था, या अस्पताल में रखा जाना चाहिए था, उस समय वहां से रिहा करने का मतलब साफ था, जेल में जा नहीं सकते थे क्योंकि जेल के फाटक रात में बन्द थे । इसलिए पुलिस कस्टडी में ले जायं ताकि दुबारा उसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाय । अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की जो घटना वहां घटित हुई, हमारी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से एक ज्ञापन मुख्य मंत्रीजी को पेश किया गया था । पिछली 13 जुलाई को मुख्य मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था, मैं दो दिन के अन्दर 15 तारीख तक इसकी इन्क्वायरी करा लेता हूं, 15 तारीख को मेरे से मिल लेना । लेकिन उसके बाद मुख्य मंत्री से 15 तारीख को जब हमने सम्बन्ध स्थापित किया, कॉमरेड रामानन्द जी ने ट्रंक टेलीफोन करके पूछा, तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला । आखिर उनके पी० ए० ने कहा कि वह दिल्ली गये हुए हैं और यह सन्देश दे गये हैं कि दिल्ली जाकर कोई सूचना रामानन्द जी को भेज देंगे । अध्यक्ष महोदय, पूरा एक महीना गुजर गया, आज तक हमें इस बारे में सूचना नहीं मिली है कि उन्होंने हमारे ज्ञापन पर क्या किया जिसमें यह मांग रखी थी कि पुलिस अधिकारियों को तुरन्त गिरफ्तार किया जाय, उन पर मुकदमा चलाया जाय, जिन्होंने हारूमल जी की पिटायी की .....

श्री अध्यक्ष : रेगुलर डिबेट तो नहीं कर रहे हैं । बहुत संक्षेप में कहें ।

श्री रतिराम यादव : दो मिनिट !

श्री अध्यक्ष : आपकी पहली स्पीच है इसलिए पहले ही रियायत दे दी ।

श्री रतिराम यादव : दो मिनिट में खत्म कर देता हूं ।

इसकी उच्चस्तरीय जुडिशियल जांच की जाय, जो झूठे मुकदमें हमारे साथियों पर लगाये गये हैं, उनको वापिस लिया जाय, लेकिन आज तक उसका कोई नतीजा नहीं निकला है । अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हमारे वहां जो पुलिस और प्रशासन ने मिल कर जो सार्वजनिक और राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं के साथ यह दुर्व्यवहार किया है, वह जनतंत्र के लिए कलंक की बात है । और विशेष रूप से मुख्य मंत्रीजी से मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके कार्यकाल में यह घटना हुई है, जो 27 साल में, इस राजस्थान को आजादी मिलने के बाद में इतिहास में पहली मिसाल है । इस प्रकार की घटना कहीं नहीं हुई । मैं मुख्य मंत्रीजी पर सीधा आरोप लगाना चाहता हूं (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) अलवर के अन्दर कम्युनिस्टों के साथ जो कुछ हुआ है, वह केवल मात्र उनकी शह के कारण हुआ है,

(श्री रतिराम यादव)

वरना इस जिले के अन्दर आज तक ऐसी घटना नहीं हुई है। यह एक मात्र घटना है और इसमें तिजारा की हार, जो मुख्य मंत्री के दिमाग से अभी तक नहीं निकली है, उसके बदले की भावना प्रत्यक्ष दिखाई देती है, वरना मुख्य मंत्री को हमने जो ज्ञापन दिया, क्या कारण है आज तक कोई एक्शन नहीं लिया है, कोई जवाब नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। दो आदमियों का वक्त दे दिया है।

श्री रतिराम यादव : मेरे पास इस बात का इलाज नहीं है जिससे तिजारा की हार मुख्य मंत्री के लिए जीत के अन्दर बदली जा सके। उन्होंने ढाई साल तक कष्ट सहना पड़ेगा। फिर जनता फैसला करेगी कि दुबारा से मुख्य मंत्री को जीतने का मौका मिले या हारने का मौका मिले। मैं चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में आप मुख्य मंत्रीजी को, राज्य सरकार को विवश करें, आदेश दें, वह इस सम्बन्ध में आज ही अपना स्टेटमेंट दें कि उसने हमारे ज्ञापन के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही अब तक की है ताकि वहां जो टेंशन है इस मामले को लेकर, उस कारण आगे कोई घटना वहां घटित न हो जाय।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं कामरेड हारूमल तोलानी को कम से कम 30–35 साल से जानता हूं। सभी कांग्रेस मवमेंट्स में आगे रहा है, राजस्थान की पोलिटिकल लाइफ में उनका विशेष स्थान है और ऐसे ईमादार नेक आदमी को सदर थाने पर ले जाते हुए पुलिस वेन में पीटा गया, इनह्यूमन ट्रीटमेंट दिया गया और उसको अस्पताल में भर्ती नहीं होने दिया। उसके बाद पुलिस पर एक्शन तो लिया नहीं, जो लेना चाहिए था, सम्बन्धित व्यक्ति को सस्पेंड करना चाहिए था, न उनके खिलाफ केसेज बना रहे हैं, प्रशासन भय का वातावरण पैदा कर रहा है। यह पार्टी का सवाल नहीं है, राजस्थान में राजनैतिक मूवमेंट पैदा करने के लिए अपनी मांगों के लिए लड़ते हुए अगर कार्यकर्त्ता य पोलिटिकल लीडर पर पुलिस वहां अत्याचार करती है तो बहुत बड़ी निंदा की बात है। इसलिए आप स्टेटमेंट जरूर दिलायें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, आजादी के सिपाही के साथ...

श्री अध्यक्ष : कौनसे विषय पर बोल रहे हैं?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यही विषय है। गृह मंत्री यहां पर बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि वह इस पर स्टेटमेंट दें। यह कोई पार्टी पर हमला नहीं है। जो आदमी आजादी की जंग में लड़ता रहा जिसको आजादी का सिपाही कहलाने का अधिकार हो उसके साथ इस तरह का ट्रीटमेंट किया जाए, पुलिस वेन में उसको मारा जाए और हम रिप्रेजेंटेशन दें तो जवाब नहीं दिया जाय, अंग्रेजों के जमाने में यह कर्टसी थी कि जब लेटर भेजते थे तो उसका एकनालेजमेंट तो जरूर करते थे, अगर आजादी के बाद मंत्रियों और आई० ए० एस० अधिकारियों में इतनी भी कर्टसी नहीं है कि हमारे मेमोरेंडम्स को एकनालेज करें। मेरी गुजारिश है कि इस मामले में कोई न कोई पुलिस अधिकारियों से और मुख्य मंत्री से पता लगायें कि इस मामले में उनको क्या कहना है, सरकार का जवाब मिल जाए तो अच्छा है। वातावरण दूषित हो रहा है

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

और पोलिटिकल लाइफ पर हमला है और पुलिस के झगड़े भी होते हैं और एक दूसरे पर हमला भी होता है लेकिन इस तरह से पुलिस कस्टडी में आने के बाद, हिरासत के बाद, हमको कभी भी आज तक जंग के दौरान और बाद में भी कभी भी ऐसा अवसर नहीं आया कि हमको अंदर पीटा गया हो या पुलिस वान में पीटा गया हो । यह ऐसी घटना है जो इस जमाने में हुई है इसलिए इस पर आज या ज्यादा से ज्यादा दूसरी मीटिंग में स्टेटमेंट प्राप्त किया जाए और हमको संतोष होना चाहिए कि हमारे साथ इन्साफ किया जा रहा है क्योंकि अभी तक संतोषजनक जवाब नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष : मेरी तरफ से आपको पूरी तरह से इन्साफ मिलेगा ।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : मैंने भी स्थगन प्रस्ताव इस संबंध में दिया है ।

श्री अध्यक्ष : आपकी तरफ से काफी बोल चुके हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रश्न यह है कि हारूमलजी का जो व्यक्तित्व है, वह केवल राजस्थान का ही लीडर नहीं है बल्कि आल इंडिया लीडर हैं····

श्री अध्यक्ष : मैं उनसे परिचित हूं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वे राष्ट्रीय कौंसिल के सदस्य हैं और मैं समझता हूं हारूमलजी पर जो अटैक है, वह हमारी आल इंडिया लीडरशिप पर एटैक है। वह एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, सारा राजस्थान उनसे परिचित है । उनकी पोलिटिकल लाइफ पर इतनी गंभीर एटैक है, जिस प्रकार के लांछन उस पर लगाए जा रहे हैं और जिस प्रकार सरकार ने एक पुराने पोलिटिकल कार्यकर्त्ता की पिटाई के बावजूद जो निग्लीजेंस उन्होंने दिखाई है उससे कोई पोलिटिकल लीडर चाहे जनसंघ का हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, चाहे साम्यवादी पार्टी का हो, सेफ नहीं रह सकेगा यदि यह ब्योरोक्रेसी और पुलिस की एट्रासिटिज कन्टीन्यू रही तो····

श्री अध्यक्ष : मैं इसकी अहिमयत को समझ रहा हूं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यदि आप अहमियत को समझते हैं तो इसमें गृह मंत्री अपना स्टेटमेंट दें, सौभाग्य या दुर्भाग्य से गृह मंत्री और मुख्य मंत्री एक ही व्यक्ति हैं । वह सब-इन्सपेक्टर और इन्सपेक्टर दोनों के दोनों रमेशचन्द्र, और अत्रे साहब, जो सारी चीजों के लिए जिम्मेदार हैं, आज तक····

श्री अध्यक्ष : आपको दुबारा कहने का मौका मिल सकता है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उनका सस्पेंशन होना चाहिए, उनके विरुद्ध केस इन्स्टीट्यूट होना चाहिए। हारूमल तोलाणी के खिलाफ केस इन्स्टीट्यूट हो गया और दो कम्यूनिस्ट वर्कर्स के खिलाफ इन्स्टीट्यूट हो गया जिसमें वहां के एक सिटी कमेटी के सैक्रेटरी हैं, पत्रकार हैं लेकिन जिन्होंने हारूमल को सीरियस इंजरीज पहुंचाई, मेडीकल रिपोर्ट है कि पुलिस कस्टडी में, कन्फाइनमेंट पीरिड में यह हुआ, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, कोई काग्नीजेंस नहीं । सारी की सारी एक्वेड हारूमल को 8 तारीख को अपने एस्कोर्ट में ले गई है, जिसमें ट्रैफिक इन्सपेक्टर है, सब इन्सपेक्टर रमेश चन्द्र मौजूद हैं उनके खिलाफ केस इन्स्टीट्यूट होना

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

चाहिए था और 7 तारीख को पुलिस वेन में अत्रे साहब के द्वारा जो निर्मम पीटाई एक इज्जतदार नागरिक की की गई है और जिसको हारूमल ने रोकने की कोशिश की है, आखिर उस अत्रे के खिलाफ केस होना चाहिए। आपको उसको वहां से रिमूव करना चाहिए और यहां से आपरेट करें, सी० आई० डी० इन्वेस्टीगेशन के लिए भेजें, स्पेशल क्राइम इन्वेस्टीगेशन ब्रांच को भेजकर उन लोगों का प्रासीक्यूशन किया जाना चाहिए तब तो कोई राजनैतिक कार्यकर्त्ता राजस्थान में सुरक्षित रह सकता है। लेकिन आपने ब्रूटल मैजोरिटी के आधार पर अगर इस तरह हम राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं की फंक्शनिंग इम्पीड करते रहे, तो हमारी आवाज कुचलती जाती रही तो अच्छा नहीं होगा। 7 तारीख को घटना होती है जब एक इज्जतदार नागरिक की थाने में पिटाई होती है और उसी रात को कलक्टर, एस० पी० और सारा प्रशासन मीट करता है, वे षड़यंत्र करते हैं, जयपुर से उनके टेलीफोन कान्टेक्ट्स होते हैं और 8 तारीख को सुबह 5–6 के बीच हारूमल और दूसरे कार्यकर्त्ताओं को एरेस्ट किया जाता है। यह क्लीयर फैक्ट है कि यह षड़यंत्र है। हारूमल का जिस प्रकार का स्वास्थ्य है और जिस प्रकार उनकी पुलिस वेन के अंदर निर्मम पिटाई हुई, मैं समझता हूं, वह कई दिनों तक बेड में कन्फाइन्ड रहेंगे यह कोई असंभव बात नहीं थी कि उनकी मृत्यु भी हो सकती थी, वह काफी एजेड हैं 60 वर्ष से अधिक। जीवन का एक बहुत बड़ा पीरियड देश के लिए और शोषित समाज के लिए लड़ते हुए गुजारा। इसलिए कम से कम आसन से यह आदेश दिया जाए कि आज जो डी० एस० पी०, इन्सपेक्टर व सब-इन्सपेक्टर जो छाती तानकर घूम रहे हैं और राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं को आतंकित कर रहे हैं, फौरन उनको रिमूव किया जाय। उनका प्रासीक्यूशन किया जाना चाहिए। इसलिए आप मुख्य मंत्री व गृह मंत्री से कहें कि व इस संबंध में वक्तव्य दें।

श्री मनोहरलाल (कामां) : अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान से भरतपुर और अलवर में पुरुषार्थी काश्तकार आए और उसमें बहुत बड़ा काम कामरेड हारूमल का है और सब लोग जाने हैं कि हमारे यहां पुरुषार्थी काश्तकारों को खूबी है कि वे रिश्वत नहीं देते, 6 महीने की सजा काटने को तैयार रहते हैं लेकिन 50 रुपये भी नहीं देंगे, तीन महीने की सजा भुगत आयेंगे। हारूमल भी उनमें से एक हैं, वह कामां, डीग जाते हैं, भरतपुर भी जाते हैं, अलवर में सारी जगह घूमते हैं, राजस्थान के दूसरे हिस्सों में भी घूमते हैं······

अध्यक्ष महोदय, हारूमलजी की खूबी यह है कि वह सभी जगह घूमते हैं। उनकी यह खूबी कहिये या चाहे कुछ कहिये। उनकी हांडा साहब से तो कभी-कभी पट जाती है लेकिन उनकी कांग्रेसियों से कभी नहीं पटती है। और यही कारण है कि उनकी पिटाई होती है। अध्यक्ष महोदय, वह बहुत सख्त आदमी हैं। वह पुरुषार्थियों के लीडर हैं और पुरुषार्थी लोग उनके पीछे जान देते हैं। आज जब पुरुषार्थियों के ऊपर अन्याय होता है तो उनसे देखा नहीं जाता है। अभी जब लेवी वसूली का पीरिड चल रहा था तब पुरुषार्थियों पर बहुत अधिक अत्याचार हुआ उन दिनों मेरी मुलाकात हारूमलजी से हो गयी। अध्यक्ष महोदय, पुरुषार्थियों के लिये उनके मन में कितना

(श्री मनोहरलाल)
दर्द था उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। अध्यक्ष महोदय, जितना दर्द पुरुषार्थियों के लिये उनके दिल में था वैसा दर्द आपको किसी के मन में नहीं मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, काश्तकारों पर लेवी के दौरान बहुत अधिक अत्याचार किया गया है। खास तौर में आपको मेरे क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहूंगा जिसमें कि कामां पहाड़ी डीग वैगरह का इलाका आता है। अध्यक्ष महोदय, जब कि 16 जून को लेवी स्टार्ट ही नहीं हुई थी तो भी वहां पर लेवी वसूल होनी शुरू करदी थी। पता नहीं माथुर साहब जो कि खाद्य मन्त्री हैं उनको प्रगतिशीलता का कितना अधिक नशा है उनके लिये बड़ी शर्म की बात है। लेवी के लिये यह आदेश था कि लेवी खलियानों से वसूल की जायेगी। उसमें यह भी आदेश था कि तारीख निश्चित हो जायेगी। उस वक्त वहां पर खलियान से लेवी वसूल की जायेगी। 31 मई को आदेश निकाले कि गावों में जो गेहूं है वह बाहर निकाल कर सरकार को बेच दो। जिन काश्तकारों के पास गेहूं था उन्होंने बेच दिया सरकार को। 11 जून को, अध्यक्ष महोदय, यह खूनी भेड़ियों की तरह गरीब काश्तकारों पर टूट पड़े।

श्री अध्यक्ष : आप किस बारे में बोल रहे हैं। थोड़े में बोलें। समय कम है।

श्री मनोहरलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है उस पर बोलना चाहता हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है थोड़ा समय मुझे आप दें।

श्री अध्यक्ष : आप लेवी के मामले में बोल रहे हैं यह मामला बड़ा पेचीदा है। इस को आप और किसी तरह से उठा लें। अभी समय कम है। वैसे तो समय इसके लिये आधा घन्टा मुकर्रर है। मैं तो आपको एक घन्टे का समय दे रहा हूं। ज्यादा राहत दे रहा हूं। लेकिन अभी समय कम है। फिर बाद में और मौका मिल जायेगा।

श्री मनोहरलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़े में ही निवेदन कर रहा हूं। हमारे कामां सब-डिविजन में चार-पांच गांव हैं जिनमें बहादुरगढ़, नवरारु है। वहां पर सरदारों के घरों पर जाकर छापे मारे। अध्यक्ष महोदय, उन सरदारों के घर पर 15 क्विन्टल से ज्यादा गेहूं नहीं मिला फिर भी वह लोग वहां से वह गेहूं ले गये। उसमें तीन क्विन्टल तो लेवी के पेटे ले गये और बाकी गेहूं भी ले गये। उन्होंने कहा कि यह गेहूं तुम हमें और हमारे रिश्तेदारों के लिये दो। अध्यक्ष महोदय, जब कि गेहूं 20 क्विन्टल तक हर एक व्यक्ति रख सकता है। और बीस क्विन्टल प्लस 20 किलो गेहूं हो तो आप जब्त कर सकते हैं। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, यह 15 क्विन्टल गेहूं ही ले गये। तीन क्विन्टल गेहूं तो उन्होंने लेवी के नाम पर वसूल कर लिये बाकी के गेहूं के लिये वहां के तहसीलदार और एस० डी० ओ० ने उन सरदारों को यह कहा कि आप हमें यह गेहूं 42 रुपये मन याने 105 रुपये क्विन्टल में दो। अध्यक्ष महोदय, वहां तहसीलदार और एस० डी० ओ० बहुत ही बेईमान और बहुत ही रिश्वतखोर व्यक्ति हैं। सरदारों ने कहा कि आपको हम बाजार भाव से गेहूं देने को तैयार हैं। पर वह लोग माने नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैंने कलेक्टर से बातचीत टेलीफोन पर की। कलेक्टर वहां का भला आदमी है उसने कहा कि यह तो बहुत गलत बात है।

(श्री मनोहरलाल)
मैंने, अध्यक्ष महोदय, यह भी कहा कि वह सरदार लोग बहुत ही गरीब है और आज स्थिति यह है कि वह काश्तकार लोग अपने बच्चों सहित डीग और कांमां तहसील में धरणा दिये हुए बैठे हैं। आज उन लोगों ने वहां पर भूख हड़ताल कर रखी है। उनकी पासबुकें फाड़ दी हैं और उनकी फाइलें नष्ट कर दी गयी हैं। अध्यक्ष महोदय, वह लोग कह रहे हैं कि आप हमें हमारा गेहूं वापिस दो अन्यथा वह गेहूं जो कि आपके पास पड़ा है उसको मारकेट रेट यानि 71 रुपये मन के भाव से लो। मन्त्री महोदय से मैं यह कहना चाहूंगा कि वह उस गेहूं को उन गरीब लोगों को दिलवा दें। ताकि उनको राहत मिले। अभी सदन में मन्त्री महोदय नहीं हैं, उप-मंत्री महोदय हैं, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वह वहां का दौरा करें और सारी स्थिति का पता लगावें कि वहां पर कितना अन्याय हो रहा है।

मैं इसके साथ 2 में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिन ऑफिसरों ने श्री हारूमलजी के साथ अन्याय किया है, उन्हें पीटा है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिये। इसके अलावा मैं एक बार पुनः यह कह देना चाहता हूं कि अगर जिन काश्तकारों का गेहूं जब्त किया हुआ, पांच दिन में वापिस उन्हें नहीं लौटाया गया तो मैं उस गेहूं को चमड़े के जूते से लूंगा, लोहे के जूतों से लूंगा।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने खड़े होने पर—अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : (श्री गुमानमल लोढ़ा की तरफ देखकर) : आप भी बोले। थोड़े में बोलें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : थोड़े में ही बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : एक ब ; खतम करना चाहता हूं। काल एटेन्शन नोटिस लेना चाहता हूं। इसलिए कह रहा हूं। श्री गुरदयालसिंह सन्धु !

श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु (करणपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव राजस्थान नहर क्षेत्र के बारे में है। राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि आवन्टन में जो गड़बड़ियां हुई हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि आवन्टन के लिये सन् 1970 में यह घोषणा की थी।

श्री अध्यक्ष : 15 मिनट का समय है। तीन-तीन मिनट एक सदस्य को मिलेगा। आप तीन मिनट में समाप्त करदें।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : अध्यक्ष महोदय, थोड़े में ही निवेदन करूंगा। सरकार ने 1970 में, एजीटेशन के समय, विश्वास दिलाया था इस सदन में 25-3-70 को कि जिस भूमिहीन किसान के पास वहां पर जमीन नहीं है उसको एक मुरब्बा तक जमीन दी जायेगी। और जिसके पास थोड़ी सी जमीन है। उसको भी एक मुरब्बे तक जमीन दे दी जायगी। लोगों को भूमि दी भी गयी थी। लेकिन पिछले साल यानि सन् 73 में यह आदेश और निकाला गया कि जिस व्यक्ति के पास 15 बीघा जमीन है उसको और भूमि नहीं दी जायेगी। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने सन् 72 में ही कब्जा ले लिया था उन्हें आज वहां से बेदखल किया जा रहा है। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, जो लोग

(श्री गुरुदयालसिंह संधु)
वहां पर सन् 1955 से काश्त कर रहे हैं जमीन पर कब्जा किये हुए हैं उन्हें भी हटाया जा रहा है। मैं आपको मिसाल के तौर पर बताना चाहता हूं कि वहां पर एक. गांव है सरदारपुरा मीठा जहां पर 52 परिवार है उसमें 22 परिवारों को ही भूमि दी जा रही है ....

श्री अध्यक्ष : बहुत थोड़े में।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु : अध्यक्ष महोदय, 22 परिवारों को ही भूमि अलॉट की गयी है। अध्यक्ष महोदय, 31-3-72 के बाद वहां पर 11 और 16 की कार्यवाही की जा रही है। 10-9-72 को फैसला हुआ। इसके बाद फिर वहां पर तैया साहब आये उन्होंने पक्षपात किया। स्टे आर्डर होने के बाद भी वहां के लोगों की भूमि कैंसिल कर दी। जो जमीन के एन्टाइटल हैं उन्हें तो जमीन से बेदखल किया जा रहा है और जो एन्टाइटल नहीं हैं उन्हें भूमि अलॉट की जा रही है। ऐसे लोगों को आज तक भूमि नहीं मिली है जो कि एन्टाइटल हैं। आज सरकार वहां के लोगों को जमीन दिलाने के लिये तरह तरह की रोक लगा रही है उसे रोका जाना चाहिये तथा जिन्हें गैर कानूनी तौर से बेदखल किया जा रहा है उसे तुरन्त रोका जाना चाहिये। बस, मैं यही कह कर समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री जीथिंग। आप थोड़े धीरे बोलें ज्यादा तेज गाड़ी नहीं चलावें उसमें टकराने का खतरा रहता है।

श्री जीथिंग (कुशलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़े में ही बोलूंगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है कि जिला बांसवाड़ा के भूखिया पंचायत समिति के अन्तर्गत विकास का कार्यक्रम चल रहा है वहां पर मजदूर वर्ग काम कर रहा है। घटना इस प्रकार की है कि भूखिया पंचायत समिति के गांव नाना भूखिया में भेड़ बन्दी का कार्य चल रहा है। यह कार्य पंचायत समिति भारत सरकार की पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत चल रहा है। और उसी के सन्दर्भ में यह विकास का कार्य चलाया जा रहा था और सारा सुपरविजन पंचायत समिति ही करती है। तो नाना भूखिया में जो विकास का कार्य चल रहा था तो विकास अधिकारी वहां पर पहुंचे, उन्होंने कुछ अपने साथियों से सम्पर्क किया। मस्टर रोल में कुछ कमीशन बांधने की कोशिश की तब लोगों ने मना कर दिया तो उस कार्य में लगे हुए लोगों को, मजदूरों को विकास अधिकारी ने पीटा और मां बहिनों की गालियां दीं और मस्टर रोल छीन कर ले गये।

जब अन्य मजदूर उस कार्य पर लगाने के लिये पंचायत समिति के दफ्तर में, विकास अधिकारी के दफ्तर में सम्पर्क करने के लिये पहुंचे, तो, माननीय अध्यक्षजी, यह बड़ा इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है, विकास अधिकारी ने उन मजदूरों के नाम से झूठी रिपोर्ट देकर के अनेक उन मजदूरों को गिरफ्तार कराया और अभी गिरफ्तारी जारी है। तीन चार मुकदमें भी बनाये गये। गिरफ्तारी वारन्ट जारी है, पुलिस गिरफ्तार करने के लिये लगी हुई है। यह आतंक है। भूखिया, पंचायत समिति और वहां की जनता में विकास अधिकारी के प्रति बड़ा आक्रोश है, असन्तोष है। विकास अधिकारी को तुरन्त हटाने के लिये माननीय

(श्री जोथिंग)
मुख्य मंत्रीजी को कांग्रेस के प्रधान ने जाकर कहा कि इस विकास अधिकारी को तुरन्त हटाओ लेकिन उस पर आज दिन तक कोई विचार नहीं किया ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें ।

श्री जोथिंग : न तो कोई कार्यवाही की और न ही उस विकास अधिकारी को वहां से हटाया । सरकार से, आपके माध्यम से, मैं मांग करूंगा कि यह बिलकुल झूठी रिपोर्ट विकास अधिकारी की है, झूठी रिपोर्ट देकर विकास अधिकारी ने मजदूरों पर झूठे मुकदमे चलवाये हैं, गिरफ्तारी वारन्ट जारी किये हैं, उनको निरस्त किया जाय और उन मजदूरों को छोड़ा जाय । विकास अधिकारी को निलम्बित किया जाय और वहां से हटाया जाय, तब ही सही जांच हो सकती है ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन ।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, श्री हारूमलजी के सम्बन्ध में इस सदन में जो प्रस्ताव आया है और जिसकी मार्फत सदन को जानकारी दी जा रही है उनके सम्बन्ध में इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि हारूमलजी एक राजनैतिक कार्यकर्त्ता हैं, उनके राजनैतिक कार्यकलापों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है, किन्तु वे एक निष्ठावान कार्यकर्त्ता हैं । इसमें कोई सन्देह नहीं है । उनके साथ पुलिस का दुर्व्यवहार हुआ । राज्य सरकार इसमें कौनसे संकट में पड़ गयी कि वह कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती। सच्चाई क्या है यह मैं नहीं जानता । अचानक कोई मामला आता तो कह सकते थे कि जानकारी नहीं है । किन्तु गृह मंत्रीजी को सारे मामले से जानकारी है । माननीय श्री रामानन्दजी और उनकी पार्टी के माननीय सदस्य, माननीय मुख्य मंत्रीजी से मिल चुके हैं । मैं राज्य सरकार से चाहूंगा कि जो घटना हुई है वह केवल कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ता के साथ ही नहीं है किन्तु सारे राजनैतिक जीवन में रहने वालों के साथ यह घटना हुई है । इसलिये इस विषय की सारी जानकारी सदन में आनी चाहिये । यदि हम गलती करते हैं तो हम अपने आपको सुधारने के लिये तैयार हैं । आप जवाब न दें और इस प्रकार की घटनायें होती रहे और पुलिस को ढीला छोड़ दिया तो जो हाथ कम्युनिस्ट पार्टी पर उठा है वह कल कांग्रेस पार्टी पर भी उठ सकता है और उस समय आपकी मदद पर कोई नहीं आवेगा । इसलिये राज्य सरकार खास तौर से सदन में कहे कि उसने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ।

अध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है कि मैंने एक मामला उठाया था आपने उसको अस्वीकार कर दिया है । मुझे उस पर अधिक नहीं कहना है किन्तु इतना ही निवेदन करना है कि जिला परिषद के द्वारा जिनको चयनित किया गया है, आपने स्वयं ने चयनित किये हैं, ट्रेनिंग आपने दिलवायी है और बांड भरवाये हैं आज उन लोगों को जिला परिषद् नहीं लेती हैं, आप नहीं लेते हैं । एक तरफ यह हालत है, और दूसरी तरफ आप नये को भेज रहे हैं ट्रेनिंग के लिए । जब आप चयनित किये हुए लोगों को ही एब्जोर्ब नहीं कर सकते हैं तो नये क्यों भेज रहे हैं ? दो साल ट्रेनिंग करने पर हजारों रुपया

(श्री रामकिशन)

सरकार का भी खर्च होता है। वे लोग घर बैठे हैं और नयों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। पुरानों को तो खपाते नहीं और नयों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को विचार करना चाहिये और कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री केशरीमल।

श्री केशरीमल (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था फरमाई थी। स्थगन प्रस्ताव है। सूचना से तो जो जानकारी मिलेगी वह मिलेगी। किन्तु मेरा जिला है वह एक पहाड़ी जिला है और पहाड़ी इलाके के जो लोग हैं वे आदिवासी लोगों जैसे ही है। तीन वर्ष से वहां पर अकाल है। पैसे भर का काम नहीं हुआ है। बड़ी हालत गम्भीर है। इस वर्ष वर्षा की कमी है। यदि समय पर कार्यवाही नहीं की तो आगे जाकर बड़ी गम्भीर स्थिति हो जावेगी। अधिक वर्षा से तालाब टूट गये थे वे आज सूखे पड़े हैं। सिचायी के साधन तमाम अधूरे पड़े हैं। पैसे भर का काम कहीं पर भी सरकार ने करने की कोशिश नहीं की। जो हालात बन रहे हैं यदि कोई काम नहीं किया तो और भी हालत गम्भीर हो सकती है। और उसके भयंकर परिणाम निकल सकते हैं। लोगों को भूखमरी की स्थिति में जाना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री लोढ़ा।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में यह व्यवस्था दी है कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर खाद्यान्न, व जीवनोपयोगी वस्तुओं के अभाव एवं मंहगाई के सम्बन्ध में निकट भविष्य में सदन में चर्चा होने वाली है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैं उस चर्चा के दौरान में तो कहूंगा ही किन्तु उससे पहले यह निवेदन करना चाहता हूं कि और इस कारण से करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय, विशेष तौर से तैयारी करके आयें, और आंकड़े प्रस्तुत करें जिससे सदन अवगत हो सके कि वास्तव में हमारे प्रदेश की स्थिति क्या है।

जोधपुर नगर में, विशेषकर निवेदन करना चाहता हूं, इस वर्ष वर्षा का अभाव है। सारे जिले में त्राहि त्राहि मची हुई है। हमारे खाद्य मंत्रीजी ने यह घोषणा की है कि लेवी की वसूली में टारगेट पूरे हो चुके हैं और राजस्थान अग्रणी रहा है। एक तरफ यह घोषणा की जा रही है और दूसरी तरफ राशन में जहां पहले 6 किलो गेहूं मिलता था उसको तीन किलो किया और इस माह से लेवी की वसूली होने के उपहार के स्वरूप में कटौती करके उसको दो किलो ही कर दिया है। राजस्थान में अनेक स्थानों पर चार किलो गेहूं मिलता है वह भी अपर्याप्त है। जयपुर में तीन किलो मिलता है वह अपर्याप्त है। उदयपुर में चार किलो मिलता है वह अपर्याप्त है। जोधपुर में वहां के नागरिकों को यह भी न मिले यह उनके साथ अन्याय की पराकाष्ठा है।

इसी प्रकार केरोसिन के मामले में यहां एक पांच व्यक्तियों के राशन कार्ड पर पांच लिटर मिलता है, जबकि जोधपुर में एक व्यक्ति को एक माह में आधा लिटर ही नसीब होता है और वह भी सुबह से शाम तक लाइन में खड़ा होने के बाद। इसी प्रकार चीनी का मामला है। एक आदमी को वहां

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
250 ग्राम मिलता है। जोधपुर पर आपकी विशेष कृपा है। पर मैं निवेदन करूं कि पहले भी संघर्ष करके इसको छः किलो करवाया था। अगर अब भी आप संघर्ष के रास्ते से ही प्रसन्न होते हों तो इसके लिये जनता अब भी तैयार है। आप जब राजस्थान में मूलभूत परिवर्तन की बात करते हैं तो जीवन की इन मूलभूत आवश्यकता को खाद्य वस्तुओं की एडीकेट सप्लाई होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, अभी अभी एक लाख रुपये की कीमत के अन्दाजन वनस्पति के टिन ट्रान्सपोर्ट कम्पनी से आये हुए सरकार ने रोके हैं। उनका भी शीघ्र वितरण कराने का आदेश आप दें।

श्री अध्यक्ष : इस पर अलग से डिसकसन करने जारहे हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : वनस्पति का पूर्ण रूप से अभाव है। जयपुर की वनस्पति मिलों के मालिक खुले आम सरकार के अधिकारियों के आदेशों की अवहेलला कर रहे हैं। ऐसा लगता है विभाग के बड़े बड़े सरकारी अधिकारी उनसे मिले हुए हैं। उनकी मिलीभगत है। वे सारा माल सारा अपना प्रोडक्शन ब्लैक में बेचना चाहते हैं। कन्ट्रोल रेट से एक टिन भी देने की उनकी नीयत नहीं है ऐसा स्पष्ट है। अब जिस समय डिबेट हो उस समय इस सम्बन्धी सारे आंकड़े मंत्री महोदय सदन में प्रस्तुत करें। इस दृष्टि से मैं केवल संकेत भर करने के लिये इनका उल्लेख यहां कर रहा हूं। यह भी वे बतावें कि किस तरह से लेवी की कितनी कहां कहां से वसूली हुई? वितरण के बारे में वे क्या सोच रहे हैं? आज तो स्थिति यह है कि साबुन की बट्टियां नहीं मिलतीं। जो कठिनाई से मिलती भी हैं कन्ट्रोल रेट पर तो देने वाला उसके साथ आठ रुपयों की और चीजें भी लेने की शर्त जोड़ता है। साबुन की दो बट्टियों के लिये यह हालत है। जनोपयोगी वस्तुओं और खाद्यान्नों का भयंकर अभाव फैलता जा रहा है। भीषण महंगाई उधर कमर तोड़ रही है। आप इस पर डिबेट करना चाहते हैं। अच्छा तो यह होगा कि इन विषयों पर आप एक व्हाइट पेपर के रूप में सदस्यों को कुछ साहित्य सरकूलेट कर दें ताकि उसकी मुकम्मिल तैयारी करके डिबेट के दिन हम आ सकें।

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री मीठालाल : मैं थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा। ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा जो नागवार गुजरती हो किसी को।

श्री अध्यक्ष : मुझे इसमें ऐतराज नहीं है। आप कुछ भी कहें। मेरा काम तो समय का नियंत्रण करना है। मैं जानता हूं आप मर्यादा में बोलते हैं।

श्री मीठालाल : मैं केवल आधा मिनिट बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : आपका स्थगन प्रस्ताव है नहीं।

श्री मीठालाल (लालसोट) : उस पर बोल भी नहीं रहा हूं।

हारुभलजी के बारे में यहां प्रश्न उठाया गया। हम भी अपनी पार्टी की तरफ से इस बात का समर्थन करते हैं कि उनके साथ जो राजनैतिक कारणों से अत्याचार किया गया

(श्री मीठालाल)
है वह निन्दनीय है और इस बारे में जल्दी ही स्टेटमेंट सदन में आना चाहिये ।

श्री मोहर्रासह (सादुलपुर) : रतिरामजी के स्थगन प्रस्ताव से हमारी भी सहानुभूति है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री मोहर्रासह : जो स्थगन प्रस्ताव रखा है ...

श्री अध्यक्ष : अपना स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य ।

श्री मोहर्रासह : हमारे साथी हैं वे। हमारे साथी तुलारामजी ...

श्री अध्यक्ष : दो बार मैंने कहा उसका भी असर नहीं हुआ । मैं अपनी शिकस्त मंजूर कर लेता हूं ।

श्री मोहर्रासह : यह आपकी शिकस्त का प्रश्न नहीं है अध्यक्ष महोदय, मेरा हक है कहने का । इनके साथ पुलिस ने जो सुलूक किया वह वास्तव में अनुचित है । राजनैतिक और सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को पीटना, फिर वे चाहे किसी भी दल के हों अत्यन्त ऐतराज के काबिल हैं । इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता । इस तरह के किस्से आये दिन बढ़ रहे हैं । इस बारे में गृह मंत्रीजी को दृढ़ कदम उठाने चाहियें । हमें मालूम है ये कैसे निष्ठावान् सच्चरित्र और ईमानदार कार्यकर्ता रहे हैं । किसानों के लिये इन्होंने अपना जीवन लगा दिया है । इन जैसों को पीटना शोभास्पद नहीं है । गृहमंत्री को वक्तव्य देना चाहिये इस पर तुरन्त ।

श्री केदारनाथ : मांग की है अगर सदस्यों ने इस पर तो स्टेटमेंट आना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : आप मुझसे आकर मांग कर लें तो मैं रास्ता निकाल दूं । जब हांडाजी ने कहा था तो मैंने यह कहा था । मैंने ओब्जर्वेशन दिया था । आपको उसे समझना चाहिये था । आपको मुझसे मांग करते तो इन्साफ मिलता ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके मंदिर से प्रसाद तो अवश्य मिलता है ।

श्री अध्यक्ष : मिलेगा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रसाद तो पहले भी मिलता रहा है, अब भी पूरी आशा है।

श्री अध्यक्ष : मोहर्रासहजी से थोड़ा निवेदन करूंगा कि वे पहले भी सदस्य रह चुके हैं । वे थोड़ी यहां की परम्पराओं का ध्यान रखें तो अच्छा है ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है । आप जो बिजनैस लेने जा रहे हैं उसके पहले मेरा एक प्रिविलेज का मोशन भी है ।

श्री अध्यक्ष : मुझे सुनें तो सही । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिया जाने को है । इसमें चार नाम ही सरकुलेट हो पाये हैं, आपका नाम छूट गया है गलती से । पांचवां नाम आपका समझ लें । आपको भी इस पर वैसे ही बोलने का अधिकार है जैसे अन्य चार को ।

श्री रामकिशन : इस सम्बन्ध में निवेदन नहीं था । श्री राजेन्द्र भारतीय के लिये

(श्री रामकिशन)
नियमों के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न मैंने रखा है।

श्री अध्यक्ष : आपका इस सम्बन्धी प्रस्ताव आया है, मेरे विचाराधीन है। उस पर निर्णय दूंगा मैं। आप मेरे पास चेम्बर में मिल लें आकर। जिस वक्त आ जावेगा मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा।

श्री केदारनाथ : इस पर आज ही निर्णय हो जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : अभी तो एग्जामिन हो रहा है।

श्री केदारनाथ : यह तो क्लीयर केस है। फ्रीडम आफ स्पीच जो यहां है उसकी सजा उनको दी जा रही है। यह सदन का अपमान है।

श्री अध्यक्ष : मैं ना नहीं कर रहा हूं। मैं आपके अधिकारों का हनन नहीं करने दूंगा। आपके मोशन को एग्जामिन ही कर रहा हूं। निर्णय करके हाउस में जब आवे उस समय बोलने की मनाही नहीं है।

श्री खेतसिंह : वह तो हमारी पार्टी का अन्दरूनी मसला है। उससे आपका क्या है?

(कई माननीय विपक्ष के सदस्य एक साथ खड़े होकर इसके विरोध में एक साथ बोलने लगे)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप कैसे सदन के एक सदस्य को उसके यहां दिये गये भाषण के आधार पर अनुशासन के नाते सस्पैन्ड कर सकते हैं? यह तो यहां दी गई स्पीच पर आप उनको सजा देना चाह रहे हैं। यह कैसे हो सकता है?

श्री रामकिशन : व्यवस्था का प्रश्न है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का सवाल है। अध्यक्ष महोदय, मैंने और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने श्री राजेन्द्र-कुमार भारतीय को जो मोअत्तल किया गया है उसके संबंध में प्रिवलेज मोशन दिया है और क्योंकि वह हाउस में रेफर हो गया है...

श्री अध्यक्ष : क्या रेफर हो गया है?

श्री रामकिशन : इस पर चर्चा हो गयी है हाउस में।

श्री गोपाल जोशी (बीकानेर) : यह तो हमारे दल का प्रश्न है। आपके दल का थोड़े ही है।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, इनको रोका जाये। यह व्यवस्था का सवाल है, यह कोई जोहरी बाजार की दुकान नहीं है। जरा शांति से सुनें।

अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम 157 के तहत लिखित सूचना दी है और क्योंकि सदन में चर्चा हो गयी है और कांग्रेस दल के मुख्य सचेतक और राज्य के विधि मंत्री, श्री खेतसिंहजी ने चुनौती दी है और उन्होंने कहा है कि यह हमारे दल का अन्दरूनी मामला है इसलिए इस पर बहस होगी तब जवाब देंगे लेकिन क्योंकि उन्होंने चुनौती दे दी है और नियमों के तहत चुनौती देने पर दस आदमी खड़े हो जाते हैं तो उसको एडमिट करना पड़ेगा। इसलिए समय इसमें जब चाहें आप निश्चित कर दें, जैसा आप उचित समझें कर दें लेकिन क्योंकि उधर से चुनौती आ चुकी है और इधर से दस सदस्य खड़े होने के लिए तैयार हैं इसलिए इसको एडमिट करने के लिए आज्ञा प्रदान करें। यह नियम 157 के तहत है।

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, आपके पास तीन बातें क्लियर हैं। एक तो आपको कन्सेन्ट देनी है····

श्री अध्यक्ष : आप तो बिना कन्सेन्ट ही बोल रहे हो।

श्री केदारनाथ : पाइन्ट आफ आर्डर के बारे में ही बोल रहा हूं। एक तो यह देखना है कि मोशन आर्डर में है या नहीं। कन्सेन्ट देने के बाद इस पर चर्चा उठाने के लिए आपने लीव की इजाजत लेनी है हाउस से। अगर कोई आपत्ति करता है तो दस आदमी खड़े हों और अगर आपत्ति नहीं करते हैं तो यह समझा जाता है कि उसकी लीव मिल गई और फिर आपको प्रिवलेज मोशन को रेफर करना है या हाउस में डिसकस करना है। इसलिए आप इस पर कन्सेन्ट दे दें।

श्री अध्यक्ष : मुझे इस संबंध में इतना ही कहना है कि प्रिवलेज मोशन कुछ माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर से मुझे मिला है। नियमों के तहत परम्पराओं के तहत और इस सदन की भी परम्पराओं के तहत जब कोई विशेषाधिकार का प्रश्न आता है तो, अध्यक्ष महोदय उस पर यह निर्णय देते हैं कि वह एडमिसिबल के काबिल है या नहीं है, वह हाउस में रखा जाना चाहिए या नहीं रखा जाना चाहिए। जब हाउस यह फैसला कर दें, स्पीकर यह फैसला कर दे कि एडमिसिबल के लायक है तो हाउस के सामने आये। स्पीकर यह फैसला कर दे कि नहीं लायक है तब भी आप थोड़ा कह सकते हैं। लेकिन यह अभी कन्सीड्रेशन में है और एग्जामिन किया जा रहा है कि क्या पोजीशन है। आज ही करीब पौने ग्यारह बजे मुझको यह मिला था। मैं समझता हूं कि आज उस पर कन्सीड्रेशन हो जायेगा और अगली तारीख को ही कुछ मैं इस संबंध में कह पाऊंगा। आपने रूल कोट किया आप चाहे तो मैं भी कर दूं :

"A question of privilege may be raised in the house only after obtaining the permission of the Speaker."

सकंदर की यह पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस में है। मैं यह निवेदन करता हूं कि वह कन्सेन्ट तब ही मिल सकती है जब कि मैं उसको समझ लूं।

श्री केदारनाथ : यह केस ऐसा है कि आपकी कन्सेन्ट एस्पायर करता है।

श्री अध्यक्ष : 'ए क्वेश्चन ऑफ प्रिवलेज मे बी रेज्ड इन दी हाउस आनली आफ्टर आबटेनिंग दी परमीशन आफ दी स्पीकर' यह बहुत क्लियर है। तो इस बात को माननीय सदस्य जानते हैं कि कोई आदमी कन्सेन्ट देगा तो समझने के बाद ही देगा। नियमों के अनुकूल है या नहीं है इसको समझने के लिए समय भी चाहेगा तो इसमें कोई बेकरारी की बात नहीं मालूम होती है।

श्री गुमानमल लोढा : आपने एडमिट नहीं किया तो कहां बैठेंगे ?

श्री केदारनाथ : अपोजीशन में बैठेंगे या कांग्रेस में बैठेंगे।

श्री अध्यक्ष : इस सदन के माननीय सदस्य सदन में कहीं भी बैठ सकते हैं। इस सदन ने उनको सस्पेण्ड नहीं किया है···

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: लेकिन वह हां पक्ष और ना पक्ष के बीच में कब तक लटकते रहेंगे ?

एक माननीय सदस्य : यह त्रिशंकु कब तक बने रहेंगे ?

श्री अध्यक्ष : न तो उनको बोलने को मना किया है, न बैठने को मना किया है ।

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, जो आपने व्यवस्था दी है उसको तो मैं स्वीकार करता हूं लेकिन कन्सेन्ट देने का जहां तक कहा है उसके लिए तीन शर्तें हैं । वह हमने कहा कि हम पूरा करते हैं । आपने कहा कि मैं पहले समझूंगा, मैं कहता हूं कि आप राजस्थान के प्रबुद्ध वकील रहे हैं और आपको समझने में देर नहीं लग सकती । अगर आपने इस मामले में एक्शन नहीं लिया तो वाणी पर बन्धन लगेगा । आज सदन में हमने देखा है कि कांग्रेस का सदस्य सदन में स्वतंत्रता से बोलने के लिए तैयार नहीं हैं । हमारे कान्स-टीट्यूशन में और हमारे नियमों में दोनों तरह की गारंटी दी है । हमारे कान्सटी ट्यूशन ने वाणी की गारंटी दी है और हमारे नियमों में प्रावधान है । पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस का आपने जिक्र किया है इसमें बहुत साफ है दुनियां की डेमोक्रेसी में आज तक ऐसा सीन नहीं देखा है····

कुछ कांग्रेसी सदस्य : भारतीयजी आ गये ।

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न तो हल हुआ कि कहां बैठेंगे ।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, इसमें मजाक का सवाल नहीं है । हमें तो यह रक्षा करना है कि माननीय सदस्य जो फ्री विचार प्रकट करना चाहते हैं, निर्भीकता से विचार प्रकट करना चाहते हैं जिसका हमारे नियमों में प्रावधान है, हमारे कान्सटीट्यूशन में गारंटी है इस एक्शन से सारे सदस्य हैं वह दब गये हैं और वह स्वतंत्र वाणी का प्रयोग नहीं कर सकते । इसलिए मैं चाहूंगा···

श्री दीपंकर : सब अपनी स्वतंत्र भावनाओं से बोलने के लिए तैयार हैं । इसमें डरने की जरूरत नहीं है ।

श्री मूलचन्द सामरिया : आपको चाप-लूसी से बोलने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या ?

(शोरगुल, व्यवधान के कारण-अश्रव्य)

श्री दीपंकर : हमारी नीति है, हमारी मर्यादायें हैं । अगर उससे बाहर जाते हैं तो रोका जाता है लेकिन स्वतंत्र विचार रखने की मुमानियत नहीं है ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय भारतीयजी ने मजदूरों के लिए कोई बात कह कर कोई मर्यादा भंग नहीं की इसलिए इस प्रकार का एक्शन लेना उनकी वाणी को नियंत्रित करना है ।

श्री अध्यक्ष : अब तक मैंने आपकी इच्छाओं का पालन किया है । बिना चाहे भी समय मिल गया । अब इसको समाप्त किया जाये । नयी बात कुछ कहना नहीं है, नया पाइन्ट भी रेज नहीं किया है । जो आपने रूल में बात कही है उससे विशेष कोई बात आपने नहीं कही है इसलिए मुझे उसके बारे में आज कुछ नहीं कहना है । नैक्स्ट बिजनेस । ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ।

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय,····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना है ।

Page No 49

49

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मंत्रीजी हमारे ध्यान आकर्षित कर रहे हैं ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत, राष्ट्रीयकृत पाठ्य-पुस्तकों एवं कागज के मूल्यों में असाधारण वृद्धि से उत्पन्न स्थिति की ओर शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : एक ही काफी है ।

श्री रामकिशन : वैसे तो शिक्षा मंत्रीजी खड़े होते ही सदन का ध्यान आकर्षित हो जाता है ।

श्री अध्यक्ष : या तो आप चारों ही ध्यान आकर्षित कर दें या एक के बोलने पर ही सब की तरफ से मान लिया जाय ।

श्री खेतसिंह : एक ही बोल देते हैं और उसमें सभी का मान लिया जाता है । अध्यक्ष महोदय, कक्षा 1 से 8 तक की 52 राष्ट्रीयकृत पाठ्य-पुस्तकें मण्डल ने मुद्रित कराई हैं । कागज की मंहगाई, छपाई की दर में वृद्धि

(म० प० 1.21 बजे)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

ढुलाई भाड़े में वृद्धि ऐसे कई कारण हैं जो कि आगे स्पष्ट किये गये हैं जिनके कारण अधिकांश पुस्तकों में निश्चित रूप से मूल्य में वृद्धि हुई है फिर भी मण्डल ने जहां तक सम्भव हो सका है अधिक बिकने वाली पुस्तकों और अधिक संख्या में पढ़ने वाले छात्रों की कक्षा में शासकों पर मूल्य भार हल्का करने का प्रयास किया है । जैसा कक्षा 1 से 3 में 13 लाख छात्र हैं इनकी सात पुस्तकों में 85 प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुई है जिनमें कि पांच पुस्तकें 2 से 4 रंगों में हैं लेकिन मण्डल ने कक्षा 1 व 2 की 10 लाख छात्रों के लिए 18 लाख पुस्तकों में केवल 26 प्रतिशत मूल्य वृद्धि की है ।

कक्षा 4 व 5 में 4,25,000 छात्र हैं जिनकी 8 पुस्तकें हैं, इन दो कक्षाओं की 8 पुस्तकों में 3 पुस्तकें नई हैं जिनकी पाठ्य सामग्री, पृष्ठ संख्या व चित्र आदि पहिले की अपेक्षा अधिक है इसलिए इनमें अवश्य काफी मूल्य वृद्धि हुई है ।

कक्षा 6 से 8 तक लगभग 4,00,000 छात्र हैं और इनकी 21 अनिवार्य पुस्तकें हैं जिनकी मूल्य वृद्धि लगभग 74 प्रतिशत हुई है । इसके अतिरिक्त इन्हीं कक्षाओं के लिए वैकल्पित विषयों की 15 पुस्तकें हैं जैसे संगीत, वाणिज्य, गृह विज्ञान, चित्रकला एवं उर्दू । ये पुस्तकें कम संख्या में बिकती हैं फिर भी इनमें 80 प्रतिशत वृद्धि हुई है । इनमें केवल संगीत कक्षा 7 व 8 की दो पुस्तकें ऐसी हैं जो बहुत कम संख्या में छपती हैं (8 हजार) तथा जिनकी छपाई भी विशेष प्रकार की होती है । इन 2 पुस्तकों के मूल्य में अवश्य ही अधिक वृद्धि हुई है ।

इस प्रकार मण्डल की पुस्तकों में इस वर्ष औसत मूल्य वृद्धि 82 प्रतिशत हुई है । और बड़ी 2 संख्या में छपने वाली पुस्तकों की औसत कीमत 2 पैसे प्रति पृष्ठ आयी है ।

मण्डल की प्रत्येक पुस्तक का मूल्य निर्धारण के मुख्य तत्व निम्न हैं :—

(1) कागज की मिल की दर से कीमत, एक्साईज ड्यूटी, सेलसटैक्स, ढुलाई भाड़ा, गोदाम किराया आदि ।

(श्री खेतसिंह)

(2) वास्तविक मुद्रण खर्च, किताबों की मुद्रकों से केन्द्रों पर ढुलाई।

(3) पुस्तक लेखन, समीक्षा, मिलान, चित्र, ब्लाक आदि पर खर्चा।

(4) प्रशासनिक व्यय।

(5) कर्ज पर ब्याज, छीजत, लेखकों की जांच शुल्क, मूल्य समानीकरण आदि।

(6) व्यापारियों व स्कूलों को क्रमशः 12-1।2 प्रतिशत व 15 प्रतिशत कमीशन।

गत वर्ष भारत सरकार से कागज 1.90 पैसे प्रति कि० ग्रा० एवं 2.00 प्रति किलो ग्राम की दर से उपलब्ध हुआ जबकि इस वर्ष भारत सरकार का कागज क्रमशः रु० 2.70 व रु० 3.10 पैसे प्रति किलो ग्राम के हिसाब से पड़ा, यानी भारत सरकार से प्राप्त कागज पर ही गत वर्ष की अपेक्षा 50 प्रतिशत, 60 प्रतिशत मूल्य अधिक देना पड़ा। इसके अतिरिक्त टेन्डर द्वारा बाजार से कवर कागज व मुद्रण कागज जो खरीदा गया वह गत वर्ष से सरकारी दर की तुलना में तिगनी वृद्धि के लगभग मिला। यदि मण्डल को शेष 650 टन कागज जो जुलाई, 1974 में भारत सरकार से न मिलता तो किताबें तो छपानी ही पड़तीं और इसके लिए पूर्ति बाजार से कहीं तिगुनी दर पर करनी पड़ती। मण्डल की पुस्तकों का मूल्य निर्धारण माह अप्रैल में ही करना पड़ा जबकि पुस्तकें छप रही थीं और किताबों का मूल्य भी उसी समय देना था ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए मण्डल ने मूल्य निर्धारण के लिए कागज की कीमत पुस्तकों के लिए मिल रेट 4.85 पैसे प्रति किलो ग्राम का आधार रखा। अप्रैल के बाद यह मिल रेट और भी बढ़ गई है। इस प्रकार कागज की दर में शत प्रतिशत वृद्धि हुई है।

सस्ती दर पर कागज मिलने से मूल्य वृद्धि कम करने में कुछ सहायता अवश्य मिली है पर जो औसतन 82 प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुई है वह केवल कागज पर ही आधारित नहीं है। इस वर्ष मुद्रण व्यय में गत वर्ष की तुलना में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ट्रक भाड़े में 80 प्रतिशत, ब्याज छीजत ऑडिट में 200 प्रतिशत। इसी प्रकार मण्डल के कर्मचारियों के वेतन भत्तों के बढ़ने के और नये वितरण केन्द्रों के खोलने के कारण 25 प्रतिशत, भण्डारण, चित्र, पाण्डुलिपि निर्माण में 50 प्रतिशत और बढ़े हुए उत्पादन मूल्य के अनुसार स्कूल एवं पुस्तक विक्रेताओं को देय कमीशन में वृद्धि हुई है। मण्डल को अतिरिक्त कागज खरीदने के लिए लगभग रु० 30 लाख सरकार व बैंकों से 12 1।2 प्रतिशत की दर पर कर्ज लेना पड़ा है जो कि स्वायत्तशासी संस्था बनने के कारण आवश्यक हो गया था। इन सब का सम्मिलित प्रभाव यह हुआ कि पुस्तकों का मूल्य औसतन 82 प्रतिशत बढ़ा है।

जहां तक पाठ्य-पुस्तकों की उपलब्धि का प्रश्न है कक्षा एक से आठ तक 52 पाठ्य-पुस्तकें हैं इस वर्ष की कुल आवश्यकता 72 लाख 84 हजार पुस्तकों की है। मण्डल ने उपलब्ध कागज के अनुसार 77 लाख पुस्तकों के छपाने की व्यवस्था की। इनमें से नए व पुराने स्टाक को मिला कर अब तक 74 लाख 47 हजार पुस्तकें वितरण केन्द्रों पर उपलब्ध हो चुकी हैं। 52 पुस्तकों में से 50 छप चुकी हैं और उपलब्ध हैं। अब तक मण्डल स्कूलों और पुस्तक विक्रेताओं के द्वारा 77 लाख 93 हजार रुपये की पुस्तकें बेच चुका है।

(श्री खेतसिंह)

जहां तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रश्न है बोर्ड द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के लिए मुख्य मुख्य वर्ग एवं विषयों में निम्न पुस्तकें निर्धारित की गयीं :—

(1) सैकेण्डरी परीक्षा के मुख्य-मुख्य विषयों के लिए 81।

(2) हायर सैकेण्डरी परीक्षा के मुख्य-मुख्य विषयों के लिए 59।

उपरोक्त में से विज्ञान विषयों की 5 व भूगोल विषय की 2 पुस्तकें जो सन् 1972 से लगी हुई हैं प्राप्त सूचना के अनुसार प्रकाशक से नई इस वर्ष की छपी हुई प्रतियां उपलब्ध नहीं हो रही हैं। कक्षा 11 के लिए अंग्रेजी अनिवार्य विषय में निर्धारित कोर्स बुक व इसकी वर्क बुक अब उपलब्ध हो गई हैं। शेष समस्त पुस्तकें सूचनानुसार उपलब्ध हैं। बोर्ड को यह शिकायत प्राप्त हुई कि मेसर्स श्री राम मेहरा एण्ड कम्पनी, आगरा द्वारा प्रकाशित की जाने वाली निम्न पुस्तकें व्यवसायी संघ एवं पुस्तक विक्रेताओं को प्राप्त नहीं हो रही हैं :—

(1) उच्च माध्यमिक भौतिकी
(2) उच्च माध्यमिक जीव विज्ञान
(3) माध्यमिक भौतिकी
(4) आधुनिक रसायन
(5) माध्यमिक जीव विज्ञान
(6) भूगोल वर्क-बुक भाग 1 व 2

बोर्ड द्वारा प्रकाशक को बारबार लिखा गया व आखिर 1-8-74 को प्रकाशक को नोटिस दिया गया कि यदि उनका ठोस एवं संतोषजनक उत्तर 12-8-74 तक प्राप्त नहीं हुआ तो प्रकाशक द्वारा किये गये अनुबन्ध को तोड़ने एवं अपराध में पुस्तकें अन्य प्रकाशकों से छपवाने का प्रबन्ध किया जावेगा। प्रकाशक का उत्तर अभी तक नहीं आया है। अतः उनसे जो अनुबन्ध हुआ वह तोड़ा हुआ मान, उनसे हर्जाना वसूली करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है, वे पुस्तकें अन्य प्रकाशकों से छपवाने का प्रबन्ध किया जा रहा है। प्रयत्न किया जा रहा है कि ये पुस्तकें लगभग एक माह में उपलब्ध हो जायें। लेकिन ये पुस्तकें ऐसी हैं जिनके तत्काल उपलब्ध न होने से विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होती क्योंकि इनकी प्रतियां स्कूलों के पुस्तकालयों में उपलब्ध हैं और सैकिण्ड हैंड भी उपलब्ध हैं।

सैकेण्डरी तथा हायर सैकेन्डरी परीक्षा के लिए मुख्य विषयों में प्रस्तावित 140 पुस्तकों में से:—

(ए) 10 पुस्तकें ऐसी हैं जिनकी कीमत सन् 1974 में छपने पर 1973 के बराबर की रही हैं।

(बी) 9 पुस्तकें ऐसी हैं जिनकी कीमत सन् 1974 में छपने पर 1973 के मूल्य से कम हो गई हैं।

(सी) 39 पुस्तकें ऐसी हैं जिनकी कीमत में सन् 1974 में छपने पर 5 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।

(डी) बाकी पुस्तकों के पुनः प्रकाशन की आवश्यकता नहीं हुई।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने अपने इस सारे वक्तव्य को आंकड़ों का एक जाल बना दिया है। सीधासा प्रश्न है कि सरकार ने किताबों का राष्ट्रीयकरण किया है परन्तु ये किताबें आज तक बाजार में उपलब्ध नहीं हैं और जो किताबें बाजार

Page No 52

52

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

में हैं वे बहुत महंगी हैं और पुरानी पुस्तकें भी पुस्तक विक्रेताओं को तीन-चार गुनी मूल्य पर बेची हैं। मूल्य वृद्धि करके मुनाफाखोरी की है। मेरा निवेदन है कि पहले जो शिक्षा मंत्रीजी थे चन्दनमलजी वैद, उन्होंने यहां पर यह कहा था कि अबकी बार किताबें सस्ती मिलेंगी, वक्त पर मिलेंगी। इस प्रकार का आश्वासन उन्होंने यहां पर दिया था। आज भी बाजार में सामाजिक ज्ञान कक्षा 7 की पुस्तक नहीं है। तीसरी क्लास की हिन्दी की पुस्तक नहीं है। चौथी क्लास की हिन्दी की पुस्तक नहीं है। पांचवीं क्लास की गणित नहीं है। तीसरी क्लास की विज्ञान नहीं है। ये पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। पुस्तक विक्रेता बोर्ड के पास पुस्तकें लेने जाते हैं तो उनको पांच-दस पुस्तकें दे दी जाती हैं। इसका नमूना 13-8-74 का यह केश मीमो है। एक एक पुस्तक विक्रेता को 5-5 पुस्तकें दी गयी हैं। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आज भी बोर्ड के पास पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। यह आप माननीय शिक्षा मंत्रीजी आप देख सकते हैं।

दूसरा यह निवेदन करने जा रहा हूं कि आपने किस आधार पर पुस्तकों के मूल्य में वृद्धि की है। यह 73-74 की तालिका मेरे पास में मौजूद है। 74-75 में इस सारी पुस्तकों की चौगुनी मूल्य वृद्धि हो गयी है। आप चाहें तो यह तालिका मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत कर सकता हूं।

बोर्ड ने स्वयं ने यह बात मानी है और खेतसिंहजी ने भी अपने वक्तव्य में यह बात मानी है। राष्ट्रदूत में भी यह छपा है स्पष्टीकरण जिसमें सैक्रेटरी महोदय, लक्ष्मी नारायण शर्मा ने बताया है कि 82 पर्सेन्ट पुस्तकों में मूल्य वृद्धि की गयी है याने जो किताब एक रुपये में बिक रही थी वह आज 1.82 रुपये में मिल रही है। अब मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि 16 वर्षों में किसी समय भी ऐसा समय आया है कि ठीक वक्त पर लोगों को आपने किताबें दी हों। अच्छी मिलेगी, सस्ती मिलेगी और सुगमता से मिलेगी। समय पर हमारे पास पुस्तकें उपलब्ध रहेंगी, लोग आवें और ले जावें। जैसे तैसे बना कर सरकार ने अपना स्टेटमेंट दे दिया। एक एक अखबार में आपके ये स्टेटमेन्ट छपते रहते हैं। राजस्थान पत्रिका में है, हिन्दुस्तान टाइम्स में है। प्रत्येक अखबार में ये सारे के सारे आश्वासन छपे हैं। आपने कहा किताबें मौजूद हैं और स्कूल में दुकानें खुलेंगी। पुस्तक विक्रेताओं से कहा तुम तो कीमत बढ़ा कर बेच दो। जब उन्होंने बेचना शुरू किया तो कहा पुरानी पुस्तकें वापिस जमा कराओ। उन पुरानी पुस्तकों पर आपने ठप्पा लगा कर चार गुनी कीमत कर दी। पुरानी कीमत पर क्यों नहीं बेची? यह मुनाफाखोरी आपने क्यों की? यह जो मुनाफा कमाने का अधिकार आपने दिया है, यह ठीक नहीं है। इतना हो चुकने के बाद, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पुस्तकें ही नहीं हैं और पुस्तकों के मूल्य में वृद्धि हो गई। 11 जुलाई से और कहा कि 11 जुलाई को दुकानें खुल जाएंगी। आपकी बात हो जाने के बाद 11 जुलाई तक केवल 19 पुस्तकें उपलब्ध थीं। आज की तारीख में 14 अगस्त की तारीख में जो पुस्तकें बाजार में उपलब्ध नहीं हैं वह भी मैंने निवेदन कर दिया है।

आखिर कितना आर्डर दिया है डिपो को। कितनी पुस्तकें छपी हैं। यह बात भली

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
प्रकार आपने स्पष्ट नहीं की है। मैं एक दो बातों का उत्तर एक दो मिनिट में देना चाहता हूं। हिन्दी की तीसरी पुस्तक का मूल्य पहले 1.30 पैसा था और आज उसका मूल्य है 3.10 पैसा। इसी प्रकार से चौथी कक्षा की जो गणित की पुस्तक है उसका पहले मूल्य था 1.40 पैसा और आज शिक्षा मंत्रीजी उसका मूल्य 3.70 पैसा हो गया है। इसी प्रकार से तीसरी कक्षा की विज्ञान की पुस्तक का मूल्य 1.60 पैसा था उसके दाम आज चौगुने हो गये हैं। इस प्रकार की यह वृद्धि मूल्य में आपने की है। भूतपूर्व शिक्षा मंत्रीजी ने यहां पर कहा था, पुस्तकें मुफ्त में मिलेंगी। स्वीडन गवर्नमेन्ट ने आपको कागज मुफ्त में दिया है। कागज मुफ्त में मिला है और फिर ऊपर से मुनाफाखोरी कर रहे हैं। यह कहां तक सही है? एक तरफ आप कहते हैं मुनाफाखोरी नहीं की जानी चाहिये, दूसरी तरफ आपका मण्डल मुनाफाखोरी करता है तो आप उसको प्रोत्साहन देते हैं।। प्रोत्साहन ही नहीं गत वर्ष जो पुस्तकें सस्ती दर पर छपी थीं उनकी कीमत भी आपने बढ़ा दी। आप मुनाफाखोरी कर रहे हैं। यह जो प्रोत्साहन दे रहे हैं वह उचित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कापियों की कीमत भी बढ़ गयी है। 25 पैसे में जो कापी पहले मिलती थी वह अब 50 पैसे की मिल रही है। दुगुनी कीमत हो गयी है। 82 प्रतिशत मूल्य वृद्धि नहीं हुई है बल्कि उससे ज्यादा हुई है। 1973 का आंकड़ा आपने माना है। जबकि स्वीडन की गवर्नमेन्ट ने पुस्तकें छापने के लिये आपको मुफ्त में कागज दिया है। एक तरफ तो आपका यह मण्डल है। दूसरी ओर आपका यह हायर सैकेण्डरी बोर्ड है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंडल ने बढ़ोतरी की है 82 प्रतिशत और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो पुस्तकें छपाता है उस पर उसने प्रकाशकों को 45 प्रतिशत बढ़ोतरी करने की इजाजत दी है। इसका मतलब यह हुआ कि 37 प्रतिशत मण्डल ने बोर्ड से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अधिक ले लिया। इसके बाद यह निवेदन करना चाहता हूं कि इतनी कम आमदनी करके भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में एक आलीशान भवन बना रहा है। हमारे शिक्षा मंत्रीजी को भी यह कहना पड़ा कि बोर्ड का दफ्तर इतना सुन्दर और विशाल बन रहा है कि उसके सामने हमारा सैक्रेटेरियट भी कुछ नहीं है। आपका यह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और दूसरी ओर यह पुस्तक मण्डल दोनों एक प्रकार से मुनाफाखोरी कर रहे हैं। आप कहते हैं हमने लोगों का कमीशन बढ़ा दिया। 73 में और पिछले दस वर्षों से साढ़े बारह प्रतिशत कमीशन पुस्तक विक्रेताओं को दिया जा रहा है वही आज दिया जा रहा है। कमीशन की क्या रेट बढ़ा दी है। वही रेट है। नहीं बढ़ायी है। इस प्रकार आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 15 प्रतिशत स्कूल वाले बेचेंगे। कौन अध्यापक इनको बेचेगा। कौनसी मशीनरी इसको बेचेगी। अलग अलग पुस्तकें अलग अलग बेचेंगे। इस प्रकार कौन किताब बेचेगा। इस प्रकार किताबें बेचने का आप प्रलोभन दे रहे हैं यह गलत है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपका कोई डिपो नहीं खुला है। डिपो का किराया नहीं बढ़ाया है। नये डिपो नहीं खुले हैं। तो खर्चा कैसे बढ़ गया है।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

आप अपना स्टाफ रखें। बोर्ड को अपना स्टाफ रखना चाहिये···

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनिट में समाप्त कर रहा हूं। 1974 की आपने छीजत बतायी है। बहाना कोई बुरा नहीं है। किताबों में छीजत कहां से आ गई? नियमों के अनुसार, उसके आधार पर आपको यह बताना चाहता हूं कि यह छीजत आपके बोर्ड को नहीं भुगतनी पड़ती है। आपने पुरानी किताबों पर भी कीमत बढ़ा दी। क्या यह लाभ का महकमा हो गया है। उल्टी बात कर रहे हैं।

आपने पुरानी किताबों की कीमतें बढ़ा दीं, नई किताबों की कीमतें बढ़ा दीं और छात्रों को पाठ पढ़ाना चाहते हैं। आपने कहा कि रेल का किराया बढ़ गया। आपकी कितनी किताबें रेल से आती हैं? आपकी किताबें रेल से नहीं आती हैं। आपकी किताबें ट्रक से आती हैं। रेल का जिक्र नहीं। कागज का क्या है? आपको स्वीडन का कागज पहले मुफ्त में मिला, फिर मिला 1.80 में, फिर मिला 2 रुपये किलो के हिसाब से। भारत सरकार से जो मिलने वाला कागज था वह आपने नहीं लिया। एक तरफ तो आपके भाव अधिक। अभी इन्टरट्रेड के यहां पर सेल्स टैक्स का छापा डाला गया था जयपुर में तो पता लगा कि इस प्रकार से जयपुर ट्रेडर्स से नियत भाव पर सांठ-गांठ से 7 रुपये किलो से लिया 2 रुपये किलो के हिसाब से मिलने वाले कागज को नहीं लेकर पैसा खाकर, आपके अधिकारियों ने इस प्रकार का घोटाला किया है। उसके कारण मैं समझता हूं कि यह सारी कीमतें बढ़ी हैं। इसलिए इस सम्बन्ध में विचार करना चाहिए।

अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि एक किताब है बच्चों की तीसरी क्लास की, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि गणित की किताब है तीसरी की, वह मैं आपके सामने रख रहा हूं। उसकी कीमत है 2 रु० 90 पैसे। दुकानदार के लिए आप कहते हैं कि मुनाफाखोरी करते हैं, लेकिन इस किताब के आप 2.90 रु० लेते हैं बच्चों से, तो मुनाफाखोर वह है या कौन है? आपकी यह दूसरी किताब है वह यहां की नहीं है। यह किताब जे० पी० फाइन आर्ट्स प्रेस, कानपुर में छपी है और राजकीय शिक्षा प्रकाशन विभाग, उत्तर प्रदेश की ओर से छपी है। यह राजस्थान सरकार की किताब नहीं है। लेबल आपने अपना लगा रखा है। आपकी पुस्तक दूसरी है। आप अपना लेबल लगाकर बच्चों को धोखा दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह किताब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की है। या तो आप यह कहें कि वहां की किताब यहां पर प्रेस्क्राइब्ड है। स्वतन्त्र रूप से अपनी किताब छपवायें नहीं, और यू० पी० गवर्नमेंट की किताब पर अपना पन्ना लगाकर विद्यार्थियों को धोखा दे रहे हैं। यह मैं हिन्दी की, दूसरी क्लास की किताब लेकर आया हूं। इसमें आप पेज देखिये। सारी किताबों में पेज के पेज गायब हैं। इसमें आप पेज नं० 16 में देखिये तो 15-20 पेज इसमें से गायब हैं। पेज नं० 29 और उसके बाद में माननीय शिक्षा मंत्रीजी पेज नं० 63। 29 से लेकर 62 पेज तक सब गायब हैं। यह हिन्दी की पुस्तक दूसरी क्लास की है··

श्री खेतसिंह : यही किताब मेरे पास है इसमें सारे पेज हैं।

श्री दलपतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री बलपतसिंह)
मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। On a Point of Order, Sir. This is the rule that when a statement is given by a Minister on a Call-attention motion only short questions may be asked by way of information and full-fledged debate is not allowed, and we are here discussing the debate on every thing regarding the statement made by the Minister.

श्री मीठालाल : आप पार्लियामेंट के सदस्य रहे हैं। पार्लियामेंट में ऐसा ही होता है, लेकिन यहां पर यही परम्परा रही है।

एक माननीय सदस्य (कांग्रेस) : आप पेज फाड़लाते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने पेज नहीं फाड़े हैं। यह बच्चों के साथ राज्य सरकार धोखा कर रही है।

श्री बलपतसिंह : I am asking, Sir, for the ruling on my Point of Order.

श्री उपाध्यक्ष : अभी माननीय सदस्य ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि ध्यानाकर्षण के प्रस्ताव पर केवल मुख्य मुद्दे हैं उनके ऊपर ही मंत्री महोदय के वक्तव्य के बाद माननीय सदस्य ध्यान आकर्षित कर सकते हैं तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन्स के रूप में ही कर सकते हैं, लेकिन इस सदन की जैसी परम्परा रही है और माननीय सदस्य भी इससे पूर्णतः परिचित हैं। जैसा कि मुझे मालूम है संसद में भी अब इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन हो रहा है और चूंकि यह विषय पाठ्य-पुस्तकों का सार्वजनिक जीवन से सम्बन्ध रखता है और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए मैंने इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को जिन्होंने ध्यान आकर्षित रखने का प्रस्ताव रखा है उनको कुछ कहने के लिए अवसर दिया है, और मैं समझता हूं कि इस विषय के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह न्याय संगत और उचित है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। यही मैं अन्त में निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान इंग्लिश रीडर, बुक नं० 4 फार क्लास सेवन्थ। इसकी कीमत छपी हुई है 2 रु० 15 पैसा। यह नई किताब है, लेकिन बोर्ड के अधिकारियों से जब इसको खरीदने जाते हैं तो···

श्री उपाध्यक्ष : इस तरह से खत्म नहीं हो सकता है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मुझे ध्यान है समय का, उपाध्यक्ष महोदय·······2 रु० 35 पैसे का केश मीमो काटकर किताब देते हैं। बोर्ड की यहां पर 2-15 पहले वाली कीमत है उसके 2-35 लिये जा रहे हैं। यह मेरे पास उसका केश मीमो है।

इसी प्रकार से हिन्दी की किताब है, पांचवीं क्लास की है और कई किताबें हैं जिनमें एक पाठ दो बार आ गया है। इधर एक पाठ है और अगला पाठ भी वही होगा। कीमतें बराबर ली जाती हैं। इसमें पेज गायब हैं। किताबों के मूल्य बढ़ाते जाते हैं और किताबें मिलती नहीं हैं (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)। उपाध्यक्ष महोदय, बोर्ड के बारे में निवेदन कर दूं कि पिछले

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

16 वर्षों तक स्वायत्त शासन मंत्री थे भीखा भाई और ये लिखते हैं राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री गीता नाई। भीखा भाई और गीता नाई में कोई फर्क नहीं है? तो खेतसिंह जी साहब आपके नाम खेतसिंह राठौड़ के बजाय गलत नाम छप गया तो मैं समझता हूं कि घोटाला हो जायगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुनाफा खोरी तो पुरानी पुस्तकों की कीमतें बढ़ाकर नई कीमतें लेना है। इसलिए आप से (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) निवेदन है कि जो तथ्य और आंकड़े आपकी सेवा में रखे हैं (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) उन पर विचार करें और यदि आप कहें तो मैं आपकी सेवा करने को तैयार हूं, आपके साथ बैठने को तैयार हूं। आप छोटे बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ न करें और उनको अच्छी पुस्तकें मिलें और चुनी हुई पुस्तकें मिलें, इस काम में जो कुछ सहयोग मैं और मेरे दल से आप चाहेंगे वह हम आपको देने को तैयार हैं, लेकिन आप बच्चों के साथ अन्याय न करेंगे और स्टेटमेंट का जवाब देते समय आप सच्चाई को रखेंगे। यदि आप शिक्षा मंत्री हैं और शिक्षा मंत्री गलत हैं तो आपको सदन से शिक्षा लेनी चाहिए कि आप सच बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस प्रश्न ने···

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ···· सदन का ध्यान आकर्षित किया है उस प्रश्न ने न केवल राजस्थान का ही बल्कि सारे हिन्दुस्तान का ध्यान आकर्षित कर रखा है। यह एक बहुत गम्भीर प्रश्न है। हमने हमारे संविधान के अन्दर प्राथमिक शिक्षा सब को देने की घोषणा की है। यह कमाण्डमेंट्स में किया है, और हर सत्र के प्रारम्भ में 'स्कूल चलो' अभियान हम जोर-शोर से मनाते हैं। दूसरी ओर स्थिति इस प्रकार की होती जा रही है कि पुस्तकें मंहगी हो गई हैं, स्टेशनरी मंहगी हो गई है, जन-जीवन की चीजें इतनी मंहगी हो गई हैं, कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि प्राथमिक शिक्षा असम्भव हो गई है, माध्यमिक शिक्षा का तो कहना ही क्या। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा का सम्बन्ध है, यह स्पष्ट है कि प्राथमिक शिक्षा में हमारा राष्ट्रीयकृत पाठ्य-पुस्तक मण्डल पुस्तकें सप्लाई करता है और माध्यमिक शिक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, जो 17 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। आज यह जहां प्राथमिक शिक्षा की किताबों की कीमत 82 से 311 पर्सेन्ट तक बढ़ गई है। वहां पर माध्यमिक शिक्षा की किताबों की कीमत 15 पर्सेन्ट से 45 पर्सेन्ट तक इन्क्रीज हुई हैं, बाकी ब्लैक मार्केट का तो हिसाब ही नहीं है। जहां तक राष्ट्रीयकृत पाठ्य-पुस्तक मण्डल का प्रश्न है उसके संबंध में और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सम्बन्ध में, और दोनों की कार्य रीति में जमीन और आसमान का अन्तर है। 27-7-74 को और 25-4-74 को आल इंडिया स्टुडेन्ट्स फेडरेशन का एक डेलिगेशन इसी संबंध के अन्दर उनके सचिवों से मिला था, दोनों के सचिवों से मिला था। एक सचिव का उत्तर यानी राष्ट्रीयकृत पाठ्य-पुस्तक मण्डल के सचिव का, जहां केवल 5 दिन में प्राप्त हो गया वहां दूसरे इसके सचिव ने आज तक उसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं समझी। आज

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)
सारा देश, सारा राजस्थान, पुस्तकों और स्टेशनरी की कीमतों के बारे में किस प्रकार से आंदोलित हो रहा है उसके लिए मैं राज्य सरकार को भी दोषी मानता हूं। राष्ट्रीयकृत पाठ्य-पुस्तक मण्डल को जहां स्वायत्त शासन संस्था बना कर प्रगतिशील कदम उठाया है, वहां दूसरी ओर एक गम्भीर स्थिति में छोड़ दिया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को देखें तो एक करोड़ रुपये की एयर कण्डीशन्ड बिल्डिंग बना रहे हैं। हमारे मुख्य मन्त्री का यह कहना है कि हमारे सैक्रेटरियेट की बिल्डिंग इतनी अच्छी नहीं है जितनी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है। उपाध्यक्ष महोदय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 1 करोड़ 26 लाख 17 हजार रुपये वार्षिक की आमदनी है। पुस्तकों, फीसों और एग्जामिनेशन्स की फीसें हैं। दूसरी ओर छात्रों की रायल्टी प्रकाशित पुस्तकों पर होती है। मैं पूछता हूं, 3 वर्ष तक पुस्तक को प्रेस-क्राइब करते हैं। क्या तीन वर्ष के लिए ही की हैं? कई पुस्तकें ऐसी हैं जो सात सात वर्ष से चली आ रही हैं। 'डान रीडर' सात वर्ष से चली आ रही है। इसे रिप्लेस किया गया है—तीन वर्ष के लिए—अब वह 5 वर्ष के लिए प्रेसक्राइब की गई है। इसकी कास्ट को देखिये। स्टुडेन्ट्स फेडरेशन और यूथ फेडरेशन ने इसके लिए आवाज उठाई है। आप कृपा करके बोर्ड के कम्पोजीशन को डेमोक्रेटिक बनाइये। एक भी आदमी का नाम बताइये जिन्होंने राष्ट्रीयकरण की तरफ कदम उठाया हो। और मैं यह पूछना चाहता हूं कि 22 पुस्तकें मिश्रा ब्रदर्स को दे दी हैं। यह मिश्रा ब्रदर्स कौन है? बहुत बड़ा ब्लैक मार्केटियर है। उन्हीं के नाम से व्यापार है। उन्हीं के नाम से पुस्तकों का ब्लैक होता है। मिश्रा साहब अध्यापक हैं। 4 महीने के लिए डालकर हुआ था। आप वापिस लाकर उनको अजमेर में बैठा दिया है। इसी मिश्रा ब्रदर्स को 22 पुस्तकें दे दीं। एक ही पुस्तक देखिये माननीय शिक्षा मन्त्रीजी (पुस्तक दिखाकर) 5•50 पुस्तक की कीमत है। चार्ज किया जा रहा है, 6•45 रु०। इसका वाउचर नं० 1679 है। 9-4-74 को बिकी। 16-4-74 को रिलीज हुई। यह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक है। मुख्य मन्त्रीजी घोषणा करते हैं कि 73 की पुस्तकों पर मूल्य नहीं बढ़ाया जायेगा। तो मिश्रा ब्रदर्स का सेम्पुल नं० 2, यह देखिये 73 की जगह 74 दर्ज हो गया है। यह है मिश्रा ब्रदर्स। अब सेम्पुल नं० 3, 73 की पुस्तक है, 74 की बना दी गई है। कीमत का खाना नहीं है। हाथ से कीमत लिखी है। उपाध्यक्ष महोदय, यह फ्राड चल रहा है। मंत्री महोदय ने कहा कि यह शिकायत की गई कि श्री राम मेहरा ने पुस्तकें सप्लाई नहीं कीं, इसलिए काम चलाने के लिए श्रीराम मेहरा को 28 पुस्तकें दे दी गई हैं। क्या किसने शिकायत की है? सबसे अधिक पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए कण्ट्रेक्ट दिया है, श्रीराम मेहरा को। 28 पुस्तकें दी हैं। 6 पुस्तकें राजस्थान प्रकाशन को दे दी हैं। जिस प्रकार की एडवोकसी शिक्षा मंत्रीजी ने की है। आप टेन्डर इनवाइट करते हैं। 5 रु० के। सरकुलर है। लक्ष्मीनारायणजी काफी ईमानदार हैं। इसलिए टेण्डर प्रकाशित हुये हैं। मैं पूछना चाहता हूं, यूनेस्को के कागज से आप क्या करते रहे? आज आपने स्वायत्त शासन संस्था बनाकर बैंक से 22 लाख रुपया लोन दिलाकर छोड़ दिया है। क्या दूसरी संस्थाओं के बारे में भी यह करते हैं। आप हिन्दी और उर्दू की किताबें छपाकर 3 लाख रुपये

Page No 58

58

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

के घाटे की दलील देते हैं। यूनेस्को से आने वाले कागज से राज्य सरकार को 10 करोड़ रुपया जमा हुआ है। वह कागज जो यूनेस्को से फ्री प्राप्त होता रहा जिससे कि समस्त पुस्तकों को फ्री बांटना चाहिए था। 45 लाख की फ्री बांट दी और 10 करोड़ रुपया प्राफिट किया। इसके बाद स्वायत्त शासन संस्था बनाई। एक करोड़ रुपया दिया है तो साढ़े 12% ब्याज पर दिया है। क्या आप नेशनेलाइजेशन के दृष्टिकोण को प्रतिपादन नहीं करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सम्बन्ध में 25% रायल्टी देते हैं लेखकों को। 15% आप लेते हैं। लेखकों पर बैन हैं। 10 हजार से इनक्रीज हो जाये लेखक की तो उसकी सारी आप ले लेंगे। लेकिन प्रकाशक को आपने खुली छूट दे दी है। वह चाहे कितना ही मुनाफा कमाये। आपके अधिकारी, शिक्षा बोर्ड के सारे के सारे आज सचिव में केन्द्रित हो गये हैं। कमेटी है, उस में एक भी एम०एल०ए० नहीं। सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी हो गई है। एक भी विद्यार्थी का रिप्रेजेन्टेशन नहीं है। सारी की सारी पुरानी 17 साल की सड़ी गली ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी है। वह प्रकाशकों को अनाप शनाप कमाने का मौका देते हैं। और गरीब लेखकों के पेट पर लात मारते हैं। यह है क्या। आप कीमत बढ़ाने में कागज की बात करते हैं और आपका कागज ब्लैक के अन्दर मार्केट के अन्दर बिक रहा है। खुद आपके बिक्री कर के डिपार्टमेंट ने अनेक केसेज पकड़ लिये और हजारों टन कागज इस राजस्थान के मार्केट में सीज किया गया और आपको खुद ब्लैक का कागज लेना पड़ा। फिर आपकी सारी सफाई क्या अर्थ रखती है, क्या मायने रखती है। अगर आप ब्लैक मार्केट में जाने से कागज को नहीं रोक सकते और खुद पार्टनर बन कर, परचेजर बन कर ब्लैक मार्केट को सपोर्ट करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि जोधपुर के अन्दर व्यवसाइयों की कान्फ्रेन्स हुई, उसमें खुद शिक्षा मंत्री ने यं घोषणा कर दी कि 1973 की पुस्तकों का मूल्य बढ़ाया जायगा ....

श्री मीठालाल : किनको ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जोधपुर के व्यवसाइयों को आपकी नीति भी यह है।

श्री मीठालाल : आप जानें व्यवसाइयों को, मुझे क्या लेना देना।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं अर्ज कर रहा था, जब उनको अहसास हुआ कि उन्होंने क्या कर दिया, लाखों का स्टाक पड़ा था उसको देख कर। उपाध्यक्ष महोदय, और जब मुख्य मंत्री के यहां विद्यार्थी नेताओं से उनकी बातचीत हुई तब उनको कहा, मेरा असेसमेंट यह था, कुछ हजार पुस्तकें हैं। मैं यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि लाखों पुस्तकें हैं। फिर यह आदेश जारी किया, पुस्तकों का मूल्य नहीं बढ़ाया जायगा। लेकिन शिक्षा मंत्री महोदय, आपने मोहर छपवाई और मोहर छपवा कर राष्ट्रीयकृत पुस्तकों पर लगवाई। यह मोहर है, एक रुपया मूल्य है इसका (मोहर दिखा कर) यह है बाजार के अन्दर बनी हुई दूसरी मोहर। यह हजारों लाखों की तादाद में पुस्तकों के ऊपर लग रही है। यह दूसरी मोहर का मुलाहिजा फर्माइये। क्या इस मोहर को नहीं देखा। इस वास्ते कहते हैं कि लाखों पुस्तकें इस सील के तहत ब्लैक मार्केट में बिक रही हैं। क्या कदम उठाया इस सैकंड सील को

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
रोकने का (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मंत्री महोदय, आपने ?

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज कन्क्लूड ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने यह बान लगा दिया है, पांच हजार से अधिक आप एक पुस्तक विक्रेता को पांच हजार से अधिक मूल्य की पुस्तकें नहीं देंगे, राष्ट्रीयकृत पुस्तकें। लेकिन आपने जांच की है कि आज आपके यहां ढाई सौ से अधिक पुस्तक विक्रेता पंजीकृत हो गये हैं। आप व्यापार मण्डल में देखिये, सवा सौ से अधिक नहीं हैं। पिछली साल 87 से अधिक नहीं थे। मैं जयपुर की बात करता हूं। यह बेनामी पुस्तक विक्रेता, अनाप शनाप तरीके से आपकी नीति ने पैदा कर दिये। एक ओर तो आपने दो किस्म के स्टेन्डर्ड पैदा कर दिये कि कीमत बोर्ड बढ़ा सकता है। बोर्ड ने कीमत बढ़ा दी 1973 की। कोई प्राइवेट आदमी नहीं बढ़ा सकता, यह आदेश निकला तो मोहर आ गई। हर तरीके से इन बड़े लोगों को, इन प्राइवेट लोगों को लाभ कर रहे हैं। और बढ़ी हुई कीमतों का भार गरीब लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को सहना पड़ रहा है। इसलिए कृपा करके जांच कीजिये, सारे बेनामी हटा दीजिये। आपकी प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं को राष्ट्रीयकृत पुस्तकों का बिक्री का केन्द्र बनाइये (समय-समाप्ति सूचक घंटी) मेरा यह कान्क्रीट सुझाव है, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा अदब और कायदे से कहना चाहता हूं कि इन प्राइवेट प्राफिटियर्स को बिल्कुल बीच में से हटा दीजिये। सारी की सारी, क्या दिक्कत है, इन्स्टीट्यूशन्स के अन्दर, डिस्ट्रिक्ट हैडक्वाटर्स के अन्दर पुस्तकें भेज दीजिये। टाइम फेक्टर तय कर दीजिये। कलेक्टर नौकरी पर नहीं रहेगा, सात दिन के अन्दर अगर सारी पुस्तकें नहीं पहुंचती है। आप कमीशन दे रहे हैं, साढ़े बारह पर्सेंट कमीशन। यह, आपने छापा है, आपका जो प्रकाशित हुआ है लीफ लेट, उस पर। इससे लोग बच जायेंगे। साढ़े बारह पर्सेंट कमीशन से, कृपा करके, जो 1 लाख 16 हजार रु० होता है, उससे राष्ट्रीयकृत पुस्तक मण्डल का ऐअर कन्डीशन्ड बड़ा भवन न बनायें।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उसको शान्ति-निकेतन बना दीजिये और यह पैसा प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल में जाने दीजिये। और आपकी घोषणा है तो इसका 50 पर्सेंट आर समाज कल्याण में दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज कन्क्लूड।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अंत में, मैं कहना चाहता हूं, बहुगुणा ने किया है, वह कृपा करके, आप कष्ट कीजिये, वहां स्टूडेन्ट मीटिंग में बहुगुणा ने क्या कहा है इस बात को मंगाने का। आपने यह आश्वासन स्टूडेंट फेडरेशन के लोगों को दिया है। वहां बहुगुणा के घोषणा करने से पहले 50% कीमतें बढ़ गई थीं, जिसको कैंसिल करके एव पैसा भी ज्यादा लेने पर डी०आई०आर० का एक्ट लागू हो गया है। आप प्राफिटीयर के लिए एक्ट लागू कीजिये। इसके साथ माध्यमिक शिक्षा की पुस्तकों को बंद लये। माध्यमिक शिक्षा की पुस्तकें भी नेशनलाइज्ड कीजिये और इन्स्टीट्यूशन्स को इसके सोल एजेंट बनाइये। यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतिराम यादव।

(अनुपस्थित)

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली के खड़े होने पर) आपकी तरफ से माननीय सदस्य बोल चुके हैं। आप भी कहना चाहते हैं ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं बोलना चाहता हूं । रतिराम की एवज में मैं बोल लेता हूं, वैसे मेरा भी है ।

यह नेशनलाइज्ड टैक्स्ट बुक्स का सवाल है यह आज बहुत गम्भीर विषय बन चुका है । आज लड़कों की आमतौर से यह शिकायत है कि उनको पढ़ने की किताबें उपलब्ध नहीं हैं, जो किताबें उपलब्ध हैं वह बहुत बढ़ी हुई कीमत पर हैं और कागज की कापियां, जो बाजार में मिल रही हैं, उनकी कीमत में भी इतनी वृद्धि हुई है कि मामूली हैसियत का आदमी उसको खरीद नहीं सकता है । असल में मेरी मान्यता यह है कि यह सब कुछ राज्य सरकार की ढिलमिल नीति का नतीजा है । वह जो भी कदम उठाती है वह कदम हाफ हार्टेडली उठाती है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोई चेष्टा नहीं करती, उसको पूरा करने का असली कदम नहीं उठाती । मेरी यह भी मान्यता है, आपने नेशनलाइज्ड टैक्स्ट बुक्स का अपना बोर्ड बनाया है, यह बड़ा सराहनीय कदम है । अगर इस कदम पर आप मजबूती से कायम रहते तो जो प्राइवेट बुक सेलर एक्स्प्लोइट कर रहे हैं बच्चों और बच्चों के वालिदैन को, वह समाप्त कर देते तो यह स्थिति गम्भीर पैदा नहीं होती । सबसे पहला सवाल यह है कि आपने पुरानी पुस्तकों, जिसके बारे में अभी आपके सामने रोशनी डाली गई, उन पुरानी पुस्तकों को बढ़ी हुई कीमत पर बेचा और उससे आपने अनुचित लाभ उठाया । यह अगर फेक्चुअली सही है, जैसे कि मेरी मान्यता है कि सही है । यह राज्य सरकार ने फैसला लिया, चूंकि नई किताबें छप रही हैं, उनकी कीमत बढ़ी हुई है, इसलिए पुरानी किताबें बढ़ी हुई कीमत पर नहीं बेची जायं । यह एनोमोली पैदा हो गई, यह कठिनाई पैदा हो गई । मेरा यह कहना है, आपको यह कदम इस तरह नहीं उठाना चाहिए । जब पुरानी किताबें एक्जास्ट हो जायं, उसके बाद नई किताबें पब्लिश करिये । इससे बढ़ी हुई कीमत पर बेचने का औचित्य हो सकता था । आपने नई किताबों के साथ पुरानी किताबें शामिल करके अनुचित लाभ उठाया है, इससे उन बच्चों का शोषण हुआ है, आपके द्वारा हुआ है, यह अफसोसनाक बात है । आपने कम शोषण किया होगा, जब कि और लोगों ने ज्यादा । वह किताबें जो स्टाक में रहती हैं, उनको देखकर बहुत सस्टाक मत डलवा कर थोड़ी किताबें दे दें और यह कहें, यह बिक चुकी हैं । आपने शोषण किया है, इस ढंग का, कि जिसकी सीमा नहीं है और जिसकी जानकारी भी आपको नहीं है ।

दूसरा निवेदन करना है वह यह है, यह मान लिया जाय, आपके सामने कठिनाइयां हैं । आज प्रिंटिंग चार्जेज बढ़ गये हैं कागज की कीमत बढ़ गई है, प्रूफ रीडिंग चार्जेज बढ़ गये हैं, हर आइटम की कीमत बढ़ गई है । लेकिन आप दलील दें, तो मैं पूछने का हक रखता हूं, आप प्राइमरी एजुकेशन कम्पलसरी बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, आप प्राइमरी एजुकेशन कम्पलसरी करना चाहते हैं, आप बच्चों के लिए चाहते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन हासिल करें, दूसरी तरफ प्रोहिबिटिव कीमत पर किताबें बेचकर उनसे आप उम्मीद करते हैं कि वे पढ़ें ? मेरा सुझाव है कि राज्य सरकार का दिवालिया नहीं निकल जाता अगर राज्य सरकार बोर्ड को थोड़ी सबसिडी देकर किताबों को जो प्राइमरी एजुकेशन में सप्लाई किए जाते हैं उनको उन्हीं कीमतों पर बेचती जो पहले थी । आप किसी भी मशीनरी में जिसका उचित लाभ उस से

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
को होना चाहिए जिस वर्ग के इन्टरस्ट में आपने उसका निर्माण किया है, अगर उसमें पैसा लगाते हैं तो आपको इतना दर्द क्यों होता है? अपने खर्चे तो कर्टेल नहीं करते, मंत्रीजी सारा समय गाड़ी में बैठने के बजाए थोड़ा पैदल चलें, टी०ए०, डी०ए० टेलीफोन और इस किस्म की ऐश की चीजों का उपयोग करते हैं, लेकिन इतना पैसा नहीं बचा सकते कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों से आप बढ़ी हुई कीमतें न लेकर सबसिडी देकर उन्हीं कीमतों पर किताबें दे देते, जैसे पहले देते थे। आज भी आपने जो कीमतें बढ़ाई हैं उसमें बिजनेस और बनिए की तरह सोचने का तरीका अपनाया है। आपका फर्ज है कि प्राइमरी क्लासेज की जितनी किताबें हैं, वे बहुत कम कीमत में अपने पास से पैसा देकर, बोर्ड को सहायता देकर, आपको सस्ती देनी चाहिए। अगर 10-20 लाख रुपए का फर्क पड़ता है तो उसका लाभ बच्चों को होगा जो आज तालीम पा रहे हैं और महंगाई की वजह से किताबें नहीं खरीदते हैं। मेरी हैसियत का आदमी भी 40-50 रुपये का किताब नहीं खरीद सकता क्योंकि ज्यों ज्यों हायर एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है किताबों की कीमतें में वृद्धि होती जाती है लेकिन कम से कम रहम फरमाइए उन बच्चों पर जो प्राइमरी एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं।

दूसरी बात जो कापियों की कीमत बढ़ाई गई हैं और मैंने सुना है कि इसकी कारोबार को भी अपने हाथ में लेना चाहते हैं, मैं इसकी तारीफ करता हूं। आपको यह काम अपने हाथ में लेना चाहिए और बच्चों को उसी कीमत पर जिसमें पहले बिक रही थीं, उनको देनी चाहिए। माता और पिता जिनको आप सौ दो सौ तनख्वाह देते हैं उनके लिए बड़ी कठिनाई है कि बच्चों को तालीम दे सकें और कापियां सप्लाई दे सकें।

इसके बाद जो मैं साजिश देख रहा हूं वह यह कि आपके नेशनलाइज्ड टैक्स बुक बोर्ड के विरोध में व्यापारी वर्ग का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है और वे चाहते हैं कि किसी तरह से इसको समाप्त कर दिया जाए ताकि उनको पूरा शोषण करने का मौका मिले और वे ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि छोटे कारोबार करने वाले हैं उनके साथ मेरी हमदर्दी है लेकिन जो लोग ठेकेदारी लिए बैठे हैं और जिन्होंने अपनी किताबें छपवाकर कीज का सिस्टम कर रखा है, यह ऐसा खतरनाक सिस्टम है कि वह खतम नहीं होता। अगर आप पूरी किताबें अपने द्वारा छपवायें तो ठीक होगा। आज अगर कोई टैक्स्ट बुक लेने जाता है तो व्यापारी कहता है कि फलां विषय की की (key) भी आपको साथ में लेनी पड़ेगी। पहले कीज काबिल लोग लिखते थे लेकिन आज जब किताबें ही सही नहीं लिखी जातीं तो कुंजी क्या होंगी? यह कीज का सिस्टम तो व्यापारियों ने शुरू किया, उन पर वैसे तो प्रतिबंध नहीं लगा सकते लेकिन पब्लिशिंग का पूरा काम अपने हाथ में ले लें, उनकी बिक्री का काम अपने हाथ में ले लें तो की (key) की मुसीबत जो बच्चों पर इम्पोज की जाती है उससे बच्चे बच जायेंगे। उससे दो नुकसान होते हैं। एक तो रीडिंग का टेस्ट पैदा नहीं होता वह नहीं जानता कि किस विषय पर किताब किस तरह से लिखी है। हमने अपनी जिंदगी में की नहीं देखी। एक हिस्टरी में मुखर्जी थे हिस्टोरियन, मैं उनकी की पढ़ा करता था....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

Page No 62

62

श्री उपाध्यक्ष : आप तो जिंदगी के अनुभव बता रहे हैं इसलिए मैंने घंटी बजाई।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : तो आप इसको बंद करें और सैकेन्डरी स्टेज की जितनी किताबें हैं उनको बोर्ड द्वारा छपवायें, प्राइमरी स्कूल की किताबों की उचित कीमत कायम करें और सरकार को अपनी तरफ से सबसिडी देनी चाहिए। कापियां उचित दामों पर बच्चों को दी जानी चाहिएं। इसके अलावा आप यह तय करें कि जितनी भी किताबें होंगी उनके 75 प्रतिशत उन इन्सटीट्यूशन्स द्वारा उनके रिटर्न्स लेकर दी जाएंगी कि वहां कितने लड़के पढ़ते हैं और पढ़ने वाले बच्चों की रसीद आप प्राप्त करें ताकि जो स्कूल में कापी व किताब जाय उनका सही वितरण हो। इसका पूरा इंतजाम करना चाहिए नहीं तो बड़े व्यापारियों के मारफत इन किताबों को बिकवाने का मतलब आप उस शोषण में भागीदार हैं जो व्यापारी कर रहे हैं।

इसके अलावा प्रिन्टर्स के नाम दिए गए, अजमेर बोर्ड के मिश्रा ब्रदर्स और श्री श्रीराम मेहरा आगरा वाले। इनके पास न खुद का प्रेस है न ये पब्लिशर्स हैं, न प्रिन्टर्स हैं। बोर्ड के चेयरमैन जो रिटायर हो गए उन्होंने उनको फायदा पहुंचाने के लिए बहुत बड़ी रकम की, 25-30 किताबों की जिम्मेदारी छपवाने की इनको दी और वे बड़े बड़े दामों में बेचें तो क्या मैं पूछ सकता हूं इस तरह के जो प्राइवेट एक्सप्लाइटर्स हैं, शोषण करने वाले लोग हैं जिनके खुद का प्रेस नहीं है उनको यह काम देने का क्या औचित्य था ? अगर नहीं था तो जो लोग जिम्मेदार हैं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ आप क्या क्या कदम उठाने को तैयार हैं ?

जहां तक नेशनलाइज्ड टैक्स्ट बुक्स की प्रिन्टिंग का सवाल है अगर दयानतदारी से काम किया जाएगा तो ठीक प्रकार से छपवा सकेंगे। मिसाल के लिए विष्णु प्रकाशन की किताब है "आधुनिक विज्ञान", 311 पेज की है। उसकी कीमत 11.50 रु० है जबकि हमारे बोर्ड की एक अरिथमेटिक की किताब है 300 पेज वाली, उसकी कीमत है 7.75। अब आप कम्पेयर करें। इसके अलावा जितनी छोटी छोटी किताबें प्राइवेट बुक सेलर्स ने छापीं उन्होंने आपसे 50 प्रतिशत कीमतें बढ़वा दी हैं। तो मेरी गुजारिश है कि हायर सैकेन्डरी की जितनी किताबें हैं नेशनलाइज्ड टैक्स्ट बुक बोर्ड द्वारा छपवानी चाहिएं।

प्राइमरी एजूकेशन में काम आने वाली जितनी किताबें हैं उनके कास्ट पर कीमत कायम न करें, यह बनियापन छोड़कर सरकार द्वारा उसको सबसिडी दी जाए और सस्ती कीमतों पर उनको फर्निश की जाएं। तीसरी बात जो किताबें आप बंटवाना चाहते हैं कुछ हिस्सा छोटे व्यापारियों को दें उनसे उनके रिटर्न्स लें, अकाउंट्स लें, बाकी 50 या 70 प्रतिशत उन संस्थाओं को दें जिनके लिए आप सोचें कि गड़बड़ नहीं करेंगे। जहां पर प्राइवेट चाहे सरकारी इन्सटीट्यूशन्स हों उन पर चेक रखें कि ब्लैक मार्केटिंग न करें। चौथी बात कागज और कापियों की दिक्कत जो बच्चों को हो रही है उसको दूर करने के लिए आप कापियां बनवायें और उनको बच्चों को स्कूल के मारफत दें। ऐसा न हो कि व्यापारियों को सुपुर्द कर दें। जो प्राइवेट पब्लिशर्स हैं जिन पर हमारे सैकेन्ड्री बोर्ड के चेयरमैन की नजर पड़ी है उनको जो किताबें छपवाने का काम दिया है वह विथड्रा करें उनके पास प्रेस

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

नहीं है वे ज्यादा कीमतें लेंगे। इसलिए उनको अपने द्वारा छपवाकर उसकी कार्यवाही करें। सब चीजें जरूरी हैं अपने हालात को देखते हुए, अपने उद्देश्यों को देखते हुए कि हम समाजवाद की तरफ जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष महोदय, दूसरे समाजवादी मुल्कों में बच्चों को प्राइमेरी और मिडिल क्लास तक एजूकेशन मुफ्त पुस्तकें दी जाती हैं और मुफ्त कापियां दी जाती हैं। यह तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपने देश में समाजवाद का नारा देते हैं लेकिन बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन तक फ्री नहीं दे सकते। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। खैर, जाने दीजिये आप प्राइमरी एजुकेशन तो एक वेलफेयर स्टेट के नाते आप मुफ्त एजुकेशन तो दीजिये। इसके अलावा मैं आपको यह भी गुजारिश करूंगा कि आप इस राष्ट्रीयकृत बोर्ड को इमदाद दीजिये। इससे पैसा कमाने की भावना मत रखिये। और न ही दिल में ऐसी भावना रखें जिससे कि व्यौपारी वर्ग को लाभ पहुंचे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केदारनाथ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय के स्टेटमेन्ट से यह पता लगता है कि पिछले साल के कम्पेरिजन में इस साल पाठ्य-पुस्तक बोर्ड ने प्रगति की है। यह भी सही है कि मान्यवर लास्ट इयर की कम्पेरीजन में बुक्स भी काफी एवेलेबल हुई हैं। हमारे यहां पर कम्पलसरी प्राईमरी एजुकेशन हैं। उसके लिये होना यह चाहिये था, मान्यवर, कि प्राईमरी स्कूल के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती। फ्री बुक्स और कापियां उनमें डिस्ट्रीब्यूट होती। मान्यवर, मन्त्री महोदय ने जो स्टेटमेन्ट दिया उसमें उन्होंने कहा कि 72 लाख पुस्तकें मारकेट में एवेलेबल हैं। और ऐसी व्यवस्था की गयी है कि जिससे बुक सेलर को अनड्यू प्रोफिट नहीं हो। इसके साथ साथ में 52 बुक्स में से सिर्फ पांच बुक्स को छोड़कर बाकी सभी बुक्स छपवादी हैं। मगर मान्यवर, मेरा इसमें यह निवेदन है कि बुक सेलर के पास और आपके पास पुराना स्टाक भी तो पड़ा होगा उससे आपने कितना कितना प्रोफिट कमाया। उस प्रोफिट को क्या आपने बच्चों को सबसीडाईज किया ? आपको चाहिये था कि पुराने स्टाक जो डीलर के पास थे उन्हें आप सीज करते। क्या आपने उसे सीज किया ? आपको यह ऐसा करना चाहिये था कि बच्चों को पुराने रेट पर ही पुस्तकें मिलतीं। इसके अलावा क्या आपने उन डीलर्स के खिलाफ में कोई एक्शन लिया जिन्होंने ज्यादा पैसों में पुस्तकें बेचीं ? इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह तो ठीक है कि आपने बोर्ड को कोन्सटीट्यूट किया, लेकिन जब मैंने उस बोर्ड के मेम्बर्स को देखा तो मुझे यह महसूस हुआ कि उनमें एम० एल० एज० और एम०पीज० वगैरहा के नाम गायब हैं। मैं इस सोच में पड़ गया कि श्री खेतसिंह जी क्या अपनी जमात को ही भूल गये ? आपने बिलकुल एम० एल० एज० और एम० पीज० को उसमें से नेगलेक्ट कर दिया। इसके अलावा जो आपके बोर्ड का पेटर्न है उसमें भी आपको चेन्ज करने की जरूरत है। प्राईमरी एजुकेशन तक के बच्चों को, जो कि खास तौर से पावर्टी लाइन से नीचे हैं, उन्हें तो मुफ्त बुक्स और कापियां मिलनी चाहियें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिक्षा मन्त्रीजी।

श्री शिक्षा मन्त्री (श्री खेतसिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो हवा महल से आते हैं माननीय, सदस्य जो सूरतगढ़ से आते हैं और गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य तथा जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सदन में अपने विचार व्यक्त किये तथा जो सुझाव सदन में दिये उसके लिये मैं उनका बहुत ही आभारी हूं। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो स्टेटमेन्ट मैंने सदन में दिया उसको शायद माननीय सदस्यों ने ठीक तरह से नहीं सुना। अगर सुना होता तो उनके मन में किसी भी प्रकार की भ्रान्ति नहीं रहती। मैं सर्व प्रथम यह निवेदन करना चाहता हूं कि गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो यह कहा कि बुक्स जो आपके पास बची थीं, उनको नयी रेट पर बेचने से आपको लाभ हुआ। उस प्रोफिट का आपने क्या किया ? मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जो पिछला स्टोक हमारे पास था, उसमें राज्य सरकार को 12 लाख रुपये का लाभ हुआ था। उसमें राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि हम इसके लिये बोर्ड के नये भवन में खर्च कर सकते हैं। पाठ्य-पुस्तकों को छपाने के लिये प्रेस और उसकी ज़मीन के लिये खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा हमने यह सोचा कि प्राईमेरी एजुकेशन के लिये सबसे ज्यादा तादाद में बच्चे पढ़ने आते हैं वह होते हैं फर्स्ट और सैकिन्ड क्लास तक। जैसा कि मैंने स्टेटमेन्ट दिया फर्स्ट और सैकिन्ड क्लास के बच्चे करीब दस लाख हैं। उनको पुस्तकें कम कास्ट पर दे दी जायं। उपाध्यक्ष महोदय, जो पुस्तकें एक रुपये और 85 पैसे और एक रुपया 90 पैसे की कीमत की थीं उनको हमने कम कास्ट पर बेचने का फैसला किया। उपाध्यक्ष महोदय, उन पुस्तकों का कागज भी बहुत ही अच्छा था और उसमें तरह तरह के रंग भरे हुए थे। उन पुस्तकों को हमने फर्स्ट क्लास के लिये एक रुपया में और सैकिन्ड क्लास के लिये 1 रुपया और 15 पैसे और थर्ड क्लास के लिये एक रुपया और 25 पैसे में देने का फैसला किया उपाध्यक्ष महोदय, यह 12 लाख रुपये हमने कम रेट्स पर इन स्टूडेन्ट्स को पुस्तकें सप्लाई करने में खर्च किये हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, बच्चों की संख्या जो कि प्राईमेरी क्लास की ज्यादा होती हैं उन पर यह रुपया हमने खर्च किया। बोर्ड ने इसमें लाभ कमाने की प्रवृत्ति बिलकुल नहीं रखी। हमने इसको बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिये ऐसा किया।

दूसरा प्रश्न मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने यह कहा और मैं समझता हूं कि उनको यह गलत फहमी है कि राज्य सरकार को कागज मुफ्त में मिलता है। यह बात गलत है, भारत सरकार ने हमें कागज मुफ्त में नहीं दिया। हमें कागज भारत सरकार से दो रुपया 70 पैसे प्रति किलो के भाव से मिला था। मुफ्त में नहीं मिला। हमें इसके लिये पैसे देने पड़ते हैं। इसलिये हमें पुस्तकों की रेट्स बढ़ानी पड़ीं। जब हमने खुद ने पैसे देकर खरीदा तो फिर हम उन्हें कम पैसों में कैसे बेच सकते हैं ?

एक माननीय सदस्य : पहले तो मुफ्त में मिलता था

श्री खेतसिंह : यह पहले की बात होगी लेकिन सन् 73-74 से पैसे देकर खरीदना पड़ता है और यही कारण ज्यों ज्यों पैसे बढ़ते हैं हमें कीमत मजबूरी से बढ़ानी पड़ती है। इसके अलावा, हमारे पास कोई

(श्री खेतसिंह)

पारा नहीं था। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमने भारत सरकार से जितना कोटा मांगा, उतना कोटा भी उन्होंने हमें नहीं दिया। क्योंकि उनके पास कागज की कमी थी। और इसलिये हमें बाजार से भी कागज खरीदना पड़ा। और पूरा कागज भारत सरकार से हमारे हाथ नहीं आया तो हमें पुस्तकें छपाने में देरी हो गयी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहूंगा। आज यू० पी० में जहां कि शिक्षा का फ्री प्रचार है, वहां पर इसलिये एक माह की अधिक छुट्टियां करनी पड़ी हैं क्योंकि वहां पर किताबें अभी तक छप नहीं सकी हैं। यह राजस्थान ही इस बारे में ऐसा प्रान्त है जिसमें समय पर किताबें छपी हुई मिल रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह खुशी की बात है कि राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहां पर हमने 52 पाठ्य-पुस्तकों में से 50 पाठ्य-पुस्तकें छपवा कर मार्केट में एवेलेबल कर दी हैं। अब यह इत्तिफाक की बात है जो हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य जो कि इस बात को तो मानेंगे यह मैं अच्छी तरह से जानता हूं हो सकता है, कहीं पर एक पुस्तक में दो पाठ आ गये हों या एक पुस्तक के कुछ पेज गायब हो गये हों या एक पुस्तक ऐसी आ गयी हो जिसमें कि एक दो प्रश्न गायब हों।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हो सकता है बहनजी ने पृष्ठ फाड़ दिये हों।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा और श्री गिरधारीलाल भार्गव के एक साथ बोलने पर अश्रव्य–शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चहता हूं कि जब यह बोल रहे थे, तो मैं बीच में नहीं बोल रहा था। इन्हें बीच में नहीं बोलना चाहिये।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव के बीच में इन्ट्रप्शन करने पर)

श्री उपाध्यक्ष : नो इन्ट्रप्शन प्लीज। आर्डर प्लीज।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अनवरत बोलते रहने और व्यवधान के कारण अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री खेतसिंह : जिस समय माननीय सदस्य बोल रहे थे तो मैं शान्तिपूर्वक सुन रहा था। मैं यही उम्मीद करता था और यह चाहता था कि जब मैं अपना उत्तर दे रहा हूं, तो माननीय सदस्य को भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिये। इतनी नाराजगी की क्या बात है? ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिये। बड़ी मुश्किलात हमारे सामने आजायेंगी। एक दो बुक सेलर से मिल गये और सदन में ले आये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ये बाजार में मिल रही हैं। इन किताबों को बेचा जा रहा है। मैंने बड़ा ही गम्भीर प्रश्न सदन के सामने रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : दूसरे माननीय सदस्य को भी तो सुनियेगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ये बाजार में मिल रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर ।

श्री खेतसिंह : मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्षजी सदन में कि पालियामेन्ट में इस सम्बन्ध में डिबेट हुई । सी० पी० आई० के श्री इन्द्रजीत गुप्ता ने एक पोइन्ट उठाया कि तमिलनाडु और केरल में 300 पर्सेन्ट कोस्ट बढ़ गयी है बुक्स की । उनका प्रदेश अभी तक किताबें छाप नहीं सका है । ये सारी बातें अखबारों में आयी हैं । मुझे इसमें विशेष जाने की आवश्यकता नहीं है । मैं यह नहीं कहता कि चूंकि इन राज्यों में कमियां रही हैं इसलिये यहां पर भी दरगुजर करें । मैं इस सम्बन्ध में आगे निवेदन करूंगा ।

हमारा यह प्रयास रहा है कि हम समय पर किताबें दें । इस दृष्टि से ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमने इस सम्बन्ध में काफी अच्छा प्रयास किया है और आज के हालात में जब कागज नहीं मिलता है जब इतनी मंहगाई है, सारे हालात मुल्क में ऐसे है उन सबको ध्यान में रखते हुए, मैं निवेदन करूंगा कि बोर्ड का जो कार्यक्रम इस सम्बन्ध में रहा है उसके अनुसार हमने किताबें दी हैं ।

छीजत वह होती है कि गेहूं की बोरी हो और उसमें से गेहूं निकल गया हो, ऐसी बात कही गयी । किताबों में क्या छीजत होती है ? मैं निवेदन करूंगा कि इसका मतलब यह था कि काफी पुस्तकें ओब्सिलीट हो गयीं जो कोर्स में अब नहीं हैं । वे कोर्स से निकल गयीं । तीन लाख रु० के करीब की पुस्तकें बोर्ड के पास थीं । इसलिये इसके लिये 'छीजत' शब्द लगाया है । इसलिये आप इस सम्बन्ध में गलत धारणा न बनाने की कृपा करें ।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं । यह बात सही है कि कुछ बुक्स जो पिछले वर्षों से स्टाक में थीं वह बुक सेलर्स के पास रह गयीं । बुक सेलर्स से इस सम्बन्ध में पत्र आये । प्रतिनिधि मंडल भी उनसे मिला । एक माननीय सदस्य ने कहा कि जोधपुर में कान्फ्रेंस आमन्त्रित की थी और मैं गया था । मैं गया था । वहां मैंने कहा था कि बोर्ड जिस रेट से बेचे आप भी उस रेट से बेचें । उस वक्त न बोर्ड का प्रश्न था और न ही किसी व्यक्ति का सवाल था । एक व्यू दिया था कि यदि बोर्ड मुनाफा कमायेगा तो आप भी मुनाफा कमायें । बोर्ड ने एक पैसा नहीं कमाया । यह कहा था कि थर्ड और फोर्थ की किताबें बोर्ड जिस रेट पर बेचे आप भी उसी रेट और भाव से बेचें । मैंने उनके साथ कोई कमिटमेंट नहीं किया था । किन्तु यह कहा था कि या तो बोर्ड को दे दीजिये और डिक्लेयर कर दीजिये कि इतना इतना स्टाक फलां फलां बुक सेलर के पास है ताकि वसूली कर सकें । गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ बुक सेलर्स ने फायदा उठा लिया । जब स्कूल्स खुले तो हमने तत्काल कार्यवाही की और इन्स्पेक्टर्स ऑफ स्कूल्स को हिदायतें दीं कि जितने भी डिपोज हैं, बुक सेलर्स के स्टाक का चैकिंग कर लीजिये कि उनके पास कितना 2 स्टाक है ताकि उससे ज्यादा नफा न उठा सकें । फिर भी हो सकता है कि किसी ने नफा उठा लिया हो । हमने यह भी कहा कि रेट्स की तख्ती टांगनी पड़ेगी । हमने यह भी कहा कि नया स्टाक उसी परिस्थिति में देंगे जब आप के पास पड़े का कितना स्टाक है यह बतायेंगे । ये सारी परिस्थितियां होते हुए भी कहीं कोई

(श्री खेतसिंह)

गड़बड़ हो सकती है। बोर्ड यह चाहता था कि सीधी स्कूलों को किताबें दें। हमने प्रयास किया और काफी सफलता मिली। काफी पर्सेन्टेज में स्कूल सीधा बोय्ज फण्ड्स से पैसा उठा कर किताबें ले जाते हैं। थोड़ा बहुत कमीशन लेते हैं उसी में वह जुड़ जाता है। वह पैसा स्कूल के कार्य में ही काम में आता है। कोई एक आदमी कमा नहीं सकता। आगे भी बोय्ज फण्ड्स से किताबें दे दी जायं। बोर्ड से सीधे स्कूल लेजाकर दे दें ताकि मिडिल मेन का प्रोफिट खत्म हो जाय और बच्चों को सही कीमत पर पुस्तकें मिल जायं और समय पर मिल जायं।

उसके बाद में सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने दो फर्मों के बारे में कहा कि उनको माध्यमिक बोर्ड के द्वारा किताबें छापने का कार्य दिया। और उसके सम्बन्ध में आपत्ति उठायी। बोर्ड एक आटोनोमस बोडी है। भूतपूर्व चेयरमैन बोर्दियाजी थे। वे रिटायर हो चुके हैं। नये चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हुई है। दो फर्मों के बारे में उन्होंने कहा कि नाजायज प्राप्ति की। किताबों में गड़बड़ी की। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप स्पेसिफिक चार्जेज लगा कर मुझे दे दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : स्पेसिफिक।

श्री खेतसिंह : जी हां।

इसके अलावा कुछ और मेटिरियल हो तो कृपा पूर्वक वह भी हमें दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जांच कराऊंगा, सही चीज मालूम करूंगा और कहीं पर भी गड़बड़ी की तो निश्चित तौर पर कार्यवाही करने का प्रयास करूंगा।

आपने कहा कि बोर्ड का ओफिस शानदार बनाया है। यह बात सही है कि बोर्ड का ओफिस काफी अच्छा बना है। मैं स्वयम् गया था। मैंने भी कहा कि इतना बड़ा ऑफिस बनाने की क्या आवश्यकता थी आज की मंहगाई के अन्दर और राज्य सरकार की हालत को देखते हुए इतनी बड़ी बिल्डिंग की क्या आवश्यकता थी ? उन्होंने कहा कि एक लाख लड़के परीक्षा में बैठते हैं। नीचे की स्टोरी तो इसके लिये छोड़ दी है कि रिकाउन्टिंग के बारे में कोई लड़का कह सकता है, कोई गलती हो तो कह सकता है, वापिस काउन्ट करवा सकता है। इसलिये इस सब के लिये यह रखना पड़ता है। लड़कों की तादाद को ध्यान में रखते हुए नीचे का सारा मकान इसके लिये बनाना पड़ा है। ऊपर की स्टोरी में ओफिसेज बनाये हैं। एयर कन्डीशन के लिये जैसा आपने कहा, मैंने स्वयम् ने कहा था कि एयर कन्डीशन्ड रूम चेयरमैन का हो सकता है न कि सारे कमरों का। न अब यह बनाने का प्रश्न आयेगा यह निश्चित हमारी भावना है। बच्चों से एक्जामिनेशन फीस चार्ज करें और बुक्स से लाभ मिले उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिये। उससे जो भी लाभ हो, वह बच्चों में ही उसका वितरण हो जिससे बच्चों को और शिक्षा प्राप्त हो। आज के हालात हैं, जैसा कहा, मैं मानता हूं इस मंहगाई में गरीबों के लिये बड़ा मुश्किल हो जाता है आपने बच्चों को पढ़ाना और किताबें खरीदने में कितनी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। हमारा यह ध्येय रहा है और आगे भी हमारे सामने है कि इस सब से जो भी प्रोफिट हो और जो भी व्यय किया जाय इस दृष्टि से किया जाय कि बच्चों को लाभ हो और एक्टीविटीज बढ़ें।

राजस्थान कृषि उपज विपणि (द्वितीय) संशोधन विधेयक, 1974 का उपस्थापन

राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) विधेयक, 1974 पर विचार एवं पारण

श्री खेतसिंह : आपने प्रेस अपना लगाने का सुझाव दिया। हम लगाना चाह रहे हैं। पर इसमें समय लगेगा। जमीन का आवंटन हो चुका है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि इसमें घोटाला बर्दाश्त नहीं किया जावेगा। आपके ध्यान में कोई घोटाला आवे तो आप तुरन्त मेरे पास उसे लावें यह आपका और हमारा दोनों का दायित्व और फर्ज है कि उसे तुरन्त दूर करें। इस दृष्टि से जो मुद्दे उठाये गये उन पर मैंने सदन को आश्वासन दिये हैं।

बाकी जो मुद्दे हैं उनका मैंने उत्तर दे दिया है। अन्त में मेरा निवेदन है कि आप ऐसी हवा मत बनाइये कि बच्चे गलत रास्ते पर जावें। ऐसा कुछ प्रयास आप करें कि वे अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण करें और समय पर जो पुस्तकें मिल रही हैं उनका सदुपयोग करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : किताबें अभी भी छपकर आई नहीं हैं। वे कब तक मिल जावेंगी य आप निश्चित तौर से बता दीजिये। तारीख बता दीजिये। मैंने यह भी कहा था कि सात रुपया किलो के हिसाब से कागज खरीदा गया है इसलिये कीमतें बढ़ी हैं। अब यह सात रुपया किलो का कागज क्यों और कैसे खरीदा गया इसकी आप जांच करें।

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि····

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरी बात का जवाब नहीं देना चाहते ?

कृषि मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि उपज विपणि (द्वितीय) संशोधन विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की यह अनुमति है, कि इसके लिये अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

श्री शिवचरण माथुर : मैं राजस्थान कृषि उपज विपणि (द्वितीय) संशोधन विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करता हूं।

(विराम)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि-साख और प्रचालन (कठिनाइयां निराकरण) विधेयक, 1974 को विचारार्थ प्रस्तुत करता हू।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अधिनियम के बनने के कारणों को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक।

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

शिक्षा मंत्री (श्री खेतसिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) विधेयक, 1974 को विचारार्थ लिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, संशोधन प्रस्तावों के देने के लिये

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

कल व्यवस्था दी गई थी कि 11 बजे के पहले दे दें। मैंने 11 बजे से पहले दिये पर यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि अंग्रेजी में हैं ये। अब शिक्षा मंत्रीजी ने भी अंग्रेजी में दिये हैं।

श्री खेतसिंह : हिन्दी में भी दिये हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जब आप दे सकते हैं तो फिर सदस्य के द्वारा दिये हुए अमेण्डमेंट भी लेने चाहियें फिर चाहे वे हिन्दी में हों या अंग्रेजी में। विधेयक भी चूंकि अंग्रेजी में है हिन्दी में भी है तो ऐसी स्थिति में दोनों में से किसी में भी संशोधन देने और बोलने का अधिकार दिया जाना चाहिये यह हमारी न्यायोचित मांग है।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने हिन्दी अंग्रेजी दोनों में किये हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : हिन्दी अंग्रेजी की बात नहीं है। आपने 11 बजे के बाद दिये हैं। आप जब दे सकते हैं तो सदस्यों को भी अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि 11 बजे बाद तक भी संशोधन मंत्री महोदय ने दिये हैं तो वे क्यों नहीं दे सकते ? अब इसमें मंत्रीजी ने हिन्दी वर्शन नहीं दिया है यह तो मैं स्पष्ट कर दूं पहले।

अब नियमों में प्रावधान है कि सदन की कार्यवाही हिन्दी में हो, विधेयक पेश हुआ है वह भी हिन्दी में है। इसलिये हिन्दी में ही अमेण्डमेंट स्वीकार कर सकते हैं। अंग्रेजी में स्वीकार नहीं कर सकते।

अब जहां तक प्रभारी मंत्री द्वारा देर जल्दी संशोधन पेश करने का प्रश्न है नियमों में प्रावधान है कि वे किसी भी स्टेज पर संशोधन पेश कर सकते हैं इसलिये उनके संशोधनों के प्रत्युत्तर में या सन्दर्भ में आप कोई और संशोधन पेश करना चाहें तो इसके लिये समय दिया जाना सम्भव नहीं है, न नियमों में इसका प्रावधान है। इसलिये जो आपने ऐतराज उठाया है उसे मानने में आसन असमर्थ है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव मैं निवेदन करता हूं कि क्लॉज वाइज जब डिस्कशन हो तब मुझे भी अवसर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आप उस समय बात करें।

श्री खेतसिंह : मैंने 9॥ बजते ही लाकर दे दिये हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) विधेयक, 1974 प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं इस सम्बन्ध में निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :—

"यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 21 जुलाई, 1974 को प्रख्यापित राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश संख्या 17, सन् 1974) को अस्वीकार करता है।"

यह मूल में जो अध्यादेश 23 जुलाई, 74 को निकला उससे भिन्न है। उसकी भाषा में और इसकी भाषा में अन्तर है। उसमें लिखा था:—

"Dean of the Faculty"

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

इसमें जो यहां प्रस्तुत किया गया है इसमें लिखा है:—"Dean of the faculty concerned, if he is a professor...."

सरकार को आर्डिनेन्स के शब्द ही इसमें रखने चाहिये थे। इसलिये मैं समझता हूं यह गलत है। आखीर चयन करने वाला कौन अधिकारी होगा ? आर्डिनेन्स में और अधिकारी था और इसमें और अधिकारी को अधिकार दिये जाने की बात है।

दूसरी बात निवेदन करूंगा, दूसरे नम्बर पर है :

"2. Reader, lecturer and any other teacher	One Professor of the department concerned to be nominated by the Vice Chancellor;"

यह बिल में प्रस्तावित किया है। इसमें भी आर्डिनेन्स से फरक डाला गया है। इसलिये मेरा निवेदन करना है कि इस स्टेज पर उनको अन्तर नहीं डालना चाहिये। जो आर्डिनेन्स था उसी के अनुरूप बिल यहां लाना चाहिए था। और अमेण्डमेंट करना चाहते हैं तो अलग से अमेण्डमेंट लाना चाहिये था। और आर्डिनेंस के अनुरूप बिल नहीं लाये हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस आर्डिनेन्स को आप अस्वीकृत करें और जो बिल पर मेरा जनमत जानने का प्रस्ताव है उस पर मुझे मेरे विचार व्यक्त करने का मौका दें। इसलिए सबसे पहला तो मेरा ऐतराज यह है कि आर्डिनेंस के अनुरूप बिल नहीं है इसलिए इस आर्डिनेंस को अस्वीकृत किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन ! (अनुपस्थित)

श्री केदारनाथ।

श्री केदारनाथ : मान्यवर, वैसे जो आर्डिनेंस लाने के लिए रीजन्स दिये गये हैं वह माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने कल पेश किये थे उनको देखते हुए और जो इनकी पहले मंशा थी इस आर्डिनेन्स को लाने की, जब तीनों युनीवर्सिटीज का आपने टूर किया टीचर्स से मिले, तो आपके दिमाग में जो लोगों के री-एक्शन्स थे कि जो यहां के लोग हैं, जिन्होंने पीएच०डी० हासिल की, एम०ए० पास की, सन्स ऑफ दी साइल यहां के हैं, जब उनको सलेक्शन बोर्ड ने पास नहीं किया, अपाइन्टमेंट्स नहीं दिये और उसके तहत जो री-एक्शन दस बारह साल के हैं उनको आपने स्टडी किया तो आपके दिमाग में चीज आई कि यह जो मोड ऑफ सलेक्शन है उसको बदला जाये बेसिकली। तो, मान्यवर, केवल इस आइडिया से कि युनिवर्सिटीज के परसोनल्स में जो विद्यार्थी यहां पढ़ लिखकर नौकरी चाहते हैं अच्छी क्वालिफिकेशन्स प्राप्त कर लें और अच्छी क्लास की परफोरमेन्स हो उनको युनीवर्सिटी लेवल पर लेक्चरार, रीडर और प्रोफेसर्स बनाया जाये, उनको प्रिफरेन्स दिया जाय। इस मंशा के लिए तो मैं शिक्षा मंत्रीजी की तारीफ करता हूं। लेकिन इस मंशा को लाने के साथ ही साथ जो पहले आर्डिनेंस आया और अब वह बिल के रूप में हमारे सामने आया है—मान्यवर, मौजूदा जो सारे देश

(श्री केदारनाथ)

टेन्डेन्सी है कि ग्राटोनामी को समाप्त करने के लिए कुछ इनरोड्स पैदा करदी जायें, कुछ सुरंगें पैदा कर दी जायें और धीरे-धीरे जो कि दिखाई न दें, एपेरेन्टली दिखाई न दें, मार गहरी हो —किसी न किसी क्लाज के तहत, किसी न किसी धारा के तहत कुछ ऐसी इनरोड्स पैदा कर दी जायें कि युनीवर्सिटी के दौरे हमेशा के लिए समाप्त हो जायें। मान्यवर, आज हम सोचते हैं कि केवल एजुकेशन कमिशनर के हाथ में सारे के सारे अपाइन्टमेंट्स और सलेक्शन का काम सौंप दें और आज टीचर्स के अपाइन्टमेंट्स में उनका बहुत भारी हस्तक्षेप हो तो कोई भी जो शिक्षा के क्षेत्र में होगा, शिक्षा प्रेमी होगा वह इसको कभी बरदाश्त नहीं करेगा। गुजरात से सबक लिया कि जब टीचर्स अपने क्लास रूम से बाहर निकलकर, युनीवर्सिटी की बाउन्ड्री से बाहर निकलकर सोशियल लाँइफ में गये आज सड़कों में, सेमिनार्स में, कन्वेन्शन्स में सोशियो और पालिटिकल लाँइफ की बात पैदा करते हैं और टीचर्स के अपाइन्टमेन्ट्स उनके हाथ में दे दें तो मेरा खयाल है कि ट्रेजरी बैन्चेज पर बैठे लोग और इधर की बैंचेज पर बैठे लोग उसको बरदाश्त नहीं करेंगे।

मान्यवर, तीनों युनीवर्सिटीज में टीचर्स के सलेक्शन के लिए एक यूनीफाइड स्टेन्डर्ड तय किया। आपने हवाला दिया, गजेन्द्र गडकर कमेटी बनी थी उसकी रिकमन्डेशन के तहत किया और दूसरी युनीवर्सिटीज भी दूसरी स्टेट्स में हैं वह भी ऐसे स्टेन्डर्ड को एडाप्ट करने जा रही हैं, मैं सोचता हूं कि ऐसा बिल जिसका फोर-रीचिंग इफेक्ट पड़ेगा उसको हरी में और हेस्ट में आप आर्डिनेंस के जरिये से लागू करना चाहते हैं तो इसका कोई औचित्य नहीं है। इसको आप पहले टीचर्स की बॉडी में पास करते, एजुकेशनिस्ट्स को मौका देते और डेलीब्रेशन्स करते और फिर इस पर विचार करते। इसका सारी टीचर्स कम्युनिटी पर असर पड़ने वाला है। जिन स्टेट्स में पुराने तरीके हैं और नये तरीके एडाप्ट करने जा रहे हैं राजस्थान के लोगों ने, राजस्थान की असेम्बली ने सलेक्शन की मार्फत बहुत अच्छा तरीका, बहुत अच्छा स्टेन्डर्ड और बहुत अच्छा मोड ऑफ सलेक्शन तय किया है। मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी मानकर चलेंगे कि हेस्ट और हरी में ऐसे आर्डिनेंस को लाना और वेलीडेटिंग बिल के रूप में पास करवाना आपके लिए और युनीवर्सिटीज के लिए और आइन्दा सलेक्शन के लिए हितकर नहीं होगा।

यह यहीं तक ही सीमित नहीं है। हम मानते हैं कि टीचर्स जो कि एग्रीवेटेड लाँइफ का बहुत बड़ा इनडिस्पेन्सीबल पार्ट है इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। लेकिन इससे पहले तीनों युनीवर्सिटीज का आप हाल देखें। माननीय मंत्री महोदय का री-एक्शन है तो मेरा भी इस मामले में री-एक्शन है। उन्होंने इस चीज को निकाल दिया कि सारी की सारी एकेडेमिक लाँइफ हैड आफ दी डिपार्टमेंट के हाथ में है, रिसर्च स्कालर्स उनके हाथों में, जॉब देना उनके हाथों में सर्विस रूल्स उनके हाथों में है। टीचर्स ने उनकी यूनियन बनाकर उनके खिलाफ जनमत पैदा किया कि आखिर एकेडेमिक चीज जिसके हाथ में है उनकी सत्ता का विकेन्द्रीयकरण होना चाहिए। आज जोधपुर और जयपुर में वह लोग सफल हुए उदयपुर में लागू नहीं है। तो केवल उनके हाथों में सारे अपाइन्टमेंट्स थे, खुद बैठते थे, दो एक्सपर्ट्स बाहर के लाते थे क्योंकि खुद भी बाहर एक्सपर्ट बनकर जाते थे और टीचर्स

(श्री केदारनाथ)

का चुनाव अपने हाथों में रखते थे – मैं मानता हूं कि वह री-एक्शन आपके दिमाग में है कि सन्स ऑफ दी साइल प्रिफरेन्स ले, जो आज दस-दस सालों से टम्पोरेरी टीचर्स. उनके बारे में आप सोचते हैं कि कभी न कभी वक्त आये कि दस साल के बाद आटोमेटिक प्रमोशन हो जाये लेक्चरार्स का रीडर्स में और रीडर्स का प्रोफेसर्स में ताकि क्लास की परफार्मेन्स देखने को मिले। जो सलेक्शन करने जा रहे हैं उसमें वाइस चान्सलर बैठेगा, एजुकेशन कमिश्नर बैठेगा और डाइरेक्टर बैठेगा। कौन है यह एजुकेशन कमिश्नर ? वही आई०ए०एस० के लोग जो राजस्थान के इन्टरेस्ट की कभी वाच नहीं कर पाये। आप सोचते हैं कि यह कभी टीचिंग क्लास के इन्टरेस्ट को वाच करेंगे ? कभी नहीं करेंगे। आप चाहते हैं कि टीचर कम्युनिटी दबकर बैठी रहे ? हमारी सोशियल और पालिटिकल लॉइफ में टीचर्स बोल सकते हैं और कमिश्नर के पास कान्फीडेन्शल रिपोर्ट आयेगी कि कुलकर्णी कम्युनिस्ट पार्टी का है और फलां आदमी ने फलां बात कही थी या पंचशील के बारे में, सेक्युलेरिज्म के बारे में, लैण्ड सीलिंग के बारे में या अर्बन सीलिंग के बारे में वह कभी भी सलेक्शन को फेस नहीं कर पायेंगे। तो ऐसे आदमी को सलेक्शन बोर्ड में बैठाकर सारी टीचर्स कम्युनिटी को दबा देंगे। इससे तो अच्छा हो कि सारी युनीवर्सिटीज को आप अपने हाथ में ले लो।

तो मान्यवर, मैं इसलिए कह रहा था कि ऐसे आर्डिनेंस और ऐसे बिल का असर सारे राजस्थान में ही नहीं, हिन्दुस्तान की सारी टीचिंग कम्युनिटी पर पड़ेगा और जो इनरोड्स पैदा करने जा रहे हैं यह हमारे आटोनामी के खिलाफ है, हालांकि मान्यवर, आटोनामी के बारे में मेरे अलग से विचार हैं। मैं मानता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार है, सेन्ट्रल गवर्नमेंट को अधिकार है कि उनको डाइरेक्शन्स दें और उनको नई दिशा दें। बारबार असेम्बली में बैठ कर, लोक सभा में बैठ कर नए ओब्जेक्टिव तय करना यह आपका अधिकार है। यह ओब्जेक्टिव आप तय कर सकते हैं, मगर मान्यवर, जब एक बार आपने ओब्जेक्टिव तय कर दिया तो फिर उसके बाद डे टू डे वर्किंग में, उनके डे टू डे फंक्शन्स में आपकी दखलन्दाजी नहीं होनी चाहिए। जो ओटोनामी का ओब्जेक्टिव है उसको आप डिफीट करते हो। इस प्रकार से बारबार आर्डिनेंस निकाल कर उनके रूल्स रेगुलेशन में तब्दीली इस प्रकार से करके आप उनके परफोरमेंस में दखलन्दाजी करते हो जो आपकी मेन सेंट्रल पोलिसी के खिलाफ है। आप उसको वायलेट करते हो। यह उनका हक है कि डे टू डे वर्किंग में अपनी इच्छा के अनुसार काम करें। आप रिसाइन्ड कर दो, वापस ले लो यह एक्ट। मैं समझता हूं कि ओटोनोमी के मामले में आप यह देख सकते हो कि उनकी परफोरमेंस आपकी पोलिसी से मेल खाती है या नहीं, एजूकेशन पोलिसी के साथ मेल खाती या नहीं, सैंट्रल की एजूकेशन पालिसी के साथ मेल खाती है, स्टेट की एजूकेशन पालिसी के साथ मेल खाती है या नहीं। अथवा जो सोशियो इकोनोमी ट्रांसफोरमेशन ऑफ एजूकेशन के साथ लिक्ड है और वह सारी स्थिति ऐसी है कि नहीं जो स्टूडेंट वहां से निकलें वे ऐसे निकलें जो हमारे ओब्जेक्टिव को आगे ले जा सकें। वे हमारी डेडीकेटेड लॉईफ में काम करते हैं, समाज को बदलने में सहयोगी हो, मगर, मान्यवर, इस आर्डिनेंस को देखने के बाद मैं ऐसा समझता हूं और मैं आपकी मार्फत निवेदन करूंगा, जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया, कि सारे सलेक्शन को इन्होंने

(श्री केदारनाथ)

अपने हाथ में ले लिया। अब मान्यवर, इसमें तीन बातें कही गई हैं। क्लॉज नं० 4 है कंस्ट्रक्शन ऑफ सलेक्शन कमेटीज :

"4. Constitution of Selection Committees—(1) For every Selection of a teacher or of an officer in a University, there shall be constituted a committee consisting of the following:—

(i) Vice Chancellor of the University concerned, who shall be the Chairman of the Committee;

(ii) an eminent educationist to be nominated by the Chancellor for a period of one year;"

चांसलर एक एमीनेंट एजुकेशनिस्ट को नोमीनेट करेगा। कौन सलेक्शन करेगा· तीन आदमियों की कमेटी होगी, यहां तक तो हम मानते हैं। तीसरा है :—

"(iii) the Education Commissioner, Rajasthan or the Director of College Education, Rajasthan.."

डॉयरेक्टर ऑफ कालेज एजुकेशन को मान सकता हूं क्योंकि वे प्रिंसिपल रहा करते हैं। प्रिंसिपल से ही उनका प्रमोशन होता है, शिक्षा देने से उनका वास्ता है। वे एजुकेशन के सारे आस्पेक्ट को जानते हैं, वे दुख दर्द की बात करेंगे। स्टुडेंट और टीचर कम्युनिटि की बात जानते हैं। चौथा है :

"Such other persons as members specified in column 2 of the Schedule····"

जो शिड्यूल में दिया गया है। इसके अलावा दो एक्सपर्ट होंगे। अब आप देखिए एक्सपर्ट कौन होंगे। अगर उस क्लॉज को देख लें, पांचवा क्लॉज है :

"(5) No person who has been nominated as an expert on any selection committee under this section shall be eligible to participate in the selection of a teacher if during the course of two years preceding the date of selection, either any of the candidates for selection has been the student of the expert or the expert has examined the thesis of such candidate."

एक स्टुडेंट की थीसिस तीन आदमी एग्जामिन करते हैं और वह गोपनीय होती है और दो साल के पीरियड में जिसने अपने स्टुडेंट को पढ़ाया हो वह इस कमेटी का मेम्बर नहीं हो सकता, तो मान्यवर, आज की तारीख में ऐसा कोई एक्सपर्ट नहीं होगा जिसका पिछले दो साल से इससे कोई वास्ता नहीं रहा हो। ऐसा एक्सपर्ट इस युनिवर्सिटि में ही क्या आप देश की किसी भी युनिवर्सिटि से पैनल मंगा लें, एकेडेमिक कौंसिल से पैनल मंगा लें, सिण्डीकेट से मंगा लें, कोई एक्सपर्ट आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि दो एक्सपर्ट तो गये हवा में। फिर मान्यवर, सारा प्रोसीजर क्या हुआ। मैं कहूंगा कि आप सारा का सारा काम इस कमेटी के हाथ में दे दो। रूल्स हों, आप यहां बिल को पास करने के बाद एक्ट बना कर उनको दे दें। इसके तहत कैसे कानून कायदे बनाये जायं, क्या रूल्स बनाये जायें यह आप युनिवर्सिटी को दे दीजिये, सिण्डीकेट को

(श्री केदारनाथ)

दे दो। उनका डे टू डे वर्किंग का जैसा वास्ता है उसके अनुसार रूल्स बानयें। मगर आपने रूल्स भी अपने हाथ में ले लिया। रूल्स बनाने का काम आपने अपने हाथ में ले लिया उनका प्रोसीजर आपने अपने हाथ में ले लिया। प्रिंसिपल आपने तय कर दिया कि सलेक्शन युनानिमस हो। शिक्षा मंत्रीजी इस बात को ध्यान से सुनिए। अब ये जो पांच आदमी हैं और एक्सपर्ट हैं और एक प्रोफेसर हैं, अब अगर छः आदमियों ने बैठ कर यह तय कर दिया कि युनानिमस सलेक्शन हो वहां वीटो पॉवर कमिशनर की होगी। यहां पर पूरी पॉवर आपने एडमिनिस्ट्रेशन को दे दी। वी० सी० का सलेक्शन, आप जानते हैं कि, सरकार के हाथ में है, चांसलर सरकार का है, एजुकेशन कमिशनर को वरचुअली हैड बना दिया। फिर कहां ओटोनोमी है? यह तो डिपार्टमेंट हो गया। और, मान्यवर, मैं तो यह मानकर चलता हूं, मान्यवर विश्नोईजी भी मानेंगे कि मैंने एम० ए० फर्स्ट क्लास में जरूर पास कर लिया लेकिन यह जरूरी नहीं कि मैं एक अच्छा लेक्चरार भी हो सकूं। क्योंकि आप कोई क्राइटेरिया फिक्स अप कर देते। सेवन्टी फाईव पर्सेंट मार्क्स हों, इस क्वालिफिकेशन का हो, रिसर्च डिग्री का होगा, उसकी प्रोपर परफोरमेंस होगी और उसका आमने सामने स्टुडेंट के साथ कैसा बिहेवियर रहता है, क्लास में उसकी परफोरमेंस कैसी रहती है इसके लिए उससे क्लास में लेक्चर दिलवा दो। कमेटी बैठ कर तय कर दो, सब्जेक्ट दे दो, क्लास रूम में परफोरमेंस कैसी है, क्लास रूम के बाहर परफोरमेंस कैसी है, उसकी रिसर्च कैसी है, क्लास के बाहर बिहेवियर कैसा है। इस सबके बजाय केवल आप पांच-छः आदमियों की व्हिम पर यह छोड़ देते हैं कि सलेक्शन कर दो तो मैं इसको उचित नहीं मानता। इसके साथ एक डिस्क्वालिफिकेशन का लगा दिया है क्लॉज 6।

"A person shall be disqualified for being or for continuing as a member of any selection committee or taking part in any selection under this Act if he-

(c) is convicted of an offence of moral turpitude····"

यहां तक तो ठीक है और

"..... or is arrested for an offence against the security of the State;"

अरेस्ट, नोट कन्वीक्टेड। अगर कोई प्रोफेसर किसी सेमिनार में अपना एक्सप्रेशन देते हुए मौजूदा सरकार के खिलाफ बोल गया और उसको कहीं डी० आई० आर० या और किसी कानून में गिरफ्तार कर लिया तो मान्यवर, कोर्ट भले ही चाहे उसको छोड़ दे मगर यह सलेक्शन बोर्ड छोड़ने वाला नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि एक तरफ तो आप इतनी फण्डामेंटल राइट की बात करते हैं, युनिवर्सिटि के प्रोफेसर्स को इजाजत देते हैं कि आप एजुकेशन लाइन में फ्री डिस्कशन हो, फ्री डेलिबरेशन करो और दूसरी तरफ आप उनका मुंह बन्द कर देते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन की क्लॉज लगा कर उसको रोक देते हैं कि वह निर्भीकता से अपना एक्सप्रेशन नहीं कर सके। अगर कभी वह सरकार की पोलिसी के खिलाफ बोल देता है तो वह कभी भी इस बोर्ड की सलेक्शन कमेटी का मेम्बर नहीं बन सकता, उसकी क्वालिफिकेशन नहीं रह जाती है। इसके

(श्री केदारनाथ)

साथ यह भी कहा है कि अगर, क्लॉज नं० 7 में :

"Subject to the provisions as to the requirement of quorum, no act, proceeding or selection made by a selection committee shall be questioned on the ground of the existence of any vacancy or defect in the nomination of a member of such committee."

अब अगर कोई भी आदमी सलेक्शन बोर्ड में ऐसा है जो कि डिसक्वालिफाइड है, सलेक्शन कमेटी की क्लॉसिज के अनुसार आ नहीं सका उसको आपने किसी तरह से मेम्बर बना दिया और वह आदमी जो बिलो स्टेंडर्ड है, इसके अनुसार क्वालिफिकेशन रखता नहीं, वह बैठ कर फैसला कर देता है तो उसके सलेक्शन को आप, मान्यवर, चैलेंज नहीं कर सकते। इसलिए मैं समझता हूं कि वैकेंसी और डिफेक्ट के क्लॉज को जोड़ना यह एक साजिश है। इसका मतलब है कि कोई भी किसी को अधिकार देना चाहते हैं वह दे सकते हैं उसको चैलेंज नहीं कर सकते।

मान्यवर, मैंने आपसे अर्ज किया कि पॉवर मेकिंग ऑफ रूल्स यह एक बड़ा खतरनाक क्लॉज है। सारी की सारी पॉवर्स, सारी इण्टरनल वर्किंग की पॉवर्स ये सारी की सारी पॉवर्स आपने सलेक्शन कमेटी के हाथ में दे दी, केवल आप सलेक्शन का काम सौंप दीजिए तो ही काफी होगा यह क्यों मान लेते हैं। इसमें लिखा है :

"The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act and in particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for any matter which is by this Act, required to be prescribed or for which rules may be made under this Act."

हमें खुश करने के लिए मान्यवर, कह दिया :

"(2) All rules made under this Act shall be laid for not less than thirty days before the State Legislature as soon as possible..."

अब मान्यवर, सैशन 20 तारीख को समाप्त हो जाता है, सलेक्शन आप कर दें, रूल्स आप बना दें, छः महीने के बाद हम मीट करें और इस बीच में आप अपोइन्टमेंट कर दें तो छः महीने बाद हम क्या करेंगे? आपने डेढ़ सौ अपाइन्टमेंट कर दिए, छः महीने के बाद हम यहां आते हैं और सरकार कहती है कि हमने टेबल पर ले कर दिए रूल्स, उस समय हमारी क्या दशा होगी? हम उसमें क्या कर सकते हैं? छः महीने के बाद पानी ब्रीज में से कितना निकल जाएगा, जितने अपोइन्टमेंट आपने कर दिए क्या वापस कर देंगे? इसलिए रूल की धारा 10 को आप हटा लीजिये। प्रोसीजर का तरीका है, सलेक्शन का जो तरीका है उसको आप वापिस लीजिये और इन डिफक्ट को आप वापिस लीजिये। एक बात और कहूंगा शिड्यूल में। शिड्यूल में जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, पहले आर्डिनेन्स में डीन है और जो अब निकाल दिया गया है : ...

"Dean of the faculty concerned if he is a professor and

(श्री केदारनाथ)

where he is not a professor, any professor of the department concerned nominated by the Vice Chancellor."

मान्यवर, डीन एफीलियेटेड कॉलेज में भी होता है। उसके हिसाब में नये बिल में पेश नहीं किया गया है। इसका मतलब है एफीलियेटेड कॉलेज का डीन इन सिलेक्शन बोर्ड में नहीं बैठ सकेगा। यह कितना बड़ा अन्याय है। ये युनिवर्सिटिज के प्रोफेसर किसी न किसी तरीके से यह सारी पॉवर अपने पास में रखना चाहते हैं। दोनों मिल बैठ कर सारी कम्युनिटि अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इम्पार्सल हो तो यह कब हो सकता है। यह आर्डिनेन्स केवल माननीय शिक्षा मंत्री जी सन ऑफ दी साइल, यहां के लड़के, यहां के पढ़े-लिखे लोग, रिसर्च स्कालर, युनिवर्सिटीज में हों, इस परपज से लाया गया है। सर्विस में आने के लिये प्रापर वेटेज दीजिये, प्रापर क्वालिफिकेशन, क्लास हम की परफोरमेन्स इसको भी क्राइटेरिया में लेकर चलें। 75 पर्सेन्ट आप इसके लिये रखें और 25 पर्सेन्ट इन्टरव्यू का रखें। यह क्राइटेरिया आप सेटअप कर देंगे तो, मान्यवर, प्रापर सिलेक्शन होगा, वरना नहीं होगा। डिटेल क्लॉज वाइज बाद में बोलूंगा। इसलिये यह दरख्वास्त करता हूं कि इस आर्डिनेन्स को नामन्जूर किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : शिक्षा मंत्रीजी।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, दो मिनिट मैं भी बोलना चाहता हूं

श्री उपाध्यक्ष : संकल्प पर।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हां। उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्रीजी ने कुछ समय पूर्व युनिर्वसिटी के सम्बन्ध में एक आर्डिनेन्स जारी कराया है .....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्रीजी नहीं हैं। कौन सुन रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय नहीं हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य बैठे हैं।

श्री केदारनाथ : एक मिनिट ठहरिये।

श्री पूनमचंद विश्नोई : क्या फर्क पड़ेगा इसमें ....

श्री उपाध्यक्ष : आप कन्टीन्यू रखिये ... दूसरे मंत्री महोदय कह देंगे आपकी बात।

श्री पूनमचंद विश्नोई : वैसे कुछ अर्से से युनिर्वसिटिज की प्रशासनिक मामले, एकेडेमिक मामले की शिकायतें राज्य सरकार के पास में और जनता के पास बराबर आ रही हैं और यह भी शिकायतें साथ साथ में आ रही हैं कि चयन के अन्दर गड़बड़ियां होती हैं, पक्षपात होता है और जो लोकल टेलेन्ट्स हैं उनको यहां पर स्थान नहीं मिलता है। कुछ मायने में ये बातें सही भी हैं और आर्डिनेन्स के पीछे ऐसी भावना लगती है कि राज्य सरकार इस माध्यम से इन गड़बड़ियों में कुछ सुधार लाना चाहती है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो प्रस्ताव हमारे सामने आया है उससे ये बातें ठीक हों या न हों, हम यह आशा करके चलते हैं कि यह ठीक होगा। एक बात सामने आयी है कि राज्य सरकार की दखलअन्दाजी युनिर्वसिटीज में और अधिक बढ़ेगी और पिछले वर्षों से बढ़ी है। मेरा युनिर्वसिटीज से काफी लम्बे अर्से से सम्बन्ध है और मैंने वहां के

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

वाइस चान्सलर, वहां के प्रोफेसर और दूसरे अध्यापकों से बराबर कहा है यह जो आपसी मतभेद, पक्षपात है, इस तरह की बातें होती हैं, उससे आपकी स्वायतता को आखिर में धक्का पहुंचने वाला है। जनतंत्र में युनिवर्सिटीज का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। देश के अन्दर फ्री-थिंकिंग हो और बुद्धिजीवी लोग अपनी राय को स्वतन्त्रता से प्रकट कर सकें, यही जनतन्त्र का आधार है। मैं समझता हूं कि युनिवर्सिटीज के अन्दर राज्य सरकार की ओर से एक्जीक्यूटिव का ज्यादा दखल बढ़ा तो निश्चित ही उस पर कुठाराघात होगा और हमारी जो इन्टेलेकचुअल लाइफ है देश की, वह सफर करेगी। इस तरह से कई परिस्थितियों में यह दखल बढ़ेगा। उस पर भी थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं। विश्वविद्यालय के बारे में हमारी कल्पना यह थी कि पुराने जितने विश्वविद्यालय थे, उनके खुद के साधन रहा करते थे। लोग रोकड़ी में दान दिया करते थे, धन, सम्पत्ति देते थे, जमीन देते थे। दुकानें बनवाते थे और उससे अधिकतर खर्चा विश्वविद्यालय अपना चलाया करते थे और राज्य सरकारें, केन्द्रीय सरकार भी उसके लिये बराबर अनुदान दिया करती थी। जब देश स्वतन्त्र हुआ तो देश के बहुत से हिस्सों में विश्वविद्यालय नहीं थे और जो राज्य शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए थे, वहां पर भी विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया और हमारे राजस्थान में भी 1962 में दो नये विश्वविद्यालय खोले गये। लेकिन इन विश्वविद्यालयों के खुद के आर्थिक साधन नहीं के बराबर थे और वे निर्भर करते थे राज्य सरकार की ग्रान्ट इन एड पर। काफी दफे मैंने देखा है विश्वविद्यालयों की हालत आर्थिक मामलों को लेकर और जो विभाग होते हैं उससे भी बदतर होती है। बदतर स्थिति रहती है। 12/15 साल पहले विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर सैक्रेटेरियेट में एजुकेशन मिनिस्टर के यहां, या किसी मिनिस्टर के यहां पर आमतौर पर नहीं जाता था। उससे कोई बात करनी होती तो एक स्तर होता था और उसके माध्यम से बात होती थी। आज मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालयों के उप-कुलपति, वहां पर एक हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट की रेंक के समझे जाते हैं। हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट फिर भी क्योंकि वह राज्य का सरकारी नौकर है, उसका अपना खुद का स्टेटस है लेकिन वाइस चांसलर को वह समझते हैं कि वह बड़ी आसानी से बात कर लेता है। कोई उसको बड़ा समझता है और कोई नहीं समझता है। जैसे कई हीरे को पत्थर ही समझते हैं। इस तरह से वाइस चांसलर को देखना पड़ता है। छोटे छोटे मामलों में उनको भीख मांगनी पड़ती है। राज्य सरकार ने भी अलग अलग कानून बनाये हैं एक्जीक्यूटिव, सीनेट, उसके अन्दर सरकार के बड़े बड़े अधिकारी चाहे वित्त विभाग के हों, चाहे शिक्षा विभाग के हों, चाहे पशु पालन विभाग के हों, चाहे खेती-बाड़ी के हों, सब के सब नामीनेट सरकार ने कर रखे हैं। अच्छी बात है। इरादा यह था कि शिक्षा विभाग, वित्त विभाग के अधिकारी जब वहां जाते हैं, उसमें बैठते हैं और कोई एक बात वहां पर तय हो जाती है तो उसके पश्चात् युनिवर्सिटी का जो मामला है, उसकी जो समस्या है, एक तरह से उसका निर्णय हो गया है। जिस बात के लिये राय देनी थी वह दे दी। उसके बाद में भी राज्य सरकार उसी विषय पर बहुत ज्यादा खींचातानी करती है। जबकि बगैर खींचातानी के वह बात कर देनी चाहिये लेकिन

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

होता क्या है ? वित्त कमिश्नर या उसका कोई प्रतिनिधि वहां बैठता है, वह वहां पर एक सदस्य की हैसियत से राय देता है · ·

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य जो अध्यादेश है, जो उसका क्षेत्र है, उस सीमा तक ही आप कहें तो ठीक होगा ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई: उसी पर कह रहा हूं । परन्तु यह बात सही है कि राज्य सरकार इन्क्रोचमेन्ट कर रही है उससे हमारी युनिवर्सिटीज पंगु हो जायेंगी । इन्टेलेकचुअल लाइफ समाप्त हो जायेगी उसके बारे में उदाहरण दे रहा हूं । इसी तरह से एज्यूकेशन कमिश्नर, फाइनेन्स कमिश्नर वहां पर बैठते हैं । यह होने के बाद उन पेपर्स को टाला जाता है बाबू के लेविल पर वहां पर उन कागजातों पर टिप्पणियां शुरू होती हैं और वहां पर बैठे हुए जो उन्होंने राय दी थी यहां पर आकर वे उसको टर्न डाउन कर देते हैं । उसमें युनिवर्सिटी का क्या स्टेटस रहता है, उसका क्या ओहदा रहता है । उनके पास फाइनेन्स नहीं हैं इसलिए युनिवर्सिटीज आज एक तरह से पराधीन हो गई हैं, और न तो उनमें स्वायत्तता की भावना है और न आर्थिक स्वतन्त्रता की भावना है, और एडेड इन्स्टीट्यूशन्स की तरह उनकी हालत है। चाहे जब उनकी एड बन्द कर देते हैं और चाहे जब खोल देते हैं और 5–50 हजार और लाख, दो लाख रुपया दे दिया । इस तरह का कार्य यहां पर युनिवर्सिटीज के लिए होता है इसलिए सरकार का दखल और आ जाता है । तो इस प्रवृत्ति को रोकना चाहिए । फाइनेन्शियल एन्क्रोचमेन्ट हो रहा है । कोई रकम ग्रान्ट की निरन्तर नहीं है । वह कभी बढ़ जाती है और कभी घट जाती है। आप पहले से ही अधिक से अधिक रकम निर्धारित कर दें उनके एक्स्टेन्शन के लिए और डेली बजट के लिए और वह बराबर दें । जब फण्ड्स दे दिये तो आडिटिंग का रखें कायदे से और स्वायत्तशासी संस्थाओं में जिस तरह से होता है उसी तरह से रखें लेकिन बारबार दखलन्दाजी करें, और उनको डाइरेक्शन देते रहें, मैं समझता हूं कि यह प्रवृत्ति अच्छी नहीं है, और युनिवर्सिटी के आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली है । यह फाइनेन्शियल एन्क्रोचमेन्ट है और एडमिनिस्ट्रेटिव एन्क्रोचमेन्ट की भी शुरुआत हुई है सिलेक्शन में । क्योंकि हिन्दुस्तान के अन्दर राजा-महाराजा, नवाब, जागीरदार सब करते थे इसलिये हम भी कर रहे हैं । इनका सिलेक्शन ठीक नहीं था इसलिए एजुकेशन कमिश्नर या उनके नॉमीनी एज्यूकेशन के डाइरेक्टर हो गये । आप सिलेक्शन के अन्दर भी हो गये । इस तरह से करने का मतलब है कि राज्य सरकार का एक तरह से दखल शुरू हो गया है । दूसरा यह है कि आधिकारियों को बदलने की पॉवर आ गई है । वही प्रवृत्ति है । जब स्टेट्स का इन्टेग्रेशन हुआ तो कहीं पर राव साहब को भेज दिया एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर और कहीं किसी को बनाकर बैठा दिया । ट्रान्सफर की यह प्रवृत्ति है यह इसमें बुरी भावना है । वाइस चान्सलर का नोमीनी न होकर, स्टेट गवर्नमेन्ट का नुमायन्दा होगा । तो मेरा नम्र निवेदन है कि जो बुराइयां हैं, जो दोष है, उनको दूर करने की कोशिश करना चाहिए । उनको बुलाकर समझाना चाहिए। वाइस चान्सलर इन सब का माध्यम है । राज्य सरकार बराबर पूरा कर सकती है, कन्ट्रोल रख सकती है । आपका उद्देश्य बहुत अच्छा हो सकता है, आपके सामने और उसी ऊंचे उद्देश्य से प्रेरित होकर आपने यह किया, है, लेकिन आयन्दा आप जैसे भले आदमी रहें कि न

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

रहें और बुरे आदमी आ गये तो कानून तो हमेशा के लिए बनता है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि इस पर पुर्नविचार करें। हमारे राज्य में शिक्षा फले-फूले यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए।

आपने फिर जो प्रोसीजर इन्वाल्व किया है युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन का वह इतना लम्बा है जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि सिलेक्शन टाइम पर होता नहीं है और हो नहीं सकता है। डिस्क्वालिफिकेशन का नया नमूना देखिये। डिस्क्वालिफिकेशन का नया नमूना देखिये कि 'अनसाउण्डमाइण्ड', 'एजज्ड इन्सालवेन्ट' एण्ड 'फिजीकली इन-केपेसिटेड' यह मानकर चलते हैं। जो आदमी होगया वह ठीक है। ऐसा प्रोवीजन और किसी एक्ट में नहीं दिखता है। इसकी जरूरत नहीं है। यह जो बातें मैंने कही हैं, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, इसको पारित करवायेंगे, वह इस भावना से प्रेरित हैं कि उनके राज्य में, उनके कार्यकाल में यह फले-फूले, विचारों की स्वतन्त्रता हो, उनकी कार्यक्षमता बढ़े। एक तरह से शुद्ध विश्वविद्यालय हों, अगर वहां पर बन्दिश कर दी तो वहां पर गुलाम और हाजरी भरने वाले लोग होने लगे तो देश की स्थिति आगे चलकर दुर्भाग्यपूर्ण हो सकती है। गलत काम लेंगे तो उसको ठीक करने की जरूरत होगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्रीजी।

श्री खेतसिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, जैसा कि भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी सुझाव दिया है और उससे पूर्व गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी अपनी बात कही। हमारी कतई यह मंशा नहीं है, और राज्य सरकार इसमें पूर्ण विश्वास रखती है कि विश्वविद्यालय आटोनामस रहे, और उनकी आटोनामी में जहां तक हो कम से कम दखल दिया जाना चाहिए। लेकिन जो विश्वविद्यालय की कल्पना माननीय विश्नोईजी के दिमाग में है या जिस वक्त में वे और गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य तथा मैं स्वयं जिन दिनों विश्वविद्याललयों में पढ़ते थे, उन दिनों के विश्वविद्यालय और आज के विश्वविद्यालयों में बहुत बड़ा अन्तर आ गया है। परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। राजनैतिक वातावरण की वजह से आज विश्वविद्यालयों में इतनी बड़ी राजनीति आगई है और उसका परिणाम है कि वह स्वयं जो उनकी ओटोनामी थी जो हम सोचते थे अपने दिल और दिमाग के अन्दर विश्वविद्यालय और उनके उपकुलपतियों के बारे में, जो उस वक्त वाइस चान्सलर थे उनकी प्रतिष्ठा थी, जो गरिमा थी, जो उस वक्त के प्रोफेसर थे, उनके स्वयं के अन्दर जो गरिमा थी, जो विद्वता थी, मैं नहीं कहता कि आज उससे बहुत ज्यादा कमी आ गई हो, लेकिन एक बात निश्चित् तौर से कहूंगा····

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उस वक्त अपन बहुत छोटे थे और आज मिनिस्टर हो गये हैं इसलिए वे छोटे लगने लगे हैं बेचारे, शायद ऐसा ही है।

श्री खेतसिंह :··· कि काफी राजनीति आ गई है, ग्रुपबाजी बहुत ज्यादा हो गई है। आज विश्वविद्यालय के अन्दर पढ़ाने वाले प्रोफेसर जब स्वयं सिलेक्शन पर बैठते हैं तो उनमें उनके राज्यों के बारे में या उनके और किसी कारणों के बारे में भावनाएं लेने के फलस्वरूप जो चयन निष्पक्ष और हरेक के लिए यह सोचने का एक मायना बन जाता है कि जितना भी चयन हुआ है वह निष्पक्ष

(श्री खेतसिंह)

है और कोई पक्षपात नहीं है तो इस अध्यादेश को लाने की कतई आवश्यकता नहीं है। पिछले सत्र में जैसा कि माननीय सदस्यों को याद होगा जिस वक्त के ऊपर युनिवर्सिटी के छात्रों के सिन्डीकेट में रिप्रेजेन्टेशन के बारे में एमेंडमेंट लाये थे कुल मिलाकर अधिकांश माननीय सदस्यों की यह राय थी जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य जो कि अभी यहां पर नहीं है, उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि जोधपुर युनिवर्सिटी का नाम अब उत्तर प्रदेश युनिवर्सिटी रख दें, उनका यह कहना था कि 26 प्रोफेसर में से 25 उत्तर प्रदेश के हैं। उन्होंने इस बात को भी कहा था कि हमारा जो लोकल टेलेन्ट है उनका कहीं नम्बर नहीं होता है और बाहर के लोग हो जाते हैं। उन्होंने यह दलील दी थी कि हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट वह बाहर के हैं और एक्सपर्ट भी उनकी चोइस के बाहर से आजाते हैं तब दोनों ही एक ही तरह के हो जाते हैं एक्सपर्ट और हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट तो चयन करने में आपत्ति नहीं रहती है और आम तौर पर चयन बाहर के व्यक्तियों का हो जाता है....

श्री केदारनाथ : यह ठीक है।

श्री खेतसिंह : जिससे लोकल टेलेन्ट है वह रह जाते हैं। चाहे वे फर्स्ट क्लास क्यों न हों, चाहे वे गोल्ड मेडेलिस्ट ही क्यों न हो, लेकिन उनका नम्बर नहीं आता है। यहां तक भी उन्होंने एक उदाहरण पेश किया कि सैकण्ड क्लास जो बाहर के हैं उनका चयन होगा और उसी विषय के अन्दर यहां का गोल्ड मेडेलिस्ट रह गया। इस तरह का पक्षपात अगर हो सकता है, इस प्रकार की परिस्थिति सामने आई तभी राज्य सरकार ने कोआर्डिनेट कमेटी के अन्दर जहां कि तीनों विश्वविद्यालयों के तीनों वाइस चांसलर हैं, मैंने उनके सामने इस बात को रखा। मैंने उनसे कहा कि इस प्रकार की बातें हो रही हैं, यह शोभा की बात नहीं हो सकती है। आखिर राजस्थान में जो जन्मे, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडिलिस्ट रहे। फर्स्ट क्लास फर्स्ट, उनको जगह नहीं मिलती है। इसके लिए उन्होंने मजबूरी जाहिर करते हुये यही माना कि इसके लिए एक चयन समिति बना दी जाये, जभी मैंने यह विचार किया है। फिर मैंने यह भी मालूम किया कि किसी और राज्य में इस प्रकार का हुआ हो। तो मालूम हुआ कि महाराष्ट्र में एक कामन कमेटी बनी हुई है। उसी के द्वारा सेलेक्शन होता है। मैंने सोचा अच्छा कदम है। राजस्थान के हित में है। हो सकता है कि जब पहले पहल यहां पर यूनिवर्सिटी खुली हो तब हमारे यहां योग्य व्यक्ति प्राप्त नहीं हुये हों। लेकिन आज राजस्थान की तीनों यूनिवर्सिटीज से निकले हुये अच्छे, फर्स्ट-क्लास फर्स्ट और गोल्ड मेडिलिस्ट उपलब्ध हैं। तो बाहर का चयन बन्द होना चाहिए। उसको मद्दे नजर रखते हुये यह आर्डिनेंस लाना पड़ा। आपने कहा है कि आर्डिनेंस की क्या आवश्यकता थी ? यूनिवर्सिटी खुल गई थीं। यूनिवर्सिटीज का प्रेसर था। जिससे उनके पास कोई जगह हो वह फिलअप करें। मैंने पहले उनको रोक रखा था। मैंने कहा हम इसी महीने में कानून बना रहे हैं। अभी मैंने रोक दिया है। पत्र भेज दिये हैं। सेलेक्शन कमेटी बना दी है। हमें कोई आपत्ति नहीं है। जैसा कि भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, उन्होंने एक बात यह कही कि वाइस चांसलर को दरदर घूमना पड़ता है। सैक्रेटरियेट के चक्कर

(श्री खेतसिंह)

लगाने पड़ते हैं। सैक्रेटरियेट में कई कमेटियां है, उनमें उनको आना पड़ता है। राज्य सरकार ने वाइस चांसलर की जो हैसियत है, वह मानी है। ऐसी कोई शिकायत नहीं है। माननीय सदस्य से किसी ने कोई शिकायत नहीं की होगी।

एक माननीय सदस्य : की है।

श्री खेतसिंह : आज वित्तीय कठिनाई होते हुये भी राज्य सरकार यह ध्यान रखती है कि जो भी उनको ग्रांट मंजूर होती है, उसको समय पर उनको भेज दिया जाये। ताकि उनको कोई परेशानी नहीं हो। हम नहीं चाहते हैं कि वित्तीय कठिनाई के कारण वाइस चांसलर को कोई परेशानी हो। हमारा यह प्रयास होगा कि जो कुछ भी उनकी ग्रांट है, वह समय पर उनको मिलती जाये। राज्य सरकार की ओर से उनको उदास होने की आवश्यकता नहीं रहे। मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब यह आर्डिनेंस लाये तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमेन को कन्सल्ट किया था। उनकी भी यही राय रही कि यह एक प्रगतिशील कदम है। मैंने रूटा से भी, जो उनकी एसोसिएशन है, कन्सल्ट किया था। उन्होंने भी कहा कि यह आर्डिनेंस लाना चाहिए। मुझे याद है गंगानगर से आनेवाले माननीय सदस्य ने उस समय भी कहा था और बाद में भी ताईद की थी। यह एक अच्छा कदम है। इस वक्त मैं बिल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप क्लाज बाई क्लाज इसको लेने का कष्ट करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये। हवा महल से आनेवाले माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : व्यवस्था का कहां है?

श्री उपाध्यक्ष : मैंने रूल्स आफ प्रोसीजर एण्ड बिजनेस आफ कण्डक्ट पढ़ा है। राजस्थान असेम्बली का देखा है। आपने रूल्स में रूल 63 में यह प्राविजन दिया है कि आर्डिनेंस को बिल में इण्ट्रोड्यूस किया जायेगा। उसके लिए मैं यह पढ़ना उचित समझूंगा :—

"Whenever a Bill seeking to replace an Ordinance with or without modification is introduced in the House, there shall be placed before the House along with the Bill, a statement explaining the circumstances which had necessitated immediate legislation by Ordinance."

इसमें शब्द है "Ordinance with or without modification".

उसी फार्म में परिवर्तित रूपान्तर में विधेयक पेश किया जा सकता है। यह शब्द लोकसभा के रूल 71 में है:—

"Whenever a Bill seeking to replace an Ordinance with or without modification is introduced in the House, there shall be placed before the House along with the Bill a statement explaining the circumstances which had necessitated the immediate legislation by Ordinance."

इस प्रकार का प्रावधान इसमें है। इसके अलावा जो पार्लियामेण्टरी प्रोसीजर

(श्री उपाध्यक्ष)
है, आगे कमेण्टरी में कहा है:—

"Whenever a Bill seeking to replace an Ordinance with or without modification is introduced in the House, a statement explaining the circumstances which had necessitated immediate legislation by Ordinance is laid on the table along with the Bill and copies of the statement are circulated to members."

इसमें आगे है :—

"If two or more Ordinances relating to allied matters are intended to be replaced, a single Bill can be introduced."

उनको तो यह भी कहा है, अगर दो आर्डिनेंस हैं और मैटर एक ही है तो एक ही बिल में दोनों आर्डिनेंसेज के बारे में पेश किया जा सकता है। यह प्रोसीजर बिल्कुल सही है। माननीय मंत्री महोदय ने सही किया है। इसलिए आपकी आपत्ति मानने में मैं असमर्थ हूं।

माननीय मंत्री महोदय ने विधेयक के विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्य प्रवर समिति, को सुपुर्द किये जाने, कुछ जनमत जानने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। मैं उचित समझूंगा कि दोनों पर ही एक साथ ही विचार व्यक्त कर दिये जायें।

श्री केदारनाथ : आर्डिनेंस ले लीजिये। जो क्लॉज बाई क्लाज डिस्कशन है। मैं आपकी मान लेता हूं। आप मेरी बात मान लीजिये। राजस्थान के इन्ट्रेस्ट में। यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है, संकल्प को वापिस लेने की अनुमति दी जाये ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री गिरधारीलालजी जनमत जानने हेतु।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल चुके हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वह तो प्वाइण्ट आफ आर्डर की बात आ गई थी।

मैं निवेदन करने जा रहा हूं, यह बिल 3 यूनिवर्सिटीयों के बारे में है। राजस्थान विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर विश्वविद्यालय। माननीय शिक्षा मंत्रीजी और जो सैक्रेटरी जिन्होंने यह बिल ड्राफ्ट किया है, उनको यह नहीं मालूम कि उदयपुर विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय है। और वहां पर डीन होता है, वहां पर डाइरेक्टर होता है। मैं समझता हैं, डीन कौन होगा, डाइरेक्टर कौन होगा ? इस आब्जेक्टिव में दिया है, और सबका विश्लेषण किया है, डेफिनेशन उनकी दी हैं, लेकिन डीन कौन होगा और डाइरेक्टर कौन होगा-इसका विश्लेषण नहीं किया है। इसके बाद लिखा है कि सब यूनिवर्सिटी के चांसलर एक होंगे। चांसलर कौन होगा ? मैं समझता हूं, इसकी भी डेफिनिशन होनी चाहिए, यह जरूरी

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

हैं। मैं शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा, तीन विश्वविद्यालयों के अध्यापक एवं अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए बिल ला रहे हैं, तो आपको डीन, डाइरेक्टर और चांसलर की अलग अलग डेफिनेशन इस बिल में निश्चित रूप से देनी चाहिए।

फिर मैं एक प्रार्थना और करना चाहूंगा·······

(3.40 म०प०)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यापक एवं अधिकारी, यह लिखा है, मैं समझता हूं, इसमें जो अध्यापक शब्द रखा है, यह अच्छा नहीं लगता है। प्राध्यापक रखते तो ठीक बात लगती। अध्यापक शब्द तो ऐसा होगा, जैसे प्राईमरी स्कूल में पढ़ाने वाला हो वह भी अध्यापक और विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला हो, वह भी अध्यापक है। अध्यापक शब्द जो इसमें रखा है, शिक्षा मंत्रीजी, यह उचित नहीं लगता है, इस पर आप विचार करें····

श्रीमती निर्मला कुमारी : अध्यापक का अर्थ गिरधारीलालजी को मालूम नहीं है। अध्यापक वह जो अध्यापन कार्य करे।

श्री दीपंकर : अध्यापक शब्द व्यापक है, गिरधारीलालजी, व्यापक है।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं निवेदन करने जा रहा हूं, इन्होंने क्लॉज 3 रखा है :

"(3) Nothing herein contained shall apply to the appointment of a teacher or an officer as a stop-gap arrangement for a period not exceeding six months or to the appointment of a part-time teacher."

यानि यह कमेटी जो है, यह कमेटी किन किन पर लागू नहीं होगी ? किसी को भी स्टोप गेप के नाते छः महीने तक रखा जा सकता है, या पार्ट टाइम टीचर को रखा जा सकता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, छः महीने वाली बात यहां पर रखी है····

श्री भानुकुमार शास्त्री : एक व्यवस्था का प्रश्न पैदा हुआ है। जब यहां पर शिक्षा के सम्बन्ध में चर्चा हो रही है तो शिक्षा मंत्री का होना आवश्यक है।

श्री सभापति : राज्य मंत्री बैठे हैं।

कई माननीय सदस्य : बैठे हैं।

श्री गोपाल जोशी : नोट्स भी ले रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं निवेदन कर रहा हूं कि छः महीने का जो प्रावधान रखा है·····

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप इनका काग्नीजेंस लेना नहीं चाहते हैं ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इसका मतलब है, किसी टीचर को अपॉइन्ट किया जुलाई में, जुलाई के बाद छः महीने का अन्दाज लगाइये, दिसम्बर में उसकी टर्म खत्म हो जायेगी। दिसम्बर में, वह जो प्राध्यापक होगा, वह घर चला जायगा उसने कैसा पढ़ाया विद्यार्थियों को, इसकी भी चिन्ता रखनी चाहिए। दूसरा आयेगा, वह शुरू से पढ़ायेगा, या किस प्रकार का पढ़ाने वाला व्यक्ति है, इसकी भी

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

चिन्ता रखनी चाहिए। छः महीने के बाद, जब पार्ट-टाइम रख रहे हैं, स्टोप गेप के नाते रख रहे हैं, विद्यार्थियों को नुकसान होगा। इसलिए छः महीने के बजाय शैक्षणिक वर्ष के लिए रखने का अधिकार होना चाहिए। सलेक्शन कमेटी के नाते यह बात छोड़ दी जाय और छः महीने की व्यवस्था रखी जाय तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि इससे छात्रों में असंतोष होगा और उनकी पढ़ाई में फर्क पड़ेगा, और युनिवर्सिटीज का रिजल्ट, शिक्षा मंत्री जो अच्छा रखना चाहते हैं, खराब होगा। मेरा निवेदन है कि छः महीने के बजाय पूरे वर्ष का संशोधन करना आवश्यक है।

दूसरी बात यह है, कॉन्स्टीट्यूशन ऑफ सलेक्शन कमेटी। इसमें वाइस चान्सलर होगा, एक एमीनेन्ट एज्युकेशनिस्ट होगा, जो चान्सलर अपॉइन्ट करेगा एक साल के लिए। फिर राज्य सरकार अपना प्रभाव कायम करने के नाते करेगी कि किसी न किसी प्रकार से विश्वविद्यालयों पर, तीन विश्वविद्यालयों पर राज्य सरकार का प्रभाव हो जाय, जब कि राज्य सरकार को शिक्षा के पवित्र मंदिर से राजनीति को दूर रखना चाहिए, राजनीति से परे रखना चाहिए। अभी माननीय शिक्षा मंत्रीजी कह रहे थे, विश्वविद्यालय राजनीति के अखाड़े हो गये हैं, बड़ी वहां ग्रुपबाजी हो गई है। आखिरकार यह अखाड़ेबाजी का काम, ग्रुपबाजी का काम किसने किया है? स्वयं कांग्रेस ने किया है। आप अपॉइन्ट जो करते हैं, वह कहां करते हैं? वह करते हैं सिण्डीकेट में, दो-दो एम० एल० ए०। उस क्षेत्र के एम० एल० ए० हों या नहीं, उनको भेज देते हैं। कोई एक्सेप्शन के नाते विरोधी दल का एम० एल० ए० हो, लेकिन अधिकांश एम० एल० ए० भेजे हैं वह कांग्रेस के एम० एल० एज० मिलेंगे · · · ·

श्री दीपंकर : विश्वविद्यालय में आर० एस० एस० की शाखा लगवा दें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जो अंगूठा छाप हैं, जिन्हें शिक्षा का अनुभव नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को भेजेंगे। फिर कौनसी युनिवर्सिटी में? जोधपुर में उदयपुर का भेज देंगे। उदयपुर में जयपुर का भेज देंगे। वह वहां क्या निहाल करेंगे। इस प्रकार अखाड़ेबाजी का काम वास्तव में किया है · · · · · · · ·

श्रीमती निर्मला कुमारी : माननीय सभापतिजी, मैं पूछना चाहती हूं, गिरधारीलालजी जो, सिंडीकेट में मेम्बर भेजे गये हैं, उनमें से आप कोई उदाहरण बता सकते हैं, कौनसा अंगूठा छाप है?

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा तर्क वितर्क में समय समाप्त न करें · · ·

श्री दीपंकर : अपने से ज्यादा योग्य किसी को मानने को तैयार नहीं हैं गिरधारीलालजी।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य बीच में न बोलें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अंगूठा छाप से आपका तात्पर्य है जिसका युनिवर्सिटी से सम्बन्ध नहीं हो, जो इन्ट्रेस्टेड नहीं हों।

श्रीमती निर्मला कुमारी : जो शब्द यूज किये हैं वह वापिस लेने चाहियें।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री गोपाल जोशी : यह चीज आपत्ति-जनक है ।

श्री दीपंकर : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है......

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री गोपाल जोशी : यह आपत्तिजनक शब्द है ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अंगूठा छाप का मतलब बगैर पढ़ा लिखा नहीं है...

श्री दीपंकर : मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है । उस पर व्यवस्था आ जाय फिर आप बोलें । जिसे सर्वोच्च विद्वता का स्थान मानते हैं, वहां रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जाने वाले माननीय सदस्य को अंगूठा छाप बताना इस सदन का अपमान है, और मूलभूत अधिकारों पर कुठाराघात है । इसलिए इस पर व्यवस्था दें और इस प्रकार के जो शब्द बोले हैं उनको हटायें ।

श्री गोपाल जोशी : इन शब्दों को वापिस लेना चाहिए ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : वापिस लेने का सवाल नहीं है । ऐसे लोग हैं...

श्री गोपाल जोशी : यह शब्द आपत्ति-जनक है ।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य खुद समझदार हैं । इस सम्बन्ध में जो बात कहें वह संयम से, मर्यादा से कहें ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरी दुर्भावना नहीं है । मेरा निवेदन है, शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र में, ऐसे लोग, जिनका लेना देना नहीं है, भेजे जाते हैं । अंगूठा छाप का मतलब यह था ।

फिर मेरी एक प्रार्थना है......

श्री दीपंकर : ऐसे व्यक्ति का नाम बताइये ।

श्री गोपाल जोशी : किसी का नाम बताइये । ऐसा कौन पढ़ा लिखा नहीं है-यह बताइये ।

श्री सभापति : बीच में इन्ट्रप्ट मत कीजिये ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप क्या धन्धा करते हैं यह मालूम है ।

श्री दीपंकर : बिना जानकारी के अंगूठा छाप कैसे कह दिया । हम दुकान-दारों की दलाली नहीं करते हैं । ब्लैक मार्केटिअर्स की वकालत नहीं करते हैं ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य ।

श्रीमती निर्मला कुमारी : यह शब्द वापिस लिया जाय, अंगूठा छाप ।

श्री सभापति : मैं समझता हूं, जो कुछ आसन ने कहा है, संयम और मर्यादा में बोलने के लिए, वह काफी होगा इस वक्त । आप भाषण दीजिये ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्लॉज 3 में एजुकेशन कमिश्नर या डाइरेक्टर ऑफ कॉलेज एजुकेशन, जिसको एजुकेशन

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

कमिश्नर कहेगा, वह होगा। तीनों विश्वविद्यालयों में एजुकेशन कमिश्नर जा नहीं सकता है इसलिए डाइरेक्टर ग्राफ कॉलेज एजुकेशन चला जायगा। मेरा निवेदन है कि एजुकेशन कमिश्नर है वह ग्राई० ए० एस० ग्रॉफिसर जरूर है, पर शिक्षा के मामले में उसकी क्या योग्यता होगी, क्या अनुभव होगा? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राई० ए० एस० ग्राफिसर होगा, यह जरूरी नहीं कि वह एम० ए० ही होगा, यह जरूर नहीं है कि शिक्षा का विशेषज्ञ ही होगा। कोई बी० ए० पास है, उसने ग्राई० ए० एस० परीक्षा पास कर ली है, तो वह एजुकेशन कमिश्नर बन कर चला जायगा। ऐसे पवित्र स्थान पर एजुकेशन कमिश्नर को भेजना, डाइरेक्टर ग्राफ कालेज एजूकेशन को भेजना-इसका मतलब है कि राजस्थान सरकार वहां दांवपेच लगाना चाहती है शिक्षा के क्षेत्र में, विश्वविद्यालयों के ऊपर अपने प्रभाव को जमाना चाहती है। शिक्षा मंत्रीजी, मेरा मतलब यह है, राज्य सरकार जिस प्रकार चाहे उस प्रकार विश्वविद्यालय चलें, नही चलें तो उनकी छुट्टी कर दी जायगी। छुट्टी इसलिए कर दी जायगी, रजिस्ट्रार साहब हैं उनको झुकायेंगे। उनका ट्रान्सफर करने का अधिकार है। राजस्थान विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी से नाराज हो गये तो उसको उदयपुर भेजा जायगा। उदयपुर में किसी अधिकारी से नाराज हो जायेंगे तो उसको जोधपुर में भेजे देंगे, बीच सेशन में भेज देंगे। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं, उनको बैठा रहे हैं, तो राजस्थान सरकार अपरोक्ष रूप से विश्वविद्यालयों पर कब्जा करना चाहती है (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मैंने शुरूआत की है। बीच में भी नहीं आया हूं।

श्री सभापति : तीन बिल पास करने हैं। समय का ध्यान रखें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जल्दी समाप्त कर दूं। समय का ध्यान है।

नम्बर 2 में कमेटी बनेगी, जो चान्सलर को अपाइन्ट करेगी। युनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन से नाम आयेंगे। बहुत सारे नाम आयेंगे उनमें से किनको चुना जायगा। एक चान्सलर ग्राफ युनिवर्सिटी हैं। चान्सलर मीन्स राज्य सरकार। एक राज्य सरकार अपने महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा एक नाम पेश करेगी। तीन आदमी हैं इसमें। चान्सलर ग्राफ युनिवर्सिटी को नाम भेजने का अधिकार, मैं समझता हूं, नहीं होना चाहिए। यह अधिकार सिण्डीकेट को होना चाहिए। वरना कमेटी बनाने का लाभ नहीं होगा। जो नाम आये, उनमें से कौन चुनेगा। इसलिए यह कमेटी का फार्मेशन होना मुश्किल का काम है। कमेटी के नाम भेज भी दिये हैं, तीन नाम भेज दिये हैं तो उनमें से चान्सलर चुनाव करेगा और चान्सलर जिसका चुनाव करेगा, वह कमेटी में होगा ....

यह सलाह राज्य सरकार देगी तो इस रूप में परोक्ष रूप में राज्य सरकार विश्वविद्यालयों पर कब्जा करना चाहती है। यहां कौन व्यक्ति एक्सपर्ट होगा? जिसने गत दो वर्षों में उम्मीदवार की थीसिस न देखी हो या उसका विद्यार्थी न रहा हो। इसका मतलब जिस आदमी

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

को एक्सपर्ट बनाया जाएगा उसके पास सूची भेजी जाएगी कि ये 100 विद्यार्थी हैं इसमें से आपने किसी की थीसिज तो नहीं देखी है? 100 में से दो भी यदि ऐसे हैं तो वह एक्सपर्ट नहीं बन सकेगा। राजस्थान वाली बात कही जाती है कि राजस्थान के लोगों का चयन होगा, बाहर के लोगों का नहीं होगा। मैं समझता हूं कोई इस प्रकार का उम्मीदवार नहीं मिलेगा जिसने थीसिज न लिखी हो, कभी न कभी थीसिज लिखी होगी। तो यह अजीब प्रावधान रखा है।

उसके बाद है प्रोसीजर ऑफ सलेक्शन कमेटी। इसमें कोरम कितना होना चाहिए? यह सिंडीकेट तय करेगी या राज्य सरकार तय करेगी? स्पष्ट नहीं लिखा कि कितना कोरम हो। लेकिन मुझे मालूम है कि राज्य सरकार यह तय करेगी। लेकिन 7 में जो व्यवस्था की है कि चाहे मीटिंग ठीक प्रकार से कन्डक्ट हो या नहीं, कोरम हो या नहीं, यदि चयन समिति ने इस प्रकार का फैसला किया तो मान्य होगा, कहीं पर उसकी सुनवाई नहीं होगी। तो कोरम वाली बात स्पष्ट होनी चाहिए।

नं० 6 में डिस्क्वालीफिकेशन वाली बात है। "...is personally interested in a candidate" इन्टेरेस्टेड शब्द बहुत बड़ा है। जिसका चयन नहीं होगा वह कहेगा कि वह इन्टेरेस्टेड था। तो इस क्लाज को हटाए जाने की आवश्यकता है वरना बड़े आराम से इस इन्टेरेस्टेड शब्द पर किसी भी मेम्बर को हटाया जाएगा, यह घातक है। 'ई' में है "..is arrested for an offence against the security of the State;"

मान लीजिए कल विश्वविद्यालय में कोई प्रोफेसर, रीडर या लेक्चरार, बाबू जयप्रकाश के आन्दोलन का समर्थन कर दें, उसको पकड़ लिया, पकड़ने का मतलब वह डिस्क्वालीफाई हो गया। इसमें लिखा है–

"Is convicted of an offence or moral turpitude or is arrested for an offence against the security of the State."

ज्योंही पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो वह डिस्क्वालीफाइड होगा।

इसी प्रकार से 7 में है "Vacancy or defect not to invalidate selections."

इसका मतलब चयन समिति की मीटिंग कोरम के अभाव में हो गई, यदि कमेटी ने गलत फैसला किया तो कोर्ट में जाने का भी अधिकार व्यक्ति को नहीं है। संविधान में यह मूल अधिकार है कि किसी नागरिक से अन्याय होता है तो वह कोर्ट में जा सकता है लेकिन कोरम के अभाव में कमेटी फैसला कर ले तो भी वह व्यक्ति प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरार, वाइस चान्सलर, रजिस्ट्रार, कहीं पर नहीं जा सकता। यह प्रजातंत्र में घोर अन्याय है।

इसी प्रकार से 8 में है ट्रांसफर ऑफ ऑफीसर्स। इसका मतलब रजिस्ट्रार, लाइब्रेरियन इन पर ज्यों ही मंत्री नाराज हो जायेंगे, राज्य सरकार नाराज हो जायगी तो उसको एक युनिवर्सिटी से दूसरी युनिवर्सिटी में नचाने का काम शुरू हो जायगा कि अमुक रजिस्ट्रार, अमुक अधिकारी फलां

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

पार्टी का समर्थन करता है चाहे उस पार्टी के साथ उसकी सहानुभूति हो या नहीं लेकिन ट्रांसफर करने का अधिकार जो राज्य सरकार ने अपने हाथ में लिया है वह उचित नहीं है। आगे कहा गया है कि ऐसा अधिकारी जिसका ट्रांसफर किया गया है कि उसकी कन्डीशन्स वही रहेंगी। हो सकता है उदयपुर विश्वविद्यालय में वह परिस्थिति न हो जो जयपुर में है, इसमें कहा है कि -

"Such officer upon his transfer shall carry with him to the University to which he is transferred such other conditions of service as may be specified in the order of transfer."

आगे नं० 10 में है पावर टू मेक रूल्स राज्य सरकार नियम बनाएगी। इसका मतलब शिक्षा आयुक्त भी होगा, डाइरेक्टर भी होगा, चांसलर भी होगा, ट्रांसफर भी कर देंगे। उसके ऊपर सरकार ने एक और पावर ले लिया है सिनेट की, यह गलत है। सिनेट का मतलब है विधान सभा, सिण्डीकेट का मतलब है मंत्रिमन्डल। मंत्रिमन्डल में विचार नहीं किया जायेगा। विश्वविद्यालय की विधान सभा में विचार नहीं किया जाएगा और राज्य सरकार जैसे मर्जी हुई इस एक्ट के परपजेज के लिए नियम बनायेगी, ठप्पा, महाठप्पा लगाएगी। इस प्रकार इस बिल के जरिये राज्य सरकार तीनों यूनिवर्सिटीज पर अपना कब्जा करके उनको पंगु बनाना चाहती है। और चहेते लोगों की नियुक्ति हो, उनकी विचारधारा वहां पढ़ाई जाए, कोई आदमी इसके खिलाफ चले नहीं। इसलिये, सभापतिजी, यह अप्रजातांत्रिक काम होगा।

प्रोफेसर की नियुक्ति करने के लिये पहले डीन आफ दी फैकल्टी कन्सर्न्ड मिला। अध्यादेश में क्या बात थी? अब तो इसका उद्देश्य ही बदल गया, उसके विपरीत हो गया। अध्यादेश में था डीन ऑफ दी फैकल्टी कन्सर्ड फिर लिखा.—

"Dean of the faculty concerned if he is a Professor and where he is not a Professor, any Professor of the department concerned nominated by the Vice Chancellor."

सरकार ने अपने हाथ में अधिकार लिया। डीन होता तो ठीक था लेकिन सरकार ने वाइस चांसलर से अपनी मर्जी से काम करने का अधिकार छीन लिया। इसी प्रकार से तीन में लिखा है:-

"Two persons as experts who are not connected with the University concerned and who have special knowledge of or interest in the subject."

यह था मूल लेकिन मूल अध्यादेश भूला दिया है। अब कर दिया है "आर इन्टरेस्ट" यह कहां का तरीका है? ये शब्द जोड़ दिये इससे मूल भावना जो सलेक्शन करने की थी वह बिल्कुल बदल गई।

इसके अलावा रीडर को हिंदी में लिखा है उपाचार्य। यह शुद्ध हिंदी नहीं है। शिक्षा मंत्रीजी रीडर की क्या हिन्दी होना चाहिए "वन प्रोफेसर" की जगह मेरा कहना है कि "Head of Department holding equal or superior rank" यह होता तो बहुत बढ़िया होता।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

इसी प्रकार इसी क्लाज के नम्बर दो नीचे एपोइन्टमेंट की पावर्स आपने वाइस चांसलर को दे दी है वह उसे नहीं दी जानी चाहिये। मेरा मतलब है वह सिन्डीकेट को देनी चाहिये। इसके अलावा डिप्टी रजिस्ट्रार और असिसटेन्ट रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार का चयन सिन्डीकेट द्वारा होगा। लेकिन मेरा इसमें यह निवेदन है कि डिप्टी रजिस्ट्रार और असिसटेंट रजिस्ट्रार के एपोइन्टमेंट में रजिस्ट्रार को रखा जाना चाहिये। काम तो रजिस्ट्रार को ही उनसे लेना पड़ता है। वहां पर कोरडीनेशन नहीं होगा। इसमें आपको सिन्डीकेट के सदस्यों में डिप्टी रजिस्ट्रार और असिसटेन्ट रजिस्ट्रार के एपोइन्टमेन्ट के लिये रजिस्ट्रार को रखते तो उचित रहता। इसमें रजिस्ट्रार को शामिल करना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं थोड़ा और निवेदन करना चाहूंगा। यह जो प्रगतिशीलता के नाम पर शिक्षा मंत्रीजी जो विश्वविद्यालय में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से सरकार का कब्जा करना चाहते हैं। जैसा कि अभी डाक्टरों के मामले में हुआ था। बेचारे डॉक्टर जो कि वर्षों से डॉक्टरी कर रहे थे उनको वहां से चयन समिति ने फेल करके उनकी नौकरी से छुट्टी करदी। तो इसी प्रकार मैं शिक्षा मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप यह जो युनिवर्सिटी में कांग्रेस सरकार की धाक फैला रहे हैं कि या तो प्रोफेसर लोग हम कहें उसके अनुसार काम करो वरना हम तुम्हारी छुट्टी कर देंगे। आज जैसे डाक्टर लोगों को घर बैठा दिया उसी तरह तुम्हें भी हम घर बैठा देंगे। अभी जो आप सलेक्शन कमेटी बनायेंगे उसमें नये तो आप अपने चाहते हुए लोगों को लेंगे ही लेकिन पुराने लोग जो आज वर्षों से काम कर रहे हैं उन्हें भी यही कहेंगे, या तो हम कहें वैसे करो वरना तुम्हारी भी छुट्टी होने वाली है। आज आप यह बिल लाकर जोधपुर युनिवर्सिटी, उदयपुर यूनिवर्सिटी, राजस्थान युनिवर्सिटी पर हावी होना चाहते हैं। यह गलत है। आपको चाहिये था कि आप बिल को जल्दी में नहीं लाते और इस बिल को लाने के पहले सिन्डीकेट से, युनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से, शिक्षा शास्त्रियों से तथा छात्रों से सलाह लेते। बाद में आपको यह बिल लाना चाहिये था। नहीं तो मैं तो यही समझूंगा कि आप कांग्रेस सरकार को इन तीनों विश्वविद्यालयों पर हावी करना चाहते हैं। इसलिये मैं, सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

श्रीमती निर्मला कुमारी : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है ....

श्री भानुकुमार शास्त्री : सभापति महोदय, ...

श्री सभापति : श्री भानुकुमार शास्त्री।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने खड़े होने पर–अश्रव्य)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज श्री भानुकुमार शास्त्री।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : सभापति महोदय, विश्वविद्यालयों के संबंध में आज विधान सभा में बिल प्रस्तुत हुआ है और इसके साथ साथ इस बिल के उद्देश्य

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

ग्रौर कारण लाने के लिये दिये गये हैं उन पर प्रकाश डालते हुए शिक्षा मंत्रीजी ने विश्वविद्यालययों की दुर्व्यवस्था सामने रखी है मैं समझता हूं कि जिन उद्देश्यों के लिये इस बिल को लाया गया है उन उद्देश्यों की पूर्ति इस बिल से हो सकेगी, इसमें मुझे सन्देह है। सभापति महोदय, विश्वविद्यालय एक ओटोनोमस बोडी है। जो स्वायत्त शासित संस्थायें होती हैं उनका ध्येय था उन विश्वविद्यालयों में ग्रच्छे नागरिक पैदा करना जिससे कि वह लोग ग्रागे जाकर देश का सुन्दर निर्माण कर सकें। सभापति महोदय, ग्राज परिस्थितियां भिन्न हैं। यह बिल जो ग्राज सदन में ग्राया है वह इसलिये ग्राया है कि ग्राज विश्वविद्यालयों में कई प्रकार की ग्रनियमितातायें पायी जाती हैं। उनको दूर करने के लिये लाया गया है। लेकिन, सभापति महोदय, यह बहुत ही जल्दी में लाया गया है। ग्रौर मुझे पूरा सन्देह है कि जल्दबाजी में जो यह बिल लाया गया है ग्रपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकेगा। यह तो उसी का पुनरावर्तन होगा। सभापति महोदय, इस बिल के ग्रन्दर समिति में नियुक्ति के लिये निरहर्ता बताई गई है उसमें क, ख, ग, च ग्रौर ङ है। उसमें 'ङ' का मैं घोर विरोध करता हूं। उसमें लिखा है "वह नैति ग्रधर्मता के किसी ग्रपराध का सिद्ध दोष हो ग्रथवा उसे राज्य की सुरक्षा के प्रति किसी ग्रपराध के लिये गिरफ्तार किया गया हो"। तो, सभापति महोदय, राज्य सरकार किसी नियम के तहत किसी भी व्यक्ति को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है ग्रौर बाद में उसे कह सकती है कि ग्राप इसके काबिल नहीं हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस क्लाज "ङ" को डिलीट किया जावे। इसके ग्रलावा सभापति महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय ग्रौर जोधपुर विश्वविद्यालय की परिस्थितियां ग्रौर उदयपुर विश्वविद्यालय की परिस्थितियां भिन्न हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी ग्रॉफ उदयपुर जो है वह एक कृषि महाविद्यालय भी है। उसमें डीन ग्रौर डाक्टर्स की पोस्ट्स ग्रलग ग्रलग विषयों की काफी हैं जो कि दूसरे विश्वविद्यालययों में नहीं हैं। उनके सलेक्शन के बारे में इसमें कहीं भी कोई प्रावधान नहीं है तो फिर उनकी नियुक्ति किस प्रकार की जायेगी। यह डीन ग्रौर डाईरेक्टर्स का चयन कौन करेगा, यह कैसे होगा। ग्रगर लेक्चरार्स ग्रौर प्रोफेसर्स का चयन सलेक्शन कमेटी करती है तो इनके चयन का क्या होगा ? तो फिर उसका सलेक्शन या तो वाइस चांसलर करेगा या उसका कोई नोमीनी करेगा। यह तो ठीक नहीं रहेगा। यह भी चयन समिति द्वारा किया जाना चाहिये। जैसा कि मैंने पहले कहा कि उदयपुर विश्वविद्यालय एक कृषि महाविद्यालय है ग्रौर उसमें ग्रलग ग्रलग टेक्नीकल सबजेक्ट्स के ग्रलग ग्रलग डीन होते हैं ग्रौर डाईरेक्टर होता है उन्होंने भी चयन समिति से चयन कराया जाना चाहिये। दूसरे यह कि उदयपुर यूनिवर्सिटी के ग्रन्दर कई प्रकार की गड़बड़ियां ग्रौर ग्रनियमिततायें हैं जिनके बारे में मैंने वर्तमान शिक्षा मंत्रीजी को ग्रौर भूतपूर्व शिक्षा मंत्रीजी को निवेदन किया था ग्रौर उन्होंने यह भी स्वीकार किया था कि उदयपुर यूनिवर्सिटी में राजनीति काफी मात्रा में फंसी हुई है। राज्य सरकार ने लाखों रुपये खर्च करके वहां पर पायलट स्कीम्स कृषि विभाग के नीचे चालू की थी, वहां पर डेयरी साईन्स के नाम पर बहुत ग्रधिक खर्चा हो रहा है। सरकार ने लाखों रुपये की ग्रान्ट्स इन स्कीम्स के नाम पर दी हैं पर पता नहीं वह

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
रुपये कहां गये । अभी तक उन स्कीम्स की शुरुआत तक नहीं हुई हैं । स्कीम्स बनी हैं या नहीं या सिर्फ कागजों में ही हैं और लाखों रुपये सरकार के खर्च हो गये हैं । उनका दुरुपयोग किया जा रहा है । आज राज्य सरकार को चाहिये कि इन पायलट स्कीम्स में जो धन का दुरुपयोग हुआ है, जो गबन और घोटाले लाखों रुपये के हुए हैं, उनका निरीक्षण किया जाना चाहिये और जो दोषी व्यक्ति हैं उन्हें सजा दी जानी चाहिये ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, on a point of order.

श्री सभापति : क्या है आपका पोइन्ट आफ आर्डर ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : My point of order is this.

इसमें यह, सभापति महोदय, उदयपुर यूनिवर्सिटी कहां से आ गई है ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : तीनों इसमें आ गयी हैं ।

श्री खेतसिंह : लेकिन उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं उससे इनका ताल्लुक नहीं है ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : डीन का अपोइन्टमेंट चयन समिति को क्यों नहीं दिया है ?

मनमानी इसलिये होती है कि जो समिति आप बनाने जा रहे हैं वह डीन के लिये नहीं है । मनमानी करने के कारण ही यह स्थिति पैदा होती है । मनमानी के प्रति आपका ध्यान आकर्षित किया और लाखों रुपये की खरीद इस मनमानी के कारण होती है और उनका दुरुपयोग हुआ है और होता है । एक्ट में प्रावधान होते हुए भी आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं । न ही विधान सभा में आप आश्वासन देते हैं ।

ये विश्वविद्यालय राजनीति के अखाड़े बन गये हैं यह बेसिकली आपने मान लिया है । हैड ओफ दी डिपार्टमेंट होंगे वे रोटेशन से होंगे । रोटेशन एकसा नहीं होगा । मंत्री महोदय, आज जिस प्रवाह में वह रहे है उसमें डीन और डाइरेक्टर दोनों को छोड़ रहे हैं । राजस्थान के अन्दर जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके बारे में विचार करने बैठें तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं । विश्वविद्यालय किन परिस्थिति में पड़े हुए हैं, हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं । उदयपुर विश्वविद्यालय में डाइरेक्टर्स हैं । दूसरी तरफ घोर उपेक्षा है । और इसका प्रवाह बढ़ता जा रहा है । विश्वविद्यालय के बारे में शिकायतें आती हैं और आप यदि जांच करवाना चाहते हैं तो थोरोली आपको जांच करवाना चाहिये । जांच करनी हो तो इन्क्वायरी कमीशन थोरोली जांच करने के लिये अपोइन्ट कर लें, चाहे वल्लभनगर फार्म हो, मिल्क स्कीम हो, एक्स्टेन्शन ओफ कालेज हो, कोई भी चीज हो, एक बार थोरोली इन्क्वायरी हो जाय, इन्क्वायरी होने के बाद जो दोषी पाये जायं उनको दंड मिल जाय । छः छः महीने तक डाइरेक्टर सस्पेन्ड रहें, उनको चार्ज शीट भी न मिले, इन्क्वायरी होती नहीं । आखिर इस प्रकार से विश्वविद्यालय का क्या होगा ? इन सारी परिस्थितियों का आप थोरोली एक इन्क्वायरी कमीशन बिठा कर जांच करवा लें । फिर जो कार्यवाही हो वह करिये । डाइरेक्टर और डीन के अपोइंटमेंट चयन समिति से ही कराइये ।

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

रिटायरमेंट के बाद भी आप एक्स्टेंशन कर देते हैं यह आपकी अपनी बड़ी इच्छा से करते हैं। यह तो कर दीजिये कि एक्स्टेंशन रिटायरमेंट के बाद नहीं करेंगे। यह प्रावधान हो जाना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचार सदन के सामने प्रस्तुत करते हुए माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि उदयपुर विश्वविद्यालय की जो पोस्ट्स हैं उनको भी चयन समिति के द्वारा ही भरा जाय ताकि सही सलेक्शन हो सके।

श्री सभापति : श्री गुमानमल लोढ़ा।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान के विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों व अन्य व्यक्तियों के चयन के बारे में अध्यादेश के पश्चात् यह जो विधेयक लाया गया है यह राजस्थान की पद्धति और शिक्षा संस्थान में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत करता है।

श्री शेरसिंह : हीयर, हीयर।

श्री गुमानमल लोढ़ा : सभापति महोदय, इस कारण से आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे महत्वपूर्ण मसलों पर हम शीघ्रता करके इस सदन के द्वारा उसे पारित करवाने का प्रयास करें, उसके स्थान पर विभिन्न संस्थाओं, विद्यार्थियों, विद्यार्थी नेताओं, शिक्षण संस्थाओं में काम करने वाले प्राध्यापकों व अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं को ऐसे महत्वपूर्ण मसलों पर चिन्तन का समय मिले और वे अपने विचार व्यक्त कर सकें, उसके पश्चात् ही इस पर निर्णय लिया जाय यह हमारी परिपक्वता का द्योतक होगा।

सभापति महोदय, एक मूल परिवर्तन किया जा रहा है विधेयक के द्वारा। उसके दो स्वरूप हैं। एक तो यह है कि यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालयों के सिन्डीकेट, वाइस चांसलर्स, उनके द्वारा जो कमेटियां बनायी जाती हैं चयन के लिये, उसके स्थान पर एक अन्य प्रकार की चयन समिति का प्रावधान किया गया। और दूसरा परिवर्तन यह है कि चान्सलर के द्वारा राजस्थान भर में एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में ट्रान्सफर करने का, स्थानान्तरण करने का प्रावधान रखा है।

मैं समझता हूं कि ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। यह कितना सुधारवादी है, या शिक्षा के माने में कितनी, इसकी उपयोगिता है इसके बारे में बहुत बड़ा विवाद और विचार भेद हो सकता है। एक बात जो बहुत ही आपत्तिजनक मुझे दिखायी देती है और जिस पर शिक्षा मंत्रीजी को स्वयं को चिन्तन करना चाहिये, यदि शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा मंत्री के नाते अपने आपको उजागर करना चाहते हैं। उनको चिन्तन, मनन इस पर करना चाहिये। राज्यपाल को सारे विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों आदि के ट्रान्सफर का अधिकार दिया है। राज्यपाल के चांसलर होने के नाम पर राज्य सरकार अपने पास अधिकार लेना चाहती है। सेक्रेटरी और कमिश्नर जो कि इसके इम्प्लीमेंटिंग अथोरिटी होंगे, इसकी पोलिसीज को क्रियान्वित करेंगे। सभापति महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि इस विधेयक को बहुमत के आधार पर शीघ्रता से पारित करवा लिया जायेगा लेकिन इस कारण से उत्पन्न हुई विषमताओं के कारण कई प्रकार के विश्वविद्यालयों में कान्फ्लिक्ट्स आवेंगे। शिक्षा मंत्रीजी, यह अधिक अच्छा होता कि स्वयं इन सब विषमताओं पर चिन्तन करके, मनन करके, आप इस विधेयक को लाते।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (भीनमाल) : माननीय सदस्य का यह कहना है कि टीचर्स का ट्रान्सफर होगा ? यह कहां है ?

श्री खेतसिंह : टीचर्स का नहीं है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : "The Chancellor for administrative reasons, may transfer any officer of a University to any other University."

श्री खेतसिंह : लेक्चरार्स और रीडर्स इस केटेगरी में नहीं आते हैं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : या तो इसको पढ़ा नहीं है। जनमत जानने के लिये परिचालित करने के लिये आपका औचित्य इससे पूर्ण हो जाता है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : विश्नोई साहब ने ऐसी बात कही है जिसको मैं स्वीकार करता हूं और मानता हूं और उस बात को लेकर निवेदन करना चाहता हूं कि यह ऐसा विधेयक है जिसको आप शीघ्रता के अन्दर, जल्दबाजी में पारित कराने का प्रयास न करके, इस पर सम्बन्धित सारे व्यक्ति चिन्तन कर सकें, उसका अवसर दें।

एक दूसरा पहलू, सभापति महोदय, इस आर्डिनेंस का जो है वह सिलेक्ट कमेटियों के बारे में है और सलेक्शन करने वाली कमेटी जो चयन करेगी प्राध्यापकों का उसमें धारा 4 में प्रावधान बनाया गया है, सभापति महोदय। इसमें निश्चित रूप से यह बात विचारणीय है कि एजूकेशन कमिश्नर या एजूकेशन सेक्रेटरी जो होगा वह शिक्षा विभाग का सचिव होगा। उनको इसमें इन्ट्रोड्यूस किया गया है। इस रूप में वे सरकार के प्रतिनिधि होंगे।

मैं बराबर कहता रहा हूं कि राजस्थान की प्रतिभा को विश्वविद्यालय के प्रबन्ध में उचित स्थान नहीं मिलता। इस सन्दर्भ में मैंने पहले भी कहा था कि जोधपुर विश्वविद्यालय तो वास्तविक रूप में उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय बन गया है जहां पर कि 75 से 80 प्रतिशत अध्यापक ही नहीं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक उत्तर प्रदेश से भरती किये गये हैं। अगर सरकार इस कानून के द्वारा इस स्थिति को बदलने का इरादा रखती है तो मैं इसका स्वागत करूंगा।

परन्तु, सभापति महोदय, जिस प्रकार से इस कमेटी में प्रावधान रखा गया है उसमें से यह ध्वनि नहीं निकलती। इसलिये निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि राजस्थान की प्रतिभाओं को उचित स्थान इससे मिल पावेगा या नहीं।

शिक्षा मंत्रीजी को इस दृष्टिकोण से भी इसे देखना चाहिये। वह कमेटी किस तरह से इफेक्टिव हो वैसा कुछ करना चाहिये। इसलिये मैं चाहता हूं इसे जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जावे।

मेरे साथी विधायक ने जैसा कहा कि धारा 6 की क्लाज 8 में जिस तरह की डिसक्वालिफिकेशन्स आपने सिलेक्ट कमेटी में आने वाले व्यक्तियों के लिये रखी हैं वह उचित नहीं है। आप इसमें केवल उस व्यक्ति के कभी गिरफ्तार होने मात्र को अयोग्यता गिन रहे हैं जो कतई सामान्य न्याय की दृष्टि से भी उपयुक्त नहीं है। जुडीशरी में भी जब तक वह कनविक्ट न हो तब तक निर्दोष समझा जाता है। यहां तक

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

कि प्राइमा फेसी केस भी प्रूव हो जाय, चार्ज भी फ्रेम हो जाय, पर जब तक न्यायाधीश यह न कह दे कि उसका जुर्म साबित हो गया है तब तक वह दोषी नहीं कहा जा सकता।

आज का वातावरण राजनीति के तूफानों से घिरा हुआ है जिसमें शायद ही कोई विचारशील सामाजिक कार्यकर्ता या राजनीति अथवा शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाला संघर्ष से बच सके। अपने अधिकारों के लिये आज केवल मात्र संघर्ष का ही रास्ता बच गया है जिस पर जाकर कोई भी व्यक्ति कभी भी सरकार के इशारे पर, या पुलिस की सनक से गिरफ्तार किया जा सकता है, और इस बेसिस पर अगर आप किसी को अयोग्य घोषित कर देंगे तो यह उचित नहीं होगा। भले ही उस वक्त आप गिरफ्तार करके बाद में उसे निर्दोष कह-कर छोड़ दें। तो इस सन्दर्भ में यह अयोग्यता की परिभाषा कतई उचित नहीं होगी। इससे झगड़े, लिटिगेशन बढ़ेंगे और आपका मकसद भी पूरा नहीं होगा। समझ लीजिये कि किसी व्यक्ति को आप नहीं चाहते या उसको विरोधी पक्ष वाला नहीं चाहता और आपने या आपके इशारे पर आपकी पुलिस से या विरोधी पक्ष वाले की पहुंच आप तक या आपकी पुलिस तक हो, तो आपसे या पुलिस से मिलकर वह उस मौके पर उस आदमी को गिरफ्तार करादे और इसी आधार पर उसे अयोग्य घोषित कर दे और बाद में भले ही पुलिस यह कहकर उसे छोड़ दे कि दोष साबित नहीं होता, तो यह तो कोई बात नहीं हुई। इस तरह से अगर आप अयोग्य घोषित करने की चेष्टा करेंगे तो यह बड़ी हास्यास्पद स्थिति होगी और इससे लिटिगेशन ही बढ़ेंगे। आपके निर्णयों को लोग कोर्ट में चुनौती देंगे। जो आप करना चाहते है वह तो पीछे रह जावेगा और व्यर्थ की लिटिगेशन में आप फंस जावेंगे। यह फिर फण्डामेन्टल जस्टिस के सिद्धान्तों के भी विपरीत है। मैं इस दृष्टि से आशा करता हूं कि शिक्षा मंत्रीजी इसको डिलीट कर देंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इसको जनमत जानने हेतु प्रसारित करने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : श्री मीठालाल। (अनुपस्थित)

श्री गफ्फार अली। (अनुपस्थित)

श्री मनोहरलाल। (अनुपस्थित)

श्री वृद्धिचन्द जैन।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, मैंने भी इस पर संशोधन प्रस्ताव रखा है। ऐसा लगता है कि मंत्री महोदय स्वयं स्पष्ट नहीं हैं। इसका प्रमाण यह है कि अब तक कई संशोधन वे स्वयं रख चुके हैं इस पर। उनके दिमाग में और भी कई अमेण्डमेंट और आ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस पर उनको भी सोचने का समय लेना चाहिये और दूसरों को भी सोचने का अवसर देना चाहिये। एक एम० एल० एज० की वे सिलेक्ट कमेटी बना दें। वे इस पर गहराई से सोचें, मनन करें और फिर निचोड़ निकाल कर यहां एक बिल प्रस्तुत करें।

आज जो हमने विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को स्वीकार किया है, इन बिलों से कहीं ऐसा तो हम करने नहीं जा

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

रहे हैं कि उनकी उस स्वायत्तता का अतिक्रमण होता हो, यह भी देखना है। अगर इसी तरह से अतिक्रमण करना शुरू कर देंगे तो विश्वविद्यालय ठीक तरह से काम नहीं कर पावेंगे। यह भी सोचने-देखने की बात है।

इस दृष्टि से सोचने विचारने में सिलेक्ट कमेटी में समय लग सकता है। पर स्वायत्तता की रक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक होगा। इसमें दस पन्द्रह दिन भी लग सकते हैं पर यह जरूरी होगा। एम०एल०एज० में ला एक्सपर्ट भी हैं, दूसरे विषयों के भी जानकार हैं, एग्रीकल्चर के भी जानकार हैं, इन्जीनियरिंग लाइन के भी जानकार हैं। और वह इसको अच्छी तरह से गहराई से सोचकर, गहराई से स्टडी करके और डिसकस करके अच्छा रूप देंगे। अब जैसा जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने विचार रखे, मैं भी इस मत का हूं कि पहला तो डिस्क्वालीफिकेशन का ही प्रश्न है। यह भी सोचने की बात है कि इस प्रकार का सिलेक्शन कमीशन का सदस्य है उसमें डिसक्वालीफिकेशन किया जाता है अगर सलेक्शन कमिशन का भी इस प्रकार का सलेक्शन हो और उसमें भी डिसक्वालीफिकेशन जैसी चीज पैदा हो जाये तो यह बहुत डिफिकल्ट चीज है, ये नामुमकिन जैसी चीज है। इनसालवेन्ट तो हो सकता है लेकिन

"is convicted of an offence of moral turpitude or is arrested for an offence against the security of the State;"

अरेस्टेड वाला प्रावीजन है उसके बारे में जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत विचार रखे और मैं भी अपने विचार प्रकट करता हूं कि अरेस्ट करने से कोई डिसक्वालीफिकेशन नहीं होती। गलत तरीके से डिफेन्स आफ इन्डिया रूल्स में भी हो सकता है और कोई बहुत ही योग्य है उसको गलत तरीके से और बैड इन्टेन्शन लेकर ऐरस्ट किया जा सकता है। इसलिए इस प्रावीजन के बारे में भी सोचने की आवश्यकता है।

अब प्रश्न उठता है कि इसके लिए रूल्स बनाने के गवर्नमेन्ट को अधिकार दिये गये हैं। तो यह भी सोचने की बात है कि प्रासीजर के बारे में रूल्स बनाने के अधिकार यूनीवर्सिटीज को दिये जाने चाहिएं या किसको दिये जाने चाहिएं तो इस प्रकार की सोचने की बहुतसी बातें हैं और वह सलेक्शन कमेटी ही इसके बारे में गहराई में सोच सकती है। इसलिए इसके बारे में उतावलापन नहीं करना चाहिए और यदि इस प्रकार का उतावलापन किया और इस प्रकार एक ऐसी सलेक्शन कमेटी का गठन किया– अब सलेक्शन कमेटी के बारे में भी मैं जानना चाहता हूं, अब हम समझते हैं कि इमीनेन्ट एजुकेशनिस्ट्स एक की जगह दो को रखना चाहते हैं–तो इसके बारे में भी चिन्तन किया जा सकता है। एजुकेशन कमीश्नर और डाइरेक्टर, कालेज एजुकेशन इसमें होंगे। एजुकेशन कमिश्नर के बारे में भिन्न भिन्न राय हैं। एजुकेशन कमिश्नर आई० ए० एस० है और वह एजुकेशनिस्ट है या नहीं, उसको लिया जाये या नहीं, डाइरेक्टर, कालेज एजुकेशन एजुकेशनिस्ट है या नहीं–तो इसके बारे में भी डिसकशन किया जा सकता है। इसलिए इस प्रकार के जो क्लाजेज हैं उनके बारे में गहराई से

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

सोचने की आवश्यकता है। क्लाज 7 में "Vacancy or defect not to invalidate selections".

अब defect in the selection committee होने से भी इससे सलेक्शन हो सकता है या नहीं और लीगल आस्पेक्ट भी है इसलिए यह सब चीजें इस प्रकार की हैं कि जिसके लिए सलेक्ट कमेटी ही गहराई से सोच सकती है, इसमें अमेन्डमेन्ट कर सकती है। इसलिए मेरी यह रिक्वेस्ट है माननीय मंत्रीजी से कि यह सलेक्शन कमेटी को इसको सौंप दें ताकि कन्सीड्रेशन पूरी तरह से करके एक अच्छा बिल हमारे सामने प्रस्तुत हो सके और वह रिपोर्ट प्रस्तुत होकर फिर बिल के रूप में गवर्नमेन्ट प्रस्तुत करे तो हम सही निर्णय ले सकेंगे।

श्री सभापति : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति म०......

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : सभापति महोदय, मुझे कुछ अर्ज करना है....

श्री सभापति : आपका नाम पुकारा गया था। आप यहां नहीं थे।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : I am sorry. I was waiting for this.

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : माननीय सभापति महोदय, इन दोनों की लड़ाई में मुझे समय दे दिया जाये।

श्री सभापति : आप बोलना चाहते हैं पहले ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : मैं बोल देता हूं। दस मिनिट से ऊपर नहीं लूंगा।

सभापति महोदय, यह जो बिल लाया गया है इसके बारे में मैंने यह सुझाव दिया है कि इसको जनता की राय जानने के लिए प्रसारित किया जाये। अभी इसको फिलहाल सरकुलेट कर दिया जाये और उसके बाद फिर कोई फैसला लिया जाये। मेरा इस सिलसिले में निवेदन यह है कि यह बिल, चाहे वैसे इसकी कोई अहमियत कम समझता हो या कम आंकता हो, लेकिन मैं यह समझता हूं कि यह बिल बहुत अहम है और इसका ताल्लुक उस सेक्शन से है कि जो हमारी सोसाइटी की क्रीम है। जो हमारी सोसाइटी के बीच चोटी के लोग हैं उनका इस बिल से संबंध है। इसलिए काफी इस किस्म की त्रुटियां रह जाती हैं कि जो कि आगे दिक्कतें पैदा करेंगीं तो उससे एजुकेशन का वातावरण दूषित होगा और इसी आधार पर मेरा यह सुझाव है कि इसको जल्दी बाजी से आज ही इस मामले को तय कर दिया जाये, यह कदम गवर्नमेन्ट को नहीं उठाना चाहिए। राज्य सरकार ने खुद ने तो इसका अध्ययन कर लिया, और लोगों को भी मौका मिलना चाहिए कि वह इसके ऊपर अपना दिमाग एप्लाई करें और इसको जानने की कोशिश करें और जो कमजोरियां हैं उनको निकालें।

(4.36 म० प०)

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, सभापति, पीठासीन)

और जितनी इन्टलेक्चुअल क्लास है चाहे वह यहां असेम्बली के मेम्बर्स हों, चाहे

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

प्रोफेसर्स हों, सब को इस पर विचार करने का अधिकार देना चाहिए। आप इसको जल्दबाजी से तय कर देंगे तो हो सकता है इसका नतीजा खराब हो। जब जब यूनिवर्सिटी के बिल आये हैं हमने राज्य सरकार की तवज्जोह इस तरफ दिलाई है कि बदकिस्मती से और राज्यों की यूनिवर्सिटीज में हमारे लोगों को जगह नहीं मिलती। हमारे यहां के पढ़े-लिखे लोग किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो स्टेशन के ऊपर वहां को लोग आ जाते हैं और वह कहते हैं कि आप इन्टरव्यू के लिए नहीं रुकेंगे, आप वापिस जायेंगे नहीं तो आपकी जान का खतरा है। यह हालत है दूसरी जगह। और सूबों में हमारे लोग जाते हैं तो उनका यह हरेश होता है कि उनको जगह नहीं मिलती। जो उचित मौका हमको यहां मिलना चाहिए वह भी नहीं मिलता। इसको आधार मानकर हमने यूनिवर्सिटी का बिल आने पर इसका सुझाव दिया है। आज इसके बारे में मेरा यह सुझाव है जिस मकसद से सुझाव रखा था और शिक्षा मंत्रीजी ने दिमाग बनाया था उससे असल में काम नहीं लिया और उन्होंने कुछ ऐसा गोलमटोल बिल लाकर रख दिया जिससे कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता बल्कि उससे यह कोशिश की गयी है कि कहीं कहीं तो वह पालिटिकली मोटीवेटेड है। उसकी दो मिसालें दूंगा। यह तो स्पष्ट है कि इसमें हम जो रिलीफ देना चाहते हैं वह कोई चीज इसमें तय नहीं की गयी। यह बिल में कहीं नहीं लाया गया है कि जो लोग मेरिट्स पर उतरेंगे उनको इन्टरव्यू के आधार पर महज जरासी गलती के ऊपर खारिज नहीं किया जायेगा या जो दस साल से लगातार काम कर रहे हैं लेक्चरार उनको रीडर बना दिया जायेगा या पांच दस साल के बाद वह आटोमेटिकली प्रोफेसर हो जायेंगे। ऐसी कोई चीज इस बिल में सुझाई नहीं गयी जो मैं समझता हूं कि इसके लिए आवश्यक था कि जो हमारे टीचर्स, लेक्चरार्स या रीडर्स यहां पड़े हुए हैं पांच, दस साल से उनको तरक्की नहीं मिलती, उनको मौका नहीं मिलता। इस किस्म का कोई सुझाव इसमें नहीं रखा गया है और कोई क्राइटेरिया इस किस्म का कायम नहीं किया गया कि जिससे राजस्थान के रहने वालों का कुछ भला हो सके। मैं यह मानता हूं कि हिन्दुस्तान एक यूनिट है और किसी एक सूबे को दूसरे सूबों से अलग नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ साथ जो बुनियादी मसला हमने रखा था और जिस बुनियादी मसले का हल तय कराना चाहते थे वह मसला इसमें कतई नहीं छुआ गया है और वह पास से भी नहीं गुजरा है। गवर्नमेन्ट ने असल में कोशिश इस बात की है, राज्य सरकार यह समझती है कि अगर उनका कोई अधिकारी बैठ जाता है तो फिर शायद जयपुर वालों का समर्थन करेगा और अधिकारी भी कौन बैठेगा जो कमिश्नर होगा। कमिश्नर कौन होगा जो आई० ए० एस० अफसर होगा, इससे नीचे रैंक का वह हो नहीं सकता। और फिर आई० ए० एस० वह सेंट्रल गवर्नमेन्ट की सर्विसेज का होगा। आज हमारे बीच में जो कमिश्नर बैठे हैं वह हमारे इस कण-कण से पैदा हुए हैं उनके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते। लेकिन इनके जो प्रेडीसीसर थे उनके खिलाफ एतराजात थे। उनके लिए मांग की गई थी कि उनको इस पद से हटाय

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

जाय और उनको हटाया भी गया। आज के कमिश्नर का परफोरमेंस दूसरा हो सकता है और बहुत हैल्पफुल हो सकता है। लेकिन आज जो कमिश्नर हैं और वे ज्यादा कोम्पीटेंट हो सकते हैं, वे राजस्थान के लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि दूसरे आने वाले कमिश्नर, वह भी इसी तरीके से, इस उद्देश्य से इसी दृष्टिकोण से मसला हल कर सकेंगे। मेरी, सभापति महोदय, सबसे पहली गुजारिश यह है कि इसमें जो कमिश्नर की चीज इन्कोरपोरेट की गई है वह गलत है। एजुकेशन कमिश्नर का कोई ताल्लुक एजुकेशन से नहीं होता है, का ओटोमेटिकली नहीं होता है। यह सही है कि जो आई० ए० एस० अफसर हैं उनको मजिस्ट्रेट की ट्रेनिंग दी जाती है, उनको तहसीलदार की ट्रेनिंग दी जाती है, उनको दूसरे डिपार्टमेंट्स में भेजा जाता है लेकिन मैं समझता हूं कि उनको प्रोफेसर बना कर कहीं नहीं रखा जाता है। उनको प्रोफेसर की तालीम, मिडिल स्कूल के टीचर की हैसियत से तालीम हासिल नहीं होती है। उनका तालीमी हल्के से दूर का भी वास्ता नहीं होता। ऐसी सूरत में कमिश्नर को इन्कोरपोरेट करने का मतलब यही है कि आप यूनिवर्सिटी की आटोनोमी को, उसके मुख्तसर अधिकार को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहते हैं।

एक चान्सलर का नुमायन्दा होगा या वाइस चान्सलर का नुमायन्दा होगा वह गवर्नमेंट का ही होता है। एक और गवर्नमेंट का नुमायन्दा जुड़ जाएगा तो जो यूनिवर्सिटी की ओटोनोमी है वह करीब करीब, समाप्त हो जाएगी क्या ही अच्छा होता अगर आप यह कह देते कि एक परमानेंट मेम्बर असेम्बली का, एक नोमीनेटेड मेम्बर, जिसको स्पीकर नोमीनेट करेगा, पढ़े लिखे लोगों में से, वह होगा। यह परमानेंट फीचर इसमें बना देते तो वह चुना हुआ नुमायन्दा उसमें बैठता। मैं देख रहा हूं कि इस बिल के अन्दर हम बदकिस्मत और अभागे लोगों का कोई हिस्सा नहीं है। मैं मानता हूं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, काबिल नहीं हूं, मगर हमारे बीच में कोम्पीटेंट, काबिल लोग हैं जिनको आप परमानेंट फीचर के रूप में इन्कोरपोरेट कर सकते हैं, आप उनको बिठा सकते हैं। ये जो लोग दो होंगे, उसके अलावा चुनाव तो डायरेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन इन्डायरेक्ट इलेक्शन से हो सकता है। असेम्बली के नुमायन्दे पहुंच जाते हैं मुस्तकिल तौर पर तो वह एक काबिले तारीफ बात होती। वह चूंकि जनता में से आते हैं, जनता की फीलिंग का खयाल होता है, इसलिए मेरा बहुत ही स्पष्ट शब्दों में यह सुझाव है कि कमिश्नर को ड्रोप करके यहां से आप एक परमानेंट मेम्बर स्पीकर का नोमीनी फ्रोम अमंग दी असेम्बली मेम्बर्स उसको किया जाय।

आगे चल कर आप देखेंगे कि इसमें एक लफ्ज आया है। यह असल में चीज क्या है कि किसी भी एक्ट या किसी भी बिल को लेकर उसकी नकल कर देते हैं। इसमें एक क्लाज रख दिया इन्साल्वेंट। इन्सोल्वेंसी का पढ़े लिखे से कोई ताल्लुक नहीं है। एक इकोनोमिक परेशानी होती है, वह पैसा देने की हालत में नहीं होता तो वह दरख्वास्त देता है कोर्ट को कि

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
मुझे इन्सोल्वेंट डिक्लेयर कर दीजिए। वह बहुत बड़ा डाक्टर हो जाय, वह एटमिक पावर बना सकता है, हाईड्रोजन और एटम बम बना सकता है लेकिन अगर इन्सोल्वेंट हो जाता है तो उस बेचारे की एक्सपर्ट बनने की कैपेसिटी भी उसमें नहीं रहती। मैं कहता हूं कि इस क्लाज की क्या जरूरत थी। और यदि आप हममें से इन्सोल्वेंट होंगे, कम्यूनिस्ट पार्टी तो इसमें एक्सक्लूड होगी ही, वह तो कभी सोल्वेंट ही ही नहीं सकती, भले वह बैंकरप्ट नहीं हो. लेकिन माली हालत उनकी होती नहीं। मेरा अर्ज करना यह है कि यह जो तरीका आपने दूसरे गरीब लोगों को महरूम करने का अपनाया है उसके लिये मैं अर्ज किया चाहूंगा कि यहां पर इन्सोल्वेंसी का ताल्लुक इससे नहीं आता है। इन्सोल्वेंट कोई भी हो सकता है, कोई पढ़ा लिखा कोम्पीटेंट डाक्टर, फिलोसोफी का डाक्टर है या कोई साइंस का, किसी सब्जेक्ट का डॉक्टर है और वह बेचारा पैसे वाला नहीं है और उसको अदालत ने इन्सोल्वेंट डिक्लेयर कर दिया....

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

आपने एक एक घण्टा दिया है, गरीबपरवर।

श्री सभापति : आपने तो दस मिनिट के लिए कहा था।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आपको ज्यादा परेशानी नहीं हो। इसलिए मैं

श्री सभापति : मैंने भी सीलिए किया है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अब यह जो क्लाज दिवालिये का रखा है इसका इससे क्या ताल्लुक है? दिवालिये का कोई ताल्लुक इकोनोमिक रिलेशनशिप कायम होती हो वहां हो सकता है। आप उसको कैशियर मत बनाइये, उसको स्टोर का चार्ज मत दीजिये लेकिन वह काबिल आदमी सिलेक्शन कमेटी में एक्सपर्ट की हैसियत से भी नहीं आ सके तो उसको बुलाने में आपको क्या परेशानी है? मेरी समझ में नहीं आता तरीका क्या है आपके सोचने का और समझने का।

एक और चीज मैं अर्ज किया चाहता हूं जो बिल्कुल ही पोलिटिकली मोटिवेटेड मालूम होती है। किसी आदमी को अरेस्ट किया गया सिक्योरिटी रीजन्स पर तो यहां तो जितने भी अपोजीशन पार्टी के हैं वह एक्सक्लूड हो जायेंगे। इसलिए वे तो कभी भी डिफेंस आफ इंडिया एक्ट में सिक्योरिटी रीजन्स पर पकड़े जाते हैं। डिफेंस आफ इंडिया या और कोई ला हो, सिक्योरिटी एक्ट हो, उसमें हम लोगों को या प्रोफेसर केदार साहब को, या शायद जनसंघ वालों को यह नसीब न हो, केदारजी को, हम लोगों को या रामकिशनजी को या किसी को भी किसी वक्त सिक्योरिटी की वजह से डी० आई० आर० में दो महीने के लिए डिटेन कर लिया तो वह मुस्तकिल तौर पर डिस्क्वालिफाई एक्सपर्ट हो गए, किसी का सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं मंत्री महोदय, यह एक अजीब बात है कि सिक्योरिटी रीजन्स पर ही कन्विक्शन हुआ हो तो भी एक बात समझ में आने वाली थी। लेकिन आपको पावर्स हैं, आप किसी को डिस्क्वालिफाई करना चाहें तो किसी

Page No 100

100

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

को भी मेहरबानी करके डिफेंस आफ इंडिया एक्ट के नीचे गिरफ्तार कर लें, भले ही वह कोई बड़ा डाक्टर हो, एक्सपर्ट हो, उसको डिस्क्वालिफाई करना है इसलिए दो महीने के लिए गिरफ्तार करके डिटेन कर लिया और वह हमेशा के लिए मुस्तकिल तौर पर डिस्क्वालिफाई हो गया। इससे यह मालूम होता है कि यह क्लाज पोलिटिकली मोटिवेटेड है। सिर्फ वे लोग जो हमारी हुकूमत चला रहे हैं, जिनको जेल जाने का इत्तफाक शायद कभी सौ साल में या दस बीस साल में न पड़े, इसलिए उन्होंने यह पोलिटिकली मोटिवेटेड क्लाज रख दिया। जिसको चाहें उसको डिफेंस ग्राफ इंडिया में अरेस्ट कर अन्दर दाखिल कर दिया, कन्विक्शन न भी हुआ हो फिर भी उसको महरूम किया जा सकता है। आज पुलिस किसी को भी अरेस्ट कर लेती है, बड़े से बड़े आदमी को पकड़ लेती है। तो मैं यह अर्ज किया चाहता हूं कि यह जो पोलिटिकली मोटिवेटेड क्लाज है इसको हटाइये। यह स्टिगमा, तर्जे दाग है और यही कहा जाएगा कि जो कुछ भी किया अपने इंटरेस्ट में किया। इसलिए निवेदन करूंगा कि इस चीज को हटाइये।

इसके बाद एक क्लाज पर और रोशनी डालना चाहूंगा।

श्री सभापति : यह क्लाज बाई क्लाज डिस्कशन बाद में आएगा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : क्लाज पर तो हांडा साहब कहेंगे। मैं तो सिर्फ...

श्री सभापति : आप जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं तो आपकी तवज्जोह दिला रहा हूं हुजूर। और वह भी इसलिए दिला रहा हूं कि यहां पर इस किस्म का सुझाव इसमें आया है जिसमें उन्होंने यह होल्ड किया है कि कोई आदमी जिसने कभी भी दो साल तक किसी को पढ़ाया हो या किसी की थीसिस एप्रूव की हो, उसको डिस्क्वालिफाई कर दिया आपने। यह चीज जहां एक तरफ गलत है, उसूलन गलत है, वहां दूसरी तरफ प्रैक्टिकल भी नहीं है। जो स्टूडेंट आएगा, जो टीचर के अपोइन्टमेंट की दरख्वास्त देगा, उसको यह कैसे मालूम होगा कि फलां साहब जो मेरी अपोइन्टमेंट करने वाले हैं वे मुझे पढ़ा चुके हैं या थीसिस अप्रूव कर चुके हैं। और जो वहां बैठे होंगे उनको क्या मालूम होगा कि मैंने किसको पढ़ाया है। आपने यह ऐसा क्लाज रख दिया है जो प्रैक्टिकल नहीं है। तो उसका सेंस क्या है, कोई सेंस नहीं है इसमें। मेरी सब्मिशन यह है कि बजाय आपस की गुफ्तगू हो, आपको अपना माइण्ड अप्लाई करना चाहिए, मंत्री महोदय ने यह क्लाज सही रखा है या गलत रखा है। अगर गलत रखा है तो उदार दिल से वापस लेना चाहिए। यह प्रैक्टिकल नहीं है, कर नहीं सकेंगे। कोई फार्मूला शिक्षा मंत्रीजी बता दें जिसके हिसाब से यह चीज की जा सकती है। आप कैसे जान सकेंगे कि किस प्रोफेसर ने कब किस की थीसिस को एप्रूव किया है या किसने कब पढ़ाया है। यह हो नहीं सकता है। जिसने थोड़ा सा पढ़ा दिया है उसको डिस्क्वालिफिकेशन के चान्सेज ज्यादा हैं और जिसने कुछ नहीं पढ़ाया है, उसको बाहर से लेकर बांध दिया। वह क्वालिफाई हो जायेगा। तो यू० पी०, एम० पी०, महाराष्ट्र के व्यक्ति

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

आ जायेंगे और अगर उदयपुर का कोई रहने वाला है तो वह नहीं आ सकेगा। मकसद तो यह बताया गया है कि यहां के लोगों को फायदा पहुंचे परन्तु ऐसे लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। जिन लोगों का कोई रिश्तेदार है, फेवेरेटिज्म करने के लिये यह क्लाज फायदा पहुंचा सकती है। यह हमारे मंत्री महोदय की मंशा नहीं हो सकती है। इसलिए गुजारिश करूंगा कि खासतौर से इस पर आप गौर फरमाएंगे वरना यह अमली शक्ल में नहीं आ सकता है।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : दो मिनिट में ही समाप्त कर रहा हूं।

श्री सभापति : आपका टाइम निकल चुका है उसके बाद भी दस मिनिट हो गये हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : टाइम तो मेरा आ रहा है।

इसमें ऐसा है कि यह रूल मेकिंग पावर दी गयी है, वह गवर्नमेन्ट को नहीं देनी चाहिये थी। जो बोडी वहां पर फंकशन कर रही है उसको यह रूल बनाने चाहिये। गवर्नमेन्ट अपना इन्टरफियरेंस क्यों कर रही है? हो सकता है इस किस्म के रूल्स गवर्नमेन्ट बना दे कि परटीकूलर क्लाज का एक सेक्शन को ही फायदा पहुंचे। इसलिए यह गुजारिश करूंगा कि जिन चीजों से नीयत पर शुबहा किया जा सके वह क्यों इनकारपोरेट करते हैं।

तीसरी बात यह निवेदन करूंगा कि यह जो शिडयूल रखा है उसमें प्रोफेसर··

"Dean of the faculty concerned if he is a Professor......"

यह क्यों रखा है। दूसरे प्रोफेसर है, हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट हैं,

"Head of the Department concerned, if he is a Professor"

तो यह प्रोफेसर ही क्यों मोनोपोली करना चाहते हैं? हर क्लाज के अन्दर आपने प्रोफेसर रखा है। डीन भी होने चाहियें।

श्री खेतसिंह : डीन प्रोफेसर भी होते हैं और रीडर भी होते हैं। हर जगह प्रोफेसर नहीं होता है। प्रोफेसर का सिलेक्शन प्रोफेसर ही करें इसलिए यह रखा है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप यह कर सकते हैं कि उस रैंक का हो और उस रैंक का ही सिलेक्ट करे। अगर डीन रीडर है या लेक्चरार है तो वह डिस्क्वालिफाई हो जायेगा। प्रोफेसर के शब्द को डिलीट कर दीजिये। इसको क्लाज में इनकारपोरेट नहीं करना चाहिये। मेरा मतलब यह है कि, हर जगह प्रोफेसर शब्द आपने रख दिया है, जो एफीलियेटेड कालेज है वहां के प्रोफेसर इससे वंचित हो जायेंगे। डिस्क्वालिफाई हो जाएंगे। इस लाइट में जो सुझाव मैंने रखे है उस पर आप गौर करेंगे। यह जो सिक्यूरिटी रीजन का क्लाज रखा है यह पोलिटिकली मोटिवेटेड है इसको आप ततकाल ही विथड्रा कर लें और बाकी को आम राय जानने के लिये प्रसारित कर दें और उसके बाद इस पर फैसला लिया जाये। इस पर जल्दबाजी में को कदम न उठावें वरना कोई फायदा नहीं होगा।

श्री सभापति : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : सभापति महोदय, यह जो बिल राजस्थान के विश्वविद्यालयों अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) विधेयक, 1974 रखा गया है, मेरी राय में यह बिल आपरेशनली बड़ा टीडियस है, लिगली वीक है और एकेडेमीकली रीडिकुलस है और इसकी जो डिफरेन्ट क्लॉजेज हैं वे बड़ी वेग हैं। बेहतर यह होता कि लेक्चरार, रीडर्स, प्रोफेसर और यूनिवर्सिटीज का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टॉफ है, दोनों सेक्टर-टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव, दोनों के अपाइन्टमेन्ट के सिलसिले में इस बिल को लाने के पहिले कुछ वहां की स्थितियों का गहराई से अवकलोन करते। ऐसा मालूम होता है कि बड़ी हरिडली और बिना लीगल थिंकिंग से और कोई ब्राडर परसपेक्टिव एकेडेमिकली थिंकिंग से इसको पेश कर दिया गया है। अगर आज आप राजस्थान यूनिवर्सिटी की स्थिति को देखें तो मैं शिक्षा मंत्रीजी से पूछूंगा कि उन 125 टेम्परेरी टीचर्स को आपने किस की दया पर छोड़ दिया है। आप रूल बनायेंगे, सरकार बनायेगी और उन रूल में आप उनको कोई राहत देंगे, ऐसा आप कह सकते हैं लेकिन आपको अच्छी तरह से ज्ञात है कि दस दस साल से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि सिलेक्शन कमेटी को पेश कर रखा है जिनमें से कई आज प्रोफेसर बनने के योग्य है, जिनमें कई ऐसे हैं जिन्होनें कि चालीस चालीस पेपर लिख दिये हैं परन्तु वे आज टेम्परेरी सर्विस में है। ऐसे भी कई लोग है जिन्होंने कि सिलेक्शन कमेटी को फेस नहीं किया है, राजस्थान यूनिवर्सिटी, जोधपुर यूनिवर्सिटी, उदयपुर यूनिवर्सिटी में आज उनमें से रीडर हैं, और डीन तक बन गये हैं और या उस स्थिति तक पहुंच गये हैं। आज तक उन्होंने सिलेक्शन कमेटी को फेस नहीं किया है। इस प्रैक्टिकल स्थिति का अवलोकन नहीं किया गया है। फिर सारा का सारा यह बिल आपरेशनली डिफिकल्ट कैसे है, यह लीगली अनस्टेबल कैसे है, यह क्लॉज-वाइज बताऊंगा। एक अर्ज कर दूं कि यह सारा का सारा बिल चांसलर, वाइस चांसलर और एजूकेशन कमिश्नर में पॉवर वेस्ट करता है। आज के इस बढ़ते हुए युग को देख कर जिसमें संगठन का अपना महत्व है, जहां कि ज्वाइन्ट रिप्रिजेन्टेशन हर सेक्टर में स्वीकार कर लिया गया है, उसका कोई प्रोजेक्शन इसमें नहीं है। मैं बहुत अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि चांसलर का अर्थ क्या है, महामहिम, मैं, सारे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि आपने जगह जगह .....

श्री खेतसिंह : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन का समय आज का बिजनेस जब तक समाप्त न हो जाये तब तक के लिये बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति : क्या सदन की सहमति है ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया जाता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, एकेडेमिक कौन्सिल या सिन्डीकेट या यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ही इन्टर-फियर कर सकता है, बाकी सारे सिलेक्शन के अन्दर वाइस चांसलर, चांसलर या एज्यु-केशन कमिश्नर के अन्दर अथॉरिटी वेस्ट करती है। सभापति महोदय, सबसे पहले

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

मैं आपका ध्यान इस बिल के सेक्शन तीन की ओर दिलाउंगा। आज एक बहुत बड़ा संघर्ष टैक्नोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स का चल रहा है। देश के अन्दर यह मांग चल रही है कि टैक्नीकल डिपार्टमेन्ट से ब्यूरोक्रेट्स को रिमूव कर दिया जाये, फिर चाहे वह आर० एस० ई० बी० हो, चाहे इरिगेशन डिपार्टमेन्ट हो। इरिगेशन डिपार्टमेन्ट का सेक्रेटरी आई० ए० एस० न हो कर इन्जीनियर होना चाहिये जिसको कि उसका नालेज हो और आप आज इस यूनिवर्सिटी के अन्दर ब्यूरोक्रेसी का प्रवेश कराना चाहते हैं जो कि हाइली एकेडेमिकल बाडी है, इन्टेलेकुचुअल्स का सेन्टर है। आपका कन्सेप्शन कौनसा है। इसका क्लाज तीन क्लीयर इन्डीकेटर है। "Nothing herein contained shall apply to the appointment of a teacher or an officer as a stop-gap arrangement for a period not exceeding six months or to the appointment of a part-time teacher."

अब आप कहीं पर रिक्रूटमेन्ट करते हैं स्टाफ गेप अरेन्जमेन्ट के सिलसिले में तो टाइम पीरियड 6 महीने का आपने लिया है इसमें भी ब्यूरोक्रेट का दिमाग है। 6 महीने बाद पी० एस० सी० की सेंक्शन चाहिये। उसकी सेंक्शन लेनी पड़ती है इसलिए स्टाफ गेप अरेन्जमेन्ट 6 महीने का आपने रख दिया। इस नेचर का अपाइन्टमेन्ट आप करते हैं। आपके दिमाग में 6 महीने कम से कम हैं। कम से कम पूरे सेशन के लिये, जो 9 महीने का होता है, उसके लिये आप उसका अपाइन्टमेन्ट करिये। यह 6 महीने का ही सिस्टम चल रहा है क्लीअर इन्डीकेटर है इस बात का कि इस बिल का इन्जीनियरिंग ब्यूरोक्रेट कन्सेप्ट से है। अब अगर आप कान्स्टीट्यूशन आफ दी सिलेक्ट कमेटी को देखें तो वाइस चांसलर तो उसका चेयरमैन, एक एमिनेन्ट एज्यूकेशनिस्ट जो है to be nominated by the Chancellor for a period of one year only, फिर या तो एज्यूकेशन कमिश्नर आयेगा या एज्यूकेशन कमिश्नर किसी डाइरेक्टर को अपनी जगह भेजेगा। मैं समझता हूं कि इससे अधिक अपमान एक एज्यूकेशनिस्ट का हो नहीं सकता कि एक आई० ए० एस० अधिकारी एक कालेज के डाइरेक्टर को अपनी जगह पर भेजे, और उसको सिलेक्ट करके भेजे। कृपा करके देश के बुद्धिजीवियों को, देश के इन्टेलेक्चुअल्स को देश के ब्यूरोक्रेट्स से अपमान न करायें। एक बहुत चिन्ताजनक स्थिति आप पैदा कर रहे हैं। फिर "For the purpose of this section an eminent educationist is to be nominated by the chancellor. अब चान्सलर साहब के बहुत से फंक्शन्स हैं। चान्सलर साहब अगर कन्सल्ट करेंगे इसके लिए तो एज्यूकेशन कमिश्नर से कन्सल्ट करेंगे। वह इन्जीनियरिंग एजेन्ट कहेगा कि एक्स्ट्रा आर्डिनरी एज्यूकेशनिस्ट यह है। चान्सलर प्रदेश का गवर्नर होता है और मोस्टली वह कम ही लोगों में इन्ट्रेस्टेड होता है। आमतौर पर वह आप पर ही डिपेन्डेन्ट होते हैं या आपके आफिसर्स पर और वह इस सम्बन्ध में इन्ट्रेस्टेड होते ही हैं तो आप उन्हीं को यह कैसे दे रहे हैं? चान्सलर साहब एज्यूकेशन मिनिस्टर को बुलायें या अपने एटीट्यूड के मुताबिक एज्यूकेशन कमिश्नर को बुलायें और बुलाकर अपना नोमीनेशन दें तो जगह-जगह आपने

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
उनको तकलीफ दी है। वैसे यह तो आपकी आदत ही है, क्योंकि आम तौर पर आप आर्डिनेन्स निकालते हैं और आर्डिनेन्स से ही आपका राज्य चलता है। अगर इस सदन का नोटिस इश्यू हो जाय तो भी आप आर्डिनेन्स लाते हैं। चान्सलर की पोजीशन इसके अन्दर यूनीक होती है।

मैं अर्ज करूंगा कि दफा 5 में "no person who has been nominated."

श्री सभापति : यह क्लाज बाद क्लाज जब डिसकस हो तब लें। आपका एमेंडमेंट है इस पर।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं दूंगा।

श्री सभापति : अब तो आपका प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं तीनों को कम्बाइन्ड कर रहा था। वह डिसकसन करेंगे तब और डिटेल के अन्दर दूंगा। थर्ड रीडिंग पर भी बोलूंगा। अगर अभी बोल गया तो थर्ड रीडिंग पर कम बोलने का सोचूंगा और सदन का समय बचेगा। मेरा इस समय समय काटेंगे तो थर्ड रीडिंग का एडवान्टेज उठाना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाषण को चलने दें।

मैं अर्ज कर रहा था कि सब-सेक्शन (5) को एक दफा पढ़लें। सब-सेक्शन (5) इसको लीगली कितना दिक्कत वाला बना देता है, आप जरा गौर फर्मावें। सब-सेक्शन (5) के अन्दर जो प्रोवीजन्स हैं कि कभी स्टूडेन्ट न रहा हो, कभी उसकी थीसिस नहीं देखी हो, कितना डिफेक्टिव डिटरमिनेशन है। चूंकि यह डिफेक्ट है डिटरमिन करने में। माननीय शिक्षा मंत्रीजी को निश्चित रूप से कहता हूं कि इस क्लाज को अगर कोई हाई कोर्ट में ले जाता है तो आपके इस बिल के चिथड़े उड़ जायेंगे, यह बिल रहने वाला नहीं है, क्योंकि यह इतना अनसर्टेन है और आपरेशनली तो इतना टीडियस बनता है, और लीगली भी वीक बनता है यह क्लाज। इतना ही नहीं सेक्शन 6 (ए) क्वालिफिकेशन फार डिटरमिनिंग भी इसको आपरेशनली और लीगली बड़ा वीक बनाता है। "is personally interested in a candidate for any selection" यह एक ऐसा वेग टर्न है कि किसी भी मेम्बर के लिए आराम से कह दिया जायगा कि वह फलां आदमी के अन्दर इन्टेरेस्टेड है और legally it will be smashed and shattered to pieces. जैसे किसी के भी लिए यह कह दिया जाय या खेतसिहजी के लिए यह कह दिया जाय कि इन्होंने 10 लाख या 15 लाख रुपये खाये हैं तो it is as vague as that. It shows the man is personally interested. तो यह लीगली फाल्टी है। फिर यह गड़बड़ शब्द का आपको अर्ज कर दूं कि यह "adjusted inslovent."

एक माननीय सदस्य : "Adjudged insolvent".

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एडजज्ड इन्सालवेन्ट कहां से आ गया? जो बुद्धिजीवी हैं उसके पास लक्ष्मी? लक्ष्मी और सरस्वती का कभी मेल हुआ है? सरस्वती के घर के अन्दर लक्ष्मी प्रवेश करती है? वह तो फक्कड़ ही होता है जो

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)

इन्टेलेक्युअल हैं और बुद्धिजीवी हैं यह उसका अपमान है। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में आदमी को सिर्फ दौलत से तोला जाता है। यह पैमाना आपको बदलना पड़ेगा। यह इन्साल्वेन्सी की जो टर्म आपने रखी है मैं समझता हूं इससे बड़ा अपमान एक बुद्धिजीवी का कोई नहीं कर सकता है। किस ने इन्साल्वेन्ट कर दिया? कैसे उसका दीवाला निकल गया? एक डॉक्टर है केमिस्ट्री का, एक डॉक्टर है फिलास्फी का, एग्रोनामी का डॉक्टर है वह इन्साल्वेंट हो गया?

फिर ट्रान्सफर ग्रॉफ ऑफिसर्स····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी) इसमें आपने एज्यूकेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव नों साइड कवर करने की कोशिश की। किसी एक युनिवर्सिटी से किसी का दूसरी युनिवर्सिटी में ट्रान्सफर करते हैं तो जो आज सर्विस कन्डीशन्स हैं वह केरीऑन करेगी, दूसरी युनिवर्सिटी में भी, तो क्या आपने सारी युनिवर्सिटीज की सर्विस कन्डीशन्स को युनिफाइड कर दिया है? क्या आपने पे को रेशनेलाइज किया है? जितनी युनिवर्सिटीज आपकी राजस्थान में हैं उनकी सर्विस कन्डीशन्स को क्या आप एक लेवल पर ले आये हैं? एक डॉक्टर को विक्टीमाइज करना है तो उसको बैटर सर्विस कन्डीशन्स वाली यूनिवर्सिटी से कम बैटर सर्विस कन्डीशन्स वाली युनिवर्सिटी में भेज दें तो वह कैसे जस्टीफाइड है? सर्विस कन्डीशन्स का स्टेण्डर्ड तो कम हो गया। तो फर्स्ट युनिवर्सिटी जहां से वह जा रहा है वही सर्विस कन्डीशन्स वह लेगा और यदि वह सर्विस कन्डीशन्स जहां वह जा रहा है वह सूपीरियर होगी तो उस जगह की सर्विस कन्डीशन्स लेगा······

श्री शंकरलाल (पाली) : इसमें नहीं लिखा है कि वही सर्विस कन्डीशन्स रहेंगी। इसमें तो लिखा है कि स्पेसिफाइड की जायेंगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : "Such officer upon his transfer shall carry with him to the University to which he is transferred such other conditions of service as may be specified in the order of transfer."

आप देख लीजियेगा। इसका मतलब यही निकलता है कि स्पेसिफाइड कर दी जायं। आपकी सर्विस कन्डीशन्स रेशनेलाइज्ड नहीं हैं।

श्री शंकरलाल : आपने बोला था कि वही सर्विस कन्डीशन्स रहेंगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सर्विस कन्डीशन्स को रेशनेलइज कर दें। मान लो कि सुपीरियर सर्विस कन्डीशन वाली जगह से इन्फीरियर सर्विस कन्डीशन्स वाली जगह पर भेजा गया तो डेफिनेटली सर्विस कन्डीशन्स को रेफर करना पड़ेगा। इसलिए सारे को रेशनेलाइज कर दें। यह सब रेफरेन्स का जो प्रोसेस है वह इतना कम्प्लीकेटेड है और इतना टीडियस आप बनाते हैं कि उसमें गड़बड़ होती है। मेरिट और सीनियोरिटी के प्रोसेस में कम्प्लीकेशन्स हैं, जो 50 पर्सेंट मेरिट पर और 50 पर्सेन्ट सीनियोरिटी हों, पर उसमें

Page No 106

106

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

कम्प्लीकेशन्स हैं। मेरे पास समय नहीं है नहीं तो मैं डिटेल्स बता देता। तो मैं इसके अन्दर यह कहना चाहूंगा कि इसमें शिड्यूल जो हैं, उसमें आपने आर्डिनेंस में लिखा था आपको प्रोफेसर के सिलेक्शन के लिए डीन ऑफ फैकल्टी चाहिए। इन 6 लाइनों का जस्टीफिकेशन क्या है जिसके लिए आपने यह लाइनें जोड़ी हैं?

"Dean of the faculty concerned if he is a Professor and, where he is not a Professor, any Professor of the Department concerned nominated by the Vice Chancellor;"

बड़ी सीधी बात है, डीन ऑफ फैकल्टी होना चाहिए। मोस्टली प्रोफेसर डीन ऑफ फैकल्टी होते हैं। तो यह 4 लाइनों का क्या मतलब था। यह आर्डिनेंस में अर्थ सीमित था। You have made the meaning complicated.

आपका इसमें कहना है:—

"Reader, Lecturer and any other teacher by whatever name designated having his pain in the scale of a Reader or a Lecur but lower than that of the Professor."

अब इसके लिए आपको एक पैनल चाहिए। आप 21-22 आदमियों का एक पैनल भेज दें। सिलेक्शन कमेटी की अब यह पैनल कितनी होगी। सारा ही आपको देखना है। अब भी राजस्थान युनिवर्सिटी में, उदयपुर युनिवर्सिटी में और विशेष रूप से जोधपुर युनिवर्सिटी में इण्टेलेक्चुअल्स सारे के सारे बाहर से इम्पोर्ट किये जाते हैं। गोल्ड मैडिलिस्ट का प्रश्न इस सदन में आ चुका है। सभापति महोदय, मुझे याद है, गवर्नर चांसलर हैं। ऐसे ही एक प्रश्न पर मुझे सदन से दो महीने के लिए निकाला गया था। उस समय के वाइस चांसलर गोरखपुर युनिवर्सिटी के थे। तो आज यह महत्वपूर्ण युनिवर्सिटी है? राजस्थान के जितने इण्टेलेक्चुअल्स हैं, इन युनिवर्सिटीज के हैं। मेरे पास बड़ी डिटेल्स हैं। हालत यह है कि यहां पर किस प्रकार से ब्यूरोक्रेसी चलती है। डॉ० सरनामसिंह का मामला इस सदन में ध्वनित हुआ। आपने एक रिटायर्ड आई०ए०एस० ऑफिसर को इन्क्वायरी के लिए नियुक्त किया। 30 हजार रुपया उस पर खर्च हो गया। सिण्डीकेट ने रिटायर्ड ऑफिसर, आई०ए०एस० ऑफिसर की रिपोर्ट पढ़ी तो दिमाग बिगड़ गया। मैं मानता हूँ, आई०ए०एस० आफिसर्स में भी कुछ इण्टेलेक्चुअल्स होते हैं। उनके लिए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था:—

"They are our watch dogs."

वह जो भी ब्रिटिश ट्रेडीशन का करते हैं:–They are carrying on the old traditions.

इसलिए मैं कहता हूं, जहां आप यह सिलेक्शन कमेटी बनाते हैं तो प्रोफेसर्स की टीचर्स की यूनियन भी मौजूद हैं। एम०-एल०एज० को लाइये। एजूकेशन पैनल से सिलेक्ट कीजिये। इसको ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाइये, वाइडर बनाइये। सिण्डीकेट को एनफोर्स करवाइये। अभी ग्राण्ट्स कमीशन पर चार्जेज लगे हैं, वह भी आप जानते हैं। पी०एल० 480 का कहां क्या किया गया है। वह आप जानते हैं। अब भी

(श्री योगेन्द्रनाथ हंडा)

युनिवर्सिटी की स्थितियों को आप जानते हैं। अन्त में मैं शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इतनी जल्दी वह नहीं करेंगे, इसके लिए। इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कीजिये। इस पर अच्छी तरह से विचार किया जाये। सिण्डीकेट ने फैसला लिया है। 10-10 साल से लोग बैठे हैं उनका इण्टर अरेंजमेंट कीजिये। टैम्परेरी सर्विसेज का भी कोई लॉजिक नहीं है। बिल को आज ही प्रोसेस किया जाये, ऐसी कोई हालत नहीं है, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं हो रही है। माननीय सदस्यों को कान्फीडेंस में लें। क्लॉज बाई क्लॉज डिस्कशन बन्द करके इस बिल को बन्द करें।

श्री सभापति : श्री केशरीमल (अनुपस्थित)

श्री रतीराम (अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ विश्नोई (अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सभापति महोदय, चर्चा के अन्दर जो प्रस्ताव दिया है तो इसमें डिबेट रोचक तभी बनती है, जब वह भी बोलें और हम भी बोलते रहें। अभी श्री शंकरलालजी बोल लें।

कार्य सलाहकार समिति का 18वां प्रतिवेदन

श्री खेतसिंह : सभापति महोदय, पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं। यह सलाहकार समिति का प्रतिवेदन है जो सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रतिवेदन इस प्रकार है:

"कार्य सलाहकार समिति की बैठक 14 अगस्त, 1974 को मध्यान्होत्तर 3.00 बजे हुई। समिति अपने 17 वें प्रतिवेदन में आंशिक परिवर्तन करते हुये सिफारिश करती है कि दिनांक 16 अगस्त से 19 अगस्त, 1974 तक लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा इस प्रकार किया जाय:—

शुक्रवार, दिनांक 16 अगस्त, 74

(1) राजस्थान कृषि साख प्रचालन (कठिनाइयां निराकरण) विधेयक, 1974

(2) राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1974 पर विचार एवं उनका पारण।

शनिवार, दिनांक 17 अगस्त, 74

खाद्य एवं आवश्यक वस्तुओं के भावों एवं वितरण तथा लेवी वसूली पर विचार।

रविवार, दिनांक 18 अगस्त, 74

बैठक नहीं होगी।

सोमवार, दिनांक 19 अगस्त, 74

(1) राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1974

(2) राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1974

(3) राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1974 पर विचार एवं उनका पारण।"

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन सलाहकार समिति के 18 वें प्रतिवेदन को स्वीकार करता है"।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : 17 तारीख को क्वेश्चन अवर नहीं होगा। जो स्थगन प्रस्ताव 17 को रखे जायेंगे वह 16 को दे दिये जायेंगे। ये दो चीजें आप भूल गये हैं।

श्री खेतसिंह : यह तो इसमें है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : भ्रम दूर हो जाये, इसलिए मैंने कहा है।

श्री सभापति : सदन की राय है, सलाहकार समिति के 18वें प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन स्वीकार किया गया।

राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) विधेयक, 1974 पर अग्रेतर विचार

श्री पूनमचन्द विश्नोई (भीनमाल) : सभापति महोदय, कई माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव रखे हैं कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये। उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैंने इस बिल को और आर्डिनेंस को ध्यान से पढ़ा। मुझे ऐसा लगा कि इस आर्डिनेंस को बहुत ही जल्दबाजी में ड्राफ्ट किया गया है और प्रशासनिक विभाग ने भी हमारे सामने बहुत जल्दबाजी में प्रस्तुत किया है। यद्यपि इसके आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में यह बताया गया है कि हम अध्यापकों का निष्पक्ष चयन चाहते हैं इसलिए हमने यह व्यवस्था की है। लेकिन यदि आप बिल को पढ़ेंगे तो ऐसा लगगा कि इस दायरे से राज्य सरकार और विभाग इस आर्डिनेंस के माध्यम से बहुत ही आगे चला गया है और उन्होंने बहुत सी आपत्तिजनक बातें, जो युनिवर्सिटी में पहले नहीं हुई हैं, इसके अन्दर इन्ट्रोड्यूस कर दी हैं। मिसाल के तौर पर रूल मेकिंग पॉवर का इन्होंने खण्ड 10 के अन्दर राज्य सरकार को अधिकार दिया है। मैं कह सकता हूं, और मैं गलत होऊं तो मुझे शिक्षा मंत्रीजी बतायेंगे, "State Government" शब्द हमारे युनिवर्सिटी के किसी एक्ट के अन्दर कहीं नहीं आया हुआ है, और कहीं भी उसको रूल मेकिंग पॉवर नहीं है। यह नई पॉवर है, वह राज्य सरकार ने अपने में ली है और जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया था, यह युनिवर्सिटी के अधिकार क्षेत्र पर अतिक्रमण है, और इसको बढ़ावा देना, मैं समझता हूं, जनहित में नहीं होगा। एक बात !

दूसरी बात, चयन का बहाना लेकर तो आर्डिनेन्स लाये और उसके अन्दर उन्होंने व्यवस्था की है कि चान्सलर महोदय किसी भी युनिवर्सिटी के किसी भी अधिकारी का एक जगह से दूसरी जगह ट्रान्सफर कर सकते हैं। हो सकता है कि उनकी तनखवाह, भत्ते, दूसरी सुविधायें अलग अलग तरीके की हों और उसमें यह लिखा है कि वह उन्हीं शर्तों पर कार्य करेगा नई जगह पर जो राज्य सरकार या ट्रान्सफरिंग आथोरिटी निर्धारित करेगी। तो यह एक और बात हो गई कि इस तरह के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके ऊपर राज्य सरकार का—चान्सलर का नाम लिया है लेकिन कर्ता—धर्ता राज्य सरकार हुआ करती है—एक तरह से अधिकार हो गया और उनको राज्य सरकार के मुंह की ओर हमेशा देखना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि यह भी युनिवर्सिटी के हित में बात नहीं है। वाइस चान्सलर की, अध्यापकों की, विद्यार्थियों की—इनकी

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

शिकायत तो हमने कई दफा सुनी हैं और सदन में भी यह विषय चर्चा में आया है, लेकिन आपने किसी रजिस्ट्रार की, किसी उप रजिस्ट्रार की, किसी असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार की या दूसरे अधिकारियों की ज्यादा शिकायत नहीं सुनी होंगी। और हो सकता है कि एक व्यक्ति को एक जगह रजिस्ट्रार होना सुविधाजनक हो और क्या पता, वह रजिस्ट्रार होता नहीं, वह नौकरी करता यह समझ कर कि यहीं राजस्थान युनिवर्सिटी में रहूंगा, राजस्थान युनिवर्सिटी बड़ी युनिवर्सिटी है, नामवरी ज्यादा है। जोधपुर और उदयपुर युनिवर्सिटी उसके मुकाबले में छोटी छोटी युनिवर्सिटी हैं। इस तरह से सर्विस कन्डीशन्स में चेंज कर देना और राज्य सरकार और चान्सलर महोदय के हाथ में बात दे देना मैं समझता हूं, युनिवर्सिटी के हित में नहीं है। इससे वाइस चान्सलर और सिंडीकेट की तरफ देखने के बजाय राज्य सरकार और चान्सलर की तरफ देखेंगे। तो इसके पीछे क्या इरादा है–मेरी समझ में नहीं आया, इस तरह का कदम उन्होंने क्यों उठाया है। मैं समझता हूं कि शिक्षा मंत्रीजी हमें समझाने की कोशिश करेंगे·····

श्री खेतसिंह : अवश्य !

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इसके पीछे क्या भावना है और आखिर में क्या करना चाहते हैं ?

फिर बिल का ड्राफ्टिंग है, यह बहुत जल्दबाजी और बहुत हेपहैजर्ड तरीके से किया गया है। भाषा तो वह होती है कानून की, जो जो आपका इरादा है, उसको सही रूप से सामने रख सके और उसका इन्टरप्रिटेशन वाजिब तरीके से हो सके। जैसे बहुत से माननीय सदस्यों ने शुरू में इस बिल को नहीं पढ़ा था, मैंने भी यहां आकर पढ़ा, लेकिन थोड़ा पढ़ने पर पांच दस गलतियां ऐसी नजर आयी हैं जिनसे यह लगता है कि इस बिल को बहुत जल्दबाजी में तैयार किया गया है और असली भावना प्रकट नहीं होती है। इसलिए इसको इस रूप में पारित कर दिया जायगा तो अन्याय की सूरत रहेगी, अव्यवस्था बढ़ेगी।

इसका खण्ड छः है, "Disqualification for appointment on the commission." कमीशन ? कह देंगे, यह ओमीशन है, गलती हो गई, प्रिंटिंग एरर है, लेकिन प्रिंटिंग एरर यह नहीं है। "कमीशन" शब्द ड्राफ्ट बिल के ओरिजिनल में देख लीजिये, वहां "कमीशन" शब्द कर दिया होगा। लेकिन "कमीशन" शब्द इसमें आगे कहीं नहीं है, "कमेटी" शब्द है, जो इसके भाग एफ में आया है, और हैडिंग में रख दिया "कमीशन"! यह लापरवाही की बात है। उन्होंने देखा नहीं होगा और जो है वह रख दिया होगा। सोचा होगा, जल्दी आर्डिनेन्स को पास करना है, बिल पास कराना है, तो जैसा था वैसा रख दिया वह शब्द। आगे उदाहरण दे रहा हूं, 6(ए) में है "Personally interested in a candidate for any selection" "पर्सनली इन्ट्रेस्टेड" की परिभाषा क्या है ? जो कि लड़के का बाप है, उसे क्या "पर्सनली इन्ट्रेस्टेड" कहेंगे। भाई का बेटा जाय, बुआ का बेटा जाय, पुत्र जाय, गोद लिया हुआ जाय, जाति बिरादरी का जाय तो क्या उसको पर्सनली इन्ट्रेस्टेड कहें। "पर्सनली इन्ट्रेस्टेड" से क्या समझते हैं ? इसका क्या मतलब हो सकता है। जाति

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

का नहीं, बिरादरी का नहीं, यहां का नहीं फिर भी पर्सनली इन्ट्रेस्टेड हो सकता है । "पर्सनली इन्ट्रेस्टेड यह बहुत वेग है शब्द । इसका मतलब नहीं निकलता है । यह लापरवाही का नमूना है । 6(ई) में है "Is convicted of an offence of moral turpitude" फिर आगे लिखा है "or is arrested for an offence against the security of the state." यदि आफेन्स किया है तो कन्विक्शन होना चाहिए, और मेन्टेनेन्स आॅफ सीक्योरिटी के लिये अरेस्ट किया है तो 'अरेस्ट" नहीं होना चाहिए, "डिटेन्ड" होना चाहिए । आप समझते हैं कि डिटेन्ड को प्राहिबिट कर देंगे तो कर दीजिये । कोई बात नहीं है। वैसे करना नहीं चाहिए । कोई डिटेन किया जा सकता है, राजनैतिक विचारधारा हो सकती है, कई परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं । " arrested for an offence aginst the security of the state." से क्या मतलब है ? एक दिन के लिए किसी को गिरफ्तार कर लिया कि इसने स्पाइंग किया है, दूसरे दिन छोड़ दिया तो वह आदमी डिस्क्वालिफाई हो जायगा । सीक्योरिटी आॅफ स्टेट का सवाल है, for certain period he is detained, फिर आफेन्स होने का सवाल नहीं है । आफेन्स वह है जो पीनल और दूसरे एक्ट में है । सीक्योरिटी ऐसी वाइड चीज है, इसमें "अरेस्ट" शब्द उपयुक्त नहीं है । यह मन्शा है, यदि कन्विक्शन के बगैर, बिना सजा हुए कर सकते हैं तो 'डिटेन्ड' होना चाहिए । उसके बाद (फ) में किया है । "has so abused his position as a member."

यह बहुत ही वेग है । मैं कहता हूं कि एब्यूज किया है, दूसरा कहता है कि नहीं किया । तो लाॅ लेक्सीकन में "interested" शब्द नहीं है, यह लीगल फ्रेजोलोजी का शब्द नहीं है । कानून में "abused" को डिफाइन नहीं किया है । "has abused his position as a member" का क्या मतलब है ? मैं समझता हूं, कोई मतलब नहीं निकलता है । अच्छा ! फिर यह ओवर राइडिंग इफेक्ट दे दिया है । एक्ट में जितने रूल्स हैं, आर्डिनेन्स से पुराने एक्ट में प्रावधान हैं, वह सब कुछ रद्द होकर यह आयेगा । इसके ऊपर भी एक नया प्रावधान डाला है, "state Government shall make rules" किसी एक्ट को देख लीजिये, स्टेट गवर्नमेंट मीन्स राजस्थान गवर्नमेंट का फंक्शन नहीं आया, उसके बिना लागू करने को कहा है, तो चान्सलर का पर्दा रखा है । चान्सलर बीच में रहेगा, उसके द्वारा छन कर आयेंगे । स्टेट गवर्नमेंट नहीं रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट का नाम नहीं रहेगा। यह कहीं नहीं रखा गया है । भारतवर्ष की युनिवर्सिटी में यह पहली मिसाल है । मेरा नम्र निवेदन है कि इसमें बहुत से

(5.29 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

बुनियादी सवाल हैं । विरोधी पक्ष के दिग्गज थे, वह कह रहे थे, अध्यापक को ट्रान्सफर कर दिया । दूसरे कह रहे थे कि राजस्थान युनिवर्सिटी का नहीं है । उन्होंने नहीं पढ़ा, या ध्यान से नहीं पढ़ा । हमने भी नहीं पढ़ा। मैंने कुछ थोड़ा सा पढ़ा तो कुछ गलती नजर आयी, और पढ़ता तो और नजर आती । इसलिए मैं समझता हूं कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर देना चाहिए ।

श्री सभापति : श्री शंकरलाल !

श्री शंकरलाल (पाली) : सभापति महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक एवं अधिकारी की सेवा के लि', विधेयक चयन के लिये लाया गया है, उसके लिए राज्य सरकार और शिक्षा मंत्री को बधाई दूंगा क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यापक और अधिकारियों के लिए कोई इस प्रकार का एम्बोडीड एक्ट या नियम नहीं थे, जिससे कि सेवा के अन्दर काफी कमियां थीं, और चयन के अन्दर पक्षपात और अन्याय की शिकायतें आती थीं। उनको मिटाने के लिए इस प्रकार के कानून की कमी थी, उस कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने अच्छा कदम उठाया है। लेकिन जो कदम उठाया जाय, जो एक्ट बनाया जाय, वह अपने आपमें पूर्ण होना चाहिए। इस एक्ट को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने का प्रस्ताव किया है। इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, इसका तात्पर्य यह है कि इन संशोधन को और इसकी एक एक चीज को डिस्कस किया जाय और जिस प्रकार बहुत से महानुभावों ने इसके बारे में, लैंग्वेज के बारे में, क्लाजेज के बारे में, एक एक चीज के बारे में नुक्ताचीनी की है, और कई गलतियों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है, उनसे, शिक्षामंत्री जी, ऐसा लगता है कि इसको वास्तव में एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाना चाहिए, जिससे इस बिल को बहुत बारीकी से देखा जाय और देखने के बाद इस प्रकार का बिल बने जो अपने आप में पूर्ण हो। अभी अपने आपमें पूर्ण नहीं हैं- इस बिल के क्लाजेज को देखने से, सभापति महोदय, ऐसा प्रतीत होता है। जैसे क्लॉज 5 और क्लाज 10 के बारे में बताऊं। क्लॉज 5 में यह कहा गया है। सिलेक्शन कमेटी के लिए प्रासीजर बनाया जायगा। अब उसकी रिकमन्डेशन होगी, उनका फार्म क्या होगा-वह नहीं है। इसका जो प्रासीजर है वह बाद में प्रेस्काइब किया जायगा। यह बाद की बात है। एक्ट में यह प्रावधान नहीं किया गया है कि कितना कोरम होगा, क्या बात होगी। जल्दबाजी में यह तय नहीं कर सके। इसलिए अपने आपमें यह पूर्ण नहीं है क्योंकि क्लॉज 5 में यह नहीं बताया गया है कि प्रासीजर क्या होगा। इसलिए यह पूर्ण नहीं है। अब 10 में बताया गया है कि रूल बनाये जायेंगे। कानून, सभापति महोदय, इतना सक्षम होना चाहिए कि छोटी छोटी बातें हैं, उनके बारे में विवाद कम हो, कानूनी उलझन कम हों। यह बात सही है कि रूल मेकिंग पावर द्वारा रूल बनाये जायेंगे। लेकिन चयना का मामला है, वह एक्ट में ऐसा बनाया जा सकता है जिससे आगे जाकर रूल बनाने की जरूरत नहीं हो, पावर देने की जरूरत नहीं हो, न राज्य सरकार को देने की जरूरत हो, न और किसी को देने की जरूरत हो। मेरा निवेदन है कि यह कानून है, यह पूर्ण हो, तो इसमें डेलीगेशन की जरूरत नहीं है। यह तभी हो सकता है, जब यह सिलेक्ट कमेटी में जाय और सिलेक्ट कमेटी इस पर विचार कर सके।

इसमें दूसरी सिलेक्शन कमेटी के अन्दर चयन के बारे में, कान्स्टीट्यूशन के बारे में बात कही गई है। मैं क्लॉजवाइज नहीं बताऊंगा एक जगह इसमें यह बात कही गई है, चान्सलर एक साल के लिए किसी आदमी को, एजूकेशनिस्ट को नामीनेट करेगा। उसमें आगे कहा है, एक साल के अन्दर फार गुड रीजन उसको कैंसिल कर सकता है नामीनेशन को। एक साल के लिए उसका

(श्री शंकरलाल)

नामीनेशन करेंगे, एक साल में चयन के लिए कितनी मीटिंग होंगी, दो मीटिंग होंगी, या चार मीटिंग होंगी। लेकिन चान्सलर चाहे तो उसे हटा सकता है, उसके लिए कहा है कि गुड रीजन हटाने का हो। वह गुड रीजन क्या होगा–यह चान्सलर की मर्जी पर है। इस तरह जो एजूकेशनिस्ट होगा, वह स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकेगा, वह निर्भय नहीं रहेगा। उसे कोई चीज कहें और वह न माने तो वह गुड रीजन हो सकता है। मेरा निवेदन है कि एक साल के लिए नामीनेशन करते हैं तो आपको कम से कम विश्वास करके चलना पड़ेगा उस पर। यह एजूकेशनिस्ट को नामीनेट करते हैं, जिसके लिए चान्सलर उसके नाम की सिफारिश करेगा, कम से कम कमेटी को सिफारिश होकर नाम आयेगा और फिर नामीनेशन होगा, और वह कम से कम ऐसा होगा, जिसे साल भर के लिए रखा जायगा। इसलिए यह हटाने की बात कही है, यह उपयुक्त नहीं है। इससे निर्भीकता से काम नहीं कर सकेगा।

इसी प्रकार से एक क्लॉज के अन्दर यह दिया गया है कि दो साल पहले तक एक्सपर्ट के द्वारा स्टूडेंट के रूप में पढ़ाया हुआ न हो जो सिलेक्शन कमेटी में आने वाला है, या थीसिस को एक्जामिन किया हुआ नहीं हो। यह कैसे पता लग जायगा। यह भी इसमें दिया हुआ है कि पर्सनली इन्ट्रेस्टेड नहीं हो। इन दोनों बातों की क्या जरूरत है? अगर पर्सनली इन्ट्रेस्टेड नहीं हो, रख दिया जाता है तो यह जरूरी नहीं है कि दो साल पढ़ाया हुआ नहीं हो, थीसिस को एक्जामिन किया हुआ नहीं हो। यह क्या जरूरी है कि पढ़ाया हुआ हो तो उसमें इन्ट्रेस्टेड हो? जिन्हें पढ़ाया हुआ होता है उनके बारे में प्राफेसर को याद नहीं रहता है कि किसे कब पढ़ाया था इसलिए यह जरूरी नहीं है कि वह उसमें पर्सनली इन्ट्रेस्टेड हो। तो इस प्रकार का प्रावधान रखना, उसकी जांच कौन करेगा? कौन इस बात का पता लगायेगा कि दो साल तक कोई किसके पास पढ़ा है या किसने किसकी थीसेज इग्जामिन की हैं या कौन किसमें पर्सनल इन्टेरेस्ट रखता है। डिस्क्वालीफीकेशन क्या होनी चाहिये इसके बारे में भी प्रावधान कांट्रेडिक्टरी हैं। इन सब बातों पर सिलेक्ट कमेटी में विचार हो सकता है।

एक बात मैं दोहराना नहीं चाहता, कई महानुभाव उस पर बोल चुके हैं, लेकिन यह जो अरेस्ट होने को ही आपने डिसक्वालीफिकेशन रख दिया है, यह सही नहीं है। अरेस्ट होना ही डिसक्वालीफिकेशन नहीं बनना चाहिये।

इन सब बातों पर विचार करने के लिये इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजना निहायत जरूरी है और माननीय शिक्षा मंत्री भी इस बात को मानेंगे कि जो मुद्दे यहां पर उठाये गये हैं उन पर विचार करना बहुत जरूरी है और उसके लिये इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को रेफर करना चाहिये ताकि बाद में इसे पास करने में माननीय सदस्यों को कोई दिक्कत नहीं हो।

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के विश्वविद्यालयों में अध्यापकों तथा अधिकारियों के सेवा की विशेष शर्तों के बारे में जो यह बिल यहां प्रस्तुत किया गया है, वह एक सराहनीय कदम कहा जा

(श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत)

सकता है और आज शिक्षा का एक स्टेंडर्ड कायम करने की दिशा में यह बहुत अच्छा कदम कहा जा सकता है। मैं इसका स्वागत करती हूं और कहना चाहती हूं कि इसमें कुछ कमियां हैं और कुछ क्लाजेज और होने चाहियें, पर इस बिल को प्रवर समिति में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है।

विश्वविद्यालयों की स्वतन्त्रता को बिना नीचे किये जो सिलेक्शन्स के बारे में प्रावधान किये गये हैं, वह वास्तव में एक सही कदम हैं। सिलेक्शन्स के बारे में आये दिन हमें शिकायतें मिलती हैं कि पक्षपात हो रहा है या किसी विशेष प्रान्त के व्यक्तियों को प्रिफरेन्स दिया जा रहा है। इस प्रकार की कमियों को इस बिल द्वारा दूर किया गया है।

इसके साथ ही जो अस्थाई नियुक्तियां की जाती हैं, वह भी छः माह से अधिक समय तक नहीं होंगी। यह छः माह को हटा कर इसके स्थान पर ऐकेडिमिक सेशन शब्द जोड़ दिये जायें तो ठीक होगा, क्योंकि छः महीने के अन्तर्गत पुनः चयन समिति का बैठना कठिन होगा और दूसरी ओर जो अध्यापक अस्थाई रूप से काम कर रहे हैं उनको भी परेशानी होगी।

आज हम देख रहे हैं कि राजस्थान के तीनों विश्वविद्यालयों उदयपुर, जोधपुर तथा राजस्थान में अस्थाई प्राध्यापकों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। ऐसे भी उदाहरण हैं जहां आठ आठ और दस दस बरस काम करने के बाद भी प्राध्यापकों का चयन नहीं हो पाया और वह अस्थाई ही चले आ रहे हैं और वह आज दूसरी सर्विसेज के लिये भी ओवर एज हो गये हैं। इस प्रकार की जो अनिश्चितता आज है वह अध्यापकों और विद्यार्थियों दोनों के लिये खतरनाक है। इस बिल से यह अस्थाई समय बहुत लम्बा न रह कर केवल छः माह ही रहेगा या ऐकेडेमिक सेशन ही रहेगा। यह एक सराहनीय कदम है। इससे अनिश्चितता दूर हो जायेगी।

सभापति महोदय, यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन और गजेन्द्र गडकर की सिफारिशों को राज्य सरकार ने मान लिया है और इसके लिये चयन समिति का गठन किया है, उसके लिये मैं राज्य सरकार का स्वागत करती हूं। सभापति महोदय, चयन समिति के जो सदस्य होंगे, इस बिल में ऐसा क्लाज रख दिया गया है, उसके लिये मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगी। सभापति महोदय, इसमें ऐसा रखा है कि जिस व्यक्ति ने थीसिस को एग्जामिन किया है। वह व्यक्ति उस चयन समिति का सदस्य नहीं हो सकेगा। सभापति महोदय, अगर जिस व्यक्ति ने थीसिस को एग्जामिन किया है उसको आप उस चयन समिति का सदस्य नहीं रखेंगे तो सही चयन कैसे हो सकेगा? सभापति महोदय, जिस व्यक्ति को थीसिस का ज्ञान है उसको तो सिलेक्शन कमेटी में नहीं रख रहे हैं और जिसने थीसिस को एग्जामिन नहीं किया है उसको आप सिलेक्शन कमेटी में रख रहे हैं। यह तो गलत है। इसमें तो फिर मुझे वही बात नजर आती है जो श्री गिरधारीलालजी भार्गव ने कही कि जिस व्यक्ति को जिस विषय का ज्ञान नहीं उसे आप सिलेक्शन कमेटी में रख रहे हैं। इसलिए, सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इस क्लाज को हटा दिया जाना चाहिये।

इसके अलावा, सभापति महोदय, प्रशासनिक व्यवस्था के लिये अधिकारियों

(श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत)

के स्थानान्तरण के बारे में जो व्यवस्था रखी है कि उनका एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में स्थानान्तरण कर दिया जायेगा । यह कदम मैं, सभापति महोदय, बहुत ही उपयुक्त समझती हूं । मैं, तो इसके बारे में यह भी सुझाव देना चाहूंगी की सिर्फ अधिकारियों का ही क्यों, इसमें आप टीचिंग स्टाफ का भी जिसमें लेक्चरार्स, रीडर्स, प्रोफेसर्स, सभी का स्थानान्तरण रख दीजिये । इसका असर यह होगा, सभापति महोदय, कि आज जो विश्वविद्यालय के प्रांगण में गुटबन्दी बनी हुई है, जो लड़ाइयां होती हैं आपस में, जो संघर्षपूर्ण वातावरण यूनिवसिटी में बना रहता है, वह समाप्त हो जायेगा । और एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर्स होने से एक समानता का वातावरण यूनिवर्सिटीज में बना रहेगा । इसके लिये हमें यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस है उनमें परीक्षा प्रणाली में समानता लाना आवश्यक होगा । हमें यह कदम उठाने पड़ेंगे । सभापति महोदय, मैंने पिछले विधान सभा के सत्र में जब डिमान्ड्स चल रही थीं तो मैंने यह डिमान्ड की थी कि विश्वविद्यालय के लेक्चरार्स, रीडर्स वगैरहा जो टीचिंग स्टाफ है उनका स्थानान्तरण एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में अवश्य होना चाहिये । सभापति महोदय, यहां पर मैं यह भी कहना चाहती हूं और शिक्षा मन्त्रीजी को बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छे कदम उठाये हैं । इसके साथ साथ में, मैं कुछ और सुझाव शिक्षा मन्त्रीजी को देना चाहती हूं । सभापति महोदय, वह है उदयपुर यूनिवर्सिटी के बारे में । सभापति महोदय, उदयपुर विश्वविद्यालय के बारे में पिछले विधान सभा सत्र के अन्दर भी काफी वादविवाद हुआ था । यह तो सभी जानते हैं कि विश्वविद्यालय का स्थल बहुत ही गोरवमय है और वहां का जो वाइस चान्सलर होता है वह ऐसा होना चाहिये जिसकी कुछ गरिमा हो । लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उदयपुर विश्वविद्यालय का जो वाइस चान्सलर है उनके पीछे एक प्रश्नसूचक चिन्ह लगा हुआ है । जब आप वाइस चान्सलर को हैड बनाते हैं तो इसका तो ध्यान रखा जाना चाहिये । पिछले सत्र में मैंने इस बारे में शिक्षा मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट किया था और उन्होंने सदन में आश्वासन भी दिया था कि मध्य प्रदेश सरकार ने इनके ऊपर क्या चार्जेज लगाये थे इसका पता करेंगे । लेकिन मैं समझती हूं कि तथ्य अभी तक उन्होंने उपलब्ध नहीं कराये । तो क्या आप सिलेक्शन कमेटी का हैड उस व्यक्ति को बनायेंगे जिनके पीछे प्रश्नचिन्ह जुड़ा हुआ है ? क्या ऐसा व्यक्ति यूनिवर्सिटी का गौरव बढ़ायेगा ? सभापति महोदय, आज उदयपुर यूनिवर्सिटी में अत्यधिक आपाधापी हो रही है । और पूरे के पूरे विश्वविद्यालय में एक संघर्षमय वातावरण बना हुआ है । वहां पर एक गुट वाइस चान्सलर का बना हुआ है तो दूसरा गुट वाइस चान्सलर का विरोध कर रहा है

श्री सभापति : माननीय सदस्या आप । वाइस चान्सलर के संबंध में नहीं बोलें । संबंधित बिल के ऊपर ही बोलें ।

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत : सभापति महोदय, संबंधित बिल पर ही

(श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत)

बोल रही हूं । चूंकि वाइस चान्सलर को सिलेक्शन कमेटी का हैड बनाया है और उस हैड के आगे प्रश्नसूचक चिन्ह रहेगा, वह इससे संबंधित है । तो मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि वह इसका हैड नहीं रहे । अगर ऐसा व्यक्ति उसका हैड रहेगा तो लोगों को न्याय नहीं मिलेगा । आज उदयपुर यूनिवर्सिटी का वाइस चान्सलर अपनी मनमानी कर रहा है । उसने उदयपुर यूनिवर्सिटी के दो प्रोफेसर्स, एक तो मिस्टर सुधीर कुमार हैं और दूसरे मिस्टर चक्रवर्ती हैं, उन्हें बिना नोटिस दिये सस्पेन्ड कर दिया है । सभापति महोदय, उनको बिना "कारण बताओ" नोटिस दिये ही सस्पेन्ड कर दिया है । आज इस प्रकार का वातावरण बना हुआ है । इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बारे में राज्य सरकार ध्यान दे । इसके अलावा वहां पर हैड आफ डिपार्टमेन्ट बनाने के लिये रोटेशन प्रणाली होनी चाहिये । सभापति महोदय, सिन्डीकेट ने यह निर्णय लिया था कि हैड ऑफ डिपार्टमेन्ट रोटेशन से उन्हीं के स्टाफ में से बनाया जायेंगे । लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि उदयपुर यूनिवर्सिटी में उसकी पालन नहीं हो रही है जिससे वहां के टीचर्स स्टाफ में काफी रोष है । आज ही मुझे टीचर्स ऐसोसियेशन के जो प्रेसीडेन्ट हैं मिस्टर प्रवीण हैं, उन्होंने बताया कि हैड आफ डिपार्टमेन्ट, प्रोफेसर्स, एसिसटेन्ट प्रोफेसर और लेक्चरार्स में से बनायें, बाई रोटेशन बनाये जाने चाहियें । और यह इस प्रकार बनना चाहिये कि एक व्यक्ति का नम्बर दूसरी बार हैड ऑफ डिपार्टमेन्ट बनने के लिये जब आवे जब वह सरकिल पूरा हो जावे । लेकिन वहां पर एक व्यक्ति को बगैर सरकिल पूरा किये दूसरी बार हैड ऑफ डिपार्टमेन्ट बना दिया गया है । उसे हैडशिप बगैर रोटेशन पूरा किये ही मिल गया है । इसलिए मेरा सुझाव है कि राज्य सरकार को इस पर पूरी तरह से विचार करना होगा ।

सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहती हूं । इस बिल के पहले जो इससे संबंधित आर्डिनेन्स आया था उसमें सिर्फ जोधपुर यूनिवर्सिटी और राजस्थान युनिवर्सिटी का ही था । उसमें उदयपुर युनिवर्सिटी का नाम नहीं था, यह बाद में जोड़ा गया है । सभापति महोदय, उदयपुर यूनिवर्सिटी का स्थान एक विशिष्ट स्थान है क्योंकि वह विश्वविद्यालय एक कृषि महाविद्यालय है । वहां पर कृषि के बारे में शिक्षा दी जाती है । इसलिये वहां की नियुक्तियों के बारे में जो एक्सपर्ट का पैनल बने वह आल इन्डिया एग्रीकल्चर इन्स्टीट्यूट से आने चाहिये । और ऐसे व्यक्ति को बुलाया जाना चाहिये जो कि काफी विद्वान हो और इस बारे में ज्ञानी हो । सभापति महोदय, इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि कई लोगों को यूनिवर्सिटी में रिटायरमेन्ट के बाद भी उन्हें एक्सटेन्शन दी जाती है । और उसमें वाइस चान्सलर की राय सर्वोपरी होती है । इसके लिये मेरा यह सुझाव है कि अगर किसी को एक्सटेन्शन देना हो तो उसके लिये एक हाई पावर कमेटी बनायी जानी चाहिये । वह हाई पावर कमेटी यह निर्णय करे कि किसी व्यक्ति विशेष को एक्सटेन्शन दी जाय या नहीं । इसके अभाव में यह होता है कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स वगैरह पठन पाठन के कार्य को छोड़कर वाइस चान्सलर की चापलूसी में लग जाते हैं । जिन लोगों को सरस्वती की

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

आराधना करनी चाहिये । वह न करके वाइस चान्सलर को राजी करने में अपना समय व्यर्थ करते हैं । इसलिये मेरा यह सुझाव है कि इस बिल में जो इस प्रकार की खामियां हैं उन्हें हटाना चाहिये ।

इसके साथ साथ में, मैं कुछ बातें परीक्षा प्रणाली के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगी । आज, सभापति महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय और जोधपुर विश्वविद्यालय और उदयपुर विश्वविद्यालय में जो परीक्षा प्रणाली है बहुत अधिक डिफेक्टिव है । इसलिये इस सिस्टम में चेन्ज करने की आवश्यकता है । मेरा सुझाव इसमें यह है कि इन यूनिवर्सिटी का एग्जमिनेशन कोमन होना चाहिये इसके सैक्शन कोमन होने चाहियें । इन तीनों यूनिवर्सिटीज की परीक्षायें जो कन्डक्ट हों उसके लिये कोमन पेपर सेट होना चाहिये । मैं खास तौर से उदयपुर यूनिवर्सिटी के परीक्षाओं के बारे में निवेदन करना चाहूंगी, आज उदयपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों को यह पहले से ही पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति कौनसा पेपर सेट कर रहा है । चूंकि उदयपुर यूनिवर्सिटी मेरे निर्वाचन क्षेत्र के पास है, इसलिये मुझे इसकी जानकारी है । सभापति महोदय, विद्यार्थियों को यहां तक ध्यान रहता है कि किसने पेपर सेट किया और कापियां किसके पास जायेंगी । होता यह है कि लोग उनके पास पहले ही पहुंच जाते हैं और सिफारिशें लगवा लेते हैं । इसलिये इस दोष को मिटाने के लिये मैं यह सुझाव देना चाहती हूं कि इसमें ऐसी व्यवस्था हो कि जिससे परीक्षायें कोमन हों ।

श्री सभापति : माननीय सदस्या काफी समय ले चुकी हैं, अब समाप्त करें ।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : सभापति महोदय, बस एक मिनट में ही समाप्त कर रही हूं । सभापति महोदय, आज राजस्थान विश्वविद्यालय का परीक्षाफल अभी तक नहीं आया है हालांकि यहां पर कम्प्यूटर लगा दिया गया है । सभापति महोदय, यह कम्प्यूटर लाखों रुपये लगाकर खरीदा गया है लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि परीक्षाओं के परिणाम अभी तक, जब कि सितम्बर का महीना आने वाला है, उपलब्ध नहीं हुए हैं । राजस्थान विश्वविद्यालय का ही उदाहरण लें । कई परीक्षाओं के परिणाम अभी तक भी उपलब्ध नहीं हुए हैं । कम्प्युटर सिस्टम पर लाखों रुपया व्यय किया है । राजस्थान विश्वविद्यालय में कम्प्युटर से परीक्षाओं के परिणाम निकाले जावेंगे, यह निर्णय लिया था । लेकिन आज तक पूर्ण परीक्षाओं के परिणाम उपलब्ध नहीं हैं । सितम्बर तक परिणाम उपलब्ध हुए तो विद्यार्थियों की क्या हालत होगी ? यह वातावरण विद्यार्थियों में एक प्रकार का फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है और आक्रोश की अग्नि प्रज्वलित करता है जिससे वह केवल वह व्यक्ति ही नहीं किन्तु उनके सम्पर्क में आने वालों को भी नुकसान होता है ।

विश्वविद्यालय इसी लिये बनाये गये हैं कि शिक्षा का प्रसार अधिक हो । किन्तु दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यदि कोई नौकरी का एडवरटाइजमेंट हो तो पहले से ही उदयपुर विश्वविद्यालय और विक्रम विश्वविद्यालय में पढ़े हुए विद्यार्थी को एप्लाई

(श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत)

करने के लिये मना कर दिया जाता है। इस प्रकार की आपाधापी और द्वेषपूर्ण वातावरण बनाये रखेंगे तो हमारी शिक्षा जो पहले से ही नेशनल स्तर पर गिरती जा रही है, इन विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को नौकरी के लिये डिबार कर दिया जाय, यह काहे की बात कही जा सकती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, एक सैकिण्ड मुझे आप और दे दें। मैं यह कहना चाहती थी कि तीनों यूनिवर्सिटीज में असमानता है। राजस्थान विश्वविद्यालय का क्षेत्र जोधपुर और उदयपुर नगरों को छोड़ कर पूरे राजस्थान भर के लिये है। उदयपुर विश्वविद्यालय के लिये उदयपुर का क्षेत्र और जोधपुर विश्वविद्यालय के लिये जोधपुर का क्षेत्र है। क्या आप इन तीनों में एक समान और सम्मानित व्यवस्था नहीं कर सकते? कर सकते हैं। मेरा इस सम्बन्ध में एक सुझाव है। यदि हम इन विश्वविद्यालयों के क्षेत्रों में परिवर्तन लायें तो अच्छा कदम होगा। उदयपुर विश्वविद्यालय का क्षेत्र, उदयपुर डिविजन तथा कोटा डिविजन के कालेजेज हों वे सब इसके अन्तर्गत आ जाने चाहियें। इसी प्रकार जोधपुर विश्वविद्यालय में जोधपुर-बीकानेर डिविजन के कालेजेज हों और राजस्थान विश्वविद्यालय में जयपुर-अजमेर का क्षेत्र हो। इस प्रकार की यदि आप व्यवस्था करेंगे तो एक अच्छी व्यवस्था होगी और वातावरण भी सुधरेगा।

मैं, सभापति महोदय, और भी कुछ कहना चाहती थी परन्तु आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके अपना स्थान ग्रहण करती हूं।

श्री सभापति : श्री मनोहर कोठारी।

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) : माननीय सभापतिजी, जो बिल अभी सदन के विचारार्थ चल रहा है उसके लिये मैं अपनी ओर से माननीय शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद इसलिये देना चाहता हूं कि उन्होंने राजस्थान के विश्वविद्यालयों की स्थिति के सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार किया है, वहां के अध्यापकों और कर्मचारियों की समस्याओं को नजदीक से देखा है। ऐसा लगता है कि इन विश्वविद्यालयों में जिस प्रकार की धांधलीबाजी हो रही है और अध्यापकों के साथ आये दिन जो दुर्व्यवहार किया जाता है उनके निवारण के लिये एक प्रकार का यह कन्सोलिडेटेड सर्विसेज बिल यहां प्रस्तुत किया गया है।

उसके उद्देश्य तथा कारणों में यह बताया गया है कि "राजस्थान के समस्त विश्वविद्यालयों में भर्ती के एकरूपात्मक स्तरमान द्वारा कार्मिकों का निष्पक्ष चयन सुनिश्चित करने हेतु, विधि द्वारा प्रभावकारी उपलब्ध किये जायं"। इन तीनों उद्देश्यों को मद्देनजर रखते हुए ही यह बिल यहां प्रस्तुत किया गया है।

मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि राज्य सरकार जहां अध्यापकों और कर्मचारियों की सर्विस कन्डीशन्स के लिये एक प्रकार से इस प्रकार का एक कन्सालिडेटेड एक्ट बनाने का विचार रखती है तो वह क्यों नहीं सब ही विश्वविद्यालयों के एक्ट्स और अधिनियमों को भी एक समान ही बना दे उनमें प्रावधान भी समान हो तो यह जो विभेद की स्थिति बनी हुई है वह भी समाप्त हो जाय और सरकार को भी काफी सहूलियत हो सके।

Page No 118

118

(श्री मनोहर कोठारी)

अभी कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ इस सम्बन्ध में आपत्ति की थी कि धारा 8 जिसमें टीचर्स और प्रोफिसर्स की व्यवस्था की गई है उससे इस बिल की मंशा का समाधान नहीं होता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यदि लीगली इस धारा को आप एक्जामिन करें तो इसमें एक बहुत गम्भीर और महत्वपूर्ण बात मेरी समझ में आयी है। शायद गत बजट सत्र के समय विधान सभा में जिस प्रकार की कुछ स्थितियां बनीं उदयपुर विश्वविद्यालय को लेकर और अन्य विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में भी जो बातें प्रस्तुत की गयीं, उन सबको मद्देनजर रखते हुए ही माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने विधिविहित बुद्धिशाली कानून प्रस्तुत किया है।

"The Chancellor may, for administrative reasons transfer an officer of a University to any other University."

इसमें यह खास मंशा है।

इसमें आगे 'आफिसर' को डिफाई किया किया है :

" 'Officer' means the Registrar, the Deputy Registrar, the Assistant Registrar, the Librarian of a University and includes any other officer by whatever name designated and declared by the statutes to be an officer of that University;"

मैं जब उदयपुर विश्वविद्यालय के स्टेट्यूट्स और उसके एक्ट को देखता हूं तो उसमें "Officer" की परिभाषा बड़ी विस्तार से दी गयी है। उसमें "Officer" की परिभाषा देते हुए बताया गया है :

"Officers of the University:

1. The Chancellor.
2. The Vice Chancellor."

तथा अन्य जिनमें रजिस्ट्रार आदि आ जाते हैं। क्या चान्सलर का भी स्थानान्तरण हो जावेगा ? उसके बाद वाइस चांसलर। वाइस चांसलर के स्थानान्तरण का अधिकार लेना चाहते हैं तो इस धारा में यह कह ही छुटकारा मत पा लीजिये कि इस बिल में प्रावधान किया है। रजिस्ट्रार से शुरू करते हैं। या तो रिलेवेन्ट ला में जो भी आफिसर्स हैं उनका स्थानान्तरण कीजिये। भीनमाल से आने वाले हमारे माननीय मित्र ने उदयपुर विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में अपने विचार रखे। आप कृपा कर ऐसे वाइस चांसलर साहब को दूसरे विश्वविद्यालय में भेज कर उनका भी सम्मान बढ़ायें। वे जोधपुर और जयपुर विश्वविद्यालयों के लिये उपयुक्त हो सकते हैं। लेकिन उदयपुर विश्वविद्यालय के लिये तो मुझे क्षमा करें आप। उदयपुर में उनकी उपयोगिता नहीं है। उदयपुर विश्वविद्यालय में आज जंगल का कानून लगा हुआ है वहां लीगल प्रोविजन्स कोई काम में नहीं लाये जाते। स्टेचूट कहता है कि बाई रोटेशन हैड की नियुक्ति होगी उसके बावजूद भी नियुक्तियां नहीं होती हैं। कई अध्यापकों को इस प्रश्न को लेकर अदालतों के द्वार खटखटाने पड़े हैं। अध्यापकों को बिना चार्जशीट दिये सस्पेन्ड कर दिया जाता है।

शिक्षा मंत्रीजी, मैं आपको एक बात निवेदन करना चाहता हूं। लोगों ने हाई कोर्ट के दरवाजे भी खटखटा दिये हैं।

(श्री मनोहर कोठारी)

सिविल सर्विस रूल्स के मुताबिक ऐसी व्यवस्था है कि निलम्बन की अवधि में कर्मचारी को 1\3, 1\2, 1\4 वेतन दें। विश्वविद्यालय सम्बन्धी अधिनियमों में ऐसा प्रावधान नहीं है और उस कानून के अभाव में सस्पेण्ड किये हुए व्यक्ति को भी पूरी तनखा देनी पड़ेगी। यह भी निवेदन कर दूं कि आप काम तो उससे नहीं लेंगे सो नहीं लेंगे ही, पर विश्वविद्यालय अनावश्यक आर्थिक बोझ से दब जायेंगे।

इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप कृपा करके इन तीनों विश्वविद्यालयों के लिये एक समान कानून बना दीजिये। इससे सबके प्रति समान न्याय होगा।

मैं विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का विरोधी नहीं हूं। पर जहां कन्सर्न्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को हर कमेटी में रखा है और वह हर उस कमेटी का चेयरमैन होगा तो मेरी दृष्टि में यह गलत होगा। ऐसा करना उपयुक्त भी नहीं है। इसमें आप एक विश्वविद्यालय की ऐसी कमेटियों के चेयरमैन दूसरे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को रखें तो यह सबसे उत्तम होगा। उदयपुर में रखना है तो जयपुर या जोधपुर में से किसी भी वाइस चांसलर को रख दीजिये, जयपुर या जोधपुर का इसी तरह से उदयपुर के वाइस चांसलर को रख दीजिये। इससे जो चयन होगा वह निष्पक्ष होगा और ठीक होगा। कमेटियां ठीक काम करेंगी।

इसके बाद मैं निवेदन करूंगा कि शिक्षा मंत्रीजी ने अध्यापकों की असुविधाओं को बहुत नजदीक से देखा है और अनुभव किया है। राज्य कर्मचारियों के कष्टों को भी आपने अनुभव किया है और उनके निराकरण के लिये अब आप ट्रिब्यूनल स्थापित करने का नया कानून बनाने जा रहे हैं तो इन अध्यापकों के प्रोफेसरों और लेक्चरार के कष्टों के निवारण के लिये भी ऐसा ही कोई ट्रिब्यूनल क्यों नहीं बना देते? शिक्षाविदों के भी कष्ट लगभग वैसे ही हैं जैसे सरकारी कर्मचारियों के। इस पर आप गम्भीरता से विचार करें।

इसके साथ ही मेरा यह भी सुझाव है कि आप अध्यापकों की, या प्रोफेसरों, लेक्चरारों की नियुक्ति के लिये सारी यूनीवर्सिटियों का एक सम्मिलित पब्लिक सर्विस कमीशन क्यों नहीं बना देते। वह कमीशन ही सारे सिलेक्शन करे। इस स्थायी कमीशन में यह कर सकते हैं तीनों विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलरों को रख सकते हैं और दूसरे चोटी के शिक्षाविदों को रख सकते हैं। ऐसा करेंगे तो भविष्य में किसी को किसी के प्रति कोई ज्यादती की शिकायत करने का अवसर ही नहीं मिलेगा।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

अन्त में मैं एक महत्वपूर्ण विषय की ओर शिक्षा मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करते हुए अपना कथन समाप्त करता हूं कि सिडीकेट में आप छात्रों के प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर काफी उदारता से काम लें। राजस्थान विश्वविद्यालय में जब आपने कुछ प्रतिनिधित्व दे दिया है तो....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आज की तारीख में दूसरा बिल नहीं आवेगा।

श्री मनोहर कोठारी : फिर उदयपुर और जोधपुर विश्वविद्यालयों के अन्दर भी यह प्रतिनिधित्व देने में विलम्ब क्यों कर रहे हैं? आप कोई काम हाफ हार्टेडली

(श्री मनोहर कोठारी)

और हेपहैजर्ड वे में करने की अपनी आदत बदलें। इस तरह से जो भी क्रमागत रूप में संशोधन लाना चाहते हैं उनसे समस्याओं का अन्त नहीं होगा। यह तभी हो सकता है जब आप यह सोचें कि सब विश्वविद्यालयों की स्थिति में समय के अनुरूप बदलाव लाना है और वह शीघ्र लाना चाहिये।

मैं चाहता हूं कि आप उन अध्यापकों, प्रोफेसरों आदि के सम्बन्ध में भी सोचें जो कार्यकारिणी समिति में हैं या मैनेजिंग बोर्ड में हैं और वहां बैठकर जो यह कहते हैं कि राजस्थान में हम बिहार की स्थिति ला देंगे, इस प्रदेश को बिहार बना देंगे या गुजरात बना देंगे। उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिये। उनके इस तरह के कथन वहां की प्रोसीडिंग्स में अंकित हैं। मंगाकर देख लीजिये। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो इन लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा और अराजकता के फैलाने में ये तत्व काफी सक्रिय होंगे। ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही आपको करनी चाहिये। और इस प्रकार की व्यवस्था आपके इस बिल में भी होनी चाहिये।

इतना कहते हुए आपके इस सद्-प्रयत्न के लिये पुनः धन्यवाद देते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : सभापति महोदय, इस बिल को प्रोग्रेसिव समझकर लाया गया है। पर इसके प्रोवीजन्स को देखकर मैं तो यही कह सकता हूं कि इसे प्रोग्रेसिव कहने का सवाल ही नहीं पैदा होगा। मैं तो यह समझता हूं कि उदयपुर और जोधपुर विश्वविद्यालयों का तो बंटाढार होगा या नहीं, कब होगा, कब नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कह सकता पर इस तथाकथित प्रोग्रेसिव बिल को लाकर राजस्थान विश्वविद्यालय का तो ये निश्चित ही बंटाढार कर देंगे।

सभापति महोदय, यूनिवर्सिटी दो तरह की हैं आजकल, जिसे ये पुराने जमाने के लोग समझ नहीं पा रहे हैं ऐसा लगता है। एक रेजिडेंशल होती है और दूसरी एफीलियेटिंग नेचर की होती हैं। आप एफीलियेटिंग में पढ़े होंगे उस जमाने में। मैं समय समय पर आज की होने वाली विश्वविद्यालयों की इर्रेगुलेरिटीज को सदन के ध्यान में लाता रहा हूं। मैं यह मानता हूं कि सिलेक्शन और अपोइन्टमेन्ट में गड़बड़ियां होती हैं और इनका इलाज किया जाना चाहिये। पर आप तो ऐसा इलाज कर रहे हैं कि जिसमें न मरीज रहे न मर्ज ही रहे। आपके इस इलाज से तो उनका रेजीडेन्शल और ओटोनोमस कैरेक्टर ही खतम हो जावेगा। तो, सभापति महोदय, यह कोई ठीक दृष्टिकोण नहीं है। यह कोई तरीका भी नहीं है कि आप इसे इन गड़बड़ियों की रेमेडी समझते हैं कि सरकार का हस्तक्षेप हो जाने से सब ठीक हो जावेगा। सरकार की खुद की मशीनरी में अनियमितताओं और गड़बड़ियों की कमी नहीं है। इसके लिये सरकार की भी कठोर आलोचना होती है।

गये साल यह चर्चा चली थी कि ये सिलेक्शन यूनिवर्सिटी द्वारा नहीं होंगे, पी० एस० सी० में होंगे। फिर कुछ अरसे तक यह मामला रुका रहा। महेन्द्रसिंहजी एजूकेशन कमिश्नर थे तो उनको चस्का

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

था कि एजूकेशन विभाग और एजूकेशन कमिश्नर के लेवल पर पावर को सेन्ट्रेलाइज करके इस में इन्टरफीयर किया जाय । इसके बाद वे चलते बने, चन्दनमल जी आये तो उनका एटीचूड इनडिफरेंट रहा । अब खेतसिंह जी आये हैं अब इनका तो स्वयं का इसमें कोई चिन्तन हो, ऐसा नहीं लगता ऐसी स्थिति में उनको कौन ट्यूटर करता है यह मैं जानना हूंगा । पावर अपनी बढ़ाने का शौक तो इनको है एसा लगता है ।

श्री केदारनाथ : ब्रेन कौनसा है इनक पीछे यह सदन जानन चाहता है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इनका ब्रेन तो डिरेल हो चुका है । इनमें तो ब्रेन अब है ही नहीं ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इसका एफीलियेटिंग करेक्टर आप कॉलेजों को वापिस ट्रान्सफर कर दीजिये । इससे तो यह बेहतर होगा ।

इसमें जो लिखा है :—

"This step is intended to raise standards of higher education in Rajasthan.

इसके वजाय होना चाहिए :—

"This step is intended to raise the standard of higher education in the Universities of Jodhpur and Udaipur and to bring down the standard of education in Rajasthan University."

सभापति महोदय, समस्या को समझने की कोशिश करनी चाहिए । जोधपुर विश्वविद्यालय और उदयपुर विश्वविद्यालय विकास करें, उनके एजुकेशन का स्टेन्डर्ड आगे बढ़े और हिन्दुस्तान के अन्दर अच्छी यूनिवर्सिटीज के अन्दर उनका नाम आये और उनकी उनसे तुलना हो । चित्तौड़गढ़ से आने वाली माननीय सदस्या कह रही थीं कि उदयपुर यूनिवर्सिटी से एप्लाई करने वालों को मना कर देते हैं । तो यह हमारे लिए बहुत अनफार्चुनेट है और मैं चाहता हूं कि यह तीनों यूनिवर्सिटीज भी तरक्की करें और उनका अच्छा नाम हो लेकिन मैं यह नहीं चाहता और मैं समझता हूं कि शिक्षा मंत्रीजी उसको समझने की चेष्टा करें कि तीनों यूनिवर्सिटीज के सिलेक्शन एक साथ करने में या उनकी आटोनामी में एन्क्रोच करने से कोई समस्या हल होने वाली नहीं है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, House has no quorum.

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप ज्यादा कोरम का एतराज करेंगे तो आपका नाम मिस्टर कोरम रख दिया जायेगा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : Then you will have to give me Mrs. Quorum also.

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप छांट लेना ।

तो सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि आप जल्दी में इस बिल को पारित करें यह बिलकुल उचित नहीं होगा · · ·

श्री सभापति : माननीय सदस्य आसन ग्रहण करें ।

(गणपूरक घंटी)

श्री सुरेन्द्र व्यास : तो, सभापति महोदय, आज इतनी जल्दी में इस बिल को पास करना में कतई आवश्यक नहीं समझता, और खासतौर पर राजस्थान के अन्दर विश्वविद्यालयों की स्थिति जब सुधरती जा रही है रोटेशन ऑफ फेकल्टी के बाद, सिन्डीकेट के कम्पोजीशन को चेन्ज किया, उसके बाद, तो मैं समझता हूं कि पुराने एक्ट को ओवर आल अमेन्ड करके नया स्ट्रक्चर बनायें वह तो कोई बात समझ में आती है, बाकी यह बिलकुल अटर फेल्योर जायेगा और इससे समस्या सुलझने वाली नहीं है। कोई एजुकेशन का स्टेन्डर्ड आगे बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को रेफर करना चाहिए और सिलेक्ट कमेटी इसको एग्जामिन करे और देखे कि आल्टरनेटिवली सिलेक्शन के अन्दर गड़बड़ियां कैसे दूर की जा सकती हैं और ज्यादा फेयर कैसे बनाया जा सकता है—इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाये। यही निवेदन करना है।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय।

श्री खेतसिंह (शिक्षा मंत्री) : सभापति महोदय, कई माननीय सदस्य इस बिल पर बोले हैं। जो हाजिर नहीं हैं उनका जवाब देना मैं आवश्यक नहीं समझता और जो उपस्थित हैं उनमें से अधिकांश ने यह बात कही है कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये। मैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस आर्डीनेन्स को लाने का मकसद भी यही था और हम यह चाहते हैं कि जो एक साल से हमने सिलेक्शन रोक रखे हैं वह सिलेक्शन जल्दी से जल्दी कर दिये जायें और यदि यह बिल पास नहीं किया गया और सिलेक्शन और रोके गये तो यूनिवर्सिटी को दिक्कत आ जायेगी और अगर उन्हें सिलेक्शन की आजादी दे दी जाती है तो इस बिल को लाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब वह स्टेज नहीं रही कि हम प्रवर समिति को इस बिल को सुपुर्द कर दें। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब इसको प्रवर समिति को भेजने का प्रश्न पैदा नहीं होता। इस बिल पर कुल मिलाकर 13 माननीय सदस्य बोले हैं और सब ने इस बारे में एप्रीशियेट किया है और कहा है कि यह प्रोग्रेसिव मेजर है। आपने सब ने इस बात को कहा है कि यह लाना आवश्यक था इसलिए आपने भी एक सेन्टेन्स में यह बात कही थी। आपने आगे जाकर यह कहा कि इसमें यह खामियां रह गयीं। लेकिन इस बात को तो जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी एप्रीशियेट किया है। फिर उन्होंने कहा कि मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा है इसलिए ज्यादा नहीं कह सकता ....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उन्होंने यह नहीं कहा था। मेरे ख्याल से उन्होंने बिल का स्वागत किया है।

श्री खेतसिंह : 5 घन्टे से मैं, माननीय सभापति महोदय, बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से सब के विचार सुन रहा था और लिख रहा था। यह दो मिनट भी सुनने के आदि नहीं हैं तो मैं कहूंगा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि पिछले सत्र में भी यह बात आई थी और सब

(श्री खेतसिंह)
ने यह बात कही थी कि जो यूनिवर्सिटीज में सिलेक्शन का तरीका है वह सही नहीं है। सब ने इस बात को कहा था और आम-तौर से जब मैं यहां शिक्षा की डिमाण्ड लाया था उस रोज भी इस पर बहुत विचार विमर्श के बाद काफी माननीय सदस्यों ने यह राय दी थी कि यूनिवर्सिटीज में सिलेक्शन ठीक नहीं होते हैं। मुझे याद है मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी उस समय इस बात को कहा था कि यह जो सिलेक्शन होते हैं इनमें बड़ा पक्षपात है और राजस्थान के टेलेन्ट रह जाते हैं और बाहर के लोग आ जाते हैं। चूंकि आज वह माननीय सदस्य सिन्डीकेट के मेम्बर हो गये हैं तो शायद उनकी प्रवृत्ति बदल गयी हो यह मैं नहीं कह सकता लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि कुल मिलाकर इस बिल को लाने की आवश्यकता थी और आज जितने भी माननीय सदस्य बोले हैं सब ने माना है कि सिलेक्शन की पद्धति हमारी जो है वह बहुत डिफेक्टिव है, उसमें पक्षपात होता है और उसमें लोकल टेलेन्ट को कम आने का मौका मिलता है और लिहाजन इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए इस बिल को लाया गया है।

अब आपने इसमें कुछ डिफेक्ट्स बताये हैं तो वह तो जब क्लाज बाई क्लाज लेंगे उस समय हर एक को एक्सप्लेन कर दूंगा। और ऐसी कोई खास दिक्कत आने वाली नहीं है जिसमें आपको इतनी आपत्ति हो।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को क्लाज बाई क्लाज लेने का कष्ट करें।

श्री सभापति : जिन माननीय सदस्यों ने जनमत जानने के लिए और प्रवर समिति को सुपुर्द करने के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं वह अपने प्रस्ताव वापिस लेना चाहेंगे ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : No.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि माननीय सदस्यों ने जो प्रस्ताव राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) विधेयक, 1974 को जनमत जानने हेतु प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये ? जो इसके पक्ष में हो वह हां कहें।

(विरोधी पक्ष की ओर से 'हां')

जो इसके विपक्ष में हों वह 'ना' कहें।

(राजकीय पक्ष की ओर से 'ना')

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हां पक्ष जीता।

(राजकीय पक्ष की ओर से 'ना' पक्ष जीता)

We claim division.

(विभाजन-घंटी के पश्चात्)

श्री सभापति : मैं दुबारा आपके सामने प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि जो माननीय सदस्य विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के पक्ष में हों वह 'हां' कहें।

(विरोधी पक्ष की ओर से 'हां')

(श्री सभापति)

जो विपक्ष में हों वह 'ना' कहें

(राजकीय पक्ष की ओर से 'ना')

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

खण्ड (2) माननीय प्रभारी मंत्रीजी

खण्ड (2)

भाग (vii) में अभिव्यक्ति "कार्यपरिषद, यदि कोई हो जाती है" के स्थान पर अभिव्यक्ति "कार्य परिषद या बोर्ड यदि, कोई हो आता है' प्रति-स्थापित किया जाय ।

श्री खेतसिंह : सभापति महोदय, खण्ड (2) मय अमेंडमेंट के पारित किया जाय ।

श्री सभापति : .... ।

प्रश्न यह है कि खण्ड (2) में जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड (2) संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड (2) संशोधित रूप में स्वीकार किया गया ।

खण्ड 3

श्री सभापति : खण्ड 3 । प्रोफेसर केदार ।

श्री केदारनाथ : उप-खण्ड (3) में शब्द "6 माह" के स्थान पर शब्द "एक वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाय । छः महीने की जगह पूरा एकेडेमिक इयर कर दीजिए, इसमें क्या झगड़ा है ?

श्री खेतसिंह : इसलिए मैं नहीं मान सकता हूं कि जिस प्रकार से अभी चित्तौड़ से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि ईयर टू ईयर वह अपोइन्टमेंट लेते रहते हैं और दस दस, ग्यारह ग्यारह साल से टेम्प्रेरी चल रहे हैं । 11 साल से इस तरह से कर रहे हैं जिससे टेलेंट पीछे रह जाता है । इसलिए हमने जानबूझ कर छः महीने रखा है ताकि सही आदमी का सिलेक्शन हो जावे और वे आ जावें ।

श्री केदारनाथ : एक साल तक रखेंगे तो भी वे कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे । ब्रेक कर देंगे ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक सैशन का कर दीजिए, यह तो लोजिकल है । वन फुल ईयर नहीं तो एक एकेडेमिक ईयर तो लोजिकल है ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : पूरे साल तक लड़कों की पढ़ाई तो हो ।

श्री केदारनाथ : जब तक सिलेक्शन हो जाय उस तक कर दीजिये ।

श्री खेतसिंह : इसमें कोई कठिनाई नहीं है। हम यह चाहते हैं कि विदिन सिक्स मन्थ्स ही सिलेक्शन हो जाय और वह हो जाएगा ।

श्री केदारनाथ : "Either of the two" तो करिये ।

श्री खेतसिंह : देखिए, इसमें किसी कोम्प्लीकेसी की गुंजाइश नहीं है । पहले भी यह पद्धति थी कि उसको एकेडेमिक ईयर के लिए रखा जाता है. उसके बाद फिर सर्विस टरमिनेट हो जाती है फिर नये सिरे से लगा दिया जाता है । वह टैम्प्रेरी तौर पर ही लम्बे टैन्योर तक चलता रहता है जिससे मुश्किल हो जाती है । हमने यह जान बूझ कर रखा है कि विदिन सेशन पीरिड सिलेक्शन कर लें और सिलेक्टेड आदमी आजावें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तो "अप टू सिलेक्शन" कर लीजिए ताकि आप पर अंकुश तो रहे कि सिलेक्शन जल्दी करें ।

श्री खेतसिंह : इसमें कोई कोम्प्लीकेशन नहीं है ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड (3) में जो संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं उनको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गए ।

प्रश्न यह है कि खण्ड (3) को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड (3) स्वीकार किया गया ।

खण्ड 4

श्री सभापति : खण्ड 4 ।

श्री खेतसिंह : उप-खण्ड (1) में निम्नलिखित परन्तुकों को अन्तःस्थापित किये जायं, अर्थात :— "परन्तु यहां किसी विश्वविद्यालय की कृषि संकाय में अथवा शिक्षण देने वाले या उसके अनुसंधान में मार्गदर्शन करने वाले किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में, किसी अध्यापक की नियुक्ति की हो जाने हो वाली हो वहां, इण्डीयन कौंसिल आंफ एग्रीकल्चरल रिसर्च द्वारा सिफारिश किये गये नामों को पैनल में से सिण्डीकेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक और विशेषज्ञ होगा :

परन्तु यह और भी कि अभियांत्रिक एवं प्रायोगिक संकाय में शिक्षण पदों के के लिये चयन समिति में, आंल इण्डीया कौंसिल आंफ टेकनिकल एजूकेशन द्वारा सिफारिश किये गये नामों की पैनल में से सिण्डीकेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक विशेषज्ञ भी सम्मिलित होगा" ।

श्री खेतसिंह : सभापति महोदय, खण्ड (4) को संशोधित रूप में पारित किया जाय ।

श्री केदारनाथ : पार्ट (3) में "एजूकेशन कमिश्नर" की जगह "नोमीनी आंफ दी सिण्डीकेट" और उदयपुर में "एक्जीक्यूटिव बोडी रखा जाय । इससे तो पिण्ड छुड़ाओ हमारा कहीं तो आई० ए० एस० से पिण्ड छुड़ाओ

श्री खेतसिंह : क्या ?

श्री केदारनाथ : थर्ड पार्ट में 'एजूकेशन कमिश्नर" की जगह "नोमीनी ग्रॉफ दी सिण्डीकेट" ग्रौर उदयपुर के लिए "एक्जीक्यूटिव बोडी" किया जाय । उसमें हम ग्रापके डायरेक्टर को भेज देंगे । सील तो सिण्डीकेट की लगा लो ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इनको लिख कर दिया है वैसे ही पास कराने दो ।

श्री खेतसिंह : यह प्रोविजो जोड़ा गया है वह उदयपुर यूनिवर्सिटी के लिए ही तो किया गया है ।

श्री केदारनाथ : यह "एजूकेशन कमिश्नर" क्लाज 3 में है, उसकी जगह "नोमीनी ग्रॉफ सिण्डीकेट" कर दें ।

श्री खेतसिंह : यह कैसे हो सकता है ? एक यूनिवर्सिटी में तो एजूकेशन कमिश्नर जावे ग्रौर एक में दूसरा जावे ।

श्री केदारनाथ : यही तो है कि सिण्डीकेट का नोमीनी जयपुर के लिए ग्रौर उदयपुर के लिए एक्जीक्यूटिव बोडी का नोमीनी । "नोमीनी ग्राफ दी सिण्डीकेट" ब्रेकेट में रख दें । हम भेज देंगे प्रिंसिपल को ।

श्री खेतसिंह : वह "सिण्डीकेट" की डेफिनेशन में ग्रा गया है ग्रौर एजीक्यूटिव बाडी इन्क्लूड कर दिया है ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि . . .

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पढ़ने का कष्ट कीजिए, कैसे इन्क्लूड हुग्रा है ।

श्री खेतसिंह : मैं तो पढ़कर ग्राया हूं । मैंने ग्रापसे यह कहा कि पहले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं थी इसलिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए ही यह ग्रमेंडमेंट लाया गया है ।

श्री केदारनाथ : एक तो चांसलर का नोमीनी हो गया, एक एमीनेंट एक्सपर्ट ग्रौर एक वी०सी० हो गया । थर्ड जो एजूकेशन कमिश्नर ग्रौर डायरेक्टर रखा है उसकी जगह कमिश्नर की जगह नोमीनी ग्रॉफ दी सिण्डीकेट हो ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य श्री हांडा, ग्राप संशोधन मूव कर रहे हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : "खण्ड 4 के उपखण्ड (5) है को विलोपित किया जाय" यह मेरा संशोधन है । मैं इस सम्बन्ध में पहले भी ग्रर्ज कर चुका हूं ग्रौर ग्रब भी ग्रर्ज करूंगा कि यह सारा का सारा पांचवां जो है इसको हटाया जाय, डीलिट किया जाय, क्योंकि यह लीगली वीक बनाता है ग्रौर दूसरा कोई इसका जस्टीफिकेशन नहीं है । ग्रभी सदस्यों ने ग्रनेक बार दोहराया है । ग्रौर कहा है । इस तरफ के भी सदस्यों ने ग्रौर उस तरफ के सदस्यों ने, दोनों तरफ के सदस्यों ने महसूस किया कि कोई किसी न किसी का विद्यार्थी रहा है, ग्रापको ग्रपना क्लास फैलो खेतसिहजी मिल जाता है तो न ग्राप उसको पहचानते हैं ग्रौर न वो ग्रापको पहचानता है। प्रोफेसर कोई भी कभी रहा हो ग्रौर वह कभी सिलेक्शन में ग्रा गया तो इससे क्या होगा या उसने किसी की थीसिस एप्रूव की हो तो थीसिस तो एप्रूव करते हैं तीन मिल कर । यह तो कोई जस्टीफिकेशन नहीं है ।

श्री केदारनाथ : एक्सपर्ट मिलेंगे ही नहीं

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप इसके अन्दर एक्सपर्ट नहीं रखना चाहते हैं तो बात दूसरी है, बाकी इस सेक्शन का कोई जस्टीफिकेशन नहीं है ।

श्री वृद्धिचन्द जैन : यह मान लें ।

श्री खेतसिंह : यह मान कैसे लें ? यह हर्गिज नहीं हो सकता । इसका मतलब है कि इसको पार्शल बनाना चाहते हैं । यह बात गलत है ।

श्री केदारनाथ : एक बार मेहरबानी करके पढ़ लीजिए : "No person who has been nominated as an expert on any selection committee under this section shall be eligible to participate in the selection of a teacher if, during the course of two years preceding the date of selection, either any of the candidates for selection has been the student of the expert or the expert has examined the thesis of such candidate."

अब बताइये साहब । मंदिर मस्जिदों में ढूंढते रहें, यूनिवर्सिटी में मिलेगा नहीं एक्सपर्ट ।

श्री वृद्धिचन्द जैन : एक्सपर्ट तो मिलेगा नहीं ।

श्री केदारनाथ : एजूकेशननिस्ट तो मिलेगा नहीं आपको । एजूकेशन कमिश्नर साहब मौजूद हैं, आप डिस्कस कर लीजिए उनसे ।

श्री खेतसिंह : मैंने डिस्कसन पहले ही कर लिया है । पहले ही बहस में आपने यह बात रखी थी और डिस्कस कर लिया था, ऐसी कोई बात नहीं है । दूसरा एक्सपर्ट बैठ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है । आपके द्वारा थीसिस का एग्जामिनेशन किया है, जो आपका स्टूडेंट रहा है तो नेचुरली थोड़ा फेवरटिज्म हो जाता है ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : ऐसा है कि उसमें मुश्किल यह रहेगी कि जैसे पचास अप्लीकेंट अप्लीकेशन दें और उसको यह मालूम थोड़े ही है कि कौन एक्सपर्ट होगा उसमें । कमेटी बैठी उस वक्त यह आएगा तो यह कैसे मालूम होगा कि उसने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया । तालमेल बैठेगा कैसे यह मेरी समझ में नहीं आता । या तो पहले कमेटी का नोटिफिकेशन लड़कों को हो जाय तो वे उनसे अप्रोच कर लें । यह नहीं हो सकता । कमेटी कान्स्टीट्यूट होती हैं । सब को आना पड़ता है । कौन एप्लाई करेगा कौन नहीं करेगा, कौन एक्सपर्ट बैठेगा यह कैसे पता चलेगा ?

श्री खेतसिंह : चांसलर के पास पैनल होगा । उस पैनल में से दूसरे को बुला लिया जायेगा । हमने एग्जामिन कर लिया है । मैंने भी डिपार्टमेंट के सामने यह बात रखी थी ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह कैसे असरटेन करेंगे कि यह इसका स्टूडेन्ट रहा है या नहीं रहा है । हजारों विद्यार्थी पढ़ कर निकलते हैं । हजारों लड़के आयेंगे । यह बड़ी वेग चीज है ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खंड 4 में माननीय सदस्य श्री हांडा ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

(श्री सभापति)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खंड 4····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : 'हां' पक्ष जीता है·····

श्री सभापति : 'ना' पक्ष···।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हां पक्ष जीता। I have claimed division in time.

श्री सभापति : आसन की तरफ से निर्णय हो चुका है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सभापति महोदय, इसमें नियम यह है कि आसन की तरफ से फैसला दे दिया गया है तो वह चेलेंज नहीं होगा।

श्री सभापति : यही मेरा कहना है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : चेलेन्ज करके अब कौनसा असर होगा ?

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खंड 4 जो माननीय प्रभारी मंत्रीजी ने संशोधन पेश किया है वह स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खंड 4 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खंड 4 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खंड 5

खंड 5, प्रश्न यह है कि खंड 5 स्वीकार किया जाये ? इसमें कोई संशोधन नहीं है।

श्री केदारनाथ : बोल सकते हैं। इसमें जो क्वालिफिकेशन है उसमें रिसर्च और एक्सपीरियंस पर 75 पर्सेन्ट और इन्टरव्यू पर 25 पर्सेन्ट तय कर दें। उसकी परसोनिलिटी करके इतना तो तय कर दें। परन्तु आप सारी पावर उनको दे रहे हैं।

श्री खेतसिंह : इसको रूल के वक्त सोचा जा सकता है।

श्री केदारनाथ : इसको आप मान लें।

श्री खेतसिंह : विचार करेंगे।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खंड 5 स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खंड 5 स्वीकार किया गया।

खंड 6

खंड 6 श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, "भाग (क) को विलोपित किया जाय"।

शिक्षा मंत्री इस प्रकार के खंड, इस प्रकार की सारी धाराएं एकत्रित कर रहे हैं जिससे कि चाहे जैसे रिजेक्ट कर दिया जाये। यह यूनिवर्सिटी को आटोनोमी को खतम करना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी में ब्यूरोक्रेसी को प्रवेश कराना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी में स्टेट गवर्नमेंट इन्टरफियर करना चाहती है। यूनिवर्सिटी के रूल्स के अन्दर गवर्नमेंट इन्टरफियर करना चाहती है। दूसरी ओर

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

एप्लीकेन्ट्स की इस प्रकार की स्थिति पैदा करना चाहती है यदि उसको 30-40 वर्ष पहले पहली क्लास में पढ़ाया है या दस साल पहले पढ़ा है तो वह डिस्क्वालिफायी होगा। यह एक वेग क्लॉज है। क्या सबूत होगा आपके पास कि आप जिसको हटाना चाहते हैं वह पहले उसके पास पढ़ा हुआ है। ब्रुटल मेजोरिटी के आधार पर आप ऐसे खंड पारित करना चाहते हैं...

It is a misuse of brutal majority and absolute misuse of this democracy and of this cruel strength.

इस प्रकार की मेजोरिटी में आप ऐसे खंड पास करने जा रहे हैं जिनके लाजिक का कोई स्कोप नहीं हैं। राज्य करने वाले लोग लॉजिक को भी मानने के लिये तैयार नहीं हैं। Vague terminology के आधार पर खंड पास करने जा रहे हैं। This is a brutal massacre of democracy, a mockery of democracy.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मुझे इस पर निवेदन करना है। इसमें पहले लिखा है–
"is personally interested in a candidate for any selection."

यह जो "इन्ट्रेस्टेड" शब्द है वह बहुत व्यापक है। जो आदमी सिलेक्शन में चुना जायेगा उसको कभी भी डिस्क्वालिफायी किया जा सकेगा। उसको निकाल दें। फिर,
"(e) is convicted of an offence of moral turpitude or is arrested for an offence against the security of the State."

मैंने प्रारंभ में भी निवेदन किया था उसकी गतिविधि चाहे किसी प्रकार की रहे उसको बिना सुने ही अरेस्ट कर लिया जाये तो वह डिस्क्वालिफायी हो जायेगा।
"arrested for an offence against the security of the State;"

मैं सोचता हूं शिक्षा मंत्रीजी इस बात को गंभीरता से सोचेंगे और इस क्लाज को हटा देंगे। यह बड़ा व्यापक हथियार है। अमुक व्यक्ति अमुक व्यक्ति में इन्टरेस्टेड है, तो इसको हटा दें। इसीलिये मैंने यह कहा है सिक्यूरिटी के आधार पर अरेस्ट करें, इस केवल मात्र से ही वह डिसक्वालिफाय नहीं माना जाये। जब तक वह उसमें कन्विक्ट न हो। इसलिये इसको निकालने का कष्ट करें। मेजोरिटी के आधार पर पास करें तो यह आपकी मर्जी है।

श्री केदारनाथ : इसको जानबूझकर लीगली बनाया गया है। उसका किसी न किसी में इन्टरेस्ट तो होगा, क्लास का, व्यवसाय का, जाति का, दोस्ती का, रिश्तेदारी का, कोई न कोई किसी न किसी तरह का इन्टरेस्ट होगा। जानबूझकर आई० ए०एस० आफिसर ने इसको इन्सर्ट किया है। यह आब्जेक्टिव के खिलाफ है।

श्री खेतसिंह : सभापति महोदय, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरार का सिलेक्शन है, उस सिलेक्शन कमेटी के अन्दर जो डिस्क्वालीफाइड है उसको कैसे रखा जा सकता है? जो प्रोफेसर के सिलेक्शन में परसनली इन्टरेस्टेड है, जो बोडिली अनफिट हो, जो कन्विक्टेड है, उसमें ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिये, उसको आप प्रोफेसर के सिलेक्शन

(श्री खेतसिंह)

में मेम्बर रखना चाहते हैं । हद करते हैं आप ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आपने 'कन्विक्टेड' के बारे में कहा है 'अरेस्टेड' के बारे में कुछ नहीं कहा है।

श्री खेतसिंह : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रोफेसर्स का सिलेक्शन करने वाली जो कमेटी है उसके जो मेम्बर होते हैं वह व्यक्ति वयोवृद्ध, स्वयं बहुत अच्छे एज्यूकेशनिस्ट, डाक्ट्रेट हासिल किये हुए होंगे, वही व्यक्ति कमेटी में आयेंगे ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप जिसे चाहें पकड़वा सकते हैं ।

श्री खेतसिंह : जो इस प्रकार का कार्य करते हैं उन्हें ही पकड़ा जा सकता है ।

श्री केदारनाथ : आप ईमानदारी से इसको देखिये कि क्या इसमें राजस्थान का आदमी आ सकता है सिलेक्शन बोर्ड में। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, क्या कोई भी राजस्थान का आदमी आ सकता है सिलेक्शन बोर्ड में बतौर एक्सपर्ट के ?

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खंड 6 में माननीय सदस्य श्री हांडा ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खंड 6 को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 6 को स्वीकार किया गया ।

खण्ड 7

खण्ड 7, प्रोफेसर केदार ।

श्री केदारनाथ : (i) शीर्षक पार्श्व में से शब्द "या रिक्त" को विलोपित किया जाय; तथा (ii) शब्द "अथवा ऐसी समिति के किसी सदस्य के नाम निर्देशन में किसी त्रुटि के विद्यमान होने" विलोपित किए जायें ।

इसमें वेकेन्सी और डिफेक्ट का जो जोड़ा है तो मान लो कि कोई डिस्क्वालिफिकेशन की क्लाज 6 के तहत अगर आ गया और उसका सिलेक्शन कर दिया गया तो उसको चेलेन्ज नहीं कर पायेंगे तो वह बेसिकली सारा रांग हो जायगा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : (i) पार्श्व शीर्षक में प्रयुक्त शब्द "या त्रुटि" विलोपित किया जाय । (ii) तीसरी लाइन में प्रयुक्त शब्द "अथवा ऐसी समिति के किसी सदस्य के नाम निर्देशन में किसी त्रुटि के विद्यमान होने" विलोपित किए जायें ।

कोई आदमी डिस्क्वालिफाइड है वह एक्सपर्ट बन जायगा तो उसको चेलैन्ज नहीं किया जा सकता है इसलिए इसको डिलीट कर दें ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कोरम भी न हो और कोरम के अभाव में सिलेक्शन कर दिया गया या मान लो नहीं किया गया तो "Subject to the provisions as to the requirement of a quorum, no act, proceeding or selection made by a selection committee shall be questioned on the ground of the existence of any vacancy or defect...." मेरा मतलब

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

यह है कि मान लो कि कोरम नहीं है और किसी को चुन लिया गया तो उस आदमी को जो नहीं चुना गया है कहीं न्यायालय में जाने का अधिकार नहीं होगा। कमेटी ने किसी प्रकार से अन्याय कर दिया तो उसकी अपील नहीं होगी, न्यायालय में नहीं जायेगा। मैं समझता हूं कि स्वतन्त्र भारत में, इस संविधान के युग में अपील करने का, कोर्ट में जाने का कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, इस कमेटी ने भली प्रकार फैसला नहीं किया, अधिकार नहीं देते हैं तो मैं समझता हूं कि वह अनडेमोक्रेटिक क्लाज है। माननीय शिक्षा मंत्रीजी इस की गम्भीरता को मानते हुए जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको अपने विचार व्यक्त करने का और कोर्ट से न्याय पाने का मौका मिलना चाहिए, इसको डिलीट करने की कृपा करेंगे।

श्री सभापति : श्री हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : सभापति महोदय, अब इस सारे एक्ट में जितनी भी क्लाजेज हैं वे एकदम कन्ट्राडिक्टरी हैं। मैं फिर दुबारा माननीय शिक्षा मंत्रीजी से विनती करूंगा कि आप इसको लीगली सारे के सारे एक्ट को आपरेशनली बहुत टीडियस बना रहे हैं। यह मेरा चेलेन्ज है शिक्षा मंत्रीजी को कि इसमें कई कन्ट्राडिक्टरी क्लाजेज हैं। आप बड़े खुश हो रहे हैं इसलिए कि क्लाजेज को आप कवर करते जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई इसको कोर्ट में चेलेन्ज करता है, आपका कोई आफिसर आपके फेस को बचा नहीं पायेगा। इस सारे एक्ट को कोई लीगल स्टेंडिंग नहीं है। it is full of contradictions इस डिफेक्ट के ऊपर "defact in the nomination of a member of the committee." आप फण्डामेंटल राइट्स को कर्ब करते हैं। जो राइट्स एज ए सिटीजन प्राप्त हैं even they are curbed आखिर आप ले डाउन क्या करना चाहते हैं? What you have brought before the House is a bundle of contradictions, bundle of uncertainties bundle of legal uncertainties.

आप जो कमिटमेंट करना चाहते हो 10—15 साल से जो बैठे हुए हैं लोग वहां पर जो सीनियर है, और 40—40 पेपर्स जिन्होंने लिखे हैं, डाक्टर्स हैं और आज तक कितनी ही सिलेक्ट कमेटियां पास कर चुके हैं और आज तक उनको परमेनेन्ट नहीं किया है। मेरे पास उनकी लिस्ट मौजूद है जिन्होंने कोई सिलेक्ट कमेटी पास नहीं की है वह आदमी यूनिवर्सिटी में रीडर्स और डीन की पोजीशन पर बैठे हुए हैं और प्रोफेसर बने हुए हैं। आपने हाउस में जो लाजिक दिया है, आपने जो हाउस में आर्ग्यूमेंट दिया है और जल्दी से जल्दी इसको सेटल कर देना चाहते हैं। इस बन्डल आफ कन्ट्राडिक्शन्स को तो आप एक हाई पावर कमेटी एपाइंट कर दें। आपकी तीनों यूनिवर्सिटीज के अन्दर इस किस्म के सैकड़ों केसेज हैं इनजस्टिस के, अन्याय के, डाई हार्ड अन्याय के, भयंकर अन्याय के केसेज आप हाई पावर कमेटी को दे दें वह उन केसेज को देखेगी। Any body will challenge it in the High Court and bring stay order immediately and this Bill is going to go flat immediately आपको यह डिलीट करना होगा।

श्री खेतसिंह : अब आप बैठिये।

यह एक ऐसी क्लाज है जो कि जनरल क्लाज है और हर एक्ट के अन्दर

(श्री खेतसिंह)

हुआ करते है और नई चीज तो हमने नहीं की है। प्रोसीजरल डिफेक्ट हो, छोटी सी बात के लिए कोर्ट में जाना शुरू कर दें तो कोई सिलेक्शन नहीं हो सकता है। इसके लिए ही महज यह क्लाज रखी है। अगर कोई सिलेशन से असन्तुष्ट हो तो कोर्ट में जाने से उसको आजाद भारत में कोई रोक नहीं सकता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह बिल ही अल्ट्रावायर्स होगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकता माननीय शिक्षा मंत्रीजी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप लॉ डिपार्टमेंट से पूछ लें। अपने एज्यूकेशन कमिश्नर से पूछ लें। You will have to face trouble. यह बिल आपका स्टैंण्ड नहीं करेगा और हाईकोर्ट से अल्ट्रावायर डिक्लेयर होगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप किसी से पूछ लें। कहीं भी न्यायालय में नहीं जा सकेगा। यह स्पष्ट है। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इसको डिलीट कर दें तो बड़ी कृपा होगी। बहुमत के आधार पर युनिवर्सिटी के एम्प्लोईज हैं उनके बारे में अन्याय नहीं करना चाहिए।

श्री वृद्धिचन्द जैन : सभापति महोदय, यह क्लाज जो सिक्स्थ····

श्री सभापति क्लाज सिक्स्थ स्वीकार कर ली गई है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : मैं मानता हूं कि स्वीकार कर ली गई है। क्लाज सिक्स्थ जो स्वीकार हुई है उसके अन्दर जो डिस्क्वालिफिकेशन का दिया गया है और क्लाज सिक्स्थ और सेवन्थ को एक साथ पढ़ते हैं तो एक तरफ तो डिस्क्वालिफिकेशन की क्लाज कोई भी कमेटी का जो सदस्य है उसको डिस्क्वालिफाई कर देती है इन इन पाइन्ट्स के ऊपर "(a) is personally interested in a candidate for any selection or (b) is of unsound mind or (c) is adjudged insolvent." लेकिन यही सदस्य अगर जो है उस कमेटी में बैठता है, जिसका डिफेक्ट है, और अन्डर क्लाज सिक्स्थ डिफेक्ट होते हुए भी वह बैठता है, और उसके बारे में अगर कोई कार्यवाही नहीं कर सकता है तो इस प्रकार के जो प्रोवीजन्स बनते हैं तो वह ला की मान्यताओं के अगेन्स्ट है और उसके डिस्क्वालिफिकेशन का जो दिया है उसकी मन्शा के अगेन्स्ट है। क्लाज 7 जो है वह सिक्स्थ क्लाज को भी डिफन्क्ट कर देता है। इसलिए इसके बारे में सोचना चाहिए। इसको इतना जल्दी पास नहीं करना चाहिए। कुछ न कुछ मेम्बर्स आफ अपोजिशन की राय भी वकत रखती है इसलिए इसको कन्सीडर किया जाय।

श्री खेतसिंह : माननीय सभापति महोदय, मैंने जैसा कि निवेदन किया है कि क्लाज सिक्स्थ के डिफेक्ट वाला कमेटी का मेम्बर सिलेक्ट हो जाता है और उसके बाद सिलेक्शन हो जाय तो चेलैन्ज किया जा सकता है। उसमें दिक्कत नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह कहां पर है, कैसे चेलैन्ज किया जा सकता है ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप इसको पारित करवा देंगे...

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, सुन लें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप किसी से भी इसको एक्जामिन करवा लें...

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, सुन लें।

श्री केदारनाथ : यह प्रिजम्प्शन अच्छा लिया आपने।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अपने लोगों को धोखा दें तो बात अलग है।

श्री खेतसिंह : इसको डेफर कर लें, मैं कन्सल्ट करता हूं।

श्री सभापति : 7 पर फिर दुबारा विचार किया जायगा।

खंड 8 व 9

खण्ड 8 व 9 पर कोई संशोधन नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : संशोधन का प्रश्न नहीं है। इस में यह कहा गया है–

"The Chancellor may, for administrative reasons, transfe an officer of a university to any other university."

"(2) Such officer upon his transfer shall carry with him to the University to which he is transferred such other conditions of service as may be specified in the order of transfer."

If the conditions are better in other Universities, he will opt for better conditions.

यह इसकी मंशा है जो सदन में रखी है।

श्री केदारनाथ : चांसलर को क्यों ड्रेग करते हैं? You can write "The Education Commissioner for administrative reasons, may transfer an officer of a University to any other University."

वरनुअली वह काम करेगा जब काम करना है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यों उल्टे तरीके से नाक पकड़ने की क्या जरूरत है? आपके आई० ए० एस० ऑफिसर जिन्दाबाद। Why go via Chancellor ? Give power to the Education Commissioner.

श्री सभापति : खण्ड 8 में कोई संशोधन नहीं है।

श्री केदारनाथ : हम आपको सुझाव दे रहे हैं। सुझाव आपको सूट करेगा।

"The Education Commiss may for administrative or any other reasons transfer an officer of a University....."

पूरे पावर्स ले लिये आपने।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मुअज्जिज बुजुर्ग, आप सारी एजूकेशन कमिश्नर को ताकत दे दी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप सारी ताकत दे दें।

श्री खेतसिंह : मैं आप से कहता हूं, आप जो कह रहे हैं, मेरा ऐसा ख्याल है, आपको किसी अफसर ने कहा होगा। किसी अफसर ने बतलाया होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यानि कि अफसर ने हमें आपके खिलाफ भड़काया है।

श्री खेतसिंह : आज यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार की वजह से काफी गड़बड़ हो रही है। जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने

(श्री खेतसिंह)
कहा है। वर्षों से आफिसर्स जमे हुऐ हैं। यह बहुत आवश्यक है कि उनका इधर उधर ट्रांसफर किया जाये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ट्रांसफर का मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री मनोहर कोठारी : वाइस चांसलर के ट्रांसफर भी कर सकेंगे इसमें?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पार्टी कौन होगा?

श्री खेतसिंह : चांसलर करेंगे। चांसलर से आर्डर कहां होता है?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : चांसलर महोदय को पावर्स का दुरुपयोग क्यों करवाया जाये? रजिस्ट्रार को पावर्स दे दीजिये। जोधपुर से उदयपुर, उदयपुर से जयपुर। यह होगा। यह महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा ट्रांसफर करवाना अच्छा नहीं है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 8 स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 8 स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 9 स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 9 स्वीकार किया गया।

श्री केदारनाथ : यह तो बहुत खतरनाक है।

श्री सभापति : फिर ले लीजिये। प्रश्न यह है कि खण्ड 9 स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 9 स्वीकार किया गया।

खण्ड 10

खण्ड 10। प्रोफेसर केदार।

श्री केदारनाथ : शब्द "के लिये" तथा शब्द नियम राज-पत्र के मध्य शब्द "सम्बन्धित विश्वविद्यालय की सिडीकेट की सिफारिश" अन्तः स्थापित किए जायें।

मेरा निवेदन यह है कि आप बिल पास कर लेंगे। इसे आपने एक्ट का रूप दे दिया। रूल्स बनाने का अधिकार तो आप सिण्डीकेट को देते हैं?

रूल्स बनाने का काम सिण्डीकेट को दे दो। इतनी बात आप मेरी मान लीजिये, रूल्स बनाने का काम सिण्डीकेट को दे दिया जाये। जिसमें स्टूडेण्ट्स का रिप्रेजेण्टेशन भी है। एम० एल० ए० भी हैं।

श्री सभापति : माननीय मन्त्रीजी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप ओटोनोमी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप ब्यूरोक्रेटिक तरीका अपना रहे हैं। आप एक ऐसी बोडी बना रहे हैं जो तीनों को ही गवर्न करे। इसको आप ज्यादा डेमोक्रेटिक बना दीजिये। रूल्स बनाने का काम आप सिण्डीकेट को दीजिये। सिण्डीकेट को आपने रिप्रेजेन्टेशन दिया

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

है। आप एक कानून के ऊपर मुहर लगा रहे हैं। सिण्डीकेट को पावर्स दीजिये। इसके बारे में बड़े बड़े एजूकेशनिस्ट ने लिखा है। आपने लिखा है कि आप इसको गजेन्द्र गड़कर की ओपीनियन के अनुसार लाये हैं। उनकी ओपीनियन क्या यही है? एक तरफ आप यह ला रहे हैं और दूसरी तरफ रूल्स आप अपने हाथ में ले रहे हैं। Everything is absolutely contradictory.

आप एक सब-कमेटी बना दीजिये। सिण्डीकेट को पावर्स दे दीजिये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सभापति महोदय, क्लाज 10 के बारे में, मैं भी विचार प्रकट करना चाहता हूं। मैं आप से निवेदन करूं कि यह तो स्पष्ट रूप से यूनिवर्सिटीज की जो ओटोनोमी है, उनके ऊपर सीधा अतिक्रमण है। फिर तो मैं निवेदन करूंगा कि इन यूनिवर्सिटीज को समाप्त कर देना चाहिए। गवर्नमेन्ट को टेकओवर कर लेना चाहिए।

श्री केदारनाथ : बिल्कुल। फिर तो गवर्नमेन्ट टेक ओवर कर ले यूनिवर्सिटीज को।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इसका मतलब यह है कि हम यूनिवर्सिटीज का विश्वास नहीं करते हैं। अगर किसी ने कुछ किया है तो उसको दण्ड दें। आज ऐसा किसी अन्य स्टेट में बना है? मैं जानना चाहता हूं मन्त्री महोदय से, ऐसा किसी प्राविन्स में बना है?

जो रूल्स बनाने का अधिकार लेते हैं आप, जब कि यूनिवर्सिटी में इतने

(6.58 सायं)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

एजूकेशनिस्ट हैं। उन पर इतना विश्वास नहीं है कि वह रूल्स ठीक बनायेंगे? क्या गवर्नमेंट ही ठीक बना सकती है? यूनिवर्सिटी में एजूकेशनिस्ट्स हैं, वाइस चान्सलर है, एम० एल० एज० सिंडीकेट के मेम्बर हैं। वह रूल्स ठीक बनायेंगे–इतना विश्वास नहीं है। यह अतिक्रमण है यूनिवर्सिटी की ओटोनोमी पर, अतिक्रमण है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जब मामूली कोपरेटिव सोसायटी रूल्स–बायलाज बनाती है, कोपरेटिव सोसायटी की इस मामले में ओटोनोमी है, वह भी आप एक यूनिवर्सिटी को नहीं देना चाहते हैं। इससे ज्यादा ज्यादती नहीं हो सकती। Please take over Universities में रिक्वेस्ट करूंगा। Do not make this Assembly laughing stock of the whole country. You are going to make this Assembly laughing stock of the whole country.

श्री केदारनाथ : मान्यवर, कल शिक्षा मंत्री जी.......

श्री खेतसिंह : मैं निवेदन कर देता हूं।

श्री केदारनाथ : मैं मिसाल देता हूं अगर कोई सेन्ट्रल एक्ट आता है...

श्री खेतसिंह : मेरी सुन लें।

श्री केदारनाथ : कोई सेन्ट्रल एक्ट आता है, पास कर देती है लोक सभा।

(श्री केदारनाथ)

उसके आप रूल्स बनायेंगे। क्या उसके भी रूल्स सैन्टर बना कर भेज दे। वही हम कहते हैं कि यूनिर्वासिटी के बारे में रूल्स बनाने की बात है, वह यूनिर्वासिटी को ही दी जाय।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यूनिवसिटी में सिंडीकेट है, सीनेट है, फिर भी राज्य सरकार का हर कदम पर नियंत्रण हो गया इस बिल के पास होने के बाद उसके बाद नियम, नियम के सम्बन्ध में यह प्रावधान होने के बाद सारी यूनिवसिटी पर कब्जा, पूर्ण कब्जा हो जायगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, फिर सिंडीकेट और सिनेट के लोग क्या करेंगे। वह नाम मात्र को रह जायेंगे कि हम सीनेट के मेम्बर हैं, हम सिंडीकेट के मेम्बर हैं। कानून बनाने की, आजादी की बात नहीं रहेगी। फिर राज्य सरकार का पूर्ण रूप से कब्जा हो जायगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं यह भी कहा गया है......

श्री केदारनाथ : कब्जा हो जाय तो अच्छा है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : न घोड़ा रहेगा, न गधा रहेगा।

श्री केदारनाथ : हाई ब्रिड हो जायगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह भी कहा गया है कि राजस्थान विधान सभा में नियम पेश होंगे ? राजस्थान विधान सभा में कब नियम पेश होंगे। दो साल चार महीने तो हो गये, आज तक कोई नियम पेश नहीं हुआ है। आप आर्डिनेन्स भी मजबूरी में लाते हैं, बिल भी मजबूरी में लाते हैं, असेम्बली भी मजबूरी में बुलाते हैं। फिर नियम कब आयेंगे ? चार पांच साल में ? उसकी बात आप छोड़िये। आप कहते हैं कि नियम बना देंगे, नियम पेश हो जायेंगे, और विधान सभा का सैशन कल परसों समाप्त हो जायगा। फिर कब नियम आयेंगे ? इसलिए आप विधान सभा का मजाक न बनायें। आपने जिम्मेदारी ले ली है मन में ठान लिया है, मैं बिल पास करा कर छोड़ूंगा। आपके दल के भी सम्माननीय लोग हैं, वह भी विचार पेश कर रहे हैं। शिक्षा मंत्रीजी, उनकी सारी बातों को सुन कर आप विचार करें। वरना घोर अन्याय होगा। आपने बिल पास करा लिया, यह समाचार पत्रों में छपेगा, लोग पढ़ेंगे—इससे यूनिर्वासिटी के लोगों में असंतोष होगा। कर्मचारियों में असंतोष होगा।

फिर आपने कहा है कि इसको रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट देंगे। जो यूनिर्वासिटी की नौकरी में लगे हुए हैं, उनको भी कहेंगे कि सिलेक्शन कमेटी में जायें और पास होकर आयेंगे, तब नौकरी में रहेंगे। इस स्टेज तक आप कब्जा करना चाहते हैं। नये लोगों पर तो आप यह भार डालना ही चाहते हैं, लेकिन जो पुराने बैठे हुए हैं, उन पर भी डालना चाहते हैं। महरबानी करके नशे में चूर नहीं होकर आपको प्रजातांत्रिक तरीके में विचार करना चाहिए। विरोधी दल के लोग कह रहे हैं, आप के लोग भी कह रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि आपको सारी बातों को मान कर इस क्लाज को पास कराना चाहते हैं, इसको आप डिलीट करेंगे।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सेक्शन 5 के तहत प्रासीजर ऑफ सिलेक्शन कमेटी है। इसके तहत क्या रूल होंगे, क्या प्रासीजर होगा, वह ले डाउन किया जायगा, वह रूल स्टेट गवर्नमेंट बनायेगी, और अच्छे बनायेगी। यह एक्ट बनाया है, इसके अन्दर में सिलेक्शन कमेटी बनेगी और रूल बनाने का प्रावधान है ······

श्री केदार नाथ : गलत है। आप यह लिख दें —····

श्री खेतसिंह : हम ऑटोनोमी नहीं लेना चाहते हैं, न ऑटोनोमी लेने का हमारा उद्देश्य है।

श्री केदारनाथ : पांच में आप जोड़ दीजिये, प्रॉसीजर के साथ रूल। इसमें आप रूल जोड़ दीजिये, तब तो रेलेवेन्सी है। फिर सेपरेट क्यों लिखें। आप कर दीजिये, प्रॉसीजर एण्ड रूल्स।

श्री शिवचरण माथुर : रूल्स का सेक्शन 5 है।

श्री केदारनाथ : 5 क्लाज है, प्रॉसीजर आफ सिलेक्शन कमेटीज। इसमें प्रॉसीजर एण्ड रूल्स लिख दीजिये, तो रेलेवेन्सी हो जायेगी। यह यूनिवर्सिटी की ऑटोनोमी में यह रोड़े क्यों डालते हैं। आप रूल्स एण्ड प्रॉसीजर कर दीजिये।

श्री खेतसिंह : सेक्शन 5 में कायदा बनेगा, प्रॉसीजर। रूल्स के लिए सेक्शन 10 में बताया है। इसके नियम या प्रॉसीजर होगा, यह कमेटी के लिए होगा। ज्यादा है नहीं। आप ख्वामख्वाह इतना कर रहे हैं। कोई ऑटोनोमी पर प्रभाव नहीं होगा।

श्री केदारनाथ : रूल्स एण्ड प्रासीजर ऑफ दी सलेक्शन कमेटीज, यह मान लें।

श्री खेतसिंह : "For the purposes of this Act" इस एक्ट के रूल सेक्शन 5 के नीचे बनते हैं। कहीं और रूल नहीं है।

श्री रामकिशन : खेतसिंहजी बारबार "ख्वामख्वाह" बोल जाते हैं। यह संसदीय है क्या ? मैं जानकारी चाहता हूं, यह संसदीय परम्परा है, यह संसदीय शब्द है ?

श्री उपाध्यक्ष : Order please.

श्री रामकिशन : आप अब भी राठोड़ी छोड़ेंगे कि नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक के खण्ड में जो संशोधन श्री केदारनाथ ने रखा है ·······

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आज तो प्रचण्ड हो गई है राठोड़ी।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 10 में जो संशोधन प्रस्ताव श्री केदारनाथ ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 10 विधेयक का अंग स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 10 विधेयक का अंग स्वीकार किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड 11

प्रश्न यह है कि खण्ड 11 विधेयक का अंग स्वीकार किया जाय ?

श्री खेतसिंह : मैं निवेदन कर रहा था, मय संशोधन के ।

श्री उपाध्यक्ष : कोई संशोधन नहीं है । मूव कर रहे हैं ?

श्री खेतसिंह : वह शिड्यूल में है ।

श्री केदारनाथ : वह बाद में आयेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : I am taking clause 11 Schedule will come in the last.

श्री खेतसिंह : पहले सेक्शन ले लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 11 विधेयक का अंग स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 11 विधेयक का अंग स्वीकार किया गया ।

खण्ड 7

श्री खेतसिंह : खण्ड 7 ले लीजिये । डेफर किया था ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मेरा सुझाव है······

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य । माननीय सदस्य केदारनाथ का संशोधन प्रस्ताव है ।

श्री खेतसिंह : वह रिजेक्ट हो गया ।

श्री उपाध्यक्ष : वह रिजेक्ट हो गया ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : वह हमने माना नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : आपने मूव कर दिया ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : वह मूव कर दिया । आपने यह डेफर कर दिया था मेरा संशोधन प्रस्ताव है, लास्ट बट वन लाइन में "or" के बाद " Procedural " शब्द जोड़ दिया जाय "Defect" से पहले ।

श्री केदारनाथ : यह ठीक है. मानते हैं ।

श्री खेतसिंह : मैं एग्री करता हूं ।

श्री केदारनाथ : हमारी बात भी यही थी ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह एग्रीड है प्रासीजरल ।

श्री खेतसिंह : "प्रोसीजरल" शब्द जोड़ दिया जाय ।

श्री केदारनाथ : फिर डिफेक्ट रहता है, इर्रेगुलेरिटी आयेगी तो इस वर्ड से ठीक हो जायगा ।

श्री खेतसिंह : मतलब वही था । आप तो स्वामख्वाह····

श्री हीरालाल देवपुरा : अब फिर बोल दिया । आप क्या एक्सपंज करायेंगे ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मतलब वही है । लेकिन आप मिनिस्टर है हाई कोर्ट के जज नहीं ।

श्री खेतसिंह : मतलब यही था

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मतलब काम में नहीं आयेगा । मतलब का स्वेच्छा से जजमेंट मत दीजिये । आप हाई कोर्ट के जज नहीं है ।

श्री खेतसिंह : अच्छा, अच्छा । जोड़ दीजिये ।

श्री **उपाध्यक्ष** : गंगानगर के माननीय सदस्य संशोधन प्रस्ताव को वापिस लेना चाहेंगे ?

श्री केदारनाथ : जी हां ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 7 में जो संशोधन प्रस्ताव माननीय केदारनाथ ने रखा है उसे वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी जाती है ।

वापिस लीजिये ।

श्री केदारनाथ : मैं वापिस लेता हूं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरा भी है संशोधन प्रस्ताव खण्ड 7 में ।

श्री उपाध्यक्ष : आपका भी है ? नहीं ।

श्री खेतसिंह : वह भी ले लीजिये ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ले लिया ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि माननीय श्री योगेन्द्रनाथ हांडा को संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी जाती है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 7 में माननीय प्रभारी मंत्री ने जो संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया है, उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 7 मय संशोधन के विधेयक का अंग स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 7 मय संशोधन के स्वीकार किया गया ।

अनुसूची !

अनुसूची

श्री खेतसिंह : अनुसूची के स्तम्भ 1, मद 4 में शब्द "पुस्तकालयाध्यक्ष" के पश्चात् निम्नलिखित अभिव्यक्ति जोड़ी जाय, अर्थात् :—

"उप-पुस्तकालयाध्यक्ष, सहायक पुस्तकालयध्यक्ष तथा वृतिक सहायक अथवा सुसंगत विधि के अधीन या द्वारा किसी भी नाम से पदाभिहित पुस्तकालय का कोई अन्य अधिकारी, जिसका वेतनमान उपर्युक्त अधिकारियों के वेतनमानों के समतुल्य हो किन्तु उनसे नीचा न हो ।"

मैं निवेदन करूंगा कि अनुसूची मय संशोधन के स्वीकार की जाय ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसमें मेरा संशोधन है–संशोधन 15 व 16।

अनुसूची

श्री केदारनाथ : (1) अनुसूची में आईटम संख्या 1,2,3 तथा 4 को पुनः संख्यांकित 2, 3, 4 तथा 5 किया जाकर निम्नांकित आईटम संख्या 1 जोड़ा जाये :–

1. अधिष्ठाता/सह–अधिष्ठाता, कालेज, निदेशक, स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज व ह्यूमेनीटीज, निदेशक, एग्रीकल्चर एक्सपेरीमेन्ट स्टेशन, निदेशक, विस्तार निदेशालय (उदयपुर विश्वविद्यालय):—

(i) सम्बन्धित संकाय का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सम्बन्धित शिक्षापीठ का संचालक / निदेशक, एग्रीकल्चर एक्सपेरीमेन्ट का संचालक / निदेशक, एग्रीकल्चर एक्सपेरीमेंट स्टेशन / निदेशक, विस्तार निदेशालय।

(ii) सम्बन्धित विभाग का प्रधान यदि वह प्राचार्य हो, यदि विभाग का अध्यक्ष प्राचार्य नहीं तो कुलपति द्वारा सम्बन्धित विभाग का कोई प्राचार्य नामांकित हो।

(2) अनुसूची में "प्राचार्य" के सामने कोलम 2 को निम्नांकित रूप से प्रतिस्थापित किया जाये :—

प्राचार्य : (i) सम्बन्धित संकाय का अध्यक्ष / उपाध्यक्ष एवं सम्बन्धित शिक्षापीठ का संचालक / निदेशक, एग्रीकल्चर एक्सपेरीमेन्ट स्टेशन / निदेशक, विस्तार निदेशालय।

(ii) सम्बन्धित विभाग का प्रधान यदि वह प्राचार्य हो, यदि विभाग का अध्यक्ष प्राचार्य नहीं तो कुलपति द्वारा सम्बन्धित विभाग का कोई भी प्राचार्य नामांकित हो.

(3). अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 2, 'उपाचार्य, प्राध्यापक' के सामने कॉलम 2 में आईटम संख्या (1) में प्रयुक्त शब्द "कुलपति द्वारा सम्बन्धित विभाग का नाम निर्देशित एक प्राचार्य' के स्थान पर शब्द "विभागाध्यक्ष" जो कि समान श्रेणी रखता हो या जिस पद के लिये उपाचार्य प्राध्यापक चयन किया जाना है उससे बड़े पद का हो या ऐसे किसी पद का चयन किया जाना है जो कि विभागाध्यक्ष की योग्यता एवं श्रेणी से ऊंचा हो उस स्थिति में समान एवं उससे उच्च श्रेणी का व्यक्ति कुलपति द्वारा मनोनीत प्रतिस्थापित किया जाये–तथा

प्रविष्टि संख्या 2 के कॉलम 2 के आईटम (ii) में प्रयुक्त शब्द "ज्ञान या" के पश्चात् प्रयुक्त शब्द "या रुचि" विलोपित किये जाये।

इसमें प्रोफेसर, रीडर और लेक्चरार की सिलेक्शन के बारे में है। पहले कॉलम में है प्रोफेसर का चयन कैसे हो। इसमें वी०सी० का नामिनी होगा। पहले था "Dean of the faculty concerned" अब जोड़ दिया 'Dean of the faculty concerned, if he is a Professor and where he is not a Professor, any Professor of the department concerned, nominated by the Vice-Chancellor" मेरा निवेदन है कि डीन एफिलिएटिंग कालेज का प्रिन्सीपल भी बन सकता

(श्री केदारनाथ)

है। यह उनके प्रति बड़ा अन्याय होगा हो सकता है वह प्रिन्सीपल के स्टेटस का नहीं हो। इसलिए इस डेफीनेशन में नहीं आयेंगे। आप सारे प्रिन्सीपल्स को डिबार कर रहे हैं, आप पूछ लीजिए अपने आफिसर्स से। आपको ये गुमराह करते हैं। पहले ठीक था।

श्री खेतसिंह : यह इसलिए रखा गया है कि युनिवर्सिटी एक्ट में प्रोसीजर है कि प्रोफेसर ही बैठ सकता है, उससे लोवर रैंक का व्यक्ति सिलेक्शन में नहीं बैठ सकता। तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है प्रोफेसर बिठाना, चाहे रोटेशन से रीडर डीन बन जाए लेकिन सिलेक्शन में प्रोफेसर ही बैठेगा।

श्री केदारनाथ : दूसरे में है हैड आफ दी डिपार्टमेंट अगर वह प्रोफेसर है। आप उनकी मोनोपोली क्रिएट करेंगे, झगड़ा तो इसी बात पर था। जो हेड आफ दी डिपार्टमेंट प्रोफेसर नहीं है तो एनी आफिसर नामीनेटेड बाई दी चान्सलर।

श्री खेतसिंह : वही तो है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक तो डीन आ गया। आपका एप्रीहेंशन ठीक है कि एक रीडर भी डीन है। दूसरे में प्रोफेसर आ गया। एक डीन हो गया, एक प्रोफेसर हो गया, तीसरे में सेंडीकेट, वी०सी० और यू०जी०सी० को अथोरिटी है दो आदमी देने के लिए। एक्सपर्ट्स प्रोफेसर्स से कम नहीं होंगे।

श्री केदारनाथ : मैंने इसलिए संशोधन जोड़ दिया कि आज हेड आफ डिपार्टमेंट रीडर है, प्रोफेसर का सिलेक्शन करें तो हमने कहा जो प्रोफेसर्स हैं उनमें से वी०सी० एक आदमी को नामीनेट करे क्योंकि वहां रीडर हैड आफ डिपार्टमेंट है। यह फेयर चीज है।

श्री खेतसिंह : अध्यादेश में रखा था लेकिन उसके बाद में हमको मालूम हुआ कि प्रोफेसर के नीचे का व्यक्ति उस सिलेक्शन कमेटी में नहीं रखें। रोटेशन से डीन कई बनते हैं। 20 साल के लेक्चरर्स भी बनेंगे। तो लेक्चरार प्रोफेसर का सिलेक्शन करे क्योंकि वह फैकल्टी का डीन है इसलिए बिठा दें, यह मानने की बात नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : "आचार्य के सामने स्तम्भ 2 में आइटम (ii) तथा (iii)" विलोपित कर दिए जायें।

श्री केदारनाथ : अजमेर के प्रिन्सीपल डीन हैं वह किसी प्रोफेसर से कम नहीं हैं मगर टेक्नीकली प्रोफेसर की परिभाषा में नहीं आता है। पूछ लीजिए डाइरेक्टर साहब से।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : विधान सभा दूसरी हुई नहीं फिर संशोधन आएगा, हांडा साहब, चिंता मत करो।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह पता नहीं था कि इतने टन डाल दिया और कुछ भीगा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : This is the opinion of the ex-Education Minister.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कोई प्रिन्सीपल 25 साल रह जाए पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में उसकी हैसियत किसी भी दुनिया के प्रोफेसर

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

से बड़ी हो जाती है। वह भी एम०ए०, एल-एल०बी० है हमने भी एम०ए० किया है । हम अच्छी तरह से समझते हैं । अगर आप इन्सिसटेंट हैं ही तो पहले सारा डिलीट कर दे "Head of the Department, if he is a Minister"। अगर डीन के नाम से एलरजी है तो do not put it. दूसरा और तीसरा रख लीजिए, पहले को छोड़ दें ।

श्री केदारनाथ : अजमेर के प्रिन्सीपल डीन हैं, वह टेक्नीकली प्रोफेसर की परिभाषा में नहीं आता, इसलिए डिबार हो जाएगा । एक तरफ आप एफिलियेटिंग कॉलेज और केम्पस के बीच एमोशनल इन्टीग्रेशन करना चाहते हैं दूसरी तरफ....

श्री खेतसिंह : मैंने तीन बार कह दिया कि किसी भी सिलेक्शन के अन्दर आप खुद सोचिये जहां प्रोफेसर का सिलेक्शन हो रहा है और नीचे का आदमी रीडर डीन है क्योंकि बाई रोटेशन का निर्णय ले लिया है और रोटेशन से लेक्चरार्स भी आ सकते हैं डीन बनकर, तो क्या लेक्चरार्स को प्रोफेसर की सिलेक्शन के लिए बिठाना चाहते है ? इसलिए हमने तय किया है और दूसरे एक्ट में भी यही प्रावधान है । प्रोफेसर के नीचे व्यक्ति नहीं बैठेगा, बार बार क्यों बोल रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : "Dean who is Professor or Principal of an affiliated College" ऐसा कर लीजिये ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यादेश में था "Dean of the Faculty concerned" यही रहना चाहिए था । तीसरे में एक शब्द भी नहीं था । इस बीच में शिक्षा मंत्री ने "or interest" शब्द जोड़े हैं वह गलत है । मूल अध्यादेश में कहा था, "Two persons as experts who are not connected with the University concerned...."

श्री सुरेन्द्र व्यास : प्रिन्सीपल का कहें।

श्री खेतसिंह : मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपकी आपत्ति है कि रीडर प्रोफेसर का सिलेक्शन नहीं करें । पोस्ट ग्रेजूएट कॉलेज का प्रिन्सीपल अगर कमेटी में बैठ जाए तो क्या दिक्कत है ? आप उसको प्रोफेसर के बराबर नहीं मानते ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुसूची में माननीय प्रोफेसर केदार ने जो संशोधन प्रस्ताव किया है उसको स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि अनुसूची में माननीय सदस्य श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ने संशोधन प्रस्ताव रखा है, उसको स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि माननीय प्रभारी मंत्री ने अनुसूची में जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि अनुसूची मय संशोधन के विधेयक का अंग स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

अनुसूची मय संशोधन के विधेयक के अंग स्वीकार की गई ।

खण्ड 1 आदि

प्रश्न यह है कि खंड 1, प्रस्तावना और नाम आदि विधेयक का अंग स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खंड एक, प्रस्तावना और नाम आदि विधेयक के अंग स्वीकार किए गए ।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि संशोधित विधेयक को पारित किया जाये ।

श्री केदारनाथ : मुझे यह अर्ज करना है कि राज्य सरकार यूनिवर्सिटीज को टेक–ओवर कर ले – इसको मैं ज्यादा पसन्द करूंगा लेकिन इस तरह से इनरोड्स पैदा करके जो मोजूदा हालत हमारी इन यूनिवर्सिटीज में हैं उनके खिलाफ जाता है, आपके आब्जेक्टिव्ज के खिलाफ जाता है । बाकी आप मानते तो हैं नहीं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक नम्र निवेदन है इस सदन और सदन के दोनों पक्ष के माननीय सदस्यों से कि हम एक संकट दूर करना चाहते थे हमारे विश्वविद्यालयों में से, वहां पर व्याप्त भ्रष्टाचार, वहां की सर्विसेज की अस्थिरता को दूर करना चाहते थे लेकिन उस संकट को समाप्त करने के लिए हमने बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है । यह बिल मैं, उपाध्यक्ष महोदय, कहता हूं कि शिक्षा जगत में आने वाले बिलों में काला बिल के नाम से घोषित किया जायेगा । यह एक बिल है जिसने कि यूनिवर्सिटीज की ऑटोनोमी को समाप्त करने की तरफ कदम उठाया है । यह बिल है जो कि यूनिवर्सिटी की ऑटोनोमी को भंग कर देना चाहता है, उसके प्रांगण के अन्दर ब्यूरोक्रेसी का प्रवेश करवा रहा है । यह एक अपमानजनक बिल है बुद्धिजीवियों के लिए, राजस्थान के लिए और राजस्थान के ला डिपार्टमेन्ट के लिए और राजस्थान की असेम्बली के लिए । मैं आपसे उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी गम्भीरता से कह रहा हूं कि सारा देश इस बिल पर हंसेगा कि जिस प्रकार का बिल हमने पास किया है । किसी भी प्रान्त में अभी तक यूनिवर्सिटीज की ऑटोनोमी के ऊपर इस प्रकार से हस्तक्षेप नहीं किया गया है। जिस प्रकार से इस बिल ने हस्तक्षेप किया है और मैं नम्र निवेदन करूंगा कि इस काले बिल को पास मत कीजिये । इस प्रकार की टेन्डेन्सी को प्रोत्साहित मत कीजिए और अगर प्रोत्साहित करना ही है तो फिर खुल करके कीजिए । मिनिस्टर के नीचे यूनिवर्सिटीज को कर दीजिए । कर दीजिए एजुकेशन कमिशनर के नीचे यूनिवर्सिटी को । क्या जरूरत है आपको सिन्डीकेट बनाने की, एकेडेमिक कौंसिल बनाने की ? सब को समाप्त कर दीजिए । आपने एम० एल० ए० को क्यों एकेडेमिक कौंसिल में भेजा है ? सारे एवेन्यूज जो टीचर्स ने हासिल किये हैं, जो लेक्चरार्स और रीडर्स ने हासिल किये हैं, इन सारे एचीवमेन्ट्स को खत्म कर देना चाहते हैं । मैं इसको काले बिल की संज्ञा देता हूं ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल मैं समझता हूं काफी . . . . . .

श्री प्रद्युम्नसिंह : स्वागत के योग्य है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : स्वागत के योग्य बिल्कुल नहीं है। यह आप कह रहे हैं और इसलिए कह रहे हैं कि आपने इसका अध्ययन नहीं किया।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं कहता हूं कि सारे हिन्दुस्तान में ऐसा बिल आना चाहिए। आपने यूनीवर्सिटीज को मखौल समझ रखा है, ऊधम मचवा रखा है विद्यार्थियों से। यह बन्द हो जायगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इस बिल में क्या है आपको पता है क्या ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपको ज्यादा पता होगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह काला बिल ही नहीं, बल्कि महा-काला बिल है। मैं समझता हूं कि बड़ा भारी अन्याय हो रहा है और आप चाहें बहुमत के आधार पर पास करालें। आर्डिनेन्स में कुछ भावनायें थीं और बिल में कुछ भावनायें हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इससे पहले कि यह बिल पास हो, मेरी पार्टी वाकआउट करती है। We are not taking part in the passing of this bill.

(कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इसका बहुत बुरा परिणाम होगा और लोगों पर अच्छी प्रतिक्रिया नहीं होगी और युनिवर्सिटीज में भारी असन्तोष फलेगा और चाहेंगे जिसको अरेस्ट करवा देंगे। इस तरह सम्पूर्ण भारतवर्ष के लोग जो जो विधान सभायें हैं सारे के सारे इस बिल को देखेंगे तो हसेंगे। इसलिए बहुमत के आधार पर, केवल एकव्यक्ति के आधार पर उन्होंने हां कहा तो आपने भी हां कह दिया, न तो उदयपुर यूनीवर्सिटी वाली बात इसमें शामिल है। 6 महीने रहा और 6 महीने के बाद हटा दिया गया तो निश्चित रूप से पढ़ाई खतम होगी। आई० ए० एस० को अधिकार दिया है और जो विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता है वह खतम होगी। चान्सलर महोदय जो कि हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय हैं उनके अधिकारों का बार बार दुरुपयोग करवायेंगे और जो एक्सपर्ट होगा वह किस किस का रेकर्ड रखेगा, कौन विद्यार्थी रहा और कौन नहीं रहा। यह बोर्ड बनाया है यह काम भी आपका निश्चित रूप से पूरा नहीं होगा और फिर यह कहना कि किसी की गिरफ्तारी के आधार पर डिस्क्वालीफिकेशन हो जायेगी। यह व्यवस्था की है यह तो बिलकुल उचित नहीं है। आपने कहा कि वह कोर्ट में जा सकता है, वह बेचारा कोर्ट में जायेगा नहीं और केवल मौखिक रूप से शिक्षा मंत्रीजी ने यहां कह दिया कि वह कोर्ट में चला जायगा, मैं कहता हूं कि वहां कोर्ट में कोई इस बात को नहीं देखेगा कि शिक्षा मंत्री जी ने असेम्बली में क्या कहा। कोई नहीं देखेगा कि असेम्बली की क्या प्रोसीडिंग्स है और क्या लिखा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस प्रकार से आपने सीनेट और सीन्डीकेट दोनों के प्रमुत्व को समाप्त कर दिया। मैं समझता

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
हूं कि बिल पास होने के बाद में सम्पूर्ण शिक्षा जगत में और राजस्थान में जो जो रजिस्ट्रार, प्राध्यापक और अधिकारी होंगे वह इस कांग्रेस की सरकार, बहुमत वाली सरकार जिसने अपने ही दल के माननीय सदस्यों के विचारों को नहीं माना है तो विरोधी पक्ष के बहुमूल्य सुझावों को कब मानेगी और उनको भी उसने ठुकराया है। मैं समझता हूं कि ऐसे बिल को पास करें उससे पहले मैं इसके विरोध स्वरूप सदन का त्याग करता हूं ।

(जनसंघ के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री केदारनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, आपको ठीक 6 महीने के बाद मालूम पड़ेगा कि न तो राजस्थान का कोई आदमी मेम्बर बन पायेगा, न लेक्चरार बन पायेगा, न रीडर बन पायेगा और न इसका एक्सपर्ट बन पायेगा । इसलिये आपका जो आब्जेक्टिव है सन आफ दी सोइल और लोकल टेलेन्ट को एन्जावं करने का यह परपज भी आप डिफीट कर रहे हैं और इन्टरनल आटोनामी को इनरोडस के जरिये से जिस ब्यूरोक्रेसी को लाना चाहते हैं और जिस ब्यूरोक्रेसी ने सारा लास किया है और सारे प्रगतिशील स्टेप्स को एक्यूटल किया है, हम इसके विरोध में वाक आउट करते हैं ।

(श्री केदारनाथ द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो बातें निवेदन करना चाहता हूं। एक तो शिक्षा मंत्री ने विदइन दी फ्रेम वर्क आफ दी आटोनामी की बात की है क्योंकि मैं समझता हूं कि इस बिल के आने के बाद में यह पहला गवर्नमेन्ट का कदम है। यूनीवर्सिटीज को टेक ओवर करने का । मैं समझता हूं कि शिक्षा मंत्री जी को स्पष्ट रूप से अपनी नीति घोषित करनी चाहिए । मैं इसमें कोई कमजोरी की बात नहीं मानता क्योंकि वह समझते हैं कि यूनीवर्सिटी के अन्दर आटोनामी कायम रखने से अच्छा काम वह नहीं करती हैं और उनको गवर्नमेन्ट अच्छी तरह से चला सकती है तो ओपेनली आपको कहना चाहिये कि हम आटोनामी को इन इन्स्टीट्यूशन्स के अन्दर एक्सेप्ट नहीं करते और गवर्नमेन्ट ही इनको रन करेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल से आप कुछ नहीं करेंगे । जोधपुर और उदयपुर यूनीवर्सिटीज का एजुकेशन का स्टेन्डर्ड सुधरने वाला नहीं है । आप हाई कोर्ट की बेंच तक तो देते नहीं हैं और ले देकर हमारे जयपुर में एक राजस्थान यूनीवर्सिटी बची है जो कि हिन्दुस्तान की यूनीवर्सिटीज में सबसे बढ़िया यूनीवर्सिटीज में गिनी जाती है । आप उसके स्टेन्डर्ड को भी खराब करना चाहते हैं, तो ठीक है राजस्थान यूनीवर्सिटी का अपना एक स्टेन्डर्ड है, एजुकेशन का स्टेन्डर्ड है और इन्डिया की वन आफ दी बेस्ट यूनीवर्सिटी है । आपके इस बिल से उसका स्टेन्डर्ड निश्चित रूप से गिरेगा और कैसे आपके एजुकेशन का स्टेन्डर्ड बढ़ेगा, यह आप समझा दें ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह बिल वापिस लेना चाहिये क्योंकि इस बिल से आपका कोई परपज हल नहीं होने वाला है इससे आप यूनिवर्सिटी की ओटोनोमी को समाप्त करेंगे

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री शिक्षा मन्त्रीजी !

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन्हीं माननीय सदस्य ने पिछले सत्र में यह कहा था कि यूनिवर्सिटीज के बारे में ऐसा कुछ बिल आना चाहिये कि जिससे यह सभी इरेग्यूलरिटीज समाप्त हो जाये । इन्होंने यह भी कहा था कि आज यूनिवर्सिटीज में भाई-भतीजावाद पनप रहा है और यूनिवर्सिटीज में आपा-धापी हो रही है । हम इससे यूनिवर्सिटी की ओटोनोमी समाप्त नहीं कर रहे हैं ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इससे आप यूनिवर्सिटीज के अन्दर जो इरेंग्युलेरिटोज है वह समाप्त नहीं कर सकेंगे । इससे आप यूनिवर्सिटी की ओटोनोमी को समाप्त करने जा रहे हैं । यह तरीका इर्रेग्यूलरिटीज को समाप्त करने का नहीं है ।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमने यह बिल लाकर कम से कम प्रयास किया है कि यूनिवर्सिटीज की ओटोनामी में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप हो । पिछले सेशन में सदन में कुछ इस प्रकार की चर्चा हुई थी जिसमें लोगों के सिलेक्शन्स के बारे काफी भ्रान्ति हो गयी थी । इसलिये इन सिलेक्शन में सुधार हो यह बिल सदन में लाया गया है । इसके अलावा यूनिवर्सिटी का काम सिर्फ मैं समझता हूं कि सिलेक्शन करना ही नहीं है । उसके और भी कई कार्य हैं ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : तो क्या आप समझते हैं कि यूनिर्वासिटी का काम सिर्फ परीक्षा लेना ही है । और कोई काम नहीं है ?

श्री खेतसिंह : यूनिवर्सिटी के कार्यों के अन्दर आता है लड़कों को अच्छी शिक्षा देना, अच्छी तरह से परीक्षा लेना और देश के अच्छे नागरिक तैयार करना ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपके इस तरह के कार्यों से मैं समझता हूं कि आप अच्छे टीचर्स का सिलेक्सन नहीं कर सकेंगे । आज जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का स्टेन्डर्ड है वह आपके जोधपुर और उदयपुर यूनिवर्सिटी का नहीं है । कोई भी व्यक्ति जोधपुर और उदयपुर यूनिवर्सिटी में जाना पसन्द नहीं करेगा ।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी की अपनी एक शान है, उसका इन्डिया की दूसरी यूनिवर्सिटीज जैसा स्टेन्डर्ड है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप इसको खत्म कर दो । मैं जा रहा हूं ।

एक माननीय सदस्य : हां आप जाइये ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हां मैं जा रहा हूं । ×××

मैं जा रहा हूं । बिल्कुल जा रहा हूं ।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा द्वारा वहिर्गमन)

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्री हांडा ने जो कहा, कि ×××

××× शब्द अध्यक्षपीठ के आदेश से निकाले गये ।

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

यह शब्द एक्सपन्ज किये जाने चाहियें।

श्री उपाध्यक्ष : ××× यह शब्द एक्सपन्ज किया जावे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से यह प्रश्न है कि बिदइन दी फ्रेम वर्क आफ दी ओटोनोमी आप कैसे काम कर पायेंगे यह मुझे समझा दीजिये।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल सदन में इसलिये लाया गया है कि यूनिर्वासिटीज में सिलेक्शन वगैरह निष्पक्ष तरीके से और अच्छे व्यक्तियों का हो, लोकल टेलेन्ट को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, इसलिये लाया गया है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) विधेयक, 1974 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1974

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1974

श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

×××शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेश से निकाले गए।

श्री गिरधारीलाल भार्गव।

परिनियत संकल्प

श्री गिरधारीलाल भार्गव : "यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 20 अप्रेल, 1974 को प्रख्यापित राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश संख्या 6 सन् 1974) को अस्वीकार करता है।"

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन करना है कि जहां पर आप छात्रों के यूनियन के प्रेसीडेन्ट को, सीनेट और सीन्डीकेट में प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं वहां पर आप उन एक्स-ओफिसीयो मेम्बर्स, यूनिर्वासिटी के एपोइन्टमेन्ट्स और फाईनेन्सेज के मामले में भी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये। आप उन्हें जो कि यूनियन का प्रेसीडेन्ट है, जो कि एक्स-ओफिसियो मेम्बर सीनेट का है, सिन्डीकेट में भी आप उसे प्रतिनिधित्व देने जा रहे हैं तो फिर आप उनको प्रतिनिधित्व दूसरे मामलों में क्यों नहीं दे रहे हैं ? यह तो आपकी वह हालत है कि जेब में तो पैसे नहीं और नये भागवान बने फिर रहे हैं। आप चाहे उन्हें एग्जामिनेशन के पोईन्ट में नहीं रखते, कोई बात नहीं। उसकी आप सिक्रेसी रखें। लेकिन आप छात्रों को प्रशासन के कार्यों में क्यों नहीं भाग लेने की अनुमति देते हैं ? आप उनको फाईनेन्सेज में प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दे रहे हैं ? मैं आपको अभी भी कहता हूं कि आप इसमें दुरुस्ती करिये। आपने स्टूडेन्ट्स को सिन्डीकेट में प्रतिनिधित्व दिया, उसका आपको धन्यवाद है, बाकी आपके इस बिल से तो समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। आप चाहते हैं कि विश्व-

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
विद्यालय के छात्रों का यूनिवर्सिटी के प्रशासन में कोई सहयोग नहीं रहे। उनकी अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा नहीं रहे। आज जो यूनिवर्सिटी में इतनी समस्याएं पैदा हो रही हैं उसका सबसे बड़ा यही कारण है छात्रों का इसमें प्रतिनिधित्व नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि आप एग्जामिनेशन के मामलों में उन्हें रखें लेकिन बाकी यूनिवर्सिटी के फाइनेन्सेज के मामलों में और एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में चाहे किसी की भी नियुक्ति हो, उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। आप छात्रों के लिये किसी भी प्रकार की बन्दिश इसमें मत रखिये। लेकिन कभी राजस्थान यूनिवर्सिटी के बारे में शिक्षा मन्त्रीजी, आज जो आये दिन कभी रजिस्ट्रार के कमरे में आग लग गयी या घेराव हो गया उसका कारण यही है कि आज ऐसी कन्डीशन्स पैदा हो गयी है जिससे यह हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि आप इस बिल को लाकर जनतन्त्र का गला घोटना चाहते हैं। आप डेमोक्रेसी को समाप्त करने जा रहे हैं। वैसे तो आपकी केन्द्रीय सरकार धीरे धीरे डिक्टेटरशाही की तरफ बढ़ रही है। मैं आपसे, शिक्षा मन्त्रीजी, यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपको इसमें यह दुरुस्ती करनी चाहिये कि एग्जामिनेशन को छोड़कर, बाकी चाहे वह फाइनेन्स से ताल्लुक रखता हो, चाहे प्रशासनिक मामलों से ताल्लुक रखता हो, आपको इसमें छात्रों को प्रतिनिधित्व देना चाहिये। यह आप कभी तो जोधपुर यूनिवर्सिटी के बारे में, पीस मील में आर्डिनेन्स निकाल कर बिल ला रहे हो। इसके लिये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, शिक्षा मंत्रीजी, आप. इसके लिये सम्पूर्ण रूप से बिल लायें तो ठीक रहेगा। वरना इससे किसी भी प्रकार का भला होने वाला नहीं। बस मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री केदारनाथ : जहां तक एग्जामिनरों के सिलेक्शन का प्रश्न है वह सीक्रेट चीज है, इसमें छात्र प्रतिनिधि को न रहने दें तो कोई दिक्कत नहीं। पर फाइनेन्सियल मैटर्स में क्यों एक्सक्लूड करते हैं? इसमें वे डिसकसन करेंगे तो अच्छी बात है। उसमें वे आपको चौकस रखेंगे कहीं फालतू खर्चा नहीं होने देंगे, गबन नहीं होने देंगे, स्वयं विजिलेन्ट रहेंगे, आपको भी विजिलेन्ट रखेंगे और फिर बोलने के अलावा तो कुछ कर नहीं सकेंगे वहां वे मेजोरिटी में होंगे नहीं। मेजोरिटी तो आपकी ही रहेगी। अब यहां फाइनेन्स में काहे की सीक्रेसी है। खैर, वहां तो सीक्रेसी मान लेते हैं एग्जामिनर्स के सिलेक्शन में। आगे जाकर इसमें क्या होगा, क्या नहीं होगा, पर आज तो ठीक है मान लेते हैं। बाकी आपका बिल ठीक है, मैं इसका स्वागत करता हूं। इसके लिये आपको धन्यवाद भी देता हूं।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य इतने प्रगतिशील बिल के विरोध में भी बोले बगैर नहीं रहे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं इसके खिलाफ नहीं; मैं भी इसका स्वागत करता हूं। पर फाइनेन्सियल मैटर्स में जो आप डिबार करने जा रहे हैं वह मैं कतई अनुचित समझता हूं। वहां अगर छात्र रहेंगे तो आपको गडबड़ घोटाले बिल्कुल नहीं करने देंगे। फिर वहां सीक्रेसी आप क्यों रखना चाहते हैं, वहां क्या सीक्रेसी है। क्या आप इस बात की सीक्रेसी चाहते हैं कि आप मनमानी करते रहें, मनमाने

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

घोटाले करते रहें, गबन करते रहें और वे विद्यार्थी प्रतिनिधि जान न पावें। क्या आप यह चाहते हैं। यह नहीं अब चलने वाला है। इसका मैंने पहले भी विरोध किया और अब भी करता रहूंगा। वैसे विद्यार्थियों को आपने थोड़ा बहुत रिप्रेजेन्टेशन दिया है उसका उस सीमा तक मैंने स्वागत किया है।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि किसी बात का स्वागत इन्होंने भी किया तो है। बाकी एग्जामिनरों की नियुक्ति के मामले में, उनके रहने को उचित नहीं मान रहे हैं। गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य भी नहीं मान रहे हैं। इसकी मुझे प्रसन्नता है।

आर्थिक मामलों में उनके प्रतिनिधित्व को नहीं मानने में हमारा एक ही विचार रहा है कि अगर उनको प्रतिनिधित्व दे देते हैं तो हमेशा वे इसी बात का प्रयास करेंगे कि वहां से अधिक से अधिक पैसा उनकी यूनियन को मिले अथवा अपने खुद के खेल कूद के लिये या और इसी तरह के उनके दूसरे कामों के लिये मिले।

श्री केदारनाथ : 9 अगस्त की रैली के लिये आप कह सकते हैं।

श्री खेतसिंह : इस विचार को लेकर इन दो बाडीज में उनका प्रतिनिधित्व नहीं रखा। बाकी प्रतिनिधित्व सब जगह दिया है। यह प्रगतिशील कदम हमने उठाया है। अगर इनमें संजीदगी से काम किया उन्होंने तो आगे सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन मैं देता हूं।

श्री केदारनाथ : इस आश्वासन पर मान गये।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि इनको अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी जाय?

(स्वीकृत)

स्वीकृति दी गई।

श्री केदारनाथ : वापिस लिया।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि यूनियन के लिये पैसा मांगेंगे तो यह तो उनके चन्दे का प्रबन्ध अन्यत्र है। फिर यह तो एक बहाना है, वे विचाराभिव्यक्ति से डरते हैं, उनके घोटालों को विद्यार्थियों द्वारा पकड़ न लिया जाय, यह डर है। नहीं तो बहुमत तो आपका है, वहां अगर रह गये तो वे ऐसा क्या कर सकते हैं। पैसे वैसे ही ले थोड़े जावेंगे। आखिर वे भी देश के भावी कर्णधार हैं, जो विधायक और मन्त्री बनकर या प्रोफेसर या चान्सलर अथवा वाइस चान्सलर बनकर आने वाले हैं। इसमें रहकर वे भी अर्थ का समुचित उपयोग करना ही सीखेंगे। वैसे यूनियन का उनका अलग फण्ड है। इसके लिये पैसे मांगने का प्रश्न नहीं पैदा होता। बल्कि वे तो इसके मिसयूज पर चैक ही साबित होंगे।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसे मव कर दूं तो ठीक रहेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1974 को विचारार्थ लिया जावे।

श्री केदारनाथ : उनके तो घर से रोटी तैयार होकर आजाती है, हमारा क्या होगा। मेहरबानी करके जल्दी करें छुट्टी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आखिर उनके यूनियन के लिए अलग से पैसा है। एग्जामिनर के मामले में ठीक है आपका कहना। मेरा तो यही आग्रह है कि फाइनेन्सियल कमेटी में निश्चित रूप से उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसमें मैं तो ऐसी कोई अड़चन नहीं समझता बल्कि अच्छाई ही समझता हूं। अब आप इससे सहमत नहीं हैं तो मैं चाहूंगा कि इसे जनमत के लिए प्रसारित किया जाय।

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री वृद्धिचन्द जैन।

श्री वृद्धिचन्द जैन : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रवर समिति के सुपुर्द करने की बात कह रहे हैं यह इसीलिए है। यह सही है कि यह प्रगतिशील कानून है। जब विश्वविद्यालयों में अनुशासनहीनता फैल रही है ऐसे समय आवश्यक है कि राज्य सरकार भी जो प्रोग्रेसिव लाज ला रही है तो उनमें विद्यार्थियों को भी पार्ट टैक करने दिया जाय। उनको भी अवसर दिये जावें। बिहार में जयप्रकाशजी का मूवमेन्ट चल रहा है। तो इसका सही काट यही होगा कि इन विद्यार्थियों पर जिम्मेदारी डाली जाय, इन प्रोग्रेसिव लाज में--इनका भी पार्टिसिपेशन होने दिया जाय। विद्यार्थियों का विश्वास प्राप्त करने के लिये भी कदम उठाये जायं। अब सिंडीकेट में कितने विद्यार्थी हैं। जो भी इसमें आते हैं वे चुन कर आते है और प्रेसीडेन्ट आफ दी सेन्ट्रल स्टूडेन्ट्स यूनियन होता है वह। जो इतने बहुमत से चुनकर आता है उसको सीनेट या सिंडीकेट का सदस्य भी बनाने में आपको क्या ऐतराज है। आपको प्रसन्न होना चाहिये। वहां बहुत सीमित अधिकार हैं। वर्ष में एक मीटिंग होती है। जब उनकी वाइस सिंडीकेट में नहीं होगी तो इससे स्टूडेन्ट्स को भी लाभ नहीं होगा। इसलिये आप जो परिवर्तन करना चाहते हैं मैं चाहता हूं कि आप सेन्ट्रल यूनियन ऑफ यूनिवर्सिटीज स्टुडेन्ट में से इस सिंडिकेट का सदस्य बाई वरच्यू बनाइये। दो मेम्बर सिन्डिकेट के बनाइये। यदि तीन मेम्बर्स सिन्डिकेट में बैठते हैं तो वे ओफिशियल मैटर्स के बारे में क्या कर देंगे। यदि ओफिशियल कमेटीज में भी इनको ले लेते हैं तो विद्यार्थी अपने व्यूज रखेंगे। यदि आप उन विद्यार्थियों को लेंगे तो उनमें एक विश्वास की भावना पैदा करेंगे और उनमें अनुशासन भी आवेगा। आपकी शक्ति बढ़ायेंगे और कांग्रेस की शक्ति बढ़ेगी।

देश में आज विद्यार्थियों को अपने विश्वास में लेना है, उनको अनुशासन में लेना है। 9 अगस्त को जो रैली की गई थी वह विद्यार्थियों में विश्वास पैदा करने के लिये ही की गयी थी। कुछ पोजिटिव कदम लेंगे तब ही तो विद्यार्थियों में विश्वास पैदा होगा वरना वे आर०एस०एस० और जनसंघ की ओर मुड़ जावेंगे। कांग्रेस को विद्यार्थियों को अपनी ओर खींचना है तो उनके लिये जो भी कदम उठाने हैं वे उठायें और उससे घबरायें नहीं कि विद्यार्थी कोई ऐसा कदम उठा लेगा कि जिससे यूनिवर्सिटी में गड़बड़ हो जायेगी। बिना हिचकिचाहट के ऐसा कदम उठाने के लिये सोचना है।

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

अब आप जो करने जा रहे हैं स्टूडेन्ट्स रिप्रेजेन्टेटिव इन फाइनेन्शियल कमेटीज और साथ में और जोड़ रहे हैं:-

"...and with such other Committee as the State Government may, by notification in the Official Gazette specify."

आप उनको फाइनेन्शियल कमेटीज में भाग नहीं लेने देना चाहते। उनको और भी आप वंचित करना चाहते हैं। मेरा मत यह है कि उनको फाइनेन्शियल कमेटीज में भाग लेने देना चाहिये और यह नोटिफिकेशन करके उनके अधिकारों को सिमित करना, उनमें अविश्वास करना यह कहां तक उचित है। यही विचार मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्री।

श्री मनोहर कोठारी : एक मिनिट। मेरा प्रस्ताव है साहब इस पर। तीन विश्वविद्यालय हैं राजस्थान में। आप राजस्थान विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में तो स्टूडेन्ट्स को रिप्रेजेन्टेशन दे रहे हैं परन्तु जोधपुर और उदयपुर विश्वविद्यालयों में सिन्डिकेट और सीनेट में रिप्रेजेन्टेशन नहीं दे रहे हैं। इसलिये सब ही यूनिवर्सिटीज में समान रूप से रिप्रेजेन्टेशन दें यह व्यवस्था होनी चाहिये। उदयपुर में तो एक्जीक्युटिव कमेटी में भी नहीं है।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इतना सा ही निवेदन करना है कि यों तो यह प्रगतिशील कदम है और कई राज्यों ने, जो अपने आपको हम से ज्यादा प्रगतिशील बनाते हैं, उन्होंने भी यह कदम नहीं उठाया है।

स्टूडेन्ट्स को रिप्रेजेन्टेशन हमने सीनेट में पहले दे रखा था सिन्डीकेट में अब दे रहे हैं। सिन्डिकेट का मतलब है जैसे केबिनेट। जब सिन्डिकेट के मेम्बर होते हैं तो उन पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है। हमने सिर्फ दो कमेटियों में उनको मेम्बर रखना उचित नहीं समझा है। भविष्य में किस प्रकार से विद्यार्थियों का कार्य रहता है यह हम देखेंगे। इन कमेटीज में इसलिये नहीं रखा, जैसा शुरू में निवेदन किया कि फाइनेन्शियल कमेटीज में नहीं रखना चाहते है क्योंकि स्टूडेन्ट्स का आखिर एक अपना इन्ट्रेस्ट होता है और यूनियन के प्रेसिडेंट का खास तौर से इन्ट्रेस्ट यूनियन में रहता है कि यूनियन में ज्यादा से ज्यादा खर्चा हो, प्ले ग्राउन्ड्स वगैरह बनें, विद्यार्थियों के अन्य कामों में खर्चा हो। परन्तु यूनिवर्सिटी की आर्थिक स्थिति एक अलग से हुआ करती है। यदि फाइनेन्शियल कमेटीज में विद्यार्थियों को रखेंगे तो निश्चित रूप से ज्यादा अड़चनें आवेंगी और सुचारु रूप से जो काम करना चाहिये उसमें बाधा आवेगी और इसी दृष्टि से हमने उनको फाइनेन्शियल कमेटीज में नहीं रखा है।

एक्जामिनेशन्स के सिलेक्शन में भी स्टुडेन्ट्स को रखने का विचार नहीं है। मैं आप से यह निवेदन करता हूं कि जैसा बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हम को विश्वास रखना चाहिये, हमको उनकी योग्यता पर विश्वास होना चाहिये। इसी उद्देश्य से तो यह प्रयास किया है और जो कि एक सराहनीय प्रयास है। जो अभी रिप्रेजेन्टेशन दिया है इसको

(श्री खेतसिंह)

आप मंजूर कर लीजिये। आगे की बात भविष्य में देखी जा सकती है। जरूरत पड़नेने पर अमेन्डमेन्ट लाया जा सकता है।

श्री मनोहर कोठारी : उदयपुर और जोधपुर विश्वविद्यालयों के लिये आप क्या फरमा रहे हैं ?

श्री खेतसिंह : इसके लिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि सिन्डीकेट्स की सिफारिशें आ जातीं और वाइस-चान्सलर्स लिख देते तो यह स्थिति नहीं होती। यदि हम सीधा बिल लाकर करते तो यूनिवर्सिटीज की आँटोनामी पर आघात होता। माननीय सदस्य भी नहीं चाहेंगे कि विश्वविद्यालयों की आँटोनोमी में दखल दिया जाय। वाइस चान्सलर्स ऑफ उदयपुर और जोधपुर यूनिवर्सिटीज को लिखा था कि आप इस प्रश्न को सिंडिकेट में रखें और उसको पारित करने के बाद हमको पत्र द्वारा सूचना कर दें। वे पत्र अभी प्राप्त हुए हैं। इसलिये निकट भविष्य में ही इसके लिये भी उचित कार्यवाही की जावेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

क्या आप अपना जनमत जानने के लिये प्रस्ताव को वापिस लेना चाहते हैं ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं इसको वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं इसको वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

क्या आप अपने प्रवर समिति को भेजने सम्बन्धी प्रस्ताव को वापिस लेना चाहते हैं ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस बिल को प्रवर समिति में भेजने के श्री वृद्धिचन्द्र जी के प्रस्ताव को उनको वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं इसको वापिस लेता हूं।

श्री केदारनाथ : It is implied.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1974 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

बिल को विचारार्थ लिया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड 2

Clause

श्री खेतसिंह : मैं निम्न संशोधन प्रस्तुत करता हूं :

5. For clause 2, substitute the following clause, namely:—

"2. *Amendment of sec. 18, the University of Rajasthan Act, 1946.*—In sub-section (1) of section 18 of the University of Rajasthan Act, 1946, thereinafter referred to as the principal Act,—

(i) In sub-division I, after the existing clause (xiii) the following new clause shall be inserted, namely "(xiii-A). The President of the Central Union (Students) of the University;" and

(ii) in sub-division III, sub-clause (b) of clause (xiv) shall be omitted.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि खण्ड 2 को एज अमेण्डेड पारित किया जाय।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कहां से दे दिया अमेंडमेन्ट ?

श्री खेतसिंह : सरकुलेट किया है साहब।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कहां दिया ? मेरे पास तो आया नहीं। यों ही एक दम पास कर लो साहब। यह तो अच्छा तरीका नहीं है। बजट को तो वैसे ही पास कर लेते हो और इसको भी ऐसे ही पास करना चाहते हो।

श्री खेतसिंह : जिस वक्त आप भोजन करने को पधारे थे उस वक्त अमेंडमेंट बंटवा दिए गए हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं निवेदन कर रहा हूं कि अमेंडमेंट नहीं बंटे हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अमेंडमेंट बंटे हैं, ये रहे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अच्छा साहब, मान लिया साहब, आपने कह दिया तो।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड (2) में माननीय प्रभारी मंत्रीजी ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड (2) मय संशोधन के स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 मय संशोधन के स्वीकार किया गया।

खण्ड 3

श्री खेतसिंह : मैं निम्न संशोधन प्रस्तुत करता हूं :

For clause 3, substitute the following clause, namely:—

"3. **Amendment of section 21 the University of Rajasthan Act, 1946—In section 21 of the principal Act,—**

(i) in sub-section (1) after clause (x), the following new clause shall be inserted, namely:—

"(xi) one person elected by the Senate from amongst the students of the University, teaching department and constituent colleges who are elected as 'other members' of the Senate under clause (xxviii) of sub-division III of sub-section (1) of section 18 and the ex-officio member of the Senate under clause (xiii-A) of sub-division (I) of sub-section (1) of the said section;

(xii) one person elected by the Senate from amongst the students of the affiliated colleges who are elected as 'other members' of the Senate under clause (xxviii) of sub-division III of sub-section (1) of section 18".

(ii) after sub-section (2), the following new sub-section shall be inserted, namely:—

"(3) Persons who are members under clauses (xi) and (xii) of sub-section (1) above, shall not be associated with the appointment of examiners or with the committees of selection for University employee as the State Government may, by notification in the official Gazette, specify."

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड (3) मय संशोधन के पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड (3) में माननीय प्रभारी मंत्री जी से जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड (3) में संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड (3) मय संशोधन के विधेयक का अंग स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड (3) मय संशोधन के विधेयक का अंग स्वीकार किया गया।

खण्ड 4 और 5

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 और 5 विधेयक का अंग स्वीकार किए जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 4 और 5 विधेयक के अंग स्वीकार किए गए।

प्रश्न यह है कि खण्ड (1), प्रस्तावना, नाम आदि विधेयक के अंग स्वीकार किए जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड (1), प्रस्तावना और नाम आदि विधेयक के अंग स्वीकार किए गए।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, मय संशोधन, 1974 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, मय संशोधन के, 1974 पारित किया गया।

राजस्थान कृषि उपज विपणि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1974

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान कृषि उपज विपणि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1974।

श्री रामकिशन !

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री केदारनाथ : विपणि यह लफ्ज तो बदल दो।

श्री शिवचरण माथुर : कल इस पर बहुत लम्बी बहस हो चुकी है। यह तो इतना इन्नोसेंट बिल है कि आप इसको एकदम पास करना चाहेंगे।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपका बिल और इन्नोसेंट है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल) : मैं निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

"यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 1 जुलाई, 1974 को प्रस्थापित राजस्थान कृषि उपज विपणि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश संख्या 12 सन् 1974) को अस्वीकार करता है।"

उपाध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा और वह यह है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसायटीज, जो कमेटीज थीं अब तक वह अपनी सुविधानुसार टैक्स लगाती थीं। कहीं पर 25 पैसे, कहीं पर पचास पैसे। कोई छोटी सी थी कोई बड़ी थी। निवेदन करना यह है कि यहां पर राजस्थान सरकार ने हर जगह जिस प्रकार सरकार का आधिपत्य होना चाहिए, उसी प्रकार यहां पर भी मार्केटिंग कमेटी भी कैसे वन्चित रह जाय। औटोनोमी की तो बात करते हैं लेकिन इसमें भी राज्य

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

सरकार ने दखल कर दिया और दखल इस प्रकार कर दिया :—

"Power to collect market fees.—The Market Committee shall collect market fees from the licensee in the prescribed manner in respect of agricultural produce bought or sold in the market area at such rates as may be specified by the State Government..."

यानी राज्य सरकार जो कहेगी, गजट नोटिफिकेशन करेगी उसी आधार पर मार्केट कमेटी को यह फीस वसूल करनी पड़ेगी। यानि इसका मतलब यह हुआ कि 25 पैसे, 50 पैसे, 75 पैसे जैसा वे उचित समझते थे, जैसा उनका एरिया था, जैसी लोगों की आय थी, उसके अनुसार वे वसूल कर रहे थे लेकिन आपन यहां पर लिख दिया:

"..subject to a maximum of Re.1.00 per rupees one hundred worth of agricultural produce."

यानी सौ रुपये पर एक रुपया लगा दिया। मेरा निवेदन करना है कि जहां पर जैसी हालत है उसके अनुसार 25 पैसा, 50 पैसा लेने दें, काहे को राज्य सरकार अपने अधिकार में इसको लेना चाहती है। और आपने इसमें लिखा है:–

"Further, in order to have uniform Market fee throughout the State.."

समाजवाद ला रहे हैं। 25 पैसा नहीं, 50 पैसा नहीं, सब जगह एक रुपया।

"..the option of levying market fee by the Market Committees has also been withdrawn."

यानि मार्केट कमेटी जो फीस लगा सकती थी, उनका जो अधिकार था–वियड्रान–यानी राज्य सरकार ने वापस ले लिया। यह मैं समझता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह छोटे 2 आर्डीनेंस इस प्रकार से लाना कैसे उचित कहा जा सकता है। यदि एक रुपया ले रहे थे तो ठीक था, यदि कहीं पर 25 पैसे ले रहे थे तो वह भी ठीक था। जो वे कर रहे थे वह ठीक था, यह मामला अब तक कभी भी सदन में नहीं आया।

इसके अलावा यह कमेटियां जो बना रखी हैं यह भी पक्षपातपूर्ण कुनबापरस्ती का काम है। उनका चेयरमेन कौन होगा, सेक्रेट्री कौन होगा, सब तो आपके ही लोग होंगे। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की गड़बड़ चल रही है और आप जिनको नोमीनेट करेंगे वह भी कांग्रेस के कार्यकर्त्ता को नोमीनेट करेंगे। उनके पास पहले का पैसा पड़ा हुआ है, जो पैसा पड़ा हुआ है उसका सदुपयोग सड़क बनाने, दुकानें बनाने, लाइट लगाने, प्लेटफार्म बनाने, गोडाउन बनाने, बिजली पानी की व्यवस्था करने, प्याऊ की व्यवस्था करने, पल्लेदारों के लिए जगह की व्यवस्था करने के लिए, मैं समझता हूं कि करना चाहिए लेकिन वह भी नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार की अकर्मण्यता है। मैं निवेदन करता हूं कि छोटीसी बात के लिए, उस कमेटी को अधिकार देने के लिए आप अध्यादेश निकाल दें, ऐसी कौनसी असाधारण परिस्थिति पैदा हो गई कि 213 का उपयोग कर लिया। आप थोड़ासा इन्तजार कर लेते। कोई बड़ी रकम नहीं थी। विधान सभा का सत्र

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

आने वाला था, बिल के रूप में लाते अगर लाना ही था तो। मामूली मामूली बात के लिए आर्डीनेंस निकालेंगे तो देश की अन्य विधान सभाओं के लोग हंसेंगे और हंस रहे हैं कि कहां जा रहे हो, विधान सभा में, क्या करने, जब कि सरकार ने 14,14 आर्डीनेंस निकाले हैं। एक दिन में चार चार आर्डीनेंस पास हो रहे हैं। बिल और आर्डिनेंस साथ साथ सर्क्यूलेट हो रहे हैं, सुबह 9 बजे डाक आएगी, दस बजे विधान सभा के लिए रवाना हो जायेंगी, कब उसको पढ़ेंगे, कब देखेंगे और क्या विचार रखेंगे। आज यह तो हालत है। एक बिल चला तब तक तो बैठे और फिर सब चल दिए। हाउस में कोरम नहीं है और आप बिल पास करा रहे हैं। क्या यही विधान सभा चलाने का तरीका है। यह तौर तरीका स्वस्थ प्रजातंत्र चलाने का तरीका, उपाध्यक्ष महोदय, है नहीं। इसलिए आप जल्दी में बिल पास कराते हैं तो यह आपकी मर्जी है। मैं तो यही निवेदन करूंगा कि मौजूदा कृषि मंत्रीजी की यह नीति गलत है, आपको आर्डीनेंस वापस लेना चाहिए और वापस नहीं लेते हैं तो मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इसको अस्वीकृत किया जाय।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : मान्यवर मैं तो एक बात निवेदन करना चाहूंगा। वहां पर जो एम्पलाइज काम करते हैं, सन् 64 में समितियां बनीं और 64 से बराबर काम कर रहे हैं। जो एम्पलाइज हैं उनके लिए सर्विस रूल्स बने नहीं, उनको कोई मेडिकल रिलीफ नहीं, प्रोविडेण्ट फण्ड की कटौती नहीं, एडीशनल डी०ए० मिलता नहीं। यह तो आपके हाथ में है कि पर्टीक्यूलर डेफिनेट टाईम में उनके लिए सर्विस रूल्स बनाये जांय। उनको बड़ी परेशानी है, मिनिमम फेसेलिटि एक कर्मचारी को होनी चाहिए वही मिल जाय, इतना ही मैं आश्वासन चाहता हूं।

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता था कि यह इतना इन्नोसेंट विधेयक पेश किया गया है जिसका भी माननीय गिरधारीलालजी ने....

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आर्डीनेन्स पर बोल रहा हूं।

श्री शिवचरण माथुर : यह बात कही कि..

श्री उपाध्यक्ष : कोरम बैल बजाइये।

(गणपूरक घंटी)

(गणपूर्ति होने पर)

श्री शिवचरण माथुर: जैसा मैंने कल भी निवेदन किया था और शायद इसके बारे में लोगों ने यह कहा था कि इन कृषि उपज मंडियों की आय बढाने की बहुत आवश्यकता है और हम एक किसी भी इण्डीजुअल कमेटी को नहीं छोड़ सकते अपनी आय को बढाने के लिए वह स्वतंत्र रहे। इसलिए यूनिफार्म तरीके से सारे राजस्थान में एक प्रकार से आय का श्रोत बढ़े इसलिए ही यह विधेयक लाया गया है। मैं समझता हूं कि इसका तो सब ओर से स्वागत किया जाना चाहिए जितने अधिक श्रोत बढ़ेंगे उतना ही मंडी कमेटियां का विकास होगा। जैसे पंचायत समितियां साधन न होने की वजह से नहीं चल सकीं, वैसे ही साधन न होने के कारण इनका हाल हो जायेगा। माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे आब्जेक्टिव तरीके से इसको देखें और विरोध के लिये विरोध न करें।

(श्री शिवचरण माथुर)

जहां तक इसको ग्रार्डिनेंस के रूप में लाने की बात है, जैसा कि मैंने कल भी निवेदन किया था, पिछली विधान सभा के सत्र के समय हम ने इन दोनों बिलों को लेने की कोशिश की थी लेकिन एजेन्डा इतना ग्रधिक था कि उसकी वजह से इन बिलों को नहीं ले सके। इसलिये ग्रार्डिनेंस से इसको लाना जरूरी था ताकि ग्रावश्यक रूप से, यूनिफार्म रूप से, मंडी कमेटियों की ग्राय पूरे साल तक चल सके। इसलिये इसका ग्रसेम्बली का सेसन होने तक इन्तजार करना मुश्किल था।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : कर्मचारियों के बारे में कह दें।

श्री शिवचरण माथुर : जहां तक प्रोफेसर केदार का सुझाव है, कर्मचारियों के सर्विस रूल्स बनाने का, मैं माननीय सदस्यों को यह सूचना देना चाहता हूं कि कर्मचारियों के सर्विस रूल्स तैयार हो चुके हैं ग्रौर बहुत जल्दी ही लागू करने की कार्यवाही की, जायेगी, ऐसा विश्वास मैं सदन के माननीय सदस्यों को दिलाना चाहता हूं ग्रौर यह निवेदन करता हूं कि जो संकल्प ग्रस्वीकार करने का प्रस्तुत किया है, उसको वे वापिस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि माननीय सदस्यों को संकल्प वापिस लेने की ग्राज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

संकल्प वापिस लेने की ग्रनुमति दी गई।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं ग्रपना संकल्प वापिस लेता हूं।

श्री केदारनाथ मैं ग्रपना संकल्प वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : संकल्प वापिस लिये गये।

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज विपणि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1974 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ा सा बोलना है। जनरल बात ही निवेदन करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : यह ग्रापकी इन्टेलीजेन्स शो करता है।

(8.13 म०प०)

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जो सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है, उससे संबंधित मैं कुछ समस्याग्रों की ग्रोर माननीय मंत्री महोदय का ग्रापकी मार्फत ध्यान ग्राकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के ग्रन्दर यह देखने में ग्राता है कि कई जगहों पर, बहुत ही छोटी 2 जगहों पर, छोटे छोटे गांवों पर जहां पर कि व्यापार नेगलीजिबल है, वहां पर भी राजस्थान सरकार ने कृषि ऊपज मंडियां कायम कर दी हैं। मैं खासतौर से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे ग्रपने जिले के तरफ भी ध्यान दिलावें। इसके पीछे भावना क्या है? मंडी कमेटियों के विकास के लिये पैसा मिलता है ग्रौर उसके जरिये छोटे स्थानों का विकास किया जा

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
सकता है परन्तु छोटे छोटे स्थानों पर जो मंडियां कायम की गई हैं उससे काश्तकारों को कोई लाभ नहीं है। इसलिये इसको समाप्त करना चाहिये....

श्री केदारनाथ : पार्टी मीटिंग का ध्यान रखें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह पोस्टपोन हो गई है।

श्री केदारनाथ : खा पी कर आये हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने भोजन नहीं किया है। कृषि उपज मंडी के लिये राज्य सरकार ने बहुत अधिक नियम बना दिये हैं। छोटी मोटी चीजों के लिये अनेक बार लोगों को यहां पर भाग कर आना पड़ता है। डाइरेक्टोरेट में एक एग्रीकल्चर मार्केटिंग आफीसर है जहां पर कि कागज पड़े रहते हैं और कार्यवाही होने में देरी लगती है। धौलपुर कृषि उपज मंडी के लिये जमीन की आवश्यकता है और पिछले चार साल से इसके कागज चल रहे हैं। नर्सरी जमीन देने की मांग की गई है और वे लोग कीमत भी देने को तैयार है परन्तु इस दिशा के अन्दर कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। उनके पास पैसा है और मंडी यार्ड बनाने के लिये व्यापारी पैसा देने के लिये भी तैयार हैं। इसलिये वहां पर जमीन शीघ्र उपलब्ध होकर कृषि उपज मंडी कायम हो सके इसके लिये मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि वहां पर मंडी कमेटी को जमीन दीजिये ताकि यार्ड बन सके। हालत यह है कि पूरे धौलपुर शहर के अन्दर व्यापारियों की दुकानें फैली हुई हैं। यह धौलपुर की ही समस्या नहीं है। ऐसी ही समस्या झुंझुनू में भी बनी हुई है। आपने बड़ा प्रोग्रेसिव काम किया है तो सुचारु रूप से व्यवस्था करने के लिये भी आपको सहयोग देना पड़ेगा वरना मंडी कमेटियों का काम चलने वाला नहीं है। मैं यह निवेदन करूंगा कि जो छोटे मुद्दे मैंने अभी उठाये हैं उनकी ओर ध्यान देकर उचित व्यवस्था मंत्री महोदय करने का कष्ट करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहर कोठारी।

श्री मनोहर कोठारी : उपाध्यक्ष महोदय, धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी जो विचार व्यक्त किये हैं, उन विचारों की मैं ताईद करता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में कुछ ऐसी मंडियां हैं जिन पर कि पचास हजार का कर्जा हो चुका है। और वे मंडी कमेटियां डिफंक्ट हो चुकी हैं। दुर्भाग्य यह है कि एक तरफ कानून में यह व्यवस्था है कि नामीनेट बोर्ड ज्यादा समय तक काम नहीं करेगा परन्तु कुछ ऐसे कर्मचारी भी हैं जिन्हें काम करते हुए आज सात वर्ष हो गये हैं। नाथद्वारा मंडी कमेटी में कोई यार्ड नहीं है। वह ऐसी जगह नहीं है जहां कि मंडी कमेटी कायम की जा सके और आज उस पर पचास हजार रुपयों का कर्जा हो गया है। नामीनेट बोर्ड डिफंक्ट हो चुका है। बार-बार इसके लिये राज्य सरकार को लिखा है। इसमें किस की गलती है कि लोगों को मोबोलाइज नहीं किया। व्यापारियों से पैसा इकट्ठा करें। परन्तु काश्तकारों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। समिति कर्जे में चल रही है। इस घाटे की पूर्ति कैसे होगी। इसके अध्यक्ष नामीनेट हैं और ये पदाधिकारी ही इसके लिये जिम्मेदार

श्री मनोहर कोठारी)

है। नतीजा यह हो रहा है कि जो सेक्रेटरी मुकर्रर किया हैं, उसको तीन तीन साल से तनख्वाह नहीं मिल पा रही हैं। और इसके चुनाव भी नहीं हो पा रहे हैं। समिति के पास पैसा नहीं है। जैसे तैसे वोटर लिस्ट बनायी गई। चुनाव नहीं हो रहे हैं और समिति डिफंक्ट पड़ी है। उदयपुर से इन्स्पेक्टर आता है और वह लोगों से पैसा इकट्ठा कर के भागने की कोशिश करता है। ऐसी मंडी कमेटी बना कर क्या आप केवल कागजों में संख्या दिखाना चाहते हैं वरना मंडी कमेटी के लिये वह उपयुक्त स्थल नहीं है। वहां पर मंडी कमेटी समाप्त की जाये या फंडस् की व्यवस्था की जाये और वहां पर सुचारू रूप से काम हो इस बात की व्यवस्था हो। इन महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित कराता हुआ यह विश्वास मंत्री महोदय से चाहता हूं कि वे इन मुद्दों पर उचित कार्यवाही करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन विधेयक रखा गया है, अभी तक हमारी जो मार्केटिंग फीस थी, उसमें कानून यह था कि टाइम टू टाइम एक रुपया बढ़ाया जायेगा। अब एक रुपया एक साथ बढ़ा दिया है और इसकी वजह से यह हाइकोर्ट में, पैन्डिग है। राज्य सरकार ने "टाइम टू टाइम" वर्ड डिलिट करने का प्राँविजन रखा है और उसकी पीटीशन पैन्डिग पड़ी है। उस पिटीशन को बेकार कर देंगे। तो यह उचित नहीं होगा।

दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूं कि जो मंडी कमेटी कायम है राजस्थान नहर के इलाके में, राजस्थान नहर क्षेत्र में, उन डी कमेटियों के विकास की गति जो चल रही है वह शोचनीय है। इस दिशा में राज्य सरकार को सक्रिय होकर कार्य करने की आवश्यकता है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है, वह उत्पादन नियंत्रित तरीके से बेचा जा सके और काश्तकार व्यापारियों की गलत कार्यवाहियों से बच सकें तो राजस्थान नहर क्षेत्र में मंडियों का विकास तेजी से किया जाये जिससे कि वहां पर मंडियां डेवलप हो सकें और राज्य सरकार को उस इलाके को विकसित करने का साधन मिल सके। तो मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को इस दिशा में काफी तेजी से कार्य करना चाहिए, और जैसा कि सुझाव दिया गया है कि जब तक उस इलाके की मंडियों को डेवलप करने के लिए आप कोई डेवलपमेंट आथोरिटी कायम नहीं करेंगे, मंडियों के विकास के लिए कोई स्वायत्तशासी संस्था कायम नहीं करेंगे तब तक इस दिशा में किसी भी तरह की तेजी लाना मेरे खयाल में सम्भव नहीं होगा। इसलिए राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में तत्काल निर्णय लेना चाहिए और इस क्षेत्र की मंडिओं के विकास के लिए तेजी से कार्य को शुरू करना चाहिए।

श्री मालाराम : उपाध्यक्ष महोदय, नई मंडियों को बनाने के लिए जगहें नहीं मिलती हैं। 5-5, 6-6 साल हो गये जमीनों को एक्वायर करने के लिए ऑर्डर दिये हुए, लेकिन उनके लिए जमीनें नहीं मिल रही हैं। जमीनें एक्वायर करके नई मंडियां बनाई जायं ताकि किसानों को सुविधा मिले। उनका माल आये और खुले में बिके। किसानों को लाभ नहीं मिलता है तब तक नई मंडियां नहीं बनाई जा सकती हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमृतलाल गहलोत ।

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा) : माननीय उपाध्यक्षजी, राजस्थान कृषि उपज विपणि (द्वितीय संशोधन) विधेयक जो सदन के सामने पेश हुआ है उसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने का मैंने प्रस्ताव किया है । आपने एक रुपया मंडी फीस रखी है यह उसके विकास के लिए है···

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल विचारार्थ ले लिया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष : तीनों मोशन्स को मैंने साथ में लिया है ।

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, विचारार्थ लेने के लिए, जनमत जानने हेतु प्रसारित करने के लिए व प्रवर समिति को रेफर करने के संकल्प यह तीनों साथ कैसे आ सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, ऐसा है कि रूल्स के अनुसार तो जब कन्सीडिरेशन का मोशन मूव किया है तो कन्सीडिरेशन का मोशन मूव होने के बाद कोई भी माननीय सदस्य जिन्होंने उसको पब्लिक ओपीनियन को रेफर करने के लिए एण्ड टू रेफर इट टू सिलेक्ट कमेटी के प्रस्ताव दिये हैं वह नहीं बोल सकते हैं, लेकिन यहां पर यह परम्परा रही है कि साथ में अगर कन्सीडिरेशन का मोशन चल रहा है तो तीनों प्रस्ताव साथ में ले रहे हैं ।

श्री केदारनाथ : यह परम्परा है ।

श्री उपाध्यक्ष : It has assumed the form of practice.

श्री अमृतलाल गहलोत : विकास के बारे में हम बहुत चिन्तित हैं । मैंने कल आपको बताया था कि राजस्थान में एक हजार करोड़ रुपयों का कृषि उपज का विक्रय होता है । यदि एक रुपया प्रति सैंकड़ा मन्डी फीस लगाई जाय और इसके शेड्यूल को रिवाइज करके उन बची हुई वस्तुओं को भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाय जो कि शेड्यूल के बाहर है, सारी मंडिया और सारी वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं तो 10 करोड़ की पोटेन्शियेलिटी है । हमारे पड़ौसी प्रदेश पंजाब और हरियाणा हैं वहां पर सवा से ढ़ाई रुपया तक मंडी फीस कर दी गई है । वहां पर 25 करोड़ की आय होगी । इसके साथ में राजस्थान को देखा जाय । पंजाब और हरियाणे में सड़कें बहुत अच्छी हैं । वहां पर बहुत सड़कों का विकास हुआ है । गांव गांव को जोड़ा गया है । यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारा प्रदेश सड़कों के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है । मैं यह आपके सामने आंकड़ों से सिद्ध कर दूंगा कि यह प्रदेश सबसे पीछे है····

श्री उपाध्यक्ष : रोड्स से निकल कर जो प्रोवीजन मंडी कमेटियों का है उस पर आयें ।

श्री अमृतलाल गहलोत : सड़कों का मामला इससे सम्बन्धित है । हमारे यहां पर सड़कों की दशा बहुत दयनीय हो गई है ।

दो वर्ष पहले योजना बोर्ड ने एक प्लान के लिए आउटलाइन पब्लिश की थी उसमें उन्होंने आंकड़े दिये थे कि विभिन्न राज्यों में पक्की सड़कों की क्या स्थिति है । उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा । कैरल में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में 50 किलोमीटर सड़क

(श्री अमृतलाल गहलोत)
है। तामिलनाडू में 32 किलोमीटर, मैसूर में 25 किलोमीटर, वेस्ट बंगाल में 18 किलोमीटर 100 वर्ग किलोमीटर के एरिया में, पंजाब में 16 किलोमीटर, हरियाणे में 14 किलोमीटर, आन्ध्र प्रदेश में 12, महाराष्ट्र में 11 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 9 किलोमीटर, गुजरात और बिहार में 8 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर एरिया में, और मध्य प्रदेश में 6, उड़ीसा में 6, मगर राजस्थान में केवल 5 किलोमीटर, आसाम में 4 और जम्मू काश्मीर में 2 अर्थात् अगर संख्या के बारे में देखा जाय तो राजस्थान सड़कों में सबसे पीछे है। जम्मू काश्मीर में स्थिति सन्तोष-जनक नहीं है। मध्य प्रदेश में 6 किलोमीटर है। मैंने जब इसका आगे विश्लेषण किया तो जनसंख्या हमारे यहां पर जरा बिखरी है थिनली पापुलेटेड एरिया है। इसका मैसूर से मुकाबला किया तो मैसूर की जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर 150 आती है और राजस्थान में 75 आती है .....

एक माननीय सदस्य: एरिया पर चलें।

श्री अमृतलाल गहलोत: एरिया के हिसाब से 100 वर्ग किलोमीटर में मैसूर में 25 है और राजस्थान में 5 है। पापुलेशन और सड़कों का अगर रेश्यो लिया जाय तो मैसूर से तो 1:2 का आता है और एरिया से लिया जाय तो 1:4 आता है। यह निश्चित हो चुका है कि दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति यह रही है कि राजस्थान में पहली योजना को कम कर दिया जाय तो ऐसा मालूम पड़ेगा कि सड़कों के विकास के लिए रुपया कम रखा गया। उसके बारे में आपके सामने आंकड़ें पेश करूंगा। पहली योजना जो थी वह 54 करोड़ की थी तो उसमें सड़कों के लिए 5½ करोड़ था यानी करीब 10 पर्सेन्ट था। दूसरी योजना थी गोल्डन पीरियड विकास के लिए। 105 करोड़ उसमें रखा गया। तो उस योजना में उस वक्त जो सड़कों के लिए रखा गया वह साढ़े नौ करोड़ अर्थात् 9 पर्सेन्ट। तीसरी योजना जिसमें 213 करोड़ रुपया खर्च किया गया उसमें सड़क के लिए लगभग 100 करोड़ अर्थात् 5 पर्सेन्ट। बीच में त्रिवार्षिक योजनाएं आती हैं। तीनों वार्षिक योजनाओं पर 133 करोड़ रुपया खर्च किया गया और सड़कों पर केवल साढ़े चार करोड़ अर्थात् 3 पर्सेन्ट। चौथी योजना में कुल 317 करोड़ रुपया खर्च किया गया और सड़क पर केवल 9.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ अर्थात् 3 पर्सेन्ट। शुरुआत में वह 10 पर्सेन्ट था चौथी पंचवर्षीय योजना में लेकिन बाद में जाकर वह 3 पर्सेन्ट रह गया। नतीजा यह हुआ कि हम पिछड़े हुए हैं सड़कों के मामले में। पांचवीं पंचवर्षीय योजना की प्रोप्राइटी को देखते हैं तो 635 करोड़ की है तो उसमें राजस्थान के प्लान में नेशनल हाई वे, स्टेट हाई वेज के लिए, मेजर रोड्स और माइनर डिस्ट्रिक्ट रोड्स के लिए 279 करोड़ का प्रोवीजन रखा गया है उसमें रखा गया है 40 करोड़ राजस्थान कैनाल में और चम्बल योजना और कुल मिलाकर 180 करोड़ का रखा गया है। मैं चीफ इन्जीनियर साहब से मिला था तो वे कहते हैं कि नई सड़कों की योजना तो छोड़ दें हम इन सड़कों की मरम्मत कर दें तो बहुत है। गांवों के लिए बेसिक मिनिमम नीड है इस वक्त 74-75 में एक करोड़ रुपया है, अनुमान है मेरा। भाव इस समय

(श्री अमृतलाल गहलोत)

पहली योजना से चौगुने हो गये हैं, अर्थात् यह मानकर चलें कि भविष्य में राजस्थान में क्योंकि वह प्लान 35 करोड़ का बना है तो वह प्लान नीड, मिनिमम नीड क्या आयेगी ? अब तो हालत यह है कि सब विकास एक तरीके से बिल्कुल शून्य की तरह ही रहेगा । 80करोड़ वह प्लान इकोनामिक कट में आ गया । सड़क के मामले में यह कहा जाता है कि जो मरम्मत का पैसा दिया जाता है वह तो जो 12 मासी मजदूर काम करने वाले होते हैं उनकी तनख्वाहें चुकाने में ही चली जाती हैं । 31 दिसम्बर, 1974 से टार का भाव 900 रुपया टन हो गया है । पंजाब और हरियाणे पर नजर डालते हैं तो वहां पर सड़कें बन गई हैं पर राजस्थान में मालूम कब सड़कें बनेंगी । यहां पर 1,40,000 मोटर गाड़ियां हैं इन मोटर गाड़ियों की हालत क्या होगी । मेरे प्रदेश के गांवों में कैसे ले जायेंगे । सड़कों के विकास द्वारा ही यह हो सकता है । उपाध्यक्ष महोदय, मण्डी का विकास कर दिया जाये । मण्डी फीस 2 रु० कर दी जाये । मण्डी फीस आप दो रुपया ले लें । 10 करोड़ तो आप मण्डी के विकास में लगायें । 10 करोड़ सड़कों के विकास में । तो 5 वीं पंच-वर्षीय योजना जितना सड़कों के विकास पर लगा पायेंगे । अगर यह 50 करोड़ रुपया इस ढंग से लिया गया तो । नहीं तो हम पिछड़े रहेंगे । पंजाब और हरियाणा आगे बढ़ गये हैं । चीफ इन्जीनियर कहते हैं कि बजट में पैसा नहीं है । पैसा नहीं है तो क्या हम सो जायें । अमेरिका में एक कहावत है, " सड़कें बनायेंगे तो पैसा खर्च करना पड़ेगा । सड़कें अगर नहीं बनायेंगे तो ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा । "

मेरा निवेदन यह है कि मैंने एक अमेण्डमेन्ट दिया है । आधा पैसा मण्डी विकास के लिए बचा हुआ है । आधा पैसा सड़कों के विकास में रखो । बजट में गुंजाइश नहीं है । यही प्लान है । यही मुझे कहना है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लूणाराम ।

श्री **लूणाराम** (डूंगरगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष, हमारे कृषि मन्त्री महोदय ने कृषि उपज मण्डी के लिए संशोधित विधेयक का प्रावधान किया है । वह स्वागत के योग्य है । तो भी उसमें कुछ कमियां हैं । जिनके बारे में मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा । हमारे राजस्थान में कुछ ऐसे जिले हैं, जिनके हैडक्वार्टर्स पर भी कृषि उपज मंडी स्थापित नहीं है । जहां कृषि उपज मण्डी स्थापित नहीं हैं । कृषि उपज मण्डी हर जगह स्थापित होनी चाहिये । सारा कारबार मण्डियों के जरिये से होता है । तो मेरा निवेदन है, तहसील हैडक्वार्टर पर कम से कम एक मण्डी ऐसी स्थापित की जानी चाहिये । मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय इसकी घोषणा करेंगे कि कृषि उपज मण्डी तहसील हैडक्वार्टर पर स्थापित की जायेगी । दूसरा मैं निवेदन यह करूगा कि आज मंडी टैक्स तो देने में हज नहीं पर देने वाला एक रुपये के बजाय सदुपयोग चाहता है । वह अपने पैसे का दुरुपयोग नहीं चाहता है । आज वह सुविधा चाहता है । माननीय कृषि मंत्रीजी, आज ऐसी भी कृषि मण्डियां है जहां सरकार का

(श्री लूणाराम)

नियन्त्रण नहीं है। नगरपालिका क्षेत्र में नगरपालिका या अन्य संस्था टैक्स वसूल करती है। तो मैं ऐसा चाहूंगा कि उन पर भी नियन्त्रण किया जाये। अन्यथा यह होगा कि एक तरफ तो हम सुधार की तरफ ला रहे हैं और दूसरी तरफ बेकार होती जा रही हैं। इसी प्रकार से जो इन कृषि उपज मण्डियों के अन्दर मण्डी कमेटियों द्वारा जो खर्चा किया जाता है, हम यह चाहते हैं कि जो उस क्षेत्र का उपभोक्ता है। जो वहां जाकर माल बेचता है। ऐसे समस्त लोगों का साल में दो बार सम्मेलन होना चाहिए। जिससे कि उसमें वह अपनी असुविधाएं और सुझाव रख सकें। मण्डी कमेटी उसको क्रियान्वित करें। उनका हम उसी प्रकार से सुधार करें जो सम्मेलन चाहता है। इसी प्रकार से दूसरा सुझाव मेरा यह है, उपाध्यक्ष महोदय, जो मण्डी कमेटियों के अन्दर लाखों रुपया जमा पड़ा है मण्डी कमेटियों के अन्दर लाखों रुपया पड़ा है। वह समय पर खर्च होना चाहिये। दूसरी तरफ आवश्यक, एमरजेंसी के लिए रकम नहीं हो पाती है। एक मेरा यह भी निवेदन है कि सम्पूर्ण राशि को खर्च नहीं किया जाये। एक निश्चित राशि एक स्थाई कोष के रूप में जमा भी रखना चाहिए। ताकि सदैव के लिए कुछ निधि बाकी रहे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री शिवचरण माथुर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन विधेयक के सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव रखे हैं। कुछ बहुत ही उपयोगी सुझाव हैं। व्यावहारिक सुझाव है। मैं इन सुझावों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री गहलोत ने सारे देश में जो व्यवस्था है और राजस्थान में जो है, उसकी तुलनात्मक स्थिति को रखा है। उनका कहना सत्य है। राजस्थान के निर्माण के मामले में पिछड़ा हुआ है। इसके कुछ ऐतिहासिक और भौगोलिक कारण हैं। राजस्थान ऐसी देशी रियासतों के आधार पर बना है जो कि अपने ऐशो आराम में अपने महलों के अन्दर रहा करते थे। जब राजस्थान बना तो खजाने में पैसा नहीं था। सारा इलाका अविकसित। सड़कों की यह स्थिति कि किसी भी क्षेत्र में निगाह उठाकर देख लीजिये। चारों तरफ अभाव था। दूसरे जो प्रदेश थे, उनमें पहले से कार्य प्रारम्भ हो गया था। यही कारण है कि राजस्थान पिछड़ा रहा। मैं एक स्टडी रिपोर्ट पढ़ रहा था। मुझे जानकर आश्चर्य हुआ कि राजस्थान में जो पांचवी योजना में जो सड़कों के रख रखाव के लिये पहली योजना के बराबर धन चाहिये था। इसका मतलब यह है कि राजस्थान में फर्स्ट प्लान का टोटल पैसा मेन्टेनेन्स के लिये चाहिए। यही कारण है कि जो देहातों की इकानामी है, उसको शहरों से जोड़ने के लिए बहुत बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। जनता के रिसोर्सेज बढ़ाने का प्रयत्न करना पड़ेगा। अधिक आय के साधन हम पैदा करें। और जैसा कि श्री गहलोत ने यहां पर सुझाव दिया है कि एक साथ मण्डी कमेटी सब-ट्रेड के लिए कर दी जाय। मैं उसका, सुझाव का स्वागत करता हूं। लेकिन आज टेक्निकल, व्यवहारिक कठिनाई मेरे सम्मुख थी, क्योंकि इस बिल को लाने से ही स्पष्ट रूप से ट्रेड पर असर पड़ता है, और प्रेसीडेंट की असेंट की आवश्यकता है, इसलिए इस मौके पर नहीं ले सके। आपके सुझाव का

(श्री शिवचरण माथुर)

आगे ध्यान रखेंगे, और पंजाब में जो किया गया उस प्रकार मण्डी कमेटी के आय के स्रोत बढ़ाने में पीछे नहीं रहेंगे क्योंकि राजस्थान में पिछड़ापन रह गया है, उतनी ही तीव्र गति से इसे आगे बढाना है। मेरा मानना है कि मण्डी कमेटी फिसकल रिसोर्सेज को बढा कर आगे बढ़ सकेगी। आप अन्दाज लगाइये, 10 करोड़ प्रति वर्ष केवल 1 रुपये के आधार पर आता है, इस 10 करोड़ को 1 रुपया और लगा कर 20 करोड़ किया जा सकता है। सारे ट्रेड इसके स्कोप में लेंगे तो निश्चित है कि आमदनी बढेगी और सेल्फ जनरेट इकानामी पैदा की जा सकेगी। इसलिए मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम चाहे कितने ही पीछे रह गये हों इस मामले में, लेकिन कुछ समाज के ऐसे तत्व हैं, जो समाज को पीछे धकेलना चाहते हैं, उन्होंने पीछे धकेला, जिनका ऐसा विश्वास नहीं है। लेकिन मैंने कल भी निवेदन किया था, राजस्थान इस महत्वपूर्ण आन्दोलन में 10 साल पिछड़ गया है, मैं निश्चित रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार की मन्शा है, और हम चाहते हैं कि हम जितने इस मामले में पिछड़ गये हैं उतनी ही तेजी से आगे बढना चाहते हैं। मुझे प्रसन्नता है, कि कल भी, आज भी इस सदन के माननीय सदस्यों ने कम से कम इस बात को सराहा है, आम तौर पर स्वीकार किया है कि यह महत्वपूर्ण आन्दोलन है, इसको बहुत तीव्र गति से आगे बढाना चाहिए। इसके जरिये मण्डी कमेटी के आर्थिक स्रोत बढा कर डवलप किये जाने चाहिए और उनका सही उपयोग किया जाना चाहिए। मैं माननीय सदस्यों के इस मत से सहमत हूं। आज जिस तरीके से जो मण्डी कमेटी की हालत हमारे राजस्थान में चल रही है उसमें सुधार की गुंजाइश है। आज इस बात की जरूरत है कि जो पैसा वहां पर आये, उस एक एक पैसे का सदुपयोग हो और निर्माण कार्य के के लिए भी जो प्राथमिकता निर्धारित की जानी चाहिए वह करें। आज किसी मण्डी कमेटी के पास 10 लाख रुपये इकट्ठे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई आलीशान, चार मंजीली आफिस मण्डी कमेटी के लिए बना लें। कई मण्डी कमेटी की परिस्थिति को मैं जानता हूं, उन्होंने प्रस्ताव भी पास किये हैं, सुझाव दिये हैं कि हमारी आलीशान आफिस बनाने वाली बात स्वीकार कर ली जाय। मैं इस बात को मानता हूं कि आफिस कच्चे मकान में भी चल सकता है, लेकिन विलेज की रोड्स बनाना जरूरी है, मण्डी कमेटी का इन्फ्रा स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, धीरे-धीरे आय के रिसोर्सेज मण्डी कमेटी के बढेंगे – इसकी आवश्यकता भी है। इसके साथ-साथ उन स्रोतों का उपयोग करने के लिए भी हम प्राथमिकता निर्धारित करें, प्रायोरिटी डिटरमिन करें, कौनसी चीज की आज जरूरत है, कौनसी कल के लिए छोड़ी जा सकती है। मेरी मान्यता है, कितनी न्यूनता मण्डी कमेटी की है, लेकिन मण्डी कमेटी के लोग आते हैं और कहते हैं सात-आठ लाख पड़ा हुआ है, एक अच्छा मार्केट यार्ड बनवा दिया जाय। मैं कहता हूं कि 7–8 लाख रुपये एक मार्केट को अच्छी तरह से विकास करने के लिए कोई राशि नहीं है, कोई अमाउन्ट नहीं है। उसके लिए बड़े अमाउन्ट की आवश्यकता पड़ती है तब जाकर अच्छा से अच्छा मार्केट यार्ड डवलप हो सकता है। इसके लिए

(श्री शिवचरण माथुर)

आवश्यक है सारे विलेज प्रोड्यूस को शहरों में पहुंचाने के लिए, जो किसान पैदा करता है उसका सही भाव मिल सके और हमेशा के लिए शोषण को हटाया जा सके। इसके लिए आय के स्रोत की आवश्यकता है। मैं कह सकता हूं कि बोर्ड के निर्माण के पीछे भी मन्तव्य यही है कि बोर्ड मण्डी कमेटी के लिए ऐसी एक्सपर्ट सर्विस प्रोवाइड करे, जो यह बतलाये, मण्डी कमेटी के लिए कौनसी चीज प्राथमिकता के आधार पर पहले ली जानी चाहिए और कौनसी आगे के लिए छोड़ी जानी चाहिए। मैं कह सकता हूं कि हम और प्रयास करेंगे कि बोर्ड को बहुत जल्दी इस आधार पर इक्विप किया जाय जिसमें एक्सपर्ट सर्विस अवेलेबल हो सके, वह बता सके कि कौनसी चीज को पहले लेना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि मार्केट इन्टेलीजेन्स के एक्सपर्ट भी मण्डी कमेटी में जाने चाहिए ताकि वह एडवाइज सही दे सकें और सही तरह से मण्डी कमेटी का निर्माण हो और इस क्षेत्र में वह आगे बढ सकें।

डूंगरगढ से आने वाले माननीय सदस्य श्री लूणाराम ने सुझाव प्रस्तुत किया है। मैं समझता हूं, अच्छा सुझाव है। यह सुझाव को समय रहते हुए निश्चित रूप से अमल में लाने की कोशिश करेंगे।

मैं एक ही बात उनसे निवेदन करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि कई जिले ऐसे हैं जहां जिला हैडक्वार्टर पर मण्डी कमेटी नहीं है। मैंने इस बात की चेष्टा की है और अधिकारियों से भी कहा है, अब तक जितनी मण्डी कमेटी बनी हैं, 90 की संख्या में मण्डी कमेटी बनी हैं, 70 सब-यार्ड राजस्थान में कायम कर रहे हैं। हमारी इच्छा है, जो ट्रेडीशनल मार्केट बहुत अर्से से चले आ रहे हैं, राजस्थान में उनको योजना के आधार पर, एक फेज प्रोग्राम के बेसिस पर धीरे-धीरे मण्डी कमेटी के मूवमेंट में लाया जाय उसके लिए डिटेल्ड सर्वे की आवश्यकता है। उसमें समय लग सकता है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि कम से कम इतनी आमदनी मण्डी कमेटी की होनी चाहिए ताकि एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा चल सके और उसके बाद कुछ पैसा विकास के लिए भी बच सके। मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं, साधारण तौर पर छोटी से छोटी मण्डी को चलाने के लिए कम से कम 25–30 हजार रुपये साल की आवश्यकता होती है। 25 हजार का मतलब यह हुआ कि मण्डी कमेटी में 25-30 लाख तक सेल या पर्चेज नहीं होगी तब तक एस्टेब्लिशमेन्ट का खर्चा नहीं चल सकता। उसके बाद अगर विकास करने की आवश्यकता है तो उससे अधिक टर्न ओवर मण्डी कमेटी में नहीं होगा तब तक उसके विकास की सम्भावना नहीं बन सकती है। इसलिए मण्डी कमेटी का निर्माण करने की बात के साथ मौलिक मुद्दे को सोचना होगा। मौलिक मुद्दे की बात जब करते हैं तो निश्चित बात है कि इतना सा केवल जहां टर्न ओवर होता है वहां इस बात की गुंजाइश होती है कि मण्डी कमेटी को फिलहाल छोड़ने की बात आती है। मैं निवेदन करता हूं कि फेज प्रोग्राम के आधार पर साईंटिफिक तरीके से धीरे धीरे राजस्थान के जिलों में जहां आवश्यकता है, तहसील हैडक्वार्टरों में जहां आवश्यकता है, मैं कहूंगा, शहरों में मण्डी कमेटी बनाने का सवाल है, वहां बनाने वाली बात करनी चाहिए, उनकी आवश्यकता को देखते हुए

(श्री शिवचरण माथुर)
मण्डी कमेटी खोली जानी चाहिए ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, क्या बैल खराब हो रही है ? ऐसा लग रहा है कि घण्टी खराब हो रही है ।

श्री शिवचरण माथुर : आप रोकना चाहते हैं ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरी अर्ज यह नहीं है । मैंने दूसरी बात कही है, क्या बैल काम नहीं कर रही है ?

श्री केदारनाथ : पास करें ।

श्री शिवचरण माथुर : पास करना है ।

एक माननीय सदस्य : आपके समय पर पाबन्दी नहीं होती है ।

श्री शिवचरण माथुर : मैं निवेदन कर रहा हूं, सारी बातों को देखते हुए आपने जो सुझाव दिये हैं, मैं मोटे तौर पर विचार दिला कर चलना चाहता हूं राजस्थान इस मामले में जितना पीछे रह गया है उसी तरह से इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं ।

अलग-अलग तौर पर माननीय सदस्यों ने कहा कि मण्डी कमेटी की कई जगह आवश्यकता नहीं है वहां बन गई है । नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने विशेष तौर पर कहा । मैं कहना चाहता हूं कि वह कम से कम इस आन्दोलन के प्रति अपनी आस्था डवलप करें । जब आस्था डवलप हो जायगी, तो मैं समझता हूं कि मण्डी कमेटी······

श्री मनोहर कोठारी : आस्था का प्रश्न नहीं है । मैं कहता हूं कि आपकी मंडी कमेटी की दुर्दशा हो गई है । इसमें आस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री शिवचरण माथुर : जो दिक्कत बतलाई हैं, मैं उनको विश्वास दिला कर चलना चाहता हूं कि 7 साल से नामीनेटेड सोसाइटी काम कर रही हैं यह डिफंक्ट हो गई हैं उनके बारे में सोचा जायगा और व्यवस्था की जायगी । यह विश्वास दिलाना चाहता हूं ।

राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने धौलपुर के बारे में जमीन की दिक्कत बतलायी । उसको मैं अपने तौर पर देखूंगा कि आपकी दिक्कत दूर हो जाय । उसको दूर करने की कोशिश करूंगा···

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मण्डी कमेटी में एक एक रुपया लिया जाता है। अगर 8 जगह माल गया तो 8 रुपये हो गये । क्या आप इसमें संशोधन करेंगे कि एक जगह टैक्स लगे ।

श्री शिवचरण माथुर : मैं उत्तर दे दूं । यह आम तौर पर व्यापारी नजीर दे रहे हैं । यह व्यापारी मुझे कहा करते हैं । मैं एक बात बताऊं सवाई माधोपुर से व्यापारी ने माल खरीदा 100 रुपये के भाव से, जयपुर में आकर कन्ज्यूमर को 160 के भाव से बेचा, तो यह ऊंचा भाव नहीं लगता है । यदि सवाई माधोपुर की मण्डी में 1 रुपया लगा तो कन्ज्यूमर पर भार पड़ने लगा, व्यापारी पर भार पड़ने लगा । और उसने 60 रुपये क्विन्टल एक मण्डी से दूसरी मण्डी में लाकर भाव बढ़ा दिये तो उसके लिए नहीं बोलने वाले हैं । मण्डी कमेटी के विकास के लिए सवाई

(श्री शिवचरण माथुर)

माधोपुर में एक रुपया दे दिया, जयपुर में एक रुपया दे दिय तो कौनसा पहाड़ टूट गया । यह कहा जाता है कि उपभोक्ता पर वजन पड़ गया--यह उन लोगों के द्वारा दलील दी जा रही है जो इस कदम को पीछे ले जाना चाहते हैं, जिनका आगे बढ़ाने में विश्वास नहीं है । मैं भार्गव साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके उन लोगों की दलील में न पड़ें, समझने की कोशिश करें और इस अच्छे आन्दोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें । मैं निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को पास करें ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : बहुत बहुत धन्यवाद ! बैठने का ।

श्री उपाध्यक्ष : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेना चाहेंगे, जनमत जानने का ?

श्री मनोहर कोठारी : जनमत का नहीं है, प्रवर समिति का है ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: जनमत का मेरा था ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मनोहरलाल कोठारी ने जो प्रवर समिति वाला प्रस्ताव रखा है उसको वापस लेना चाहेंगे ?

श्री मनोहरलाल कोठारी : जी हां ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमृतलालजी, आप भी अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेना चाहेंगे ?

श्री अमृतलाल गहलोत : जी हां ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या माननीय श्री मनोहर लाल कोठारी व माननीय श्री अमृतलाल गहलोत को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति दी जाए ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी जाती है ।

श्री अमृतलाल गहलोत : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

श्री मनोहरलाल कोठारी : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज विपणि (द्वितीय संशोधन) 1974 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

खण्ड 2

खंड 2 । प्रश्न यह है कि खंड 2 विधेयक का अंग स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खंड 2 विधेयक का अंग स्वीकार किया गया ।

खण्ड 3, 4 तथा 1

खंड 3 । श्री अमृतलाल गहलोत । (कुछ नहीं बोले) ।

प्रश्न यह है कि खंड 3, 4 तथा 1, प्रस्तावना, नाम आदि विधेयक का अंग

(श्री उपाध्यक्ष)
स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खंड 3,4 एवं खंड 1 प्रस्तावना, नाम आदि विधेयक का अंग स्वीकार किया गया।

श्री शिवचरण माथर : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज विपणि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1974 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही दिनांक 16-8-1974 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक रात्रि को 8.52 बजे दि० 16-8-74 को प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

170

परिशिष्ट 1

(ता० प्र० सं० 41 की सूची)

विलम्ब की स्थिति को सुधारने के लिए राज्य सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये है :—

1. राज्य सरकार ने पाठ्यपुस्तक मण्डल को स्वायतशासी संस्था बना दिया है जिससे निर्णय जल्दी लिये जा सकें।

2. पाठ्यपुस्तकों को खुली प्रतियोगिता के आधार पर लेखकों से लिखवाया गया है ताकि नई पुस्तकें समय पर लिख कर प्राप्त हो सकें।

3. सत्र के शुरू से ही सरकार एवं अन्य स्रोतों से कागज प्राप्त करने के सभी उपाय किए गये और अक्टूबर से ही छपाने का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया।

4. पाठ्यपुस्तकों की छपाई के काम को एक एक प्रेस को कम से कम कितावें दकर गत वर्ष की 20 प्रेसों की तुलना में 38 प्रेसों में बांटा गया। ताकि पुस्तकों की छपाई शीघ्रता से सम्पन्न हो सके और कुछ थोड़े से मुद्रकों पर निर्भरता से होने वाली विलम्ब की आशंका को दूर किया जा सके।

5. इसके अतिरिक्त टेण्डर प्रणाली ने असमर्थ प्रेसों द्वारा सस्ती दरें देने और फिर कार्य स्वीकार न करने से पुस्तकों के आवंटन में जो विलम्ब होता है उसे दूर करने के लिए मंडल ने मुद्रकों का रजिस्ट्रेशन करके अपनी दर सूची पर पूरे वर्ष योजनाबद्ध तरीके से पुस्तकें छपाने और उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। मण्डल अपना स्वयं का लगभग 1.50 करोड़ लागत का प्रेस लगाने का निर्णय कर चुका है जिसके लिये जमीन खरीद ली गई है और धन की उपलब्धि हो जाने पर शीघ्र प्रेस की स्थापना की जावेगी।

6. वितरण के स्तर पर विलम्ब को रोकने के लिए पुस्तक विक्रेताओं, स्कूलों तथा मण्डल के खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से पुस्तकें बेची जा रही हैं। पुस्तकें नॉन-म्युनिसिपल एरिया के छोटे पुस्तक विक्रेताओं को बिना रजिस्ट्रेशन के 100/- की पुस्तकें मण्डल के वितरण केन्द्रों से खरीद कर बेचने की सुविधा भी दी गई है। जिससे कि वे बड़े पुस्तक विक्रेताओं से कुंजी खरीदने को मजबूर न हों और मण्डल से सीधे ही साढ़े बारह प्रतिशत कमीशन का लाभ उठावें।

7. पुस्तक वितरण कार्य में कुछ पुस्तक विक्रेताओं द्वारा जमाखोरी, मुनाफाखोरी, काला बाजारी तथा कुंजियां व अनाधिकृत पुस्तकों की जबरदस्ती बिक्री करने तथा बालकों तक समय पर पुस्तक विलम्ब से पहुंचाने के विरोध में मण्डल ने कुछ नये कदम उठाये हैं। जैसे केशमीमो देना, स्टाक रजिस्टर रखना, मूल्य सूची टांकना, स्कूलों द्वारा बच्चों को अनाधिकृत पुस्तकें न खरीदने देना, थोक व्यापार को हतोत्साहित करना। इसके लिए पुस्तक विक्रेताओं को आदेश दिये गये हैं। जिससे पुस्तकों के वितरण में सुगमता हुई है।

परिशिष्ट 2

(ता०प्र०सं० 47 की सूची)

निम्न लिखित जिलों में राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं :—

(1) सीकर

(2) सवाई माधोपुर

(3) बाड़मेर

(4) जैसलमेर

(5) जालोर

(6) सिरोही

(7) नागौर

(8) झालावाड़

परिशिष्ट 3

(ता० प्र० सं० 49 की सूची)

जयपुर जिले की विभिन्न चिकित्सा संस्थाओं में वितरण की गई औषधियों की वार्षिक धनराशि एवं अनुमानित बजट वर्ष 1974-75 की तालिका:—

क्र०सं०	चिकित्सा संस्थाओं का नाम		वर्ष 73-74 में वितरण की औष० धनराशि	अनुमानित बजट 1974-75 में आवंटित किया जाना है
1	2		3	4
1.	राजकीय डिस्पेन्सरी,	सामोद	4780	7000
2.	,, ,,	साहीवाड	2675	7000
3.	,, ,,	पावटा	4978	7000
4.	,, ,,	मोजमाबाद	6318	7000
5.	,, ,,	तूंगा	4405	7000
6.	,, ,,	वडीयाल कलां	4200	4000
7.	,, ,,	जोबनेर	4719	4000
8.	,, ,,	बड़नगर	5700	4000
9.	,, ,,	रघुनाथपुरा	4276	4000
10.	,, ,,	जमवारामगढ़	6061	4000
11.	,, ,,	गोनेडा	4023	4000
12.	,, ,,	भेंसलाना	3575	4000
13.	,, ,,	गोनेर	4467	4000
14.	,, ,,	साबपुरा	5522	4000
15.	,, ,,	सिकराय	3900	4000
16.	,, ,,	गोबिन्दगढ़	4360	4000
17.	,, ,,	रूंदल	3666	4000
18.	,, ,,	छाजेड़ा	2189	4000
19.	,, ,,	आंतेला	3537	4000
20.	,, ,,	भंकरी	2800	4000
21.	,, ,,	शाहपुरा	6900	4000
22.	,, ,,	खेजड़ोली	4700	4000
23.	,, ,,	जेल्स एवं लोकप	4246	2000
24.	,, ,,	सांभर	11629	11000
25.	,, जनाना अस्पताल	कोटपूतली	5924	8000
26.	,, मेल होस्पीटल	कोटपूतली	9828	8000
27.	राजकीय चिकित्सालय	दौसा	8700	8000
28.	,, ,,	बदीकुई	4156	7000
29.	,, ,,	लालसोट	5995	7000
30.	,, ,,	बेराठ	6262	7000
31.	,, ,,	मरेना	4658	7000
32.	,, ,,	चौमू	6515	7000

1	2	3	4
33. राजकीय चिकित्सालय	चाकसू	4402	7000
34. ,, ,,	आमेर	4673	4000
35. ,, ,,	सांगानेर	4860	4000
36. ,, ,,	फुलेरा	6430	8000
37. प्रा० स्वा० केन्द्र	कोटखावदा	4944	12000
38. राजकीय चिकित्सालय,	पुलिस लाईन, जयपुर	4700	8500
39. ,, ,,	सांगानेरी गेट	9572	13000
44. ,, ,,	पुरानी बस्ती	15059	15000
41. ,, ,,	सरदार पटेल रोड	11200	8000
42. ,, ,,	सिरेह ड्योढ़ी	11018	12000
43. ,, ,,	गांधीनगर, जयपुर	5696	8000
44. ,, ,,	मोती कटला, जयपुर	12338	14000
45. ,, ,,	तोपखाना हजूरी	11639	12000
46. ,, ,,	तोपखाना देश	8095	9000
47. ,, ,,	बनी पार्क	6600	8000
48. ,, ,,	सचिवालय, जयपुर	6700	6000
49. ,, ,,	आदर्श नगर	11448	12000
50. ,, ,,	तिलक नगर	3891	8000
51. प्रा० स्वा० केंद्र	मेड़	5500	12000
52. ,, ,,	बसवा	4340	12000
53. ,, ,,	फागी	9800	12000
54. ,, ,,	किशनगढ़ रेनवाल	7000	12000
55. ,, ,,	वाटिका	4292	12000
56. ,, ,,	अमरसर	9300	12000
57. ,, ,,	जाहोता	5700	12000
58. ,, ,,	मानपुर	6552	12000
59. ,, ,,	बस्सी	7226	12000
60. ,, ,,	कालाडेरा	6878	12000
61. ,, ,,	मानपुरकलां	6007	12000
62. ,, ,,	सिरसी	3500	12000
63. ,, ,,	मांड रेज	3870	12000
64. ,, ,,	नरेड़ा	5200	12000
65. ,, ,,	मण्डावरी	4687	12000
66. ,, ,,	बीचून	8098	12000
67. एड पोस्ट केशवाना	राजपूत	2066	4000
68. राज० डिस्पेंसरी	मनोहरपुर	3105	4000
69. ,, ,,	बनेठी	3182	4000
70. ,, ,,	बगरू कलां	3590	4000
71. ,, ,,	सेठी कालोनी	3529	8000
72. ,, ,,	पचरोल	4150	4000
73. ,, ,,	राज भवन	7286	7000
74. ,, ,,	दूदू	4194	4000

परिशिष्ट 4

(समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

बिजली की मोटरों की चैकिंग फीस

51. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बिजली की मोटरों की हर साल में एक बार दो रुपये पचास पैसे, पांच रुपये, दस रुपये चैकिंग फीस ली जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि जब मोटरों का चैकिंग ही नहीं किया जाता तो भी फीस ली जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) मध्यम दबाव की मोटरों का प्रतिवर्ष तथा निम्न दबाव की मोटरों का प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण शुल्क भारतीय विद्युत् नियम, 1956 के नियम। के अन्तर्गत लिया जाता है जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।

(2) जी नहीं।

पर्यटन विभाग द्वारा सामान की खरीद

52. श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डाइरेक्टर ऑफ ट्यूरिज्म द्वारा राजस्थान एम्पोरियम व दीगर फर्म को माल खरीदने के लिये पिछले पांच वर्षों में कितना पेमेंट किया गया है ? सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि पेमेन्ट चीज हांसिल करने से पूर्व ही अदा कर दिया गया था और कुछ चीजें आज तक भी प्राप्त होनी शेष हैं ?

(3) क्या इन चीजों की खरीद के सिलसिले में टेन्डर मांगे गये थे ? यदि हां, तो किस किस आदेश के द्वारा तथा किन किन ने टेण्डर पेश किया ? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि एक मामूली मूढ़ा की कीमत 26/- रुपये और एक मामूली निवार की चारपाई के 165/- रुपये अदा किये हैं ? यदि हां, तो किन आधारों पर ?

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में राजस्थान हैण्डीक्राफ्ट्स एवं अन्य फर्मों को जो पेमेन्ट किया गया है उसका सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं, भुगतान चीजें प्राप्त होने पर ही किया गया है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आज तक प्राप्त होनी शेष हो।

(3) राजस्थान हैण्डीक्राफ्ट्स एम्पोरियम, जयपुर से की गई खरीददारी के लिए टेण्डर नहीं मांगें गये, अन्य फर्मों से अधिकांश मामलों में टेण्डर मांगे गये थे। सम्बंधित आमन्त्रित टेण्डर एवं कोटेशन्स का वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(4) यह सही नहीं है।

परिशिष्ट 1

राजस्थान हैण्डीक्राफट्स एम्पोरियम एवं अन्य फर्मों को गत पांच वर्षों में जो भुगतान माल लेने बावत किया गया है उसका विवरण :—

क्र०सं०	वित्तीय सत्र	राजस्थान हैण्डीक्राफट्स, जयपुर	अन्य फर्मस्
1.	1969-70	9,309.00	4,345.00
2.	1970-71	9,590.00	35,099.00
3.	1971-72	3,326.00	7,441.32
4.	1972-73	340.78	24,934.00
5.	1973-74	1,13,445.00	82,790.00

परिशिष्ट 2

तालिका उन खरीददारियों की जो निविदाऐं आमन्त्रित की जाकर की गई

क्र०सं०	कन्टीनजेन्ट बिल नं० दिनांक	फर्म का नाम जिससे माल खरीदा गया	राशि	उन फर्मों के नाम जिनसे टेन्डर मांगे गये	कार्यालय का सन्दर्भ
1	2	3	4	5	6
	1969—70				
1.	400/3—70	स्टर्लिंग एडवरटाइजिंग प्रा० लि०, नई दिल्ली	606.80	1. क्रीसेन्ट प्रिन्टिंग वर्क्स प्रा० लि०, नई दिल्ली 2. स्टर्लिंग एडवरटाइजिंग प्रा० लि० नई दिल्ली 3. विक्रम एण्ड कं०, नई दिल्ली 4. डेकोर, दिल्ली	8085 दि० 20-10-69
2.	400/3—70	,, ,,	498.00	,, ,,	,, ,,
3.	425/3—70	,, ,,	367.00	,, ,,	,, ,,
4.	103/6—70	ओरेन्टियल इन्जिनीयरिंग कं०, जयपुर	347.75	1. नागर इन्जिनियरिंग कं० 2. ओरेन्टियल कं० 3. संजय ट्रेडर्स, जयपुर	1044/68 दि० 6-6-69

5.	405/3–70	स्प्रे पेन्ट स्टोर, जयपुर]	432.85	1. लक्की पेन्ट स्टोर, जयपुर 2. स्प्रे पेन्ट स्टोर, जयपुर 3. ग्रोके पेन्ट स्टोर, जयपुर	1441/43 दि० 25-12-69
		वर्ष 1969–70 का योग ..	2,252.40		
1970–71					
1.	423/3–71	पर्यटन विकास निगम, नई दिल्ली	28163.01	भारत सरकार के अण्डरटेकिंग	—
2.	79/6–70 166/9–70 102/10–70	बापू मेटल इण्डस्ट्रीज, जयपुर]	1422.40	राजस्थान सरकार के सी० एस० पी० ग्रो० द्वारा अनुमोदित	—
3.	166/9–70	बद्रीनारायण विजय बलभ, जयपुर	754.00	1. बद्रीनारायण विजयबलभ, जयपुर 2. बैल जीप ग्लास हाउस, जयपुर 3. सी० जी० पंजाबी, जयपुर 4. लक्ष्मी ग्लास हाउस, जयपुर	1467–71 दि० 10-1-71
4.	166/9–70 175/9–70 190/10–70	सरगोदा ग्राइरन स्टोर, जयपुर	855.00	1. सरदारी लाल एण्ड सन्स, जयपुर 2. के० के० एण्ड कं०, जयपुर 3. सरगोदा ग्राइरन स्टोर, जयपुर	लेखा/जी, 17/ 4243-45 दि० 14-8-70

1	2	3	4	5	6
5.	191/10–70	स्टेण्डर्ड इण्डस्ट्रीज, जयपुर	1151·36	1. राजस्थान सरकार के सी० एस० पी० ओ० द्वारा अनुमोदित	—
		1970–71 के कुल योग ..	32,345.77 पैसे मात्र		
1971-72					
1.	313/11–71 314/11–71	मैटाल का इण्डस्ट्रीज, कारपोरेशन, जयपुर	918.20	राजस्थान सरकार के सी० एस० पी० ओ० द्वारा अनुमोदित	—
2.	328/11–71	बापू मैटल इण्डस्ट्रीज, जयपुर	469.20	राजस्थान सरकार के सी० एस० पी० ओ० द्वारा अनुमोदित	—
3.	384/12–71	जयपुर प्रिन्टर्स, जयपुर	642.00	1. विजय आर्ट प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर 2. पापूलर प्रिन्टर्स, जयपुर 3. जयपुर प्रिन्टर्स, जयपुर 4. पारस भन्साली, जयपुर 5. जयपुर ब्लाक, जयपुर	पी० यू० बी० 15-6-71
4.	384/12–71	जयपुर ब्लाक्स, जयपुर	898.80	1. जयपुर प्रिन्टर्स ब्लाक, जयपुर	
5.	512/3–72	स्टार प्रिन्टिंग, आगरा	720.00	1. स्टार प्रिंटिंग, आगरा 2. क्षीर आर्ट, आगरा 3. रहमतअली, आगरा	1113 दि० 25-1-72

6.	513/3–72	तिलोकी नाथ एण्ड सन्स, आगरा	883.60	1. हवेली राम महेन्द्र नाथ, आगरा 2. महरचन्द एण्ड कं०, आगरा 3. तिलोकनाथ एण्ड सन्स, आगरा	4648 दि० 6-3-72
		वर्ष 1971–72 का कुल योग . . .	4,521.80		
1972–73					
1.	265/10–72	नृसिंह सहाय मदन गोपाल इलेक्ट्रिक कं०	834.60	राजस्थान सरकार के सी० एस० पी० ओ० द्वारा अनुमोदित	—
2.	5/4–72 334/9–72	बापू मेटल इण्डस्ट्रीज, जयपुर	1,103.40	,, ,,	
3.	21/4–72	अणिमा प्रिन्टर्स, जयपुर	1,600.00	1. मुरलीधर विहानी, जयपुर 2. ताराचन्द वैद्य, जयपुर 3. अणिमा प्रिन्टर्स, जयपुर	993–95 दि० 11-2-72
4.	215/8–72 239/9–72	घनश्याम अग्रवाल, जयपुर	4,675.00	जन सम्पर्क विभाग द्वारा अनुमोदित दरों पर सामान लिया गया	—
5.	518/3–73	पुरोहित एन्टरप्राइजेज, जयपुर	751.72	1. विश्वकर्मा फर्नीचर हाउस, जयपुर 2. महालक्ष्मी ट्रेडर्स, जयपुर 3. पुरोहित इन्टर प्राइजेज, जयपुर	442–46 दि० 23-1-73
3.	98/6–72	लुहाड़िया टैक्सटाईल्स, जयपुर	638.40	1. रामदत्त एण्ड कं०, जयपुर 2. लुहाड़िया टैक्स टाईल्स, जयपुर 3. अणिता ट्रेडर्स, जयपुर	लेखाजी–17/ 2615–17 दि० 3-5-72
		वर्ष 1972–73 का योग . . .	9,603–12		

1	2	3	4	5	6
1973–74					
1.	282/12–73 391/12–73	क्रेटिव पब्लिसिटी एण्ड मार्केटिंग, नई दिल्ली	2,370.24	1. विक्रम एण्ड कं०, नई दिल्ली 2. सोनी प्रिन्टर्स, नई दिल्ली 3. क्रेटिव पब्लिसिटी एण्ड मार्केटिंग, नई दिल्ली 4. क्रिस्टिंग प्रिन्टिंग, नई दिल्ली	4967–70 दि० 26-9-73
2.	430/3–74	राधिका वोटिक, जयपुर	6,616.00	1. गोबिन्द राम रामचन्द्र, जयपुर 2. राजस्थान वोटिक, जयपुर 3. इण्डिया हैण्डीक्राफ्ट्स, जयपुर 4. महारानी हैण्डीक्राफ्ट्स, जयपुर 5. राधिका वोटिक, जयपुर	3656–60 दि० 3-7-73
3.	384/2–74	बापू मेटल इण्डस्ट्रीज, जयपुर	613.88	राजस्थान सरकार के सी० एस० पी० ओ० द्वारा अनुमोदित	—
4.	19/5–73	रेडियो मेट्रिक्स, जयपुर	1,474.80	1. रेडियो सेन्टर, जयपुर 2. रेडियो मेट्रिक, जयपुर 3. मेलोडिया हाउस, जयपुर	7034–36 दि० 14-11-72
5.	198/3–74	उषा बिक्री केन्द्र, आगरा	785.00	1. गोयल ट्रेडर्स, आगरा 2. सुदेश डिस्ट्रीब्यूटर्स, आगरा 3. उषा बिक्री केन्द्र, आगरा	11–14 दि० 7-3-74

6.	156/9–73	अलबेला, जयपुर	1,475.00	1. महावीर प्रसाद शर्मा, जयपुर 2. शर्मा फर्नीचर, जयपुर 3. अलबेला, जयपुर	2471–73 दि० 10-5-73
7.	390/2–74	सुभाष कुमार, जयपुर	2,250.00	1. मुन्नीलाल एण्ड सन्स, जयपुर 2. जयपुर गोटा वर्क्स, जयपुर 3. सुभाष कुमार, जयपुर	4761–73 दि० 19-9-73
8.	412/2–74	जयपुर गोटा वर्क्स, जयपुर	1,836.00	सुभाष कुमार, जयपुर	,,
9.	470/3–74	ग्राफीकेड्स, जयपुर	9,500.00	1. ग्राफीकेड्स, जयपुर 2. जयपुर, ब्लाक्स, जयपुर 3. जयपुर प्रिन्टर्स, जयपुर	5572–75 दि० 6-11-73
10.	86/6–73 54/5–73	धनजी कान्टेक्टर्स, जयपुर	1,430.71	1. धनजी, जयपुर 2. जयकुटीर उद्योग, जयपुर 3. जयनारायण कान्ट्रेक्टर, जयपुर	2098–2100 दि० 23-4-73
11.	166/21-9-73	रेखा पब्लिसिटी, जयपुर	367.36	1. रेखा पब्लिसिटी, जयपुर 2. एम० एस० आर्ट्स, जयपुर 3. पेन्टिग, पब्लिसिटी, जयपुर 4. कार्माशियल आर्ट्स, जयपुर	12-5-73
		वर्ष 1973–74 का योग	28,718.99		
		कुल योग	77,442.08		

राजस्थान नहर के निर्माण के लिये ऋण

53. **श्री शंकर लाल** (पाली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान नहर के निर्माण के लिए विश्व बैंक व अन्य संस्थाओं से कितनी धनराशि ऋण अथवा अनुदान के रूप में चालू वर्ष व भविष्य में प्राप्त हो सकेगी और इसके फलस्वरूप राजस्थान नहर का कार्य कब तक पूर्ण होने की सम्भावना है ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर को राष्ट्रीय योजना मान लिये जाने के प्रयत्नों में राज्य सरकार को सफलता नहीं मिल पाई ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान नहर के निर्माण कार्य के लिये विश्व बैंक व अन्य संस्थाओं से चालू वर्ष में कोई भी अतिरिक्त राशि उपलब्ध नहीं हुई है और न इसकी आशा है।

(2) वैसे तो यह योजना राष्ट्रीय महत्व की है। इसे राष्ट्रीय योजना मानकर भारत सरकार ने इसका निर्माण पृथक से प्रावधान का करना स्वीकार नहीं किया है। राजस्थान की योजनाओं के साथ ही इसका भी प्रावधान किया गया है।

गंगापुर सिटी का औषधालय

54. **श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गंगापुर सिटी में 'सी' श्रेणी का औषधालय था ?

(2) क्या यह सही है कि डेढ़ वर्ष पूर्व गंगापुर आयुर्वेद औषधालय को 'बी' श्रेणी में परिवर्तित कर दिया है ?

(3) क्या यह सही है कि 'बी' श्रेणी में 'सी' श्रेणी का वैद्य कार्य कर रहा है ?

(4) क्या यह सही है कि गंगापुर के रहने वाले 'बी' श्रेणी के वैद्य 'सी' श्रेणी के औषधालय में कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो आयुर्वेद विभाग इस ओर क्यों नहीं ध्यान देता है तथा 'बी' श्रेणी के औषधालयों में 'बी' श्रेणी के चिकित्सक को नियुक्त क्यों नही किया जाता है ?

(स्थगित किया गया)

विद्युत मण्डल के खराब ट्रान्सफारमर्स की मरम्मत

55. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान राज्य विद्युत् मंडल के विभिन्न कार्यालयों अथवा भण्डारों में कुल कितने किस 2 क्षमता के Transformers खराब पड़े हैं तथा उपरोक्त क्षमता के Transformers की वर्तमान बाजार कीमत क्या है ?

(2) राज्य सरकार उपरोक्त ट्रांसफारमर्स की Repairs क्यों नहीं कराती ?

(3) ट्रांसफारमर्स आम तौर पर किस कारण से खराब होते हैं तथा उस कारण के सम्बन्ध में पहले से ही सावधानी क्यों नहीं बरती जाती है ?

(स्थगित किया गया)

पैट्रोल पम्प लगाने संबंधी नियम

56. **श्री राम लाल (बाडी) : क्या** गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पैट्रोल पम्प लगाने संबंधी रूल्स राज्य सरकार द्वारा बना दिए गए हैं ? यदि हां, तो कब ?

(2) कृपया उक्त नियमों की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें ।

(3) उक्त रूल्स कितने विलम्ब से बने और समय पर न बनने के कारण राज्य सरकार की रेवेन्यू का कितना लीकेज हुआ ?

(स्थगित किया गया)

जयपुर एवं सवाई माधोपुर जिलों की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

57. **श्री मीठालाल (लालसोठ)** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार ने जयपुर व सवाई माधोपुर जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण का अधिक विकास व विद्युत सही वोल्टेज से प्राप्त हो, को दृष्टि में रखकर 132 के० वी० लाइन निवाई-लालसोट अथवा दौसा लालसोट के मध्य डालकर 132 के० वी० का पावर स्टेशन लालसोट में स्थापित करने के बारे में गंभीरता से विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक स्थापित कर दिया जावेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि लालसोट सभी ओर से मध्य में स्थित होने के कारण उक्त 132 के०वी० पावर स्टेशन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है ?

उत्तर

(1) लालसोट क्षेत्र के वर्तमान या संभावित भार (लोड) के संदर्भ में लालसोट में 132 के०वी० ग्रिड सब-स्टेशन की स्थापना की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

(2) जब वर्तमान में लालसोट में क्षमता के आधार पर 132 के०वी० ग्रिड सब-स्टेशन बनाने का विचार ही नहीं है तो इसके उपयुक्त होने का अथवा नहीं होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

उपखण्ड अधिकारी भीनमाल के विरुद्ध कार्यवाही

58. **श्री अजीतसिंह (टोंक) : क्या** मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जालौर जिला के भीनमाल उपखण्ड अधिकारी श्री राम प्रसाद जोशी के विरुद्ध राज्य सरकार के पास कोई शिकायत आई है ? यदि हां, तो कब और उस पर आज तक क्या-क्या कार्यवाही हुई है ?

(2) क्या यह सत्य है कि उक्त श्रीजोशी द्वारा खाली वारंट पर हस्ताक्षर कर जारी किए गए थे ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि उक्त श्री जोशी द्वारा कानून के विरुद्ध कार्य करने के कारण रेकार्ड सरकार ने सीज कर अपने कब्जे में लिया था ? यदि हां, तो उस पर आज तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(मुख्य मंत्री)

(2) दिनांक 24-4-74 को मुख्य मंत्री कार्यालय में प्राप्त हुई है। जिलाधीश जालोर से मामले की पूर्ण जांच करके सरकार को तथ्यात्मक प्रतिवेदन भेजने को कहा है। जिलाधीश जालोर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन आना शेष है।

(3) इस सम्बन्ध में इस समय तथ्यात्मक प्रतिवेदन के अभाव में कुछ भी कहना सम्भव नहीं है।

(4) जांच रिपार्ट के प्राप्त होने के बाद ही इस मामले पर पूर्ण प्रकाश डालना सम्भव हो सकेगा।

गोपालपुरा सिंचाई योजना पर नियुक्त सहायक अभियन्ता एवं ओवरसियर के विरुद्ध शिकायतें

59. **श्री जगमोहनसिंह** (छबड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सत्य है कि 'गोपालपुरा' तहसील किशनगंज जिला कोटा की सिंचाई योजना पर नियुक्त सहायक अभियन्ता श्री शर्मा एवं वहां पर कार्यरत दूसरे ओवरसियर के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? अगर हां, तो विभाग द्वारा इस बाबत क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

जी हां, विभागीय जांच जारी है तथा शीघ्र पूर्ण की जायेगी।

नये कोर्ट्स की स्थापना

60. **श्री चेतराम**, (टोडाभीम), **श्री रामगोपाल** (खण्डार) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नवीन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 1974 के लागू होने के पश्चात् जुडिशियल कोर्ट्स में कार्यभार अधिक बढ़ गया है और सरकार नये कोर्ट्स स्थापित करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब से कितने नये कोर्टस् स्थापित किये जावेंगे?

(2) क्या यह सही है कि नवीन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के प्रावधानों के अन्तर्गत नये कोर्ट्स नवीन स्थानों (तहसील मुख्यालयों) पर स्थापित किये जायेंगे? यदि हां, तो किस-किस स्थान पर? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। नये कोर्ट्स नवीन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लागू होने के पश्चात् 65 लागू किये गये हैं। मुकदमात् की संख्या को देखते हुए भविष्य में कुछ और नये कोर्ट्स स्थापित करने के बारे में विचार विमर्श किया जा रहा है।

(2) 65 नये कोर्ट्स जिन स्थानों पर स्थापित किये गये हैं उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

न्याय विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 1, 1974

संख्या प० 4(2) न्याय। 74। पार्ट 2:—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2, सन् 1974) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात् राज्य सरकार, एतद्द्वारा, 1 अप्रेल, 1974 से न्यायिक (जुडिशियल) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के निम्नलिखित नये न्यायालयों का उनके प्रत्येक के सामने उल्लिखित बैठक के स्थान सहित, सृजन एवं स्थापन करती है :—

क्र. सं. 1	न्यायालय का नाम 2	जिला 3	बैठक का स्थान 4
1	न्यायिक (जुडिशियल) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नं.—1 अजमेर शहर	अजमेर	अजमेर
2	न्यायिक (जुडिशियल) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नं.—2 अजमेर शहर	अजमेर	अजमेर
3	न्यायिक (जुडिशियल) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नं.—3 अजमेर शहर	अजमेर	अजमेर
4	न्यायिक (जुडिशियल) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नं.—1 अलवर शहर	अलवर	अलवर
5	न्यायिक (जुडिशियल) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नं.—2 अलवर शहर	अलवर	अलवर
6	न्यायिक (जुडिशियल) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तिजारा	अलवर	तिजारा
7	न्यायिक (जुडिशियल) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भरतपुर	भरतपुर	भरतपुर
8	न्यायिक (जुडिशियल) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बयाना	भरतपुर	बयाना
9	न्यायिक (जुडिशियल) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बाडी (धौलपुर)	भरतपुर	बाडी
10	न्यायिक (जुडिशियल) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हिन्डौन	सवाईमाधोपुर	हिन्डौन
11	न्यायिक (जुडिशियल) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गंगापुर	सवाईमाधोपुर	गंगापुर
12	न्यायिक (जुडिशियल) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
13	न्यायिक (जुडिशियल) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शाहपुरा	भीलवाड़ा	शाहपुरा
14	न्यायिक (जुडिशियल) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नं.—1 बीकानेर शहर	बीकानेर	बीकानेर
15	न्यायिक (जुडिशियल) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नं.—2 बीकानेर शहर	बीकानेर	बीकानेर
16	न्यायिक (जुडिशियल) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चूरू शहर	चूरू	चूरू
17	न्यायिक (जुडिशियल) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतनगढ़	चूरू	रतनगढ़
18	न्यायिक (जुडिशियल) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नं.—1 गंगानगर शहर	गंगानगर	गंगानगर
19	न्यायिक (जुडिशियल) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नं.—2 गंगानगर शहर	गंगानगर	गंगानगर
20	न्यायिक (जुडिशियल) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हनुमानगढ़	गंगानगर	हनुमानगढ़
21	न्यायिक (जुडिशियल) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायसिंहनगर	गंगानगर	रायसिंहनगर
22	न्यायिक (जुडिशियल) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नोहर	गंगानगर	नोहर
23	न्यायिक (जुडिशियल) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नं.—1 जयपुर शहर	जयपुर	जयपुर
24	न्यायिक (जुडिशियल) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नं.—2 जयपुर शहर	जयपुर	जयपुर
25	न्यायिक (जुडिशियल) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नं.—3 जयपुर शहर	जयपुर	जयपुर
26	न्यायिक (जुडिशियल) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नं.—4 जयपुर शहर	जयपुर	जयपुर
27	न्यायिक (जुडिशियल) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नं.—5 जयपुर शहर	जयपुर	जयपुर
28	न्यायिक (जुडिशियल) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नं.—6 जयपुर शहर	जयपुर	जयपुर
29	न्यायिक (जुडिशियल) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नं.—7 जयपुर शहर	जयपुर	जयपुर
30	न्यायिक (जुडिशियल) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नं.—1 जयपुर जिला	जयपुर	जयपुर

Page No 186

186

1	2	3	4
31	न्यायिक (जुडिशियल) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नं.–2 जयपुर जिला	जयपुर	जयपुर
32	न्यायिक (जुडिशियल) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नं.–3 जयपुर जिला	जयपुर	जयपुर
33	न्यायिक (जुडिशियल) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दौसा	जयपुर	दौसा
34	न्यायिक (जुडिशियल) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, झुन्झुनू	झुन्झुनू	झुन्झुनू
35	न्यायिक (जुडिशियल) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीकर	सीकर	सीकर
36	न्यायिक (जुडिशियल) मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नीमकाथाना	सीकर	नीमकाथाना
37	न्यायिक (जुडिशियल) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नं–1 जोधपुर शहर	जोधपुर	जोधपुर
38	न्यायिक (जुडिशियल) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नं.–2 जोधपुर शहर	जोधपुर	जोधपुर
39	न्यायिक (जुडिशियल) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नं–3 जोधपुर शहर	जोधपुर	जोधपुर
40	न्यायिक (जुडिशियल) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नं.–1 कोटा शहर	कोटा	कोटा
41	न्यायिक (जुडिशियल) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नं.–2 कोटा शहर	कोटा	कोटा
42	न्यायिक (जुडिशियल) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बारां	कोटा	बारां
43	न्यायिक (जुडिशियल) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रामगंजमंडी	कोटा	रामगंजमंडी
44	न्यायिक (जुडिशियल) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अटरू	कोटा	अटरू
45	न्यायिक (जुडिशियल) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, झालावाड़	झालावाड़	झालावाड़
46	न्यायिक (जुडिशियल) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नं–1 बूंदी शहर	बूंदी	बूंदी
47	न्यायिक (जुडिशियल) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नं.–2 बूंदी शहर	बूंदी	बूंदी
48	न्यायिक (जुडिशियल) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, टोंक	टोंक	टोंक
49	न्यायिक (जुडिशियल) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मेड़ता	नागौर	मेड़ता
50	न्यायिक (जुडिशियल) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नागौर	नागौर	नागौर
51	न्यायिक (जुडिशियल) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पाली	पाली	पाली
52	न्यायिक (जुडिशियल) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़
53	न्यायिक (जुडिशियल) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नं–1 उदयपुर शहर	उदयपुर	उदयपुर
54	न्यायिक (जुडिशियल) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नं.–2 उदयपुर शहर	उदयपुर	उदयपुर
55	न्यायिक (जुडिशियल) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डूंगरपुर	डूंगरपुर	डूंगरपुर

राज्यपाल की आज्ञा से,
सम्पत राज सिंघी,
शासन सचिव।

न्याय विभाग की अधिसूचना संख्या प० 4(2) न्याय/ 74 पार्ट–5, दिनांक 1-4-74 द्वारा सृजित किये नये न्यायालयों की सूची :—

क्र० सं०	न्यायालय का नाम	जिला	बैठक का स्थान
1	सिविल न्यायाधीश एवं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सिरोही	सिरोही	सिरोही
2	,, ,, जालोर	जालोर	जालोर
3	,, ,, सवाईमाधोपुर	सवाईमाधोपुर	सवाईमाधोपुर
4	,, ,, चूरू	चूरू	चूरू
5	,, ,, टोंक	टोंक	टोंक
6	,, ,, सीकर	सीकर	सीकर
7	,, ,, जैसलमेर	जैसलमेर	जैसलमेर
8	,, ,, झालावाड़	झालावाड़	झालावाड़
9	,, ,, बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा
10	,, ,, बूंदी	बूंदी	बूंदी

Page No 187

187.

फतह सागर झील

61. श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा): क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि फतहसागर झील राज्य सरकार की है ?

(2) क्या यह सत्य है कि भूतपूर्व रियासत द्वारा फतहसागर की पाल पर निर्मित मोतीमहल भी इसी झील का ही अंग है ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि मेवाड़ संविधान में घोषित महाराणा की निजी सम्पत्ति में मोतीमहल का कहीं भी नामोल्लेख नहीं है ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि निवर्तमान महाराणा द्वारा अधिकारियों की दुरभिसंधि से उक्त मोतीमहल बेच दिया गया है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इसकी जांच कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। यह निवर्तमान महाराणा की निजी सम्पत्ति घोषित की गई है।

(4) निवर्तमान महाराणा द्वारा मोतीमहल श्रीमती चेलना टाया पत्नी श्री अमृतलाल टाया को बेच दिया। इसमें अधिकारियों की दुरोमधि का प्रश्न नहीं उठता परन्तु इस भवन को अवाप्त करना राज्य सरकार के विचाराधीन है।

चालकों एवं परिचालकों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति एवं जन जाति का रिजर्वेशन

62. **श्री रावतराम आर्य** (छापर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान पथ परिवहन निगम में चालक, परिचालक आदि पदों के लिए अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के वास्ते रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है ?

(2) सन् 1973 व 74 में उक्त पदों के लिए कितनी नियुक्तियां की गई हैं और उनमें अनुसूचित जाति के कितने लोग हैं ? जिलेवार व्यक्तियों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि रिजर्व कोटे के मुताबिक अनुसूचित जाति के प्रार्थियों को नियुक्तियां नहीं मिलीं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(स्थगित किया गया)

परिशिष्ट–5

(अ०ता० प्र० सं० 9 की सूची)

ANNEXURE—'A'

(1) (a) Shri Bal Krishna Vidhya Bhawan raised to High school w. e. f. the Session 1955-56.

(b) Its name has been retained as Bal Krishan Vidya Bhawan.

(2) The services of the staff existed at the time of handing over was absorbed with effect from 1-4-51.

(3) Science Maths. subject was started alongwith the raising of the Middle School as High School in the session 1955-56.

(4) The arrears of the salary of the staff was paid by the Government.

परिशिष्ट 6

(अ. ता. प्र. सं. 17 की सूची)

मंजूर किये गये वायरलेस सेट्स के स्थानों की सूची ।

1. हींगोटा (बाण गंगा नदी पर)
2. बयाना (गम्भीर नदी पर)
3. महावीर जी ,,
4. सोडावास (सावी नदी पर)
5. जवाई बांध
6. सेई प्रोजेक्ट-
7. गलीयाकोट
8. बालोत्रा (समदड़ी लूनी नदी पर)
9. जयसमन्द
10. रानाप्रताप सागर
11. जवाहर सागर
12. कोटा बैराज
13. कामां
14. हनुमानगढ़ (घग्घर हेतु)
15. मुख्य अभियन्ता के सिचाई का कार्यालय, जयपुर ।
16. झालावाड़ (कालीसिंध केचमेन्ट हेतु)
17. ताला
18. निम्बाहेड़ा
19. माही बांध
20. रामगढ़ टैंक

शुद्धि-पत्र

बुधवार, दिनांक 14 अगस्त, 1974

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
12	नीचे से 4	ओंकारलाल	ओंकारलाल चौहान
25	ऊपर से 14	श्री गुमान मठ	श्री गुमानमल
80	,, 7	श्री गुरूदयाल	श्री गुरुदयालसिंह संधु
81	,, 1 व 10	,,	,,
90	नीचे से 14	ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	व्यवस्था का प्रश्न –विशेषाधिकार के प्रश्न की ग्राह्यता
91-92	शीर्ष	स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था	,,
93-134	शीर्ष	ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	,,
114	नीचे से 1	उदू	उर्दू
122	,, 11	हथ	हाथ
135	ऊपर से 1	राजस्थान कृषि उपज विपणि (द्वितीय) संशोधन विधेयक, 1974 का उपस्थापन	—
	,, 3	विधेयक पर विचार एवं पारण राजस्थान विश्व विद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) विधेयक, 1974 पर विचार एवं पारण–	—
136	ऊपर से 1 के ऊपर	--	राजस्थान कृषि उपज विपणि (द्वितीय) संशोधन विधयक, 1974 का उपस्थापन–

191

1	2	3	4
..	नीचे से 9 के ऊपर	—	–विधेयक पर विचार एवं पारण– राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) विधेयक, 1974 पर विचार एवं पारण
	,, 2 के ऊपर	—	व्यवस्था का प्रश्न –विधेयक में हिन्दी भाषा में संशोधन–
138	,, 15 के ऊपर	—	राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) विधेयक, 1974
163	नीचे से 5	समझगा	समझूंगा
171	ऊपर से 3	विद्यालय	विद्यालयों
215	नीचे से 8	जल्दवजी	जल्दबाजी
231	ऊपर से 9	राजस्थाना	राजस्थान
259	ऊपर से 2	मेबर	मेम्बर
298	नीचे से 4	मव	मूव
335	नीचे से 4	पाध्यक्ष	उपाध्यक्ष
341	नीचे से 1	चोम	चोमू
	नीचे से 13	भंकरी	भाकरी
342	,, 12	मांडारेज	भांडारेज